(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 24 वां दिवस [संख्या 17

1] [2

बुधवार

दिनांक 21 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मण सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 422

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री विज्ञान मोदी :

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये।)

श्री श्रवण लाल :

ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायतों के सचिवों का बकाया वेतन

423. **श्री श्रवण लाल** (हिन्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायतों के सचिवों का वेतन बकाया चला आ रहा है? यदि हां, तो किस किस का कितना कितना, किस किस वर्षों का चला आ रहा है? कृपया जिले वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त बकाया के चुकारा करने के बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है? अब उन्हें कब तक चुकारा कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना मंगाने में विलंब हुआ है और अभी समय लगेगा। साढ़े सात हजार पंचायतों का प्रश्न है। इसलिये स्थगित करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री श्रवण लाल : क्या इसी सेशन में आ जायगा? मैं इस प्रश्न को 1962 से उठाता चला आ रहा हूं। 20 लाख की बकाया का मामला है।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : पंचायतें भंग भी हो गई, नई भी बन गई। न राज्य सरकार उसका चुकारा करती है और न पंचायत देती है। हजारों कर्मचारियों की दुर्दशा का प्रश्न है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री दिग्विजयसिंह)

चाहता हूं कि हम भी चिन्तित हैं कि अब किस प्रकार चुकारा किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : सरकार का उत्तर, संख्या के आधार पर आता है क्या?

श्री अध्यक्ष : विस्तृत जानकारी देने में समय लगेगा।

नैक्स्ट। श्री आलम अली।

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : प्रश्न संख्या 424। मुझे पूछने के लिये कह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है। आपको भी दी है।

श्री अध्यक्ष : लिखित सूचना नहीं है।

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपको दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल वर्मा।

पंचायतों के चुनाव के समय से वंचित रही पंचायतें

424. श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय) : [श्री आलम अली खां (फतेहपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनके चुनाव पंचायतों के चुनाव के समय नहीं कराये गये थे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन ग्राम पंचायतों के चुनाव किन कारणों से नहीं कराये गये?

(3) क्या यह कारण सही है कि ग्राम रावतभाटा की नगरपालिका अथवा नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने के कारणवश नहीं कराये गये थे? अगर हां, तो अब कब तक ग्राम रावतभाटा को नगरपालिका अथवा नोटिफाइड एरिया घोषित किया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चुनाव नहीं कराने के कारण सूची में अंकित कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। यह मामला मंत्रिमण्डल में दिनांक 20 फरवरी, 1979 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट I देखें।)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, रावतभाटा में नोटिफाइड एरिया घोषित किया था और सारा खर्चा निकाल कर 1 लाख 45 हजार की आमदनी हुई थी। अब क्या उसको म्यूनिसिपल एरिया रखना चाहते

(श्री रतनलाल वर्मा)

हैं या फिर कोई पंचायत बनाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : इसी तरह सिरोही में म्यूनिसिपेलिटी है। बाहर रहने वाले व्यक्ति, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, को सरपंच बनाया गया है। सांचौर में भी यही किया गया और चुनाव नहीं कराये गये। अब क्या मंत्री महोदय दोनों जगह चुनाव करवा देंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया सारे प्रश्न को मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ रख दिया गया है, नोटिफाइड एरिया घोषित किया जाय या नहीं किया जाय।

श्री रतन लाल वर्मा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय ने एक साल पूर्व ही लिख कर भेज दिया था कि नोटिफाइड एरिया घोषित कर दें, 5604 की संख्या है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट कहा है, सारे मामले को बनाकर इसी 20 फरवरी को मंत्रिमण्डल के समक्ष रख दिया गया है। विचार होने के बाद निर्णय ले लिया जायगा।

(व्यवधान)

वैसे इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन जानकारी के लिये निवेदन कर दूं, जहां कहीं पोस्टें वेकेन्ट हो गई हैं चुनाव विभाग को लिखकर पूछा गया है कि चुनाव करवायें।

प्रश्न संख्या 425

श्री अध्यक्ष : श्री आलम अली खां

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 426

नैक्स्ट। श्री जेठमल बरवड़।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री हरचन्दसिंह।

सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां सूरतगढ़ की प्रशासक के रूप में जम्मू-कश्मीर यात्रा

427. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सूरतगढ़, जम्मू-कश्मीर बतौर प्रशासक क्रय-विक्रय सहकारी संघ सूरतगढ़ के गये थे ?

(2) अगर हाँ, तो कितने समय के लिये और क्यों ?

(3) क्या वह जम्मू कश्मीर जाने के लिये बिना रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के लिये अधिकृत थे ?

(5)

(श्री हरचन्दसिंह)

(4) क्या नियमों में वांछित स्वीकृति सहायक-रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार से जम्मू-कश्मीर जाने से पूर्व प्राप्त कर ली थी? अगर नहीं तो कैसे गये?

(5) क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ जांच कराने की सोच रही है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल):

(1) जी हां।

(2) दिनांक 25-10-78 से 27-10-78 तक कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें भाग लेने हेतु दिनांक 23-10-78 को गये थे तथा 29-10-78 को वापिस लौटे थे। यात्रा का पूर्ण विवरण लिया जा रहा है। सहायक रजिस्ट्रार ने प्रशासक की हैसियत से भाग लिया है।

(3) परीक्षण किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है।

(5) जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री हरचन्द सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह जांच कब तक पूरी हो जायगी? इस जांच में मुद्दा साबित हो जायगा तो उस अधिकारी को कब तक दण्डित कर दिया जायगा? यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल: जांच के आदेश दे दिये गये हैं। शीघ्रातिशीघ्र जांच करवा कर अगर अधिकारी गिल्टी पाया गया तो अवश्य दंडित किया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द जैन: जांच के कब आदेश दिये? प्रश्न आने के बाद?

श्री कैलाश मेघवाल: जी हां। प्रश्न के आने के बाद ही स्थिति सामने आई है।

श्री हरचन्द सिंह: मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि यात्रा भत्ता कितना उठाया और कहां से उठाया है?

श्री कैलाश मेघवाल: पंचायत समिति से ही उठाया गया होगा। अंक मेरे पास नहीं है। जांच का मुद्दा है, दफा 374 की कार्यवाही कर लेंगे।

प्रश्न सं० 428

श्री अध्यक्ष: श्री शिवचरण सिंह।

श्री करतार सिंह। (अनुपस्थित)

नगरीय एवं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं हेतु विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि

429. श्री करतार सिंह (किशनगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले का किशनगढ़ नगर पावरलूम उद्योग में अपना विशिष्ट स्थान रखता है?

(2) क्या यह भी सही है कि स्थानीय पावरलूम व्यवसायियों को अपनी लूमों के वास्ते सूती धागा राजस्थान सहकारी स्पीनिंग मिल्स लि० गुलाबपुरा से मंगाना पड़ता है, क्योंकि किशनगढ़ नगर में इनका कोई वितरक

(श्री करतारसिंह)
नहीं है जिससे इन्हें धागा सीधा गुलाबपुरा सहकारी मिल्स से ही मंगाना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ नगर में सहकारी क्रय-विक्रय समिति भी है तथा वह राजस्थान सहकारी स्पीनिंग मिल्स, गुलाबपुरा की सहायक भी है ?

(4) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार किशनगढ़ नगर के पावरलूम व्यवसाइयों को राहत दिलवाने वास्ते किशनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति की राजस्थान सहकारी स्पीनिंग मिल्स लि०, गुलाबपुरा को वितरक नियुक्त करना उचित समझती है ? यदि हां, तो यह कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां।

(2) किशनगढ़ के जो व्यापारी राजस्थान कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल्स लि० गुलाबपुरा के सदस्य हैं, उन सदस्यों को ही मिल से सीधा सूत दिया जाता है।

(3) किशनगढ़ नगर में किशनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने उक्त मिल के 300) रु० के शेयर क्रय कर रखे हैं और वह सदस्य है, सहायक नहीं है।

(4) मांग आने पर मिल स्वयं निर्णय करने में सक्षम है।

श्री करतार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय क्या यह आश्वासन देना चाहते हैं कि कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी इस चीज की मांग करेगी तो जो मिल है वह इस धागे की एजेन्सी देने को तैयार है ?

श्री कैलाश मेघवाल : बोर्ड आफ डायरेक्टर्स इसके बारे में फैसला लेने के लिए कास्पीटेंट हैं। वह नियम, उपनियम के आधार पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

श्री करतारसिंह : जब राज्य सरकार कोआपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देने की बात कर रही है और कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल्स भीलवाड़ा मौजूद है। ये कोआपरेटिव सोसायटीज उसकी शेयर होल्डर हैं तो फिर इनको किसी प्राइवेट एजेंसी से माल खरीदने के लिये क्यों मजबूर किया जा रहा है ? क्या आप इसको उचित समझते हैं कि मार्केटिंग सोसायटीज को मिल के द्वारा ही माल दिलाया जाय ?

श्री कैलाश मेघवाल : किशननढ़ के माननीय विधायक के प्रश्न के उत्तर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय मिल और खरीददारों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। जितने भी किशनगढ़ की मिल के सदस्य हैं उनको ही सूत बेचा जाता है। बीच की किसी एजेंसी के द्वारा नहीं। ऐसी स्थिति में कोई क्रय-विक्रय सहकारी समिति अगर इसके लिए प्रार्थना-पत्र देगी तो उसी परिप्रेक्ष में विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुल मोहम्मद।

छठी पंचवर्षीय योजना में डाक्टरों का निर्धारित लक्ष्य

430. **श्री गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(6)

(श्री गुल मोहम्मद)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य में 11,400 डाक्टरों का लक्ष्य निर्धारित किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समय राज्य में करीब 3,000 डाक्टर कार्यरत हैं तथा भविष्य के पांच वर्षों में करीब 2700 डाक्टर और उपलब्ध होंगे ? यदि हां, तो शेष डाक्टरों की राज्य सरकार किस प्रकार पूर्ति करेगी ?

(3) योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष 78-79 में मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ा कर भविष्य में होने वाली इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) जी नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना में करीबन 1500 नये डाक्टरों के नये पद सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) जी हां। इस समय राज्य में 3000 डाक्टर कार्यरत हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना तक लगभग 2500 डाक्टरों की और आवश्यकता होगी। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : राजस्थान में छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी महिला डाक्टर लेने की योजना विचाराधीन है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैंने निवेदन किया कि इस समय राज्य में तीन हजार डाक्टर कार्यरत हैं। छठी पंचवर्षीय योजना तक नए पद लगभग 2500 हो सकेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : अभी राजस्थान में कितने डाक्टर बेकार हैं ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : लगभग तीन हजार।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने प्रश्न के भाग (1) में बताया है कि पन्द्रह सौ डाक्टर छठी पंचवर्षीय योजना में लिये जायेंगे लेकिन दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपने 2500 के लगभग लेने की बात कही है। यह डिफरेंस क्यों है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसलिए कि पांच वर्षों में पदोन्नतियां होंगी और दस पर्सेंट के लगभग रिटायर होते हैं। इससे लगभग 2500 डाक्टर छठी पंचवर्षीय योजना में लिए जा सकेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि गत वर्ष गांवों में महिला चिकित्सक नियुक्त करना तय किया था लेकिन आज तक भी महिला चिकित्सकों का अभाव होने के कारण वह नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं ? अगर नहीं की जा सकती हैं तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? यह बहुत ही आवश्यक है कि गांवों में महिला चिकित्सकों की नियुक्तियां हों।

श्री गुल मोहम्मद : मन्त्री महोदय, एक सप्लीमेंट्री और पूछना चाहता हूं। क्या

(श्री गुल मोहम्मद)

11,400 डाक्टरों का जो लक्ष्य छठी पंच-वर्षीय योजना में रखा गया था वह बिल्कुल गलत रखा गया था या बाद में कम कर दिया है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 महिला चिकित्सकों के पद सृजित किये गये और चार सौ की और नियुक्तियां की गईं। प्रश्न यह है कि जो महिला चिकित्सक हैं वह ड्यूटी ज्वाइन नहीं करती हैं, काम पर नहीं आना चाहती हैं। विभाग की ओर से, सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि महिला चिकित्सकों का चयन हो जावे और वे वहां पर चली जावें।

जहां तक माननीय सदस्य, गुल मोहम्मद जी ने कहा है कि क्या 11,400 डाक्टरों के लक्ष्य को निर्धारित किया है, मैं बता दूं कि इसमें 1500 डाक्टरों के पद सृजित होंगे।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मन्त्री महोदय ने इस पर विचार किया है कि महिला डाक्टर क्यों नहीं आती हैं ? गांवों में महिला डाक्टर जाने के लिये तैयार क्यों नहीं होती हैं, इस पर सरकार ने कभी विचार किया है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिरकार कौन सी समस्या आ रही है कि जिसके कारण 29 महिला चिकित्सक भी राजस्थान में नहीं मिल रही हैं ? इसके लिए आगे सरकार क्या करने का विचार रखती है। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूं कि सबको कब तक लगाने का विचार रखते हैं ?

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) : इसके साथ-साथ मंत्री महोदय, यह भी बतायें कि लेडी डाक्टर वहां पर नहीं जाती हैं तो क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे ? जब अपाइन्टमेंट हो गया तो क्यों नहीं जाती हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, हम ग्रामों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। होता यह है कि शहरों के लोग, अगर कोई ट्रेंड लेडी डाक्टर रखी जाती है या किसी डाक्टर की नियुक्ति हो जाती है तो, शहर के एम. एल. एज. कैसे भी करके मन्त्री महोदय से ट्रांसफर करवा लेते हैं। यही कारण है कि गांवों के अस्पताल बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं। जहां जहां लेडी डाक्टर नहीं हैं उनके लिए व्यवस्था करने का मन्त्री महोदय क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की भी यह मजबूरी है, यह बहुत ही हास्यास्पद और चिन्ता के काबिल है कि स्वयं डाक्टर्स ट्रांसफर्स करा कर देहातों में नहीं जाते हैं और सरकार मजबूरी से इस स्थिति को देखती जा रही है। क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनाने के लिए तैयार है या मेडिकल प्रेक्टिशनर एक्ट में ऐसा प्रावधान या तरमीम करने का सोच रही है कि जिसके कारण किसी डाक्टर

(श्री माणकलाल ठाकोर)

अथवा लेडी डाक्टर के देहात में जाने से मना करने पर उनका मेडिकल प्रेक्टिस करने का लाईसेंस रद्द किया जा सके ?

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : एक और भी प्रश्न है। यह प्रशिक्षण देने से पूर्व क्या कोई बाण्ड इनसे भरवाया जाता है कि सरकारी नौकरी न करने पर या मना करने पर अमुक राशि उनको सरकार को देनी पड़ेगी ? क्या यह सही है ? अगर सही है तो उनके ड्यूटी पर न जाने पर क्या उनसे ऐसी कोई राशि वसूल की गई है ?

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्त्ता, अभी आता हूं आपकी तरफ। श्री वृद्धिचन्द।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) : तीन सौ डाक्टर्स बेरोजगार हैं, यह प्रश्न का जवाब आपने दिया है और दूसरी तरफ समस्या यह है कि जितनी भी नई डिस्पेंसरियां कायम हुई हैं उन पर कोई भी मेल डाक्टर नहीं गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : इसी परिप्रेक्ष में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनाने की सोच रही है जिसमें उनको पाबन्द किया जा सके या ऐसी आर्थिक या और सुविधायें देने हेतु सरकार सोच रही है कि ग्रामों और शहरों से दूर जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर डाक्टरों को आकर्षित किया जा सके ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि चाहे मेल डाक्टर हो और चाहे लेडी डाक्टर हो, कोई गांव में नहीं जाते हैं तो जितने भी राजस्थान में मेल डाक्टर और लेडी डाक्टर के जोड़े हैं, पति और पत्नी हैं, उनके लिए कम्पलसरी कर दें कि दोनों का पोस्टिंग एक जगह पर ही गांव में हो। अगर गांव में उनके रहने के लिए क्वार्टर नहीं है तो मेहरबानी करके क्वार्टर बनायें ताकि कम से कम एक कांस्टीट्यूएंसी में या एक पंचायत समिति में तो एक डाक्टर और एक लेडी डाक्टर निश्चित रूप से पहुंच जाय। क्या ऐसी व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे ?

श्री डूंगरराम पंवार (टी०बी०) : मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि जो लेडी डाक्टर आलरेडी काम रही हैं उनका देहातों में ट्रांसफर किया जावे और जो नई नियुक्त लेडी डाक्टर हों उनको हॉस्पिटल में रखा जावे और अगर वे गांवों में नहीं जाती हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। यह आदेशों की पालना नहीं करना अनुशासनहीनता है।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप भी महसूस कर रहे हैं और सभी जानते हैं.......

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : हमारे प्रश्न रह जायेंगे, साहब।

श्री नवरंगसिंह : तो क्या एडमीशन रूल्स में और विशेष कर एडमीशन देने के

(श्री नवरंगसिंह)

तरीके में रद्दोबदल नहीं कर सकते कि देहात की जितनी भी छात्रायें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जावे ताकि डाक्टरों की परेशानी नहीं हो ? अगर गांवों में आज पोस्टिंग कर देते हैं और येन केन प्रकारेण वापस आ जाते हैं तो क्या ग्रामीण छात्राओं को ट्रेनिंग में ही प्राथमिकता देने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : एक प्रश्न मेरा भी है। लेडी डाक्टर को गांव में नियुक्त किया जाता है वह छुट्टी लेकर बैठ जाती है वहां नहीं जाती है। क्या मन्त्री महोदय कृपा करके उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री गुल मोहम्मद : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए क्या यह सही है कि भविष्य में डाक्टरों की कमी नहीं रहेगी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या मेडिकल कालेजों में सीटें और बढ़ाई जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, इसका खुलासा कर दें ?

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री महोदय का उत्तर आने दीजिये। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान् मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आप अपने प्रशासन में यह व्यवस्था कर सकते हैं कि लेडी डाक्टर और मेल डाक्टर अधिकतर शहरों में ही रहना पसंद करते हैं और वे वर्षों तक अच्छे अच्छे अस्पतालों में रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इनके लिए एक निश्चित समय मुकर्रर कर दीजिये और कोई भी तीन साल से अधिक शहर में नहीं रहे और गांवों में जाये। इसी तरह से गांव के डाक्टर को भी शहर में आने का मौका मिले। क्या आप वर्तमान प्रणाली में रद्दोबदल कर यह प्रणाली लागू करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आप जैसे लोगों की, प्रभावी लोगों की सिफारिश पर ही वे शहरों में टिके रहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी पार्टी तो तबादलों की राजनीति पर ही जिन्दा है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं मूल प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। जो डाक्टरों के नये पद सृजित किये जा रहे हैं वे वित्तीय प्रावधान और नीति के अनुसार, दोनों में संतुलन कर के किये गये हैं। इसलिए यह जो पद सृजित किए गए हैं वे इस नीति के अनुसार हैं। इस आवश्यकता को देखते हुए डाक्टर पर्याप्त मात्रा में हैं।

श्री गुल मोहम्मद : जनसंख्या बढ़ती जा रही है और डाक्टरों की कमी है।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : जो अहम् मसला है वह महिला चिकित्सकों का है। इस सम्बन्ध में मैं सभी माननीय सदस्यों का

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

सहयोग चाहूंगा। महिला चिकित्सक जब तक सर्विस में नहीं आती हैं तब तक राज्य सरकार का कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनको किसी स्थान पर भेज दिया जाय। वे जोइन नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस कार्यवाही कर के हम उनको जोइन नहीं करवा सकते हैं। मैंने यह सभी माननीय सदस्यों को निवेदन किया है कि उनके क्षेत्र में या उनकी परिचित कोई महिला चिकित्सक हो तो उसका वे प्रार्थना पत्र भिजवायें, हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि यदि कोई महिला चिकित्सक बेरोजगार है और वह उनके क्षेत्र में जाना चाहती है तो तत्काल उनको नियुक्ति दी जा सकती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मेडिकल कालेज में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो उनसे एक बांड भराया जाता है जो राज्य सरकार की छात्र-वृत्ति से पढ़ते हैं, वे कहीं भी जाने के लिये विवश हैं। इसलिये सरकार उसको आदेश दे और नहीं जावें तो उससे वह सारी रकम वसूल करे। करीब तीन लाख रुपया, सरकार एक विद्यार्थी पर खर्च करती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण न दें।

श्री लाल चन्द (भादरा) : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है तो उससे वे यह न समझें कि वक्त वही है। वक्त बदल गया है। वे इस बात को न माने। अगर किसी एरिया में कोई डाक्टर बेकार है तो हम उससे दरख्वास्त दिलावें और आप उसको नियुक्ति देंगे। परन्तु जो आदिवासी एरिया है, वहां पर कोई डाक्टर नहीं है। वहां कोई डाक्टरी पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। वहां पर कोई लोकल डाक्टर नहीं होगा। मंत्री महोदय यह समझते हैं कि वह एरिया बिना डाक्टर के रहे तो वे यह भूल करते हैं। आज गांव की जनता भी अपने अधिकार के प्रति सजग है। गंगानगर शहर में 150 डाक्टर हैं और उसी गंगानगर जिले में मेरी जो कान्स्टीट्युएन्सी है डेढ़ साल से वहां की डिस्पेन्सरी में कोई डाक्टर नहीं है। इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है? क्या गांव बिना डाक्टरों के रहे? वे भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा। महिला चिकित्सक का जो प्रश्न है, वह मिल कर ही सुलझाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय से माननीय सदस्य कैसे मिल सकते हैं? वे तो 11 मील दूर रहते हैं शहर से। उनसे मिलना भी असंभव रहता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय की विवशता के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन क्या सर-कार ग्रामीण क्षेत्रों में सन्तोषजनक चिकित्सा व्यवस्था करने में विफल रही है? यदि

(श्री अध्यक्ष)

विफल रही है तो उस विफलता को सफलता में परिणित करने के लिए आपका क्या विचार है ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया है वह ठीक है। हमारी ओर से सतत् प्रयत्न जारी है। जो डाक्टर पहले से यहां पर नियुक्त हैं, उनका स्थानान्तरण करने में कठिनाई यह है कि स्थानान्तरण करते ही वे अपने हक की छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं। फिर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न आता है तो वे काम छोड़ कर चले जाते हैं। इससे हमारे लिए बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है। किसी तरह से तैयार करके उनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर भेजते हैं और समस्या को सुलझाते हैं। जो प्रवेश लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनको कन्सीडर किया जाए, यह नियम लागू करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुविधा दे रहे हैं और सुविधाओं के लिए उनको इन्सेन्टिव तैयार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, हमारे पुराने जमाने में चार अस्त्र काम में लेते थे persuasion, coercion, cajoling and compulsion. सरकार तो बहुत लम्बी चौड़ी है। सरकार को इस प्रकार का कोई न कोई रास्ता ढूंढना चाहिए तभी यह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करने में भी सफल होगी।

श्री अयूब खां (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, जो डिस्पेन्सरी खुली है, वहां के लिए सी.एम एच.ओ. ने यह लिख दिया है कि यहां पर भवन उपयुक्त नहीं है। ऐसी अवस्था में डाक्टरों को भेजना असम्भव है। गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं बनाती है तो डिस्पेन्सरी किस तरह से चलेगी ?

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया है।

नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतहसिह (भीम) : सरकार हमारा काम नहीं करती है तो हम को भी कम्पलसन करना होगा, आपके साथ जबर्दस्ती करनी होगी तब जाकर के आप काम करेंगे। डाक्टरों को गांव में भेजना है तो फिर आपको उनके साथ कम्पलसन इस्तेमाल करना होगा। केवल परसुएशन से डाक्टर गांव में नहीं जाएंगे। मेरे क्षेत्र में श्रीमान्, एक डा० गुप्ता का नये चिकित्सालय में अपाइन्टमेन्ट हुआ था। अपाइन्टमेंट के बाद वे सी. एम. एच. ओ. उदयपुर के दफ्तर गये और वहां पर उन्होंने अपनी जोइनिंग रिपोर्ट दे दी और छुट्टी पर चले गये। 6 महीने तक छुट्टी पर रहे और बाद में भी कभी नहीं आये। बाद में एक सिन्धी डाक्टर आया। तो मंत्री महोदय, आप कम्पलसन से काम लीजिए। केवल हाथाजोड़ी से काम नहीं चलेगा। राज्य कर्मचारियों के साथ दृढ़ता अपनाने से ही काम चलेगा और तभी शासन चलेगा। अगर दृढ़ता आप में नहीं है तो get out and leave Cabinet।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

(12)

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री रतन लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने, दो महीने या तीन महीने में कब तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की व्यवस्था कर देंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पैसे वे लोग ले रहे हैं और मजे कर रहे हैं........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लालूदास

श्री लालू दास (फलासिया) : अध्यक्ष महोदय........

(व्यवधान)

कब उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भिजवा देंगे ?

(व्यवधान)

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कब तक डाक्टरों को भिजवा दिया जायेगा ? यह बताने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि यदि एक सदस्य खड़ा होकर प्रश्न पूछे तो दूसरे सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये। यदि व्यवधान करने का माननीय सदस्यों को अधिकार है फिर तो 25 भी खड़े हो सकते हैं। सदन की सुचारू ढंग से कार्यवाही हो, सरकारी उत्तर सुन्दरता के साथ, व्यवस्थित ढंग से आये इसलिये वन बाई वन, एक-एक करके खड़ा होना चाहिये।

माननीय सदस्य, श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो छोटे डाक्टर हैं, सी. ए. एस. हैं, वे गांवों में नहीं जाते, यह तो समझ में आता है परन्तु प्रोफेसर रैंक के व्यक्ति जिनका बीकानेर मेडिकल कालेज में अपाइंटमेंट हुआ और एक साल हो गया अपाइंटमेंट हुए, जिनके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई में हर्जा हो रहा है, वे डाक्टर भी जब वहां ड्यूटी जोइन नहीं कर रहे हैं तो इस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? माननीय मुख्य मन्त्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को और मंत्रिमण्डल के सारे सदस्यों को मालूम है। अगर आप एक बड़े डाक्टर पर कार्यवाही नहीं कर सकते तो आप छोटे डाक्टरों को क्या गांव में भेज सकेंगे, जब एक प्रोफेसर को भी बीकानेर मेडिकल कालेज में नहीं भेज सकते। कृपया इसका जवाब दें ?

श्री अध्यक्ष : जवाब क्या देंगे। अगर आप माननीय मंत्री महोदय के स्थान पर होते तो क्या देते ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं ऐसे डाक्टरों को नौकरी से बाहर निकाल देता।

श्री अध्यक्ष : आप आकर्षण करिये, दुगुनी तनख्वाह बढ़ायें, जिससे वे जायें वहां पर।

श्री पदम सिंह राठौड़ (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, श्री राम कृष्ण दास जी उस पीड़ा को नहीं समझ सकते क्योंकि ये शादी-शुदा नहीं हैं। शादी-शुदा ही उस पीड़ा को समझेंगे उस सारे परिप्रेक्ष में डाक्टरों और डाक्टरनियों को गांव में भेजने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस पर भी सोचें, अकेले भेजेंगे तो कैसे जायेंगे ? कम से कम जोड़ा तो भेजें।

श्री अध्यक्ष : आपको राम कृष्ण दास जी के प्रति इतनी उत्सुकता है तो उनका जोड़ा लाकर दीजिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ताकि हाउस का वातावरण भी ठीक हो।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

जालौर जिले को अलाट किया गया सीमेंट का कोटा

431. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले को वर्ष 78–79 में कुल कितना सीमेंट अलाट किया गया।

(2) जिले की वर्ष 78-79 की कुल मांग क्या थी ?

(3) मांग के मुताबिक जिले को सीमेंट आवंटन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या जालौर जिले के सीमेंट का कोटा बढ़ाने हेतु राज्य सरकार विचार कर रही है ?

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री (श्री जय-नारायण पूनिया) : (1) जालौर जिले को वर्ष 78–79 में 1 अप्रैल, 78 से 31 मार्च, 1979 तक के लिये 3825 मैट्रिक टन सीमेंट अलाट किया गया।

(2) जिले की वर्ष 78–79 में एक त्रैमास (अप्रैल से जून 78) की 1500 मैट्रिक टन सीमेंट की मांग प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर बाकी त्रैमासों में उप-लब्धि के अनुसार सीमेंट आवंटित कर दिया गया।

(3) केन्द्र सरकार से मांग के अनुसार सीमेंट नहीं मिलने के कारण जालौर जिले की मांग के अनुसार आवंटन करना संभव नहीं हुआ है।

(4) केन्द्र से जितनी सीमेंट आवंटित होती है उसके अनुपात से ही जिलों को आवंटन किया जाता है। अतः केन्द्र से अधिक आवंटन प्राप्त होने पर ही जालौर जिले का कोटा बढ़ाने का विचार किया जा सकेगा।

(14)

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या राज्य सरकार, जितना सीमेंट का कोटा होता है उसमें से पाली, सिरोही, बाड़मेर–इनका कोटा हमेशा आधे से कम रखती रही है और यह 1952 से लगा कर आज तक के अनुपात को निकाल कर आप देख सकते हैं, जब कि वहां कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता रहा है। क्या इस अन्याय को मिटाने के लिए राज्य सरकार मूल्यांकन करा कर इस कोटे को बढ़ाने की प्रक्रिया पर विचार करेगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : 3825 मैट्रिक टन सीमेंट का कोटा जो जिसके लिये आवंटित किया था तो क्या उतना कोटा आवंटित किया था जालौर जिले को ? उतना वास्तव में जिले में चला गया ? दूसरे, आपने कहा कि उपलब्धि के अनुसार सीमेंट देंगे, अध्यक्ष महोदय, जालौर में जितने कुएं हैं उनमें पंपिंग सैट फिट करके सिचाई कुओं से करते हैं। क्योंकि बिजली नहीं मिलती है, पहले भी स्पेशल सीमेंट कोटा जालौर जिले के लिये एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए अलाट किया था और अध्यक्ष महोदय, जो रेगुलर कोटा पहले था, क्या उसको कम किया गया है ? अगर हां, तो कितना कम गया है और वापस जितनी मांग है उस मांग को दूसरे जिलों, जहां कुओं से बनिस्पत सिचाई नहीं होती, क्योंकि सीमेंट की तो कमी सब जगह है परन्तु कृषि खपत को देखते हुये क्या जालौर जिले के लिए मंत्री महोदय यह महसूस नहीं करते ? और वहां सवाई माधोपुर और चित्तौड़ की शक्ति सीमेंट तो जालौर में भेजी जाती है और गुजरात की ए० सी० सी० सीमेंट अन्य जिलों में। सप्लाई में संतुलन ही नहीं है। गुजरात की ए० सी० सी० सीमेंट जालौर आसानी से भेजी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मैं वही पूछ रहा हूं, जब एक सीमेंट कम्पनी एक जिले के नजदीक पड़ती है तो वह सीमेंट उसमें क्यों सप्लाई नहीं की जाती ?

श्री सूरजपालसिंह : मैं पूछना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों के नाम पर जो कुछ करती है, जालौर जिले में जहां किसान कुओं से सिचाई करते हैं, अगर वहां 4 हजार कुएं खुदवाएं तो उसके लिए एक लाख बोरी सीमेंट और 1600 बोरी सीमेंट उनमें कनेक्शन के लिये चाहिये। किसानों के नाम का दम भरने वाली सरकार, आपने जालौर जिले को 3825 मैट्रिक टन सीमेंट का अलाटमेंट किया उसको पूरा करने में सरकार कितनी सक्षम रही है ? इसके अलावा निर्माण का सारा का सारा काम सीमेंट के अभाव में रुक गया। भुंभाणी नदी का, पुल एवं गोविन्दी नदी का पुल सीमेंट नहीं मिलने से नहीं बन सका।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने केन्द्रीय सरकार को, एक मंत्री होकर किस-किस समय और क्या क्या निवेदन किया, कोटा बढ़ाने के लिए, क्या क्या प्रयत्न किये ? वे बता दें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो सीमेंट का अलाटमेंट है जो कि विभिन्न जिलों

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

को किया गया है वह किस आधार पर आप करते हैं ? यह स्पष्ट कीजिये जिससे स्थिति ठीक हो सके। क्या आप यह बता सकते हैं कि सीमेंट का अलाटमेंट विभिन्न जिलों में किया गया है तो विभिन्न जिलों में कितना सीमेंट अलाट किया गया है ? अगर आपको जानकारी है तो आप दें, नहीं है तो आधार बतायें ?

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सीमेंट के बारे में सबसे पहले व्यास जी ने यह बात पूछी है कि जोधपुर डिवीजन में जितने भी जिले हैं उनमें जो मांग थी उसके अनुसार सीमेंट नहीं मिलती है। उस दृष्टि से भी कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से कि सीमेंट की भारी मांग न हो, चाहे वह जोधपुर डिवीजन हो, चाहे कोटा डिवीजन हो, चाहे बीकानेर डिवीजन हो। वहां से सीमेंट की भारी मांग लगातार आती जा रही है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, सीमेंट के अभाव से उनके ऊपर असर पड़ता है, चाहे वह डिपार्टमेंट के हों, चाहे प्राइवेट हों। उनके अनुसार जो सीमेंट चाहिए उतनी केन्द्र से आवंटित नहीं हो रही है। जैसा कि 78-79 के अन्दर केन्द्र से राजस्थान सरकार को जो कोटा अलाट किया गया था वह 1,44,000 मैट्रिक टन का था। उसमें इस वर्ष 79-80 में बढ़ोतरी जरूर हुई है और वह 1,55,000 मैट्रिक टन हुआ है। उसके अन्दर भी यह बात सोची गई है कि केन्द्र ने जो 1,55,000 मैट्रिक टन सीमेंट अलाट की थी उसमें से डिपार्टमेन्ट के लिए 97 हजार मैट्रिक टन रिजर्व कर दिये, बाकी 58,400 मैट्रिक टन जन-वितरण के लिए रखा है। इसलिए इस हिसाब से जन-वितरण का जो सीमेंट का कोटा था उसमें और कटौती हो गई है। लेकिन डिपार्टमेंट का जो कोटा अलाट हुआ है उसके मुताबिक डिपार्टमेंट के काम ज्यादा हैं इस वजह से डिपार्टमेंट के काम भी जरूर सफर कर रहे हैं। इस प्रकार से सीमेंट का वितरण केन्द्र की तरफ से जो हुआ है वह सारा का सारा बांटा गया है और जिलेवार बांटा गया है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने पूछा कि प्रत्येक जिले को कितना-कितना अलाट हुआ है उसका अगर पूछेंगे तो बता सकता हूं। लेकिन कोटा घट गया है, जन-वितरण का, इसीलिए इसकी कमी महसूस की जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : जिले के अलाटमेंट का आधार क्या है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : क्या राज्य सरकार, भारत सरकार और आल इण्डिया सीमेंट एसोसिएशन से राजस्थान की मांग मनवाने में असफल रही है ?

श्री सूरजपाल सिंह : मेरे क्वेश्चन के उत्तर में सरकार बता दें कि आपने क्या प्रयास किया है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि सबसे ज्यादा सीमेंट किस डिवीजन को दिया गया है ? क्या यह सही है कि कोटा के....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप कोटा में सीमेंट का क्या करेंगे ? जहां जरूरत हो वहां देना चाहिए।

(16)

श्री सूरजपाल सिह : सीमेंट की बात बतायें ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी यह बताएं कि आपने क्या नई नीति बनाई है ? अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि सीमेंट की कमी इतनी नहीं, लेकिन सीमेंट का जो ब्लैक होता है उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या तरीका अपनाया है ? इसका जवाब दें। 39 रुपये में एक सीमेंट की बोरी मिलती है ।

श्री रतनलाल वर्मा : क्या मंत्री महोदय एक से तीन महीने का कोटा पूरा कृषि कार्यों के लिए सुरक्षित करके किसानों को देने का कष्ट करेंगे ? सिर्फ एक तीन महीने का कोटा देने का विचार रखते हैं ?

श्री सूरजपालसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अहम् प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप सीमेंट का अभाव बताते हैं तो जालौर के अन्दर 80 रुपये बोरी में सीमेंट कहां से उपलब्ध हो जाता है ।

श्री गुल मोहम्मद : 5 सप्लीमेंट्रीज माननीय सदस्य पूछ चुके हैं और बार-बार पूछ रहे हैं तो जवाब तो आने दें ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा भी हो चुकी है सीमेंट के अभाव के बारे में । अब बार-बार इसको प्रेस कर रहे हैं ।

श्री सूरजपालसिंह : अगर कहीं भ्रष्टाचार मिलेगा तो जनता सरकार में मिलेगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न का जवाब दिला दें ।

श्री जयनारायण पूनिया : अध्यक्ष महोदय, यह जो बात पूछी गई है कि सीमेंट के अलाटमेंट का क्या आधार रखा है । तो अलाटमेंट के लिए डीलर से पूछा जाता है, उनसे मांग की जाती है, अधिकारियों से पूछा जाता है । जिला लेवल पर जो सप्लाई डिपार्टमेंट काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर अलाटमेंट किया जाता है । डिपार्टमेंट जो काम करते हैं उनकी डिमाण्ड होती है और उनके द्वारा सीमेंट की मांग की जाती है, तो इन तीनों चीजों को मिलाकर व उनकी आवश्यकताओं को देख कर यह कोटा अलाट किया जाता है । उन्होंने जो डिमाण्ड रखी है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए यह वितरण किया जाता है ।

दूसरा, यह पूछा गया है कि प्रयत्न क्या किये गये सरकार की तरफ से ?

कोटा जो केन्द्र से अलाट हुआ है, उसके लिए राज्य सरकार और डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े प्रयत्न किये गये हैं । मन्त्री महोदय की तरफ से बहुत भारी प्रयत्न किये गये हैं, यहां तक कि मुख्य मन्त्री जी को भी इसके लिए काफी प्रयत्न करने पड़े हैं । उन्होंने सेन्टर से बार-बार आग्रह किया है और वह मिले भी हैं । उस आधार पर दिल्ली से यह सीमेंट का कोटा मिला है । कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है ।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब काम का अलाटमेंट जनसंख्या के हिसाब से होता है, स्कूल जनसंख्या के आधार से मिलते हैं, अनुदान जनसंख्या के हिसाब से देते हैं तो सीमेंट का कोटा जनसंख्या के हिसाब से क्यों नहीं अलाट करते हैं ? सरकार ने सारे काम के लिए जनसंख्या के हिसाब से देने के लिए बना रखे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री गंगा सहाय।

श्री रतनलाल वर्मा : जब अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या को तमाम योजनाओं का आधार सरकार मानती है तो सीमेंट का कोटा भी जनसंख्या के आधार पर क्यों नहीं अलाट करती है ? इसका कारण बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं, मुझे सप्लीमेंट्री पूछने दें।

श्री अध्यक्ष : आपने 3 सप्लीमेंट्री पूछ लिये हैं।

श्री सूरजपालसिंह : जवाब ही नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : जवाब देना उनके हाथ में है।

श्री सूरजपालसिंह : मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह पूछा है मंत्री महोदय से कि जालौर जिले के लिए कितने सीमेंट की मांग के लिए आपके पास रिक्वीजिशन भेजा गया है, यह बता दें। हमारे जिले की डिमाण्ड क्या है।

श्री जयनारायण पूनिया :- आपके जिले की डिमाण्ड 1500 मैट्रिक टन की हुई है। उसके अनुसार दिया गया है।

श्री सूरजपालसिंह : यह गलत है। आपका यह प्रशासन बिल्कुल गलत आंकड़े देता है। यह गलत आपने बता दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूरजपालसिंह : आपका प्रशासन आपको गलत रिपोर्ट देता है। वह चाहते हैं कि आप डूब जायें।

प्रश्न संख्या 432

श्री अध्यक्ष : श्री गंगा सहाय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

झालावाड़ जिले की क्रमोन्नत पाठशाला

433. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर थाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) मनोहर थाना एवं अकलेरा के मिडिल स्कूलों में कितने-कितने छात्र हैं और वहां पर कितने-कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने अपना स्टाफ हटा लिया है और स्कूल में भारी छात्र संख्या होते हुए भी अध्यापक नहीं हैं ?

(4) जब तक विभाग अध्यापकों की व्यवस्था नहीं करे तब तक पंचायत समिति के स्टाफ के कार्य करते रहने देना क्या उचित नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री जी।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) : (1) झालावाड़ जिले में इस वर्ष 6 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मनोहर थाना पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले मिडिल स्कूलों की सूचना संलग्न है।

(3) जी हां। उनके स्थान पर शिक्षा विभाग ने नियमानुसार आवश्यक व्यवस्था कर दी है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि मनोहर थाना क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया है? वहां पर छात्रों की संख्या सात-सात सौ है और अध्यापक केवल सात-सात ही हैं। क्या यह भी सही है जो पहले प्राइमरी स्कूल पंचायत समितियों के नीचे चल रहे थे वहां उन पंचायत समितियों ने अपना स्टाफ वहां से हटा लिया है और उसके बाद में आपके शिक्षा विभाग ने अध्यापक नियुक्त नहीं किये और एक-एक स्कूल में सात-सात सौ छात्र हैं और अध्यापक केवल सात-सात ही हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती श्यामा कुमारी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : केवल एक ही अधिकार दे रखा है आपको कि शिक्षा विभाग के उत्तर दें, इसके अलावा और भी कोई अधिकार माननीय मन्त्री महोदय को दिया है क्या?

श्री महबूब अली : इसका प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिस मन्त्री को कोई अधिकार नहीं है, वह मन्त्री नहीं है। अगर वह जवाब देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो सबसे बड़ा अधिकार है, सदन में उत्तर देने का।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : राज्य मंत्री को क्या अधिकार दे रखे हैं, शिक्षा मंत्री ने? खड़े होकर उत्तर देने के ही पावर्स हैं।

श्री नूरा : यह तो नाम मात्र के मंत्री हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सारी सत्ता केंद्रित कर दी है मन्त्री महोदय में। राज्य मंत्री को कोई अधिकार नहीं दे रखे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस बात की मरोड़ आपके पेट में क्यों हो रही है?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मंत्री महोदय ने कार छोड़ दी, साइकिल पर आ गये, पर मन्त्री पद नहीं छोड़ा। हाय लालच।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने स्थान पर आयें। यह कांसप्रेसी नहीं चलेगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय प्रश्नकर्ता।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वह तो प्रश्न कर चुके, उत्तर नहीं आया।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अगस्त, 1978 से लेकर आज मार्च, 1979 तक अध्यापकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? आप इस बात को महसूस नहीं करते कि 700 छात्रों की कैसे पढ़ाई होगी ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यहां जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, वह इसलिये दिया जाता है कि सरकार अकाउन्टेबल है सदन की तरफ। लेकिन जो मंत्री कोई काम ही नहीं करता, वह किस प्रकार से हाउस के प्रति अकाउन्टेबल हो सकता है जो उत्तर देता है, वह दायित्व निभाता है, वह अकाउन्टेबल भी होना चाहिए। इसलिए जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, मंत्री महोदय को कोई अधिकार नहीं है कि इसका उत्तर दें। जिसको अधिकार नहीं है, वह उत्तर दे, तो यह इन्कन्सिसटेंसी है। सदन के प्रति दायित्व निभाने का काम वह ही मन्त्री करे, जिसको अधिकार हो, जिसके पास काम हो।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नहीं है। यह स्पीकर के डिस्क्रेशन का प्रश्न है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उत्तर तो अधिकृत व्यक्ति को ही देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जानते हैं केबिनेट की रेसपान्सीबिलिटी क्या होती है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : मिनिस्टर आफ स्टेट, केबिनेट, का मैम्बर नहीं होता है, अध्यक्ष महोदय। वैसे कुछ विषयों पर उनको इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज जरूर होती है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने राज्य मंत्री को कोई इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज नहीं दे रखा है इसलिये वह केबिनेट के मैम्बर नहीं है और वह जोइंट रेसपान्सीबिलिटी शेयर नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर देने के लिये राज्य मंत्री का ओहदा पर्याप्त है।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : झालावाड़ जिले के पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में एक भी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में कन्वर्ट नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री महबूब अली : यह अलग से प्रश्न है। वैसे झालावाड़ जिले में छः प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया गया है। पिड़ावा में भी एक स्कूल खोला गया है।

श्री ईश्वरचन्द्र : प्राथमिक विद्यालय को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किया कि नहीं, यह बतायें ?

एक माननीय सदस्य : जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो जवाब कैसे दें ?

श्री अध्यक्ष : No, no. Very legitimate supplementary. He must answer.

श्री महबूब अली : झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसके लिये तो सूची संलग्न कर दी गई है। जो क्राइटेरिया बना रखा है शालाओं के खोलने और क्रमोन्नत करने के लिये, उसको एढ़ीयर किया गया है। राज्य सरकार ने किस जगह स्कूल खोला है, किस जगह नहीं खोला है, यह हो सकता है, पर इसके लिये जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उसको एढ़ीयर किया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने निवेदन किया कि 700 छात्र हैं और केवल सात ही अध्यापक हैं, इसका क्या कारण है, इसका उत्तर तो दिया ही नहीं ?

श्री महबूब अली : पहले यह पंचायत समितियों के पास थे, उसके बाद शिक्षा विभाग ने वहां स्टाफ लगा दिया है, यह निश्चित सूचना है। यदि माननीय सदस्य के पास इसके विपरीत कोई सूचना है, तो वह मुझ से मिल लें, मैं उनको संतोषजनक उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप मंत्री महोदय से मिलकर बात कर लें। स्पष्ट उत्तर दे दिया है, मंत्री महोदय ने।

एक माननीय सदस्य : जवाब सन्तोषजनक नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी जानकारी आपने चाही वह उन्होंने दे दी। अब आप उनसे मिल लीजियेगा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैंने शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र लिखा था, उसका आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विट्ठलप्रसाद जी सदन के प्रांगण में आश्वासन दिया है कि सरकार से जो कुछ भी व्यवस्था हो सकती है, वह करेंगे। अब प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है या सदन के प्रांगण में दिया हुआ आश्वासन ज्यादा महत्वपूर्ण है ?

स्थगित प्रश्न। श्री बहादुरसिंह।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 मार्च, 1979)

राज्य के निगम और निकायों के चेयरमेन

91. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) [श्री बहादुरसिंह की अनुपस्थिति में] : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने निगम तथा निकाय न्यास हैं ? किन किन व्यक्तियों को इन निगमों तथा निकायों न्यासों का चैयरमैन नियुक्त किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने कितने निगमों निकायों तथा न्यासों के चैयरमैन, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में से नियुक्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) ऐसी नियुक्ति हेतु कोई निर्धारित योग्यताएं या मापदण्ड नहीं हैं। नियुक्ति करते समय सम्बन्धित व्यक्ति की पद के लिये उपयोगिता, अनुभव, कार्यदक्षता आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(3) इस समय अनुसूचित जाति का कोई अध्यक्ष नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री करतारसिंह : मंत्री महोदय ने तीन सूचियां दी हैं, उनमें से किसी एक में भी अनुसूचित जाति का नाम नहीं है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि निगमों के चैयरमैन बनने के लिये क्या केवल आई. ए. एस. होना ही क्राइटेरिया होता है या क्षमता और योग्यता के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : क्या क्राइटेरिया है, आपकी योग्यता का ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, योग्यता का क्राइटेरिया क्या है ? क्या योग्यता ? कैसी योग्यता ?

श्री अध्यक्ष : यही प्रश्न माननीय श्री रघुनन्दन व्यास का है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपका उत्तर सही नहीं है। स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्षा अनुसूचित जाति की हैं।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, उनकी कार्य क्षमता....

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने पहले प्रश्न का जवाब दिया है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि राज्य में कितने निगम और निकाय या न्यास हैं, इनकी संख्या तो बता दीजिये ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं सूची पढ़ देता हूं, सूचना मांगी गई थी, इसलिए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (बून्दी) : कौन-कौन अध्यक्ष हैं और किस-किस जाति के हैं, कृपया यह बताया जाय ?

श्री कैलाश मेघवाल : शिड्यूल्ड कास्ट के नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि निगमों, न्यासों और निकायों में चैयरमैन की नियुक्ति करने के लिए सरकार की क्या नीति

(श्री जयनारायण सालोदिया)

है, क्या क्राइटेरिया है, क्या उनको योग्यता के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, आखिर इसका क्या आधार है ? आखिर क्या कारण है कि अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया जाता है और योग्य व्यक्तियों को वहां पर नहीं लिया जाता है ? अगर यही आधार है तो सरकार जो कहती है कि हमें गरीबों को और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाना है, इस बारे में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे ?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तीन का उत्तर सही नहीं है। सोशल वेलफेयर बोर्ड की अध्यक्षा, श्रीमती महिमी के पति अनुसूचित जाति के हैं। नम्बर (2), यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं है तो यह उत्तर अधूरा है. माननीय मन्त्री महोदय को उत्तर नहीं देकर दूसरे मन्त्री से उत्तर दिलवाया जाना चाहिए, उनको आज गैर हाजिर रहना चाहिए था।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन) : राजस्थान में ...

श्री अध्यक्ष : तीन-चार सप्लीमेन्टरी हो चुके, सेन्स आफ दी हाउस का किस तरह से अनुमान करेंगे, सरकारी उत्तर आने दीजिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा : हैण्डलूम बोर्ड की अध्यक्षा, श्रीमती जमना सोलंकी को हटाने का क्या कारण था ?

(व्यवधान)

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : इतने निगम, न्यास और निकायों के अन्दर राज्य सरकार के आई. ए. एस. अधिकारी बैठे हुए हैं, इन अधिकारियों को हटाकर आप कब तक जन प्रतिनिधियों को लगाने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री करतारसिंह : आपका क्राइटेरिया क्या है और क्या यह सही है कि अधिकांश जगह आर. एस. एस. के व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी गई हैं ?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या यह सही है कि न्यासों में अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय....

(व्यवधान)

श्री लालचन्द : अध्यक्ष महोदय, सारी लिस्ट देखने के बाद दो चीजें ध्यान में आई हैं। एक बात तो यह है कि बहुमत में नई निगमों में आई. ए. एस के लोग हैं और दूसरे आर. एस. एस. के लोग। उपाध्यक्ष महोदय, हर आदमी, हर मन्त्री और हर एम. एल. ए. कहता है कि हम इस बाग में बहार लाना चाहते हैं लेकिन आई. ए. एस. अधिकारी इसमें बाधक हैं, कहते हैं कि हम सुधार लाना चाहते हैं लेकिन आई. ए. एस. अधिकारी नहीं लाने देना चाहते, अगर ऐसा है तो आप इनको निगमों से हटा दीजिये ताकि यहां तो इण्डिपेण्डेन्ट रूप से काम कर सकेंगे।

दूसरी बात आर. एस. एस. की है, हाउस में और बाहर भी कहते हैं, कि इसको नया नाम दिया है कातरा,

(श्री लालचन्द)

जिस तरह से कातरा, फसल को खा जाता है उसी प्रकार से आर. एस. एस. देश को खा जाएगा। इतनी चर्चा है, आप इनको निगमों को सौंप रहे हैं इससे ज्यादा बुरी बात क्या है? इस बात को भी ध्यान से और विचार करके सोचना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की है कि हरिजन मन्त्री ने जवाब दिया। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी रहनुमाई करने के लिए वो मन्त्रिमण्डल में बैठे हैं।

(व्यवधान)

उन्होंने बताया कि जनता सरकार की घोषित नीति होते हुए भी अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई अध्यक्ष नहीं है। अब मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कितने बोर्ड ऐसे हैं जिन पर सरकार अब जन प्रतिनिधियों और शिड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्षों को नियुक्त करेगी? दूसरी बात यह कि आप ये जो नियुक्तियां करते हैं इसका मापदण्ड क्या है, और क्या अब शिड्यूल्ड कास्ट का मनोनयन किया जायगा?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि....

(व्यवधान)

राजस्थान में अल्प संख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे कोई व्यक्ति योग्य नहीं हैं चैयरमैन के लिए!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती महिमी, अनुसूचित जाति की महिला नहीं हैं और न ही उनको अनुसूचित जाति की होने के कारण वहां पर लगाया गया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : उनके पति हरिजन थे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय निर्मल कुमार जी ने कहा कि श्रीमती जमुना सोलंकी को हटाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती जमुना को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद वे स्वत: ही इस पद से हटी हुई समझी गईं। उसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया....

श्री मूलचन्द डागा : रीअपाइंटमेंट हो सकती हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : राज्य सरकार ने नया अध्यक्ष मनोनीत किया। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि इसमें आर. एस. एस. के लोगों को लगाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक चश्मा राजनैतिक दृष्टि से चढ़ाया गया है, हर बात

(श्री कैलाश मेघवाल)

में आर. एस. एस. को घसीटने की जो उनके मन में प्रक्रिया थी, वह प्रकट की, बाकी जो नाम हैं, जिस तरह से लगाए गए हैं, उससे कोई भी व्यक्ति उपयुक्त पत्रता के बगैर....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : गलत कह रहे हैं।

श्री नूरा : यह चश्मा आप ही लगाते हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : 5 यू. आई. टीज, में से 4 में आर. एस. एस. के अध्यक्ष हैं और एक में नान-आर. एस. एस. का है। यह चश्मा आपने लगाया है, हमने नहीं लगाया है।

(व्यवधान)

आप जवाव में सही भाषा का प्रयोग करें। यह जयपुर की छोटी चौपड़ नहीं है कि जो कुछ चाहे कह दें।

You have ignored the House. You have ignored the minority. It is a fact.

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हमारा सवाल यह था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री की बात सुनिए। वह प्रश्न का उत्तर पर्याप्त रूप से देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सुनिए।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : हम जानकारी चाहते हैं कि राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्षा, श्री पृथ्वीसिंह का आर. एस. एस. से क्या संबंध है? हैण्डलूम बोर्ड के अध्यक्ष, श्री रामशरण का क्या सम्बन्ध है? आप बार-बार आर. एस एस. की बात कहते हैं।

श्री नूरा : कई जगह आर. एस. एस. के अध्यक्ष लिए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपने आवासन मंडल में आर. एस. एस. के आदमी को अध्यक्ष बनाया....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री गुल मोहम्मद : मंत्री महोदय से जवाब दिलाइए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान का 80 प्रतिशत वजट आर. एस. एस. के हाथ में है, 20 प्रतिशत नान-आर. एस. एस. के हाथ में है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर कहीं आर. एस. एस. का चेयरमैन है तो दिक्कत क्या है? कह क्यों नहीं देते? शर्म क्यों आती है?

श्री अध्यक्ष : अगर कोई कहता हो और आप नहीं सुनें तो उसका इलाज नहीं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं...

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर दिलाइए। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष, श्री पृथ्वीसिंह हैण्डलूम बोर्ड के अध्यक्ष, श्री रामशरण आर. एस. एस. से सम्बन्धित हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विवाद है, कोई सप्लीमेंटरी नहीं है। स्थान ग्रहण करें। विवाद को आपको उठाना है तो चले जाइए, अन्यथा सदन का बहुमूल्य समय खराब न करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आजकल तीन शाही चल रही है, एक नौकरशाही, दूसरे नेकरशाही, तीसरे ठाकुरशाही। अगर किसी का आर. एस. एस. से सम्बन्ध है तो मन्त्री जी कह दें कि आर. एस. एस. से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

(व्यवधान)

× × ×

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित किया गया।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सफाई निरीक्षक, नगर परिषद् जोधपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

422. श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर परिषद् जोधपुर के एक सफाई निरीक्षक को 18 फरवरी, 1978 को अपर अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जोधपुर ने एक मामले में रुपये 100/- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी से घटनास्थल पर ही पुलिस अधिकारी के लघु हस्ताक्षर व पाउडर लगे सारे करेंसी नोट बरामद कर लिये गये थे ?

(3) क्या ट्रेप के दौरान दोषी व्यक्ति के हाथों की धुलाई सोडियम कार्बोनेट के घोल में कराई गई तो पानी का रंग गुलाबी हो गया और चीफ पब्लिक ऐनेलिस्ट की रपट के अनुसार उस पानी में फिनालपेमलिन व सोडियम कार्बोनेट मौजूद होना साबित पाया गया ?

(4) क्या इतना स्पष्ट और संगीन मामला होते हुए भी सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उसे भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त किया जाकर उसके निलम्बन अवधि का वेतन भी मुगतान

(श्री विज्ञान मोदी)
कर दिया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्ति को किन आधारों पर भ्रष्टाचार के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया ?

(5) क्या राज्य सरकार ऐसे स्पष्ट और संगीन रिश्वतखोरी के मामले की नये सिरे से जांच कराये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। करेंसी नोट सफाई निरीक्षक श्री दीनदयाल के कब्जे से बरामद न होकर एक शराब की दुकान से बरामद हुए थे।

(2) जी नहीं। पुलिस अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एवं फिलाफैशलीन पाउडर लगे सारे करेंसी नोट सहअभियुक्त श्री नारायण दास सफाई जमादार की इत्तिला दफा 27 एवीडेन्स एक्ट के आधार पर श्री नूर मोहम्मद ठेकेदार शराब की दुकान से रुपये 10/–10/– के 10 नोट मुताबिक फर्द सुपुर्दगी बरामद हुए।

(3) जी हां।

(4) अपराध में अन्वेषण पूर्ण होने पर ए. पी. पी. प्रथम और विधि परामर्शदाता की राय ली जाकर विभाग द्वारा दोनों दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध शहादत एवं अन्य रिकार्ड के आधार पर दोष सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण न मानते हुए अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत में देने का निर्णय विभाग द्वारा लिया जाकर अन्तिम प्रतिवेदन अदालत में प्रेषित कर दिया गया है जहां अदालत के विचाराधीन है। दोनों दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच किये जाने का भी निर्णय लिया गया तथा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र विभागीय जांच करने हेतु प्रशासक नगर परिषद् जोधपुर को भेज दिये गये हैं। नगर परिषद् द्वारा श्री दीनदयाल को निलम्बन काल के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

(5) इस प्रकरण में कानूनी राय के आधार पर पर्याप्त शहादत के अभाव में अन्तिम प्रतिवेदन दी जा चुकी है अतः दुबारा जांच करने के आधार नहीं है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें

425. श्री आलम अली खां (फतहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कुल कितनी गाड़ियां किस-किस डिपो पर हैं तथा उनमें कितनी गाड़ियां किस-किस डिपो में खराब पड़ी है ?

(2) क्या यह सही है कि गाड़ियों की समय पर मरम्मत नहीं होने से वे पड़ी पड़ी बेकार हो जाती हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितनी गाड़ियां बेकार हो जाती हैं ?

(3) एक गाड़ी औसतन कितने वर्ष सर्विस देती है ? क्या समय से पूर्व ही कई गाड़ियां बेकार हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) लैलेण्ड मेक की आयु औसतन 8 वर्ष व टाटा मेक की आयु औसतन 7 वर्ष तथा अन्य मेक के वाहनों की औसत आयु 6 वर्ष है।

दुर्घटना में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के अतिरिक्त वाहन समय से पूर्व बेकार नहीं होते हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

मद्य निषेध लागू करने से बेरोजगार हुए व्यक्ति

426. श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर जिले को सन् 1974-75 में मद्य निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया था ? यदि हां, तो इस व्यापार में लगे कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए जिनकी सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(2) क्या यह शराब के ठेकेदार गारंटी सिस्टम से ठेका लेते थे ?

(3) क्या उपरोक्त ठेकेदारों के कम शराब बेचने तथा गारंटी की पूरी शराब नहीं उठाने से राज्य सरकार द्वारा उनसे बकाया रकम वसूली कुर्की द्वारा की जा रही है जिसमें उनके बरतन कच्चे मकान व खेत नीलाम किये गये हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार इन बेरोजगार व्यक्तियों को नया रोजगार देने की व्यवस्था करेगी ?

(5) क्या राज्य सरकार इन बेरोजगार व्यक्तियों को पुरानी गारन्टी की रकम वसूल न करके राहत देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला नागौर दिनांक 1-4-1975 से मद्य निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। 61 दुकानदारों पर इसका प्रभाव पड़ा जिनकी सूची 'क' संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1974-75 में ठेके एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत दिये गये हैं।

(3) वर्ष 1974-75 की नागौर जिले को बकाया राशि नकद वसूल की गयी। इसके लिये कोई कुर्की नहीं की गयी।

(4) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

प्रशिक्षणार्थी कम्पाउण्डरों को छात्र-वृत्ति

432. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गंगा सहाय)

(1) क्या यह सही है कि प्रशिक्षणार्थी कम्पाउण्डरों को पूर्व में छात्रवृत्ति दी जाती थी ? यदि हां, तो यह छात्रवृत्ति क्यों दी जाती थी ? इसके बन्द करने का क्या कारण है ? इससे बजट पर प्रति वर्ष कितना भार पड़ता था ?

(2) क्या यह भी सही है कि महिला प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति आज भी दी जा रही है और साथ में उन्हें होस्टल फेसेलिटी, वाशिंग अलाउन्स तथा क्लोथिंग अलाउन्स भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो पुरुष प्रशिक्षणार्थी के साथ यह भेद-भाव क्यों किया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रशिक्षणार्थी से लगभग 8–12 घंटे तक दिन व रात की ड्यूटी ली जाती है।

(4) क्या यह भी सही है कि इन प्रशिक्षणार्थियों से 5 साल तक नौकरी करने का बाण्ड भराया जाता है ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति न देने पर भी बाण्ड भरवाने का क्या औचित्य है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इन प्रशिक्षणार्थियों को गजटेड अवकाश का लाभ भी नहीं दिया जाता है और यदि किसी को मुख्यालय छोड़ना होता है तो पूर्व अनुमति लेनी होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। युवकों को नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी। अब छात्रवृत्ति का आकर्षण नहीं होने पर भी आवश्यकता से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, अतः छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई। इस पर प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का भार पड़ता था।

जी हां। महिलाओं को प्रशिक्षण की ओर आकृष्ट करने के लिए यह सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य में महिलाओं को नर्सिंग सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही इन सुविधाओं का औचित्य है।

(2) जी नहीं। इनको केवल शैक्षणिक कार्य हेतु नियमानुसार वार्डों में प्रेक्टिकल प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(3) जी हां। जिससे प्रशिक्षण के पश्चात् इनकी सेवाएँ राजस्थान में ही ली जा सकें। राज्य सरकार का प्रशिक्षण पर तो खर्च होता ही है।

(4) जी नहीं।

(5) नियमानुसार मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत बेगूं को काम के बदले अनाज योजना में दिया गया अनाज

440. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

(1) ग्राम पंचायत बेगूं के सरपंच को काम के बदले अनाज योजना के तहत अब तक कितना अनाज दिया जा चुका है ?

(2) क्या उक्त अनाज की 100 (सौ) बोरियां सरपंच ग्राम पंचायत बेगूं ने कृषि-उपज मण्डी में अथवा कहीं अन्य जगह पर बेची है, जिस पर विकास अधिकारी बेगूं तथा ए. डी. डी. ओ. चित्तौड़गढ़ के द्वारा उक्त सौ (100) बोरियों की अनियमितता की जांच की है ? अगर हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त 100 बोरियों में से 49 बोरी गेहूं एडवान्स के रूप में दिया गया था ? अगर हां, तो क्या इस प्रकार एडवान्स देना न्याय संगत है ? अगर नहीं, तो इस अनियमितता के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) 51 बोरी अनाज किस-किस मजदूर को कितने दिन की मजदूरी के रूप में दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत, बेगूं के सरपंच को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अब तक 652 क्विन्टल 9 किलो 500 ग्राम अनाज दिया जा चुका है।

(2) जी हां। इस बाबत अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत बेगूं के प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 26-10-1978 के अनुसार 100 बोरियों में से 49 बोरियां अग्रिम दी गई थीं, इस प्रकार अग्रिम देने के राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। सरपंच द्वारा की गई कार्यवाही के गुणावगुणों पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(4) 51 बोरी गेहूं श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री रघुनाथ जी ब्राह्मण निवासी बेगूं को ट्रैक्टर नम्बर आर० जे० एच० 925 को दिनांक 11-1-1979 से 5-2-1979 तक पत्थर डालने का कार्य कराने के पेटे चुकाई गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

ग्राम पंचायत कोलिया के सरपंच का मामला

441. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में पंचायत समिति डीडवाना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोलिया के सरपंच जुआ खेलने के आदी हैं ? अगर हां, तो क्या यह भी सही है कि वो कोलिया में जुआ खेलते हुये पुलिस द्वारा पकड़े गए ?

(2) क्या पुलिस थाना डीडवाना की पुलिस द्वारा जुआ खेलने के आरोप में कभी

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

गिरफ्तार कर उनका न्यायालय में चालान भी किया गया ? अगर हां, तो किस तारीख को गिरफ्तार किया गया एवं आगे क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त सरपंच के खिलाफ उपरोक्त मामले का फैसला न्यायालय से हो चुका है ? अगर हां, तो क्या फैसला दिया गया ?

(4) क्या विकास विभाग ने उक्त फैसले के बाद नियमानुसार उक्त सरपंच को निलम्बित करने अथवा हटाने की कार्यवाही की है, नियमों में इस प्रकार जुआ खेलने वाले सजा पाए लोगों को अयोग्य माना गया है ? अगर हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं कोई कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत कोलिया के सरपंच जुआ खेलने के आदी है इसकी राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। ग्राम कोलिया की धर्मशाला में 22 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था उनमें ग्राम पंचायत कोलिया के सरपंच श्री हनुमानमल मेढ भी थे।

(2) जी हां। दिनांक 19-11-71 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मुन्सिफ न्यायालय डीडवाना में चालान पेश किया था।

(3) जी हां। 10-11-78 को न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया जिसमें सरपंच सहित 22 व्यक्तियों को 5-00 रुपये का अर्थ दण्ड तथा दण्ड की अदम अदायगी में 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतने की सजा राजस्थान गैम्बलिंग एक्ट की धारा 13 के अन्तर्गत सुनाई गई थी।

(4) जी हां। राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17 की उपधारा (1) (ख) के अन्तर्गत उक्त सरपंच को हटाने का नोटिस दिया गया था परन्तु राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि श्री हनुमान मल मेढ ने न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निगरानी जिला एवं सत्र न्यायालय मेड़ता में कर रखी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये न्यायालय के निर्णय होने तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा गया है।

ग्राम पंचायत चंदाना के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध जांच

442. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चंदाना के भूतपूर्व सरपंच श्री रामजीलाल के खिलाफ वर्तमान ग्राम-पंचायत के पंचों एवं सरपंच ने गबन घोटाले एवं बिना कार्य सम्पन्न हुए धन के हड़प जाने की शिकायत की थी ?

(2) यदि हां, तो क्या उन मामलों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या विशेष कारण हैं ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सरपंच श्री सन्त सिंह एवं पंचों द्वारा श्री रामजीलाल भूतपूर्व सरपंच, पंचायत चनाना के खिलाफ पंचायत की राशि के गबन व घोटाले की शिकायत दिनांक 8-6-1978 को की थी।

(2) जी हां। शिकायत की प्रारम्भिक जांच पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा करवाई गई थी परन्तु जांच के बाद यह शिकायत प्राप्त हुई कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारी पूर्व में इसी पंचायत में ग्राम सेवक रह चुके हैं। इसलिये जांच सही नहीं हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये जिलाधीश द्वारा जांच पुनः अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी से करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्य में कार्यरत ग्राम सेवक

443. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने ग्राम सेवक हैं तथा उनका वेतन व अन्य खर्चा कितना है?

(2) राज्य सरकार इनको कितना उपयोगी मानती है?

(3) क्या पटवारी, ग्राम सेवक, पंचायत सचिव इन तीनों का कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा ग्राम सेवकों के 2358 पद सामुदायिक विकास मद से सृजित किये गये थे जिनमें से 984 ग्राम सेवक विभाग में रिवर्स डेपुटेशन पर भेजे गये हैं। ग्राम सेवकों पर कुल 1,91,70,700) रु० के लगभग वार्षिक व्यय होता है।

(2) ग्राम सेवक को गांवों में कृषि संबंधी तकनीकी जानकारी हेतु नियुक्त किया हुआ है जिससे कृषि उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। अतः ग्राम सेवक की ग्रामीण क्षेत्र में काफी उपयोगिता है।

(3) जी नहीं।

राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाऊसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि., जयपुर द्वारा भवन निर्माण हेतु दिया गया ऋण

445. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि. जयपुर द्वारा अब तक कितना ऋण कितने भवनों के लिए स्वीकृत किया है? वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वित्त समिति द्वारा कितने जिलों में ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये हैं? जिलेवार समितिवार समितियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री करतार सिंह)

(3) क्या वित्त समिति ने सभी स्वीकृत समितियों को भुगतान कर दिया है? अगर नहीं, तो क्या वित्त समिति द्वारा इसके लिए अपने कार्यरत स्टाफ को लगाकर अभियान छेड़ा है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) वित्त समिति द्वारा स्वीकृत ऋणों में से कितना ऋण वर्षवार वितरित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को अब तक ऋण दिया गया है उनमें से कितनी समितियों ने भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है और कितनी ऐसी समितियां हैं जो कार्य पूर्ण न कर सकी ? कार्य पूर्ण न करने के क्या कारण हैं ? सारा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) समिति द्वारा अब तक कुल 22854 भवनों के निर्माण हेतु 1003.28 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं। विस्तृत सूची संलग्न है।

(2) सभी 26 जिलों मे ऋण स्वीकृत एवं वितरित किये गये हैं। जिलेवार समितियों की सूची संलग्न है।

(3) स्वीकृत शुदा समितियों ने स्वयं ही ऋण का उपयोग करने से इन्कार कर दिया। अतः इनका ऋण निरस्त कर दिया गया है। 26 समितियाँ स्वीकृत ऋण उठाने के लिए बार-बार लिखने पर भी दस्तावेज पूर्ण नहीं कर रही हैं। समितियों को दस्तावेज पूर्ण करवाने व दी गई किश्तों का उपयोग कर आगे ऋण प्राप्त करने में सहायता के लिए समिति ने अपने सहायक निरीक्षकों (हाउसिंग) को निर्देश प्रदान कर दिये हैं व अभियान के रूप में कार्यवाही जारी है।

(4) वित्त समिति द्वारा वितरित ऋण की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष	वितरित ऋण (लाखों में)
1971–72	5.32
1972–73	53.52
1973–74	77.01
1974–75	74.46
1975–76	145.35
1976–77	78.02
1977–78	40.04
1978–79 (फरवरी 79 तक)	27.85
योग	501.57

(5) जिन समितियों को ऋण वितरण किया गया है उनमें से 249 समितियों के 6675 सदस्यों को समस्त किश्तें दी जा चुकी हैं। व 416 समितियों के 11569 सदस्यों के भवन निर्माण कार्य विभिन्न स्तर पर है। चूंकि ऋण का वितरण किश्तों में किया जाता है अतएव जब तक समिति द्वारा पूर्व में दी गई किश्त का पूर्णतया उपयोग नहीं हो जाता, आगामी किश्त नहीं दी जा सकती। सदस्यगण निर्माण कार्य

(सहकारिता मंत्री)

अपनी सुविधानुसार कराते हैं। पूर्व में दी गई किश्तों का समय पर उपयोग न करने के भिन्न-भिन्न कारण हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील सोजत व बिलाड़ा की चूने के पत्थर की खानों की लीज का मामला

447. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत व जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में चूने के पत्थर की लीजेज किस-किस क्षेत्र की 1958 से 1970 के दरमियान छोड़ी गई या समाप्त की गई लीज के नक्शे बताये जावें ?

(2) प्रश्न के भाग (1) के सन्दर्भ में जो लीजेज छोड़ी गई या समाप्त की उस समय किस किस जगह व किस किस खसरे में खनन कार्य किया जा चुका था व किया जा रहा था ?

(3) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई लीजेज में प्रश्न के भाग (2) में बताये गये क्षेत्र का कब्जा लिया या नहीं ? यदि हां, तो वे सारी खानें आज भी खनिज विभाग के पास हैं या नये पट्टाधारी के पास ? अगर वह क्षेत्र वापस पट्टे पर दिया हो, तो बताया जावे ?

(4) प्रश्न के भाग (2) व (3) में अगर अन्तर है, तो क्यों ?

(5) क्या प्रश्न के भाग (2) का कुछ क्षेत्र लीज समाप्ति पर राजस्व कर्मचारी से मिलकर पट्टाधारी ने अपनी खातेदारी में भी करा लिया ? यदि हां, तो खनिज विभाग ने इस पर क्या सतर्कता रखी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर की बिलाड़ा तहसील व पाली जिले की सोजत तहसील में सन् 1958 से 70 तक छोड़े गये चूने के पत्थरों की सूची संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा जो क्षेत्र लीज पर दिया जाता है वो खसरे के आधार पर नहीं दिया जाता है, अतः ये सूचना नहीं रखी जाती है कि खनन कार्य किस खसरे में किया गया है।

(3) छोड़े हुये क्षेत्रों का कब्जा लिया गया और उस क्षेत्र को पुनः आवंटित किया गया है। बाकी क्षेत्र संलग्न सूची व नक्शों में दर्शाया गया है।

(4) चूंकि खसरे के आधार पर जानकारी नहीं रखी जाती अतः अन्तर नहीं दिया जा सकता।

(5) इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग में नहीं प्राप्त हुई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)।

झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर खनिज पत्थर का आवागमन

448. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में झालावाड़ से दुर्गपुरा व बगदर से भवरासा सड़कों पर खनिज पत्थर का आवागमन होता है ?

(2) क्या इन सड़कों पर भारी आवागमन होने से सड़कों की हालत खराब हो गई हैं जिससे इन सड़कों पर डामर का कार्य करवाया जाना आवश्यक है ?

(3) इन सड़कों पर डामर का कार्य कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) हां । दुर्गपुरा में कोई खान नहीं है। उसके पास कोटड़ा में पत्थर की खानें हैं, यहां से खनिज दुर्गपुरा व रेनबसेरा होते हुए झालरापाटन जाता है । कोटड़ा से रेनबसेरा तक कच्ची सड़क है ।

झालरापाटन से बगदर व भवरासा तक सार्वजनिक पक्की सड़क है । बगदर की खानें सड़क के पास ही हैं व भवरासा की खानें एक किलोमीटर दूर हैं ।

(2) सड़कों की हालत डामर कराये जाने से ठीक हो सकती है । लेकिन इससे खनिज के निर्यात में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा ।

(3) उपरोक्त सड़कों पर धनाभाव के कारण अभी डामर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्राम नारोली में व्हाइट क्ले की खान का ठेका

449. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नारोली तहसील सपोटरा में व्हाइट क्ले की खान श्री दुर्गाप्रसाद ठेकेदार के पास है ?

(2) यदि हां, तो यह खान कितने वर्षों से उक्त ठेकेदार के पास है ? तथा जनवरी, 67 से जनवरी, 79 तक प्रति वर्ष माइन्स विभाग को कितनी रायल्टी दी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने अपने रिश्तेदारों के नाम से कई खानें ले रखी हैं ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर जिले में कितनी खानें किस किस नाम से ले रखी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) उक्त खानों में से कितनी खानों में कार्य चालू है तथा जनवरी, 72 से दिसम्बर, 78 तक कितनी कितनी रायल्टी किस किस खान से राज्य सरकार को मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) हां ।

(खनिज मन्त्री)

(2) यह खनन पट्टा ठेकेदार श्री दुर्गा प्रसाद के पास 4-12-69 से 20 वर्ष तक के लिये स्वीकृत है। चूंकि खनन पट्टे की रायल्टी की गणना लीज पीरियड से होती है जिसके कारण प्रत्येक लीज वर्ष की रायल्टी भी विभाग को प्राप्त हुई है वह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रायल्टी की राशि
69-70	3331.50
70-71	2103.30
71-72	1263.83
72-73	1449.70
73-74	1828.35
74-75	557.76
75-76	1776.34
76-77	7469.80
77-78	9788.25

(3) विवरण सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(4) विवरण सूची परिशिष्ट 'क' के कालम संख्या 6 व 7 में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

जैसलमेर जिले की खानों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

450. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खनिज विभाग के अन्तर्गत खानों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से जैसलमेर जिले में खनिज विभाग द्वारा कितनी सड़कें स्वीकृत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब ऐसे मार्गों की स्वीकृति कब तक दे दी जावेगी ?

(2) रेगिस्तानी क्षेत्रों में नित्यप्रति काम में आने वाले चूने के परमिट लेने व रायल्टी इकट्ठी करने का कार्य ग्राम पंचायत से करवाने का क्या राज्य सरकार इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो दूरस्थ बिखरी हुई रेगिस्तानी क्षेत्रों की जनता को राज्य सरकार क्या सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है ?

(3) जिप्सम आधारित कारखाने मोहनगढ़ (जिला जैसलमेर) अथवा पश्चिमी राजस्थान में कहीं भी स्थापित करने की क्या राज्य सरकार की स्वयं की अथवा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से या अन्य प्रकार के उक्त जिप्सम भण्डारों के उपयोग की राज्य सरकार के पास कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खनिज विभाग द्वारा खानों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये जैसलमेर जिले में कोई भी सड़क स्वीकृत नहीं की गई है। जैसलमेर जिले में आर्थिक दृष्टि से जो मुख्य खनिज उपलब्ध है, वह जिप्सम (खड़ी) है। जिसका एक खनन पट्टा भारतीय उर्वरक निगम को स्वीकृत है। यह खान मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त इस जिले में पीले रंग का लाइमस्टोन (मार्बल)

(खनिज मंत्री)

उपलब्ध है, जो मुख्य सड़क के पास स्थित है। इस क्षेत्र में खनिज पट्टों की संख्या बढ़ने पर, एवं पर्याप्त संख्या में श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने पर तथा वित्तीय प्रावधान होने पर विभागीय आय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ने के प्रस्तावों पर स्वीकृति देने का प्रयास किया जायेगा।

(2) नहीं। दूरस्थ बिखरी हुई रेगिस्तानी क्षेत्रों की जनता को निम्न सुविधाएं दी हुई हैं—

1. बाड़मेर व जैसलमेर में सहायक खनिज अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

2. चूने के पत्थर को चिनाई पत्थर के रूप में प्रयोग करने हेतु नियमों में यह प्रावधान रखा है कि पंचायत अथवा गांव का पटवारी टिनेन्ट्स को परमिट दे सकता है, जिसके अन्तर्गत यह खनिज केवल अपने कुएं, तालाब एवं खेत की चार दीवारी अथवा रहने के मकान आदि हेतु प्रयोग में लिया जा सकता है।

3. चूना पत्थर को चूना बनाकर स्वयं के प्रयोग हेतु मात्र 5/– रुपया प्रति परमिट लेकर क्षेत्र के खनिज अभियन्ता/सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा परमिट दिया जा सकता है।

(3) खान एवं भू-विकास विभाग द्वारा खनिजों का सर्वेक्षण एवं खोज की जाती है तथा विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं। वर्तमान में मोहनगढ़ अथवा पश्चिमी राजस्थान में जिप्सम पर आधारित उद्योग लगाने की कोई योजना इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

तहसील सोजत व बिलाड़ा में चूने के पत्थर की खानों का खनन कार्य

451. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की सोजत व जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में 1962 से 78 तक किस किस गांव में, किस किस साल में, किस किस खसरे में व कितने कितने रकबे में, किस किस पट्टाधारी ने चूने के पत्थर का खनन कार्य किया व कर रहे हैं ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में खनन कार्य शुरू करने से पूर्व लीज एग्रीमेंट की शर्त नं. 3 (b) की किस किस पट्टाधारी ने किस किस गांव में, किस किस खसरे की व किस किस रकबे में खनन कार्य शुरू करने की इजाजत जिलाधीश पाली से मांगी व जिलाधीश ने कब-कब इजाजत दी ?

(3) प्रश्न के भाग (1) का कार्य अगर लीज एग्रीमेंट की शर्त 3 (b) के अनुसार नहीं है, तो क्या यह लीज एग्रीमेंट की शर्त की अवहेलना नहीं है ?

(4) प्रश्न के भाग (3) का उत्तर यदि हां, हो तो बताया जावे कि लीज एग्रीमेंट की शर्त को भंग करने की हालत में लीज एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार ही कार्यवाही

(श्री माधव सिंह दीवान)

की जाती है ? यदि हां, तो सरकार ने किस किस पट्टाधारी के विरुद्ध कब कब उक्त शर्त के अनुसार कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? सरकार अब तक अब उक्त शर्त के अनुसार कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा जो खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं उनकी स्वीकृति खसरा के आधार पर नहीं दी जाती। सम्बन्धित अवधि में जितना क्षेत्र स्वीकृत किया गया, उसकी सूची संलग्न है।

(2) जिलाधीश कार्यालयों से खनन पट्टाधारियों द्वारा बगैर इजाजत कार्य शुरू कर देने सम्बन्धी आपत्ति की सूचना कभी नहीं आई।

(3) पार्ट दा के उत्तर के अनुसार खनन पट्टाधारी द्वारा नियमों की अवहेलना किया जाना नहीं माना जा सकता।

(4) यह ठीक है लेकिन संविदा की इस शर्त पर कोई गम्भीर प्रश्न अभी तक खड़ा नहीं हुआ है और न ही जिलाधीशों ने इस विषय पर कोई आपत्ति उठाई है। कम से कम खनिज विभाग को इस आपत्ति की सूचना नहीं दी गई है। इस शर्त के उल्लंघन पर खनन पट्टा खंडित करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह संविदा की शर्त की गम्भीर अवहेलना नहीं है।

खनिज पट्टाधारियों द्वारा खनन कार्य से पूर्व जिलाधीश की स्वीकृति

452. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज पट्टे की शर्तों के अनुसार नये पट्टाधारी को खनन कार्य शुरू करने से पूर्व जिलाधीश की स्वीकृति लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो सोजत व जोधपुर उप खण्ड में किस किस चूने के पट्टाधारी ने किस किस तारीख को, किस किस क्षेत्र में खनन कार्य शुरू करने की इजाजत हेतु निवेदन किया व कब कब इजाजत ली ?

(2) अगर प्रश्न के भाग (1) में बताई गई इजाजत नहीं ली गई, तो विभाग ने पट्टाधारियों के विरुद्ध कब कब व क्या क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार इसे नियमों व लीज एग्रीमेंट की शर्तों की अवहेलना मानती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसमें क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) प्रश्न के भाग (1) में बताये क्षेत्र यानि सोजत व जोधपुर उप खण्ड में कौन कौन चूने के पत्थर के पट्टाधारी ने, किस किस गांव में, कितने कितने रकबे में, किस किस साल में, किस किस खसरे में खनन कार्य किया व कर रहे हैं ?

(खनिज मंत्री)

उत्तर

(1) यह सही है कि खनन पट्टे की शर्तों के अनुसार नये पट्टाधारी को खनन कार्य शुरू करने से पूर्व जिलाधीश से स्वीकृति लेने का शर्तों में प्रावधान है। किसी जिलाधीश कार्यालय से उक्त शर्त के उल्लंघन हेतु कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है और इस कारण से इस शर्त के उल्लंघन पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) प्रश्न के पार्ट (1) में इसका उत्तर दिया जा चुका है।

(3) किसी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व संबंधित जिलाधीशों से यह जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा, कि लीज एग्रीमेंट की शर्त का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जावेगा।

(4) विभाग द्वारा जो खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते हैं उनकी स्वीकृति खसरा के आधार पर नहीं दी जाती है। जितना क्षेत्र स्वीकृत किया गया है उसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

ग्राम सियाणा की भाखरा में क्रशर लगाने का मामला

453. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री कासखां ठेकेदार निवासी जालौर ने एक क्रशर लगाने के लिए ग्राम सियाणा की भाखरी की खनन लीज पर लेने के लिए प्रार्थना-पत्र खनिज विभाग को कलेक्टर जालौर के मार्फत दिया था? अगर हां, तो कब एवं किस भाखरी की खनन लीज पर मांगी थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार को अभी तक उक्त खनन लीज मंजूर कर नहीं दी गई है? अगर हां, तो क्यों? अगर नहीं, तो कब दी गई है?

(3) अब उक्त खनन लीज ठेकेदार को कब तक प्राप्त हो जावेगी।

उत्तर

(1) दिनांक 8–8–77 को कासखां ने नहीं बल्कि मोहम्मद कासम ने क्रशर के लिये बांडबढ़ा पहाड़ी निकट ग्राम सियाणा का खनन पट्टे का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और एस. डी. ओ. जालौर से आवश्यक प्रमाण-पत्र खनिज अभियन्ता सिरोही को दिनांक 6–9–77 को भेजा गया।

(2) नियमों के अन्तर्गत खनन का केवल हाथ से काम करने वाले व्यक्ति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदि के व्यक्तियों को ही ठेका दिया जा सकता है तथा समयावधि भी समाप्त हो चुकी है अतः इस मामले में नियमों में शिथिलता देनी पड़ेगी। अतः मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) निर्णय शीघ्र होगा।

(39)

सहायक रजिस्ट्रार भरतपुर को निरीक्षकों द्वारा की गयी शिकायत

454. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडा-भीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार भरतपुर के अधीन कार्यरत 14 निरीक्षकों द्वारा श्री रमेशचन्द टी. ए. के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण व दुर्व्यवहार के संबंध में कोई प्रतिवेदन दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें :—

उत्तर

जी हां । सहायक रजिस्ट्रार (विशेष कार्यरूपेण) सहकारी समितियां, भरतपुर ने मामले की जांच प्रारम्भ कर दी है। निरीक्षकों द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां भरतपुर को दिए गए प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है । जांच रिपोर्ट में यदि दोषी पाये गए और आरोप सही पाये गए तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें ।)

जिला जालौर तथा तहसील भीनमाल की ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें

455. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल तहसील के ग्राम धुम्बडिया, नरसाणा, राह इत्यादि गांवों की जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है ? इसकी क्या प्रगति है और कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जालौर जिला के ग्राम विसाला, मान्दकुणा देता आदि गांवों के लिए जल प्रदाय योजना स्वीकृत हो चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों ? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें । इस योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) जी हां, विवरण संलग्न है ।

(2) जी नहीं, योजना त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत विचाराधीन है । इस योजना के अन्तर्गत गांव (1) तिलोरा, (2) पुन्डराड, (3) विसाला एवं देवता कला को लिया जाना प्रस्तावित है । योजना की स्वीकृति के पश्चात् एवं धन की उपलब्धि के अनुसार गांवों को पेय जल सुलभ करवाया जा सकेगा ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें ।)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग के विभिन्न डिपों पर बसों की कमी

456. श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माणक लाल ठाकोर)

(1) राज्य में राजस्थान राज्य परिवहन निगम के किस किस डिपो पर कितनी कितनी बसों की कमी है ? कृपया प्रत्येक डिपो वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि निगम की अधिकांश डिपो पर मोटर पार्ट की कमी होने से समय पर बसें ठीक नहीं हो पाती है ? प्रत्येक डिपो के डिपो मैनेजर को अथवा उस डिपो के किसी अन्य अधिकारी को मोटर पार्ट अथवा अन्य आवश्यक वस्तु को क्रय करने के कितने रुपयों तक के अधिकार हैं ? क्या निगम इन अधिकारों में परिवर्तन कर रहा है ? डिपो की श्रेणियों का ध्यान रखते हुए उनकी व्यय करने की सीमा बतलाने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) निगम के किसी आगार पर वाहनों की कमी नहीं है। निगम की 1791 निर्धारित सेवायें संचालित करने के लिये विभिन्न आगारों को 2070 वाहनें आवंटित की हुई हैं। इनमें निगम द्वारा अनुबन्ध कर ली गयी 108 वाहनें भी सम्मिलित हैं। विभिन्न आगारों को आवंटित वाहनों की सूची सदन में पटल पर रख दी गयी है।

(2) निगम के केन्द्रीय भण्डार से संभागीय भण्डारों को स्पेयर पार्ट्स दिये जाते हैं। सम्भागीय भण्डारों द्वारा स्पेयर पार्ट्स सम्बन्धित आगारों को उपलब्ध कराये जाते हैं। निगम की कोई बस स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण खड़ी नहीं रहे इसके लिए यथासम्भव प्रयास किये जाते हैं। स्पेयर पार्ट्स के क्रय करने हेतु निगम के विभिन्न अधिकारियों को निम्न प्रकार अधिकार दिये हुए हैं :—

1. निगम के प्रत्येक आगार प्रबन्धक को प्रत्येक बस के लिए प्रत्येक तिमाही में 100·00 रु. तक के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

2. 100·00 रु. से अधिक तथा 50,000 रु. तक स्पेयर पार्ट्स प्रत्येक तिमाही में क्रय करने के लिये सम्भाग प्रबन्धक प्राधिकृत है।

3. 50,000-00 रु. से अधिक के स्पेयर पार्ट्स खरीदने की आवश्यकता होने पर जोनल स्तर पर एक समिति गठित की जा चुकी है जो 3,00,000-00 रु. तक के स्पेयर पार्ट्स प्रत्येक तिमाही में खरीद सकती है।

फिलहाल इनमें कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

राज्य के ग्रामों में पेय जल उपलब्ध कराने की योजना

457. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 24,037 गांवों में पेय जल की समस्या है ?

(श्री कौशल किशोर जैन)

(2) क्या यह भी सही है कि 10,419 गांवों में 1·6 कि. मी. की परिधि में पेयजल का कोई भी विश्वस्त स्रोत नहीं है ?

(3) क्या केन्द्र द्वारा 1979–80 के स्वीकृत 275 करोड़ की वार्षिक योजना से सन् 1981–82 तक प्रत्येक ग्राम में पेयजल उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजना में व्यवधान नहीं होगा ?

(4) राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से 200 करोड़ रुपया ऋण जो कि इस योजना को पूर्ण करने के लिए लिया जाने वाला था, उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, ऐसे ग्रामों की संख्या 16929 है जिनमें 1·6 कि. मी. की परिधि में पेयजल का कोई भी विश्वस्त स्रोत नहीं है।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 79-80 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को 275 करोड़ रु. की कोई वार्षिक योजना स्वीकृत नहीं की है। वर्ष 79–80 में ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 1317·50 लाख एवं नगरीय योजना पर 600 लाख रु. का प्रावधान प्रस्तावित है। यह प्रावधान आवश्यकता के मुकाबले में बहुत ही कम है और इसे देखते हुये प्रत्येक ग्राम में सन् 1981–82 तक पेयजल उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।

(4) अभी आरम्भिक कार्यवाही चल रही है।

अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर द्वारा किये गये स्थानान्तरण

458. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री आर. सी. गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता पी. एच. ई. डी., जोधपुर प्रायः स्थानान्तरण आदेश निकालते रहते हैं ? यदि हां, तो कृपया स्थानान्तरण विवरण उनके कार्यकाल का सदन की मेज पर निम्न तालिका में रखने की कृपा करें :–

आदेश सं. सु. ई. द्वारा	दिनांक	कार्मचारी का नाम मय पद और सब डि.	स्थानांतरण से पूर्व की स्थिति (स्थान)	स्थानांतरण पश्चात् की स्थिति (स्थान)
1	2	3	4	5

उत्तर

श्री आर. सी. गुप्ता सुपरिन्डेटींग इन्जीनियर पी. एच. ई. डी. द्वारा किये गये स्थानान्तर आदेश, जो कि उनके कार्यकाल के हैं, सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(आदेश सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र, जोधपुर की बस्तियों में पानी की व्यवस्था

459. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर में पानी की सप्लाई के लिये कई मोहल्लों और आवासीय बस्तियों में पाईप लाइन लगाने की आवश्यकता है और अधीक्षण अभियन्ता को एस्टीमेट्स प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो कितने एस्टीमेट किस किस स्थान और कार्यो के कब प्रस्तुत किये ? उनकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई या की जाने वाली है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वर्ष 79-80 में सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 2", 3", 4", 5" और 6" की पाईप लाइन विस्तार कार्य किन-किन बस्तियों में कितनी कितनी लगाई जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1979-80 में प्रस्तावित क्षेत्र में धन राशि की उपलब्धि के अनुसार लाइनों का विस्तार किया जायेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें।)

अधीक्षण अभियन्ता जोधपुर द्वारा जल व्यवस्था हेतु जारी की गयी स्वीकृतियां

460. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

श्री आर. सी. गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता पी.एच.ई.डी., जोधपुर ने कौन सी दिनांक को चार्ज लिया था ? चार्ज लेने के दिनांक से 31-12-78 तक कितनी स्वीकृतियां या आदेश पानी की लाइनें लगाने के निकाले थे ? विवरण सदन की मेज पर निम्न तालिका में रखने की कृपा करें :—

आदेश सं०	दिनांक	अधिकारी का नाम, पद जिनको आदेश जारी किया	कार्य का नाम	स्थान (सिर्फ पानी की पाईप लाईन)	कार्य हुआ या नहीं
1	2	3	4	5	6

उत्तर

श्री आर. सी. गुप्ता ने दिनांक 5-1-77 को अधिक्षण अभियन्ता पी. एच. ई. डी. जोधपुर के पद का कार्य भार ग्रहण किया था एवं चार्ज लेने के दिनांक से 31-12-78 तक पानी की लाईन लगाने हेतु जारी की गई स्वीकृतियों या आदेश का विवरण चाहे गये प्रोफार्मा में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

राज्य के ग्रामों में पेय जल की सुविधा

461. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कुल कितने ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं है?

(2) वर्ष 1977-78 व वर्ष 1978-79 में कितने ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

(3) शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के कितने ग्राम पेय जल सुविधा से वर्ष 1977-78 व 1978-79 में लाभान्वित हुए हैं?

(4) राज्य में वर्ष 1979-80 में कितने ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी? शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र के लाभान्वित ग्रामों की संख्या कितनी होगी?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 17486 ग्रामों में पीने योग्य पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) वर्ष 77-78 में 450 ग्रामों में एवं 78-79 में जनवरी 78 तक 238 ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(3) शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में वर्ष 77-78 में कोई भी ग्राम लाभान्वित नहीं हुआ है एवं वर्ष 78-79 में 13 ग्रामों को पेय जल से लाभान्वित किया गया है।

(4) वर्ष 79-80 में 600 ग्रामों में पेय जल योजना पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामों के नाम अभी तय नहीं किये जा सके हैं।

डेगाना तहसील की पेय जल व्यवस्था

462. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला के अन्तर्गत डेगाना तहसील में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है और जहां है वहां खारा अथवा जहरीला है तथा जिनमें से कुछ गांवों की घोषणा राज्य सरकार ने इस हिदायत के साथ कर रखी है कि इन कुओं का पानी पीने के उपयोग में लिया जावे?

(2) इन्हीं गांवों में से वे गांव जिनके पास जल प्रदाय योजनायें अभी चल रही हैं, को पानी देने हेतु राज्य सरकार की क्या योजना है, जैसे:—

इन गांवों को साजू जल प्रदाय योजना से

1. बामाणा जागीर
2. चौसली
3. बामाणा खालसा
4. खीवताना
5. हबचर

इन गांवों को मोगास जल योजना से

1. भादवासी
2. डुगोर अचला
3. डुगोर दासा
4. डुगोर कलां
5. खुडी कलां
6. खुडी खुर्द

(44)

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

इन गांवों को कितलसर जल योजना से

1. चारणावास
2. जावा
3. बाजियां की ढाणी
4. रावलियास

इन गांवों को पाइ कलां जल योजना से

1. पाइ कलां
2. पाइ खुर्द

(3) क्या उपरोक्त गांवों को इन योजनाओं से जोड़ा जा सकता है? यदि हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों तथा किन कारणों से?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) व (3) प्रस्तावित ग्रामों की कोई भी योजना इस समय राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित ग्रामों की योजनाओं पर वर्ष 79-80 की नई योजनायें चयन करते समय विचार किया जायेगा।

ग्राम भीलवाड़ा उदयपुर की हैण्ड पम्प योजना

463. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने प्रान्त में 77-78 में कितने गांवों में पेय जल समस्या हल हेतु हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य रखा है? उनमें से जिला अनुसार कितने गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के भीलवाड़ा ग्राम में स्वीकृत हैण्ड पम्प योजना को वहां के अधिशासी अभियन्ता के अनुसार उपयुक्त नहीं समझा गया है? यदि हां, तो उस स्थिति में वहां नल योजना क्यों नहीं लागू की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 77-78 में 176 गांवों में हैण्ड पम्पस् लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 109 गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, भू-जल विभाग द्वारा इस ग्राम को हैण्ड पम्प योजना के लिये उपयुक्त नहीं पाया।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल की व्यवस्था

464. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर जिले में किन किन गांवों में पेय जल की व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गई है और किन किन में करनी शेष है तथा किन किन ग्रामों की जल योजना स्वीकृत

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

हो चुकी है और कार्य आरम्भ हो गया है या होने वाला है ?

उत्तर

विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

महाराणा भूपाल स्टेडियम, उदयपुर के पूर्व की ओर बनी दुकानों का बेचान

465. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में स्थित महाराणा भूपाल स्टेडियम के पूर्व की ओर बनी दुकानों का आपात काल में बेचान किया गया ? यदि हां, तो कितनी दुकानें बेची गई ? बेचने की क्या शर्तें थी ? कितनी कीमत पर बेची गई तथा किसे विक्रय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ दुकानें किराये पर दी गई जिनका किराया नीलामी बोली के आधार पर तय किया गया ? यदि हां, तो किस किस दुकान का कितना किराया तय हुआ ? नीलामी किस तिथि को की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इसके पश्चात् कुछ दुकानें बिना बोली के कम किराये पर कुछ लोगों को दे दी गई ? सूची मय किराये एवं किरायेदार के नाम के विवरण के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। 10 दुकानें बेची गई थी। बेचने की शर्तें मय कीमत एवं क्रेता के नाम की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। नीलामी में आया हुआ किराया व नीलामी तिथि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) दुकानें अनुज्ञा पत्र पर दी गई हैं। दुकानों का मासिक शुल्क अनुज्ञा व अनुज्ञाधारक के नाम का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

प्रशासक प्रतापगढ़ नगरपालिका द्वारा की गयी यात्रायें

466. **श्री कारूभाई मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या प्रतापगढ़ नगरपालिका के प्रशासक सरकारी वाहन में नगरपालिका कोष से पैट्रोल बिल उठाकर जयपुर तथा चित्तौड़ आते जाते रहे ? यदि हां, तो किन नियमों के अनुसार और कितनी राशि उठाई गयी ?

उत्तर

प्रतापगढ़ नगरपालिका के भूतपूर्व प्रशासक श्री राजेन्द्र भाणावत द्वारा जिला

(श्री कारू भाई मीणा)

पूल का वाहन नगर पालिका कार्यों के लिए चित्तौड़गढ़ जाने के लिए दो बार काम में लिया गया। इसका व्यय राशि 21.9.40 रु. का भुगतान किया गया। नगर पालिका के व्यय राशि का भुगतान करने के लिए स्वयं प्रशासक सक्षम है।

जोधपुर शहर की सड़कों के किनारों पर नालियां

467. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की सभी सड़कों की हालत जीर्णशीर्ण अवस्था में है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी की निकासी के लिये नालियें नहीं बनी होने से सड़कें ज्यादा क्षतिग्रस्त होती हैं ? अगर हां, तो सड़कों के पानी निकासी हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु क्या यह उचित समझती है कि पानी के निकासी की व्यवस्था की जाय ? अगर हां, तो योजना कब तक तैयार कर दी जायेगी ? निश्चित तिथि बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सरदारपुरा 5वीं रोड़ से 5वीं (बी) रोड़ तक एक नाली के निर्माण का कार्य वर्ष 77 में शुरू हुआ था लेकिन वह नाली 5वीं (ए) रोड़ तक ही आकर अधूरी समाप्त हो गई क्योंकि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो 5वीं (ए) व 5वीं (बी) के बीच रहते हैं, इस निर्माण कार्य को नहीं होने देना चाहते थे ? क्या इस अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की व्यवस्था करेंगे एवम् प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही राज्य सरकार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। सड़कों के पानी को निकालने के लिए योजना बद्ध निर्माण कार्य चालू है।

(3) जी नहीं। सड़क पूर्व से बनी हुई है तथा नालियां बनाई जा चुकी है।

आशुलिपिक के पद हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा

468. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु लोक-सेवा आयोग से हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा पास करनी पड़ती है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में राज्य में एक तरफ तो भयंकर बेरोजगारी है और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने आशु-लिपिकों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी सेवा में रखने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में हिन्दी आशुलिपिकों का अभाव है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह नहीं समझती है कि इस अभाव की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिये जायें कि वह आशुलिपिक (II) के पद पर नियुक्ति हेतु एक ही भाषा को मान्य करें?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य कार्य हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। इसी आधार पर दोनों भाषाओं में आशुलिपिकों की परीक्षा उत्तीर्ण करने का नियमों के अंतर्गत प्रावधान है।

(2) योग्यता प्राप्त आशुलिपिकों के अभाव के कारण ऐसा किया गया है।

(3) एक ही भाषा में योग्यता प्राप्त आशुलिपि की नियुक्ति हेतु पात्र मानने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

टौंक जिले की प्रौढ़ शिक्षण संस्थायें

469. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में कितनी प्रौढ़ शालायें सरकार द्वारा या किन किन संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं और उनमें कितना खर्चा किया जाता है? कितने प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है? इनके चैकिंग की क्या व्यवस्था है? गांव के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

टौंक जिले में राज्य सरकार द्वारा 100 केन्द्र चलाये जा रहे हैं जिनके गांवों की सूची संलग्न है। इस वर्ष इन केन्द्रों को चलाने के लिये 1,38,100 रु. आवंटित किये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र पर 30 प्रौढ़ों को शिक्षा देने की व्यवस्था है। इस तरह 3000 प्रौढों को साक्षर बनाने की व्यवस्था है। प्रत्येक 30 केन्द्रों के लिये एक परिवीक्षक एवं 100 केन्द्रों पर एक प्रोजेक्ट आफिसर की व्यवस्था है।

राज्य में शिक्षित विकलांगों के लिये राज्य सेवा में आरक्षण

470. **श्री राम रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में शिक्षित विकलांगों की संख्या कितनी है? इसमें श्रेणीवार अन्धे, बहरे, गूंगे व अन्य लूले-लगड़े कितने कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने इनके लिए शिक्षा विभाग में नौकरियों के सन्दर्भ में आरक्षण के लिए क्या नियम बना रखे हैं?

(3) विशेष अन्धों और गूंगों के लिए नौकरी के लिए क्या प्रावधान है?

(4) अन्धों के लिए क्या राज्य सरकार नौकरी दिलाने की चिन्ता रखती है क्योंकि इनको अन्य विकलांगों की तरह सभी स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता?

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(5) ऐसे कितने अन्धे हैं जो स्नातक या स्नातकोत्तर हैं एवं उनको राज्य सरकार नौकरी देने में असमर्थ रही है ?

(6) क्या राज्य सरकार इन लोगों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालती है ? अगर हां, तो किस प्रकार के विज्ञापन निकाले जाते हैं ? एक नवीनतम विज्ञापन का नमूना प्रस्तुत करें ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(2) कार्मिक विभाग ने आरक्षण सम्बन्धित नियम आदेश संख्या एफ 1 (17) डी० ओ० पी०/एफ 11/72 दिनांक 25-9-76 के द्वारा राज्य के सभी विभागों के लिये बनाये गये हैं।

(3) बिन्दू संख्या (2) में उल्लेखित नियमानुसार।

(4) बिन्दू संख्या (2) में अंकित नियम के अनुसार।

(5) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(6) सम्बन्धित सेवा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

विधि संकाय में आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली

471. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली विधि संकाय में जारी रहेगी ? क्या इस प्रणाली से विद्यार्थियों में उग्रता, शिक्षा की अवनति और असामाजिक तत्व उत्पन्न नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो मूल्यांकन प्रणाली में कौन से संशोधन राज्य सरकार लाना चाहती है ?

(2) क्या बार कौंसिल और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने विधि की पढ़ाई हेतु अलग से महाविद्यालय बनाने हेतु निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस विषय में कितनी प्रयत्नशील है ?

उत्तर

(1) यह प्रणाली राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय में जारी नहीं है। उदयपुर व जोधपुर विश्वविद्यालयों में जारी है। इस प्रणाली में संशोधन हेतु विश्वविद्यालय की विधि संकाय व शिक्षा परिषद् में विचार किया जा रहा है।

(2) जी हां, बार कौंसिल की सिफारिशें विधि शिक्षा हेतु अलग से महाविद्यालय बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी और इस पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समुचित धन, भवन एवं योग्य अध्यापकों के अभाव में अलग से स्वतन्त्र विधि महाविद्यालय की स्थापना करना सम्भव नहीं पाया गया।

नाहरी का नाका, जयपुर में हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित भवन

472. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नाहरी का नाका हाऊसिंग बोर्ड जयपुर में बोर्ड द्वारा आज तक कितने मकान बना कर आवंटित किये जा चुके हैं और कितने मकान निर्माणाधीन हैं अथवा बनाने की योजना है ? शॉपिंग कॉम्पलेक्स में कितनी दुकानें और बनाने की योजना है ? इसके अतिरिक्त बोर्ड का किस प्रकार का निर्माण कार्य और करने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या बोर्ड को मकानों के निर्माण में घटिया स्तर का मैटिरियल लगाने, नींव पुख्ता नहीं डालने आदि की शिकायतें प्रारम्भ से ही सब स्तरों पर प्राप्त हुई हैं जिसकी जांच विचाराधीन है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसी स्थिति में हजारों मकानों के रख रखाव के लिये एक पूर्ण सुसज्जित स्क्वैड (अधिशासी अभियन्ता के नियंत्रणाधीन) रखना अनिवार्य नहीं प्रतीत होता है ? यदि हां, तो फिर यहां स्थित कार्यालय को क्रमोन्नत (वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता स्तर) करने के बजाय कनिष्ठ अभियन्ता स्तर का कर अधिकांशतः कार्मिकों को अन्यत्र शिफ्ट करने के प्रस्ताव के पीछे क्या उद्देश्य है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री ए. के. शर्मा रेजीडेन्ट इन्जीनियर के अधीन वर्तमान सैटअप काबिजों की शिकायतों को दूर करने में बिल्कुल असफल रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसी जिम्मेदार, कुशल अधिशासी अभियन्ता को यहां पदस्थापित कर और कार्मिकों के सैटअप को स्ट्रेन्थन कर रख रखाव की उचित व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) नाहरी का नाका में 1583 मकान बनाने की योजना है। इनमें से 1557 मकान निर्मित हो चुके हैं और 26 मकान निर्माणाधीन है।

1422 मकान आवंटित किये जा चुके है। शोपिंग काम्पलेक्स में 136 दुकानों के बनाने की योजना है, 48 दुकानें बन कर तैयार है, जिसमें से 30 नीलाम की जा चुकी है। 73 दुकानें निर्माणाधीन है व 15 दुकानों का कार्य अभी हाथ में नहीं लिया गया है।

(2) बोर्ड के मकानों के निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की शिकायतें समय समय पर आती रही हैं। कथित विषय से सम्बन्धित तथा एकत्रित किये गए हैं तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है।

(3) जी नहीं। मकान का कब्जा देने के बाद रख रखाव के कार्य की बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती है।

(4) वर्तमान सैटअप आवंटियों को कब्जा देने के पहले समस्त शिकायतों को दूर करने में सफल रहा है। कब्जा देने से पूर्व मकानों का निरीक्षण कर दिया जाता है और बाद में भी तथ्य पूर्ण शिकायतों का निवारण किया जाता है। इस प्रश्न में रख रखाव के लिए प्रस्तावित सैटअप की

(नगर आयोजना मन्त्री)

व्यवस्था करने का उपरोक्त भाग (3) के उत्तर के अनुसार सवाल पैदा नहीं होता।

जिला जालौर में शिक्षकों के विचाराधीन मामले

473. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जालौर में कितने शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन के मामले कब से अनिर्णीत पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त शिक्षकों के वेतन फिक्सेशन के मामले कब तक निर्णीत कर उनके एरियर वेतन का भुगतान करवा दिया जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(3) जिला जालौर में कितने स्थाई शिक्षक कब से राज्य सेवा में लगे हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उक्त शिक्षकों का स्थायीकरण अब तक नहीं करने का क्या कारण हैं ? अब उनका स्थायीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर में कई शिक्षकों के पदोन्नति के मामले भी काफी समय से अनिर्णीत पड़े हैं ? अगर हां, तो ऐसे कितने मामले कब से अनिर्णीत पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उक्त शिक्षकों की पदोन्नतियों के अनिर्णीत मामले कब तक निर्णीत कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जिले में 1-9-76 के कुल 7 शिक्षकों के स्थायीकरण के प्रकरण शेष है। जो निम्न प्रकार है :—

1. श्री रतनलाल, प्र० अ० दीहाणी सांचौर।

2. श्री पूनमचन्द, स० अ० रा० उ० मा० वि० सांचौर।

3. श्री यासीनखां, प्र० अ० रा० उ० मा० वि० तिखी।

4. श्री ब्रजमोहन, स० अ० रा० मा० वि० बड़गांव।

5. श्री गोविन्दसिंह, स० अ० रा० मा० वि० बड़गांव।

6. श्री रूपचन्द्र टेलर स० अ० रा० मा० वि० भीनमाल।

7. श्री इन्द्रसिंह रतन अध्यापक रा० मा० वि० माडीजन।

(2) इनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. क्रमांक एक व दो के कर्मचारियों के सेवाभिलेख विकास आयुक्त को विकास अधिकारियों की पदोन्नती के लिये भेजे गये हैं।

2. क्रमांक 3 का प्रकरण 1968 के स्थरीकरण के लिये विकास विभाग में भेजा गया है।

(शिक्षा मन्त्री)

3. क्रमांक 4 का सेवा अभिलेख विभागीय जांच में आबूरोड़ भेजा हुआ है।

4. क्रमांक 5 का अभिलेख 1-9-68 के स्थरीकरण के लिये रा० उ० मा० वि० मोलासर (नागौर) भेजा गया है।

5. क्रमांक 6 का सेवा अभिलेख विभागीय जांच में कोर्ट में चल रहा है।

6. क्रमाक 7 का सेवा अभिलेख भवन में कोर्ट में भेजा गया है।

7. अतः इस स्थिति में स्थरीकरण की निश्चित अवधि वताया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी शीघ्र ही प्रयास किया जायेगा।

(3) जालौर जिले में 349 का अध्यापक सूची अनुसार अस्थायी है। अस्थायी शिक्षकों में वर्तमान में 138 शिक्षक स्थायी पदों पर कार्यरत हैं। इनके गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण स्थायी नहीं किया गया। गोपनीय प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त कर इन्हें शीघ्रताशीघ्र स्थायी कर दिया जावेगा। शेष 211 अध्यापक अस्थायी पद पर कार्यरत हैं अतः स्थायी पद उपलब्ध होने पर इन्हें स्थायी किया जावेगा।

(4) जी नहीं।

(5) विन्दु 4 के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील फलासियां में खोले गये कन्या स्कूल

474. श्री लालूदास (फलासियां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील फलासियां जिला जयपुर में कितने प्राथमिक कन्या विद्यालय खोले गये हैं एवं कितने नहीं खोले जा सके व क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है जब कि यह क्षेत्र इस विषय में पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की यह नीति है कि अलग से कोई कन्या प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला जाता।

(2) जी हां। विद्यालय शिक्षा का आदिवासी क्षेत्रों में तीव्रता से विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जन-संख्या का जो मापदण्ड विद्यालय खोलने के लिए अन्य क्षेत्रों में निर्धारित किया है उसमें इन क्षेत्रों के लिए शिथिलन किया गया है। अगले वर्ष भी ऐसा शिथिलन किया जायेगा। इस क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए मुफ्त पोषाक व पुस्तकों के देने की भी व्यवस्था की गई है। यहां बच्चों को सुविधा देने के लिए आश्रम स्कूलों की

(शिक्षा मन्त्री)

स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी खोले गये हैं।

बीकानेर अरबन लैण्ड सीलिंग एक्ट, 1976 के तहत विचाराधीन मामले

475. श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर में अरबन लैण्ड सीलिंग (रेगूलेशन) एक्ट, 1976 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष रिटर्न भरे गये हैं ? यदि हां, तो कितने भरे गये हैं और किन-किन व्यक्तियों द्वारा कौन-कौन सी जमीनों के भरे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सक्षम अधिकारी ने उपरोक्त मामलों में अपना अन्तिम निर्णय दिये बिना ही विचाराधीन स्टेज पर ही इनमें वर्णित सम्पत्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति दे दी है ? यदि हां, तो कितनों की दे दी है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अभी तक एक इन्च जमीन भी उपरोक्त एक्ट के अन्तर्गत अवाप्त नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या कारण हैं।

उत्तर

(1) जी हां, 274 विवरण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। विवरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की सूची व धारित भूमि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) जी नहीं, प्रस्तुत विवरण पत्रों पर अन्तिम निर्णय दिए बिना किसी भी मामले में सम्पत्ति को हस्तान्तरण करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(3) जी हां, बीकानेर नगर का मास्टर प्लान प्रकाशित न होना व अवाप्ति हेतु क्षेत्रीय दरें प्रकाशित न होना दो मुख्य कारण हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला बांसवाड़ा में खोले गये स्कूल

476. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में चालू वित्तीय वर्ष में किस-किस गांव में उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शालायें खोली गई हैं ? इन नई खोली गई शालाओं में कक्षा नवम् में कितने आदिवासी छात्र पढ़ रहे हैं।

(2) क्या यह सही है कि नई खोली गई शालाओं के आस-पास पूर्व में उपलब्ध उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शालाओं की दूरी 8 किलोमीटर से कम है।

(3) क्या यह सही है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र दानपुर में कोई उच्च माध्यमिक शालायें गत दो वर्षों में खोली ही नहीं गई ? अगर हां, तो क्यों ?

(4) क्या जनजाति बाहुल्य क्षेत्र दानपुर के ग्राम नयागांव, करजी, छोटी सरवन के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर खोली जा सकेगी ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में कोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं खोला गया है।

(2) बांसवाड़ा जिले में कुल 3 माध्यमिक विद्यालय इस वर्ष खोले गये हैं। सूपड़ा गांव में खोले गये माध्यमिक विद्यालय की दूरी बांसवाड़ा नगर में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय से 7 कि. मी. है। इन दोनों माध्यमिक विद्यालयों की दूरी पूर्व में उपलब्ध माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय से 8 कि. मी. से कहीं अधिक है।

(3) गत दो वर्षों में पूरे राज्य में कोई भी उच्च माध्यमिक शाला नहीं खोली गई।

(4) उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने पर फिलहाल कोई विचार नहीं है।

फलासियां विधान सभा क्षेत्र में खोले गये आश्रम स्कूल

477. **श्री लालूदास** (फलासियां) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फलासियां विधान सभा क्षेत्र में अब तक कितने आश्रम स्कूल खोले गये हैं? अगर नहीं खोले गये, तो कब तक शीघ्र खोल दिये जावेंगे?

उत्तर

अब तक फलासियां निर्वाचन क्षेत्र में कोटड़ा तहसील मामेर में एक आश्रम स्कूल खोला गया है।

जयपुर जिले में जयपुर शहर के अतिरिक्त कार्यरत अध्यापिकायें

478. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवा रामगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में जयपुर शहर के अलावा कितने पद अध्यापिकाओं के राज्य सरकार से स्वीकृत हैं?

(2) इस समय कितनी अध्यापिकायें शहर जयपुर के अलावा जयपुर जिले में कार्यरत हैं?

(3) कितनी अध्यापिकायें ग्रामीण क्षेत्र से शहर में डेपूटेशन पर कार्य कर रही हैं?

(4) जयपुर शहर में कितनी अध्यापिकायें सरप्लस हैं?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अध्यापिकाओं के जयपुर शहर के अलावा 541 पद स्वीकृत हैं। जिनमें 125 पद द्वितीय वेतन शृंखला के व 416 पद तृतीय वेतन शृंखला के हैं।

(2) इस समय जयपुर जिले में जयपुर के अलावा 541 अध्यापिकायें कार्यरत हैं।

(3) कोई नहीं।

(4) कोई नहीं।

श्रीमती केसरदेवी सेठी राजकीय बालिका विद्यालय, लाडनूं का भवन

479. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं):

(श्री हरजीराम बुरड़क)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीमती केसर देवी सेठी राजकीय बालिका विद्यालय, लाडनूं को जो भवन दानदाता ने बना कर दिया था उसका सरकार के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था ? एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भवन जो सरकार ने संभाला था वह कितनी लड़कियों के बैठने के लिए था और उस समय कितनी लड़कियां थीं तथा आज कितनी लड़कियां हैं।

(3) क्या भवन की कमी के सम्बन्ध में राज्य सरकार का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया ? यदि हां, तो कब कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) इस स्कूल के खेल के मैदान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के साथ हुए इकरार नामे की प्रति संलग्न है।

(2) उस समय कक्षा 6 से 9 तक मात्र 57 छात्राएं थी। अब लगभग 300 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

(3) जी हां, बढ़ी हुई छात्रा संख्या को देखते हुए संस्था को दो पारी में भी चलाने की व्यवस्था की गई है।

(4) मैदान के अभाव में खेलकूद की व्यवस्था स्थानीय बालिका प्रा० विद्यालय के प्रांगण में की जाती है। मैदान हेतु भू-खण्ड व्यवस्था हेतु उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को वर्ष 76–77 में प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन आवंटन नहीं हुआ है।

(इकरारनामे की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में ली जाने वाली क्रीड़ा शुल्क

480. श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में ली जाने वाली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के प्रवेश शुल्क की दरों में भारी अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया दोनों प्रकार के विद्यालयों में इस वर्ष लिये गये शुल्क की दरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संस्कृत विभाग ने क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के प्रवेश शुल्क की दरों में इस वर्ष कोई वृद्धि की है ? यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है, और क्यों ?

(3) क्या इस प्रकार की वृद्धि क्रीड़ा शुल्क दरों में सामान्य शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी हुई है ? यदि नहीं, तो संस्कृत विभाग में ही उक्त वृद्धि किये जाने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों का पूर्व प्रवेशिका क्षेत्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में आर्थिक योगदान

(श्री ईश्वर चन्द)

क्षेत्र के अनुसार दिये हैं ? यदि हां, तो योगदान की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा विभाग क्षेत्रीय, क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के हिसाब किताब का कोई आडिट नहीं कराता यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो गत दो वर्ष के अंकेक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा कोई क्रीड़ा प्रतियोगिता शुल्क नहीं ली जाती है। यह सम्बन्धित प्रतियोगिता समिति के निर्णय अनुसार प्रतियोगिता के व्यय को वहन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रति वर्ष निर्णित किया जाता है।

(2) जी हां। इस वर्ष छात्राओं के दल को भी पृथक से प्रतियोगिता में लेने का अवसर दिया गया है। अतः संभागी संस्था से प्रतियोगिता समिति के निर्णय अनुसार 25 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया गया है।

(3) सामान्य शिक्षा विभाग में छात्राओं की प्रतियोगिता अलग से होती है। अतः तुलना की स्थिति पैदा नहीं होती।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा विभाग के बजट में एक मुश्त राशि 8000 रुपये का प्रावधान किया है।

(5) विद्यालय में सभी मदों पर हुए व्यय का नियमानुसार राजकीय संस्थाओं में विभागीय अध्यान्तर जांच दल द्वारा तथा अनुदानित संस्था केन्द्रों का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सामयिक आडिट किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन संकलित किये जा रहे हैं।

भरतपुर जिले में बाढ़ की रोकथाम हेतु स्वीकृत राशि

481. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में बाढ़ की रोक थाम हेतु वर्ष 76-77, 77-78 व 78-79 में कितना रुपया मन्जूर हुआ व कितना खर्च हुआ।

(2) क्या भरतपुर जिले में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा अथवा घटा।

(3) पिछले तीस वर्षों में भरतपुर सिंचाई विभाग (बाढ़ नियन्त्रण) में कितने कितने कर्मचारी हर वर्ष बढ़े ?

(4) भरतपुर में बाढ़ की समस्या कब तक पूर्ण रूपेण समाप्त हो जायेगी ?

उत्तर

(1)

वर्ष	**आवंटित राशि**	**खर्चा**
76-77	11450000 रु०	11026000 रु०
77-78	41026000 रु०	11640000 रु०
78-79	30343000 रु०	22345000 रु०

(फरवरी, 79 तक)

(2) भरतपुर जिले में बाढ़ के पानी के नियन्त्रित प्रभाव के फलस्वरूप पिछले वर्षों की तुलना में स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है। तथापि बाढ़ का प्रकोप भरतपुर में आने

(सिंचाई मन्त्री)

वाली बाणगंगा, गम्भीर एवं रूपारेल नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में आकस्मिक रूप से होने वाली तीव्र अतिदृष्टि पर भी निर्भर करता है।

(3) भरतपुर जिले में सिचाई विभाग (बाढ़ नियन्त्रण) में समय-समय पर आवश्यकतानुसार खण्ड व उप खण्डों का सृजन आवश्यक अवधि के लिये किया गया, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दिखाया गया है।

(4) भरतपुर में बाढ़ की समस्या के समाधान हेतु एक मास्टर प्लान योजना बनायी जा रही है जिसके क्रियान्विति होने पर ही बाढ़ की समस्या पर काबू पाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें।)

जोधपुर जिले के बांधों की मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि

482. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में जसवन्त सागर बांध, पिचीयाक, पड़ासवासर और पाली जिले में कुड़की, गिरी रायपुर बांध, चित्तौड़ स्थित गुलाब सागर बान्ध में पिछले पांच सालों में निर्माण मरम्मत व नहरें, पक्की करने हेतु कितनी कितनी राशि, किन किन कार्यों हेतु, कब कब स्वीकृत हुई ? अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्वीकृत निर्माण व मरम्मत कार्यों को कराने में विभाग के अधिकारियों ने लाखों रुपयों का गोलमाल किया है और विभाग की सीमेंट, पत्थर, वाहन एवं दीगर कार्यों में ठेकेदार से मिल कर घोटाले किये हैं और जो कार्य पुराने अकाल सहायता से बनाये गये थे, उन्हें पुनः नये स्वीकृत करा कर बनाये हुए बता दिये ? अगर हां, तो इन बांधों के नीचे ऐसे कार्यों की सूची जो अकाल सहायता के अन्तर्गत निर्मित हुए व नये कार्य जो स्वीकृत किये हैं उनकी सूची मय स्वीकृत राशि के कामवार, बांधवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस वर्ष जसवन्त सागर बांध, पिचियाक, पडासवासर, कुड़की, गिरी आदि बांधों व एनीकट्स तथा इनसे सम्बन्धित नहरों को पक्की कराने हेतु कब कब व कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) विवरण तालिका 'ब' में संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें।)

ग्राम करवाड़ा के बांध का निर्माण

483. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रतनाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम करवाड़ा में एक बांध है ? अगर हां, तो यह कब बनाया गया और इस पर कुल कितना रुपया राज्य सरकार ने लगाया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष अधिक वर्षा होने की वजह से उक्त बांध टूट गया है जिससे बांध में बिल्कुल पानी नहीं रहता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह बांध फूट जाने से ग्राम करवाड़ा के बेरों में पानी की कमी हो गई है और जब इस बांध में पानी रहता था तो करवाड़ा, कोटड़ा, माखेसरा तक के बेरों में पानी ऊपर तक आ गया था जिससे काश्तकारों को सिंचाई के क्षेत्र में काफी लाभ हुआ था ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त बांध को पुनः बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह बांध सन् 1972-73 व 1975 में अकाल राहत में बनाया गया था, और इस पर कुल 2.86 लाख रुपये लगे।

(2) जी हां। करवाड़ा बांध वर्ष 1975 की भारी वर्षा से टूट गया था, जिससे इसमें पानी नहीं रुकता।

(3) वर्ष 1975 में तालाब पूरा बना उसी वर्ष अतिवृष्टि के कारण टूट गया। इसलिये इसके बेरों पर प्रभाव के स्पष्ट अध्ययन के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(4) जी नहीं। क्योंकि इसका लाभ लागत अनुपात ठीक नहीं आया।

माही-बजाज सिंचाई परियोजना एवं जाखम सिंचाई योजना

484. **श्री कारू भाई मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या प्रतापगढ़ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में माही बजाज सिंचाई परियोजना एवं जाखम सिंचाई परियोजना का लाभ दिलाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

प्रतापगढ़ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वर्तमान में जाखम परियोजना प्रगति पर है, जिस पर लगभग इसी क्षेत्र के 2500 श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

माही परियोजना पर भी इस क्षेत्र के लोगों को काम दिया जाता है। अतः अलग से योजना बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीवाड़ा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

485. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रानीवाड़ा में आर. एस. सी. स्कीम का कार्य चालू है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(श्री रतनाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि पं० समिति रानीवाड़ा की इस स्कीम में ग्राम दानवाड़ा, करड़ा, कोडका, माटीप, साटवाड़ा, कोटड़ा लाखावास, वगैरा नहीं लिये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि तमाम गांवों में बहुत बेरे हैं जिनमें पर्याप्त पानी है और बेरा पर पंपिंग सैट (मशीनें) चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या इन तमाम मुद्दों को मद्दे नजर रखते हुये इन गांवों को आर. एस. सी. स्कीम में जोड़ दिये जाने का सरकार तुरन्त निर्णय लेगी ? अगर हां, तो कब तक जोड़ दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना में सम्मिलित 51 गांवों में से फरवरी, 79 के अन्त तक 37 गांव विद्युतीकृत हो गये हैं।

(2) जी हां।

(3) कुओं पर डीजल पम्पिंग सेट आदि के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है। आर. ई. सी. की योजना में स्वीकृत होने के पश्चात् कोई नये गांव नहीं जोड़े जा सकते हैं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

झालावाड़ जिले के ग्रामों में दी गयी बिजली

486. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की किस किस पंचायत समिति में पिछले एक साल में किस किस ग्राम को बिजली दी गई ?

(2) क्या राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि लाइन से एक किलोमीटर की दूरी के समस्त ग्रामों को विद्युत लाइन से जोड़ दिया जायगा ? यदि हां, तो इस आदेश के आधार पर कितने कितने गांवों को बिजली दी गई ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की 6 पंचायत समितियों के 44 ग्रामों को पिछले एक वर्ष (माह मार्च, 78 से फरवरी, 79) में बिजली दी गई। ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं, राज्य विद्युत मण्डल के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 के० वी० लाइनों से एक किलो मीटर तक की दूरी के ग्रामों को क्षेत्रीय असमानता एवं वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धि के आधार पर विद्युतीकृत करने की वर्तमान नीति है। इस श्रेणी के लगभग 398 ग्रामों को राज्य में विद्युतीकृत करने की इस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें।)

दांतारामगढ़ के ग्रामों के विद्युतीकरण का मामला

487. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मंडल ने दिनांक 7-11-78 को ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत मंडल के सहायक अभियन्ता के कार्यालय को राणीली से दांतारामगढ़

(श्री मदनसिंह दांता)

कर दिया था ? अगर हां, तो उक्त कार्यालय ने दांतारामगढ़ में कब कार्य करना शुरू किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि ज्यानग भासागल्यों, भगतपुरा, भेई, म्यूरडोकावास ग्राम की सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो इन गांवों में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ प्रशासनिक दिक्कतों के कारण अभी यह कार्यालय राणोली में ही कार्य कर रहा है।

(2) सर्वेक्षण के पश्चात् ग्राम भेई एवं मुरड़ों का वास वर्ष 1978-80 के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत कर दिये गये हैं। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की नीति

488. श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा एक कि० मी० अथवा इस से कम दूरी के कितने गांव इस वर्ष विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं जो मौजूदा हालत में 11 के० वी० लाइन से एक कि० मी० अथवा कम दूरी पर हैं ? सूची जिले एवं तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ के भी कोई गांव स्वीकृत किये गये हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पंचायत समिति भैंसरोड़-गढ़ में ऐसे गांव नहीं थे जिनकी दूरी 11 के० वी० लाइन से एक कि० मी० अथवा कम थी ? अगर गांव थे, तो किन कारणों की वजह से विद्युतीकरण से वंचित किया गया है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष मौजूदा 11 के० वी० लाइनों से एक किलो मीटर अथवा इससे कम दूरी वाले 398 गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं। तहसीलवार एवं जिले-वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र की एक योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के समक्ष स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(3) जी हां, परन्तु निगम की उप-रोक्त विचाराधीन योजना में पहले से ही सम्मिलित होने के कारण इनको सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम में अब लेना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

60

ग्राम चन्दनानी का विद्युतीकरण

489. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव चन्दनानी तहसील चाकसू का एक गांव है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चन्दनानी उस तहसील की मूंगफली, धान आदि की बड़ी मंडी है और वहां पर तेल की तीन चार मिलें खुल सकती हैं परन्तु केवल विद्युत सुविधा के अभाव में उस गांव का विकास नहीं हो पा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गांव चन्दनानी. तहसील चाकसू के आसपास के एक डेढ़ किलोमीटर के गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(4) क्या यह भी सही है कि गांव चन्दनानी, तहसील चाकसू के आसपास के जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है वे चन्दनानी से जनसंख्या, व्यापार और क्षेत्रफल आदि में काफी छोटे हैं ? यदि हां, तो फिर उन गांवों का किस प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया गया है ? और चन्दनानी का किन आधार पर नहीं किया गया है ?

(5) क्या यह भी सही है कि मन्त्री महोदय ने, अभी कुछ दिन पहले विद्युत विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि जहां पर मेन लाइन हो वहां से एक किलो मीटर की दूरी तक के गांवों में शीघ्रातिशीघ्र विद्युत पहुंचायी जानी चाहिये ? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत ग्राम चन्दनानी तहसील चाकसू का भी विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील चाकसू जिला जयपुर में चन्दनानी नाम का कोई गांव नहीं है। तहसील निवाई जिला टोंक में चन्नानी नाम का एक गांव अवश्य है।

(2) निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। आसपास के विद्युतीकृत गांवों की 11 के० वी० लाइन से डेढ़ किलो मीटर से भी अधिक लम्बी लाइन चन्नानी के लिए खेंचनी पड़ेगी।

(4) जी हां। उपलब्ध विद्युत स्रोत से साध्यता की दृष्टि से नजदीक होने के कारण ग्राम चन्नानी उसमें नहीं आता था।

(5) ग्राम चन्नानी इस श्रेणी में नहीं आता है।

किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की विचाराधीन सिंचाई योजना

490. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्रामों में सिंचाई तालाबों के माध्यम

(श्रीमती नारंगी देवी)

से होती है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सिचाई विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में उक्त तालावों के निर्माण, रख रखाव व मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की है ?

(3) अगले तीन वर्षों में किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु, क्या योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में 105 गावों में तालावों के माध्यम से सिंचाई होती है। सूची (क) संलग्न हैं।

(2) उक्त तालावों के निर्माण एवं रख रखाव व मरम्मत पर वर्ष 1976-77 में 133.27 लाख रु० व 1977-78 में 77.04 लाख रु० व्यय हुए।

(3) अगले तीन वर्षों में किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु निम्न योजना विचाराधीन हैं :—

1. विनासी
2. कालोनी
3. अहमदी
4. मेवली
5. छतरगंज
6. खीगरी

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

कोलायत पंचातय समिति में चिकित्सा सुविधा

492. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोलायत पंचायत समिति में किस किस गांव में विभाग की ओर से चिकित्सा सुविधा दी हुई है, और वह किस प्रकार की है ?

उत्तर

कोलायत पंचायत समिति में निम्न ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है:—

1.	कोलायत	प्राथमिक स्वा० केन्द्र
2.	गजनेर	डिस्पेन्सरी
3.	वज्जू	डिस्पेंसरी
4.	गढ़ीवाला	एडपोस्ट
5.	सीयाना	उपकेन्द्र
6.	छांड़ा	उपकेन्द्र
7.	दांतरा	उपकेन्द्र
8.	नोखारा	उपकेन्द्र
9.	आराचरावा	उपकेन्द्र
10.	वज्जू	उपकेन्द्र

वज्जू में डिस्पेन्सरी खोली जा चुकी है। अतः वज्जू उप केन्द्र को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का मामला विचाराधीन है।

(62)

उम्मेद हास्पिटल तथा महात्मा गांधी हास्पिटल जोधपुर में लिफ्ट की व्यवस्था

493. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उम्मेद हास्पिटल, जोधपुर में नई लिफ्ट की व्यवस्था के लिये 2·02 लाख की स्वीकृति प्रदान की थी ? क्या इसका उपयोग कर लिया गया ? यदि हां, तो किस मद में ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों के कारण ?

(2) क्या यह सही है कि महात्मा गांधी हास्पिटल में लिफ्ट को बदलने के लिये 1·50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो धन राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ? यदि धन राशि अन्य काम में ले ली गई, तो ऐसा क्यों ? भविष्य में लिफ्ट की आवश्यकता पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। नई लिफ्ट लगाने हेतु 2·02 की स्वीकृति दी गई थी। लेकिन इस धन राशि को रिएप्रोप्रीऐट (re-appropriate) कर एवज में पुरानी लिफ्ट को 25000 रु. में ठीक कराया जा रहा है तथा बाकी रकम से उम्मेद अस्पताल में अन्य कार्य कराया जा रहा है। जिसकी तालिका संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि महात्मा गांधी अस्पताल में लिफ्ट को बदलने के लिये 1·50 लाख की स्वीकृति दी गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1·50 लाख की नई लिफ्ट के क्रय के आदेश दिये जा चुके हैं जो कि 25-3-79 तक फर्म द्वारा सप्लाई कर दी जायेगी। ऐसा निर्माण विभाग द्वारा बतलाया गया है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें।)

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की गयी चिकित्सा सुविधायें

494. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय), **श्री हरसहाय मीणा** (लालसोट) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कितने चिकित्सालय कितने एडपोस्ट एवं कितने सब-सेन्टर खोले गये ?

(2) स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की नियुक्ति कर उन्हें बार-बार क्यों बदलते हैं ? ग्राम रामगढ़ पचवारा जिला जयपुर में अब तक कितने डाक्टरों की नियुक्ति की गई तथा उन्हें किन कारणों से निरस्त किया गया ?

(3) क्या लालसोट चिकित्सालय में राज्य सरकार दूसरा और डाक्टर भी नियुक्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि मानपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में गत दो सालों से जीप की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं व्यवस्था की गई

(श्री रामकिशोर मीणा)

तथा क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

(5) मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में, कब तक जीप की व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 1977-78 में स्वीकृत डिस्पेन्सरी, एड-पोस्ट व उपकेन्द्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	डिस्पेन्सरी	एडपोस्ट	उपकेन्द्र
1977-78	147	99	200

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त डाक्टरों का पदस्थापन स्थान विभिन्न कारणों से बदला जाता है। ग्राम रामगढ़ पचवारा में डिस्पेन्सरी 6-3-78 को स्वीकृत हुई व अब तक 6 डाक्टरों को पदस्थापित किया गया। बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण, चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के परिणामस्वरूप स्थान भरा नहीं जा सका।

(3) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जी हां।

केन्द्र की जीप यूनिसेफ की है, जो विदेशी पार्ट्स न मिलने के अभाव में, स्वास्थ्य यातायात अधिकारी जयपुर के यहां मरम्मत हेतु पड़ी है। पार्ट्स उपलब्ध होने पर अविलम्ब व्यवस्था कर दी जावेगी। इसमें कोई भी कर्मचारी का दोष नहीं है।

(5) विदेशी पार्ट्स उपलब्ध होते ही, वाहन की मरम्मत कर केन्द्र पर भेज दी जायेगी।

जनाना अस्पताल जयपुर की लिफ्ट

495. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनाना अस्पताल चांदपोल, जयपुर में कितनी लिफ्ट हैं ? ये कब लगाई गई थीं ? कब तक काम में आती रहीं तथा अब कितने वर्षों से खराब पड़ी हैं ?

(2) इतने लम्बे अर्से के बाद भी ठीक कराना उचित क्यों नहीं समझा गया ?

(3) किस अधिकारी की इन पर कड़ी नजर रही ?

(4) क्या लिफ्ट पर कोई व्यक्ति की अलग से नियुक्ति है, जो उसे चलाता है ?

(5) यदि हां, तो कौन है तथा कब से चला रहा है ?

उत्तर

(1) जनाना अस्पताल, चांदपोल, जयपुर में वर्तमान में एक ही स्वीकृत लिफ्ट है। यह लिफ्ट दिनांक 26-4-1971 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चार्ज में ली गई

(चिकित्सा मन्त्री)

थी, उस समय से यह लिफ्ट निरन्तर चालू हालत में है। 1931 की पुरानी लिफ्ट जो अब भी लगी पड़ी है, खारिज की जा चुकी है।

(2) चूंकि एक नई स्वीकृत लिफ्ट चालू हालत में है अतः ठीक करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) पुरानी 1931 की लिफ्ट खराब नहीं हुई है। वह उम्र पूरी हो जाने के कारण खारिज कर दी गई है। अतः कड़ी नजर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) स्वीकृत नई लिफ्ट इस चिकित्सालय के मैकेनिक शाखा के अनुभवी व्यक्ति द्वारा आपरेट की जाती है, अलग से किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है। अलग से लिफ्ट चलाने के लिये लिफ्ट मैन के नये पद, सृजित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(5) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 4 में दिया जा चुका है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के बायलर की सेवा निवृत्ति का मामला

496. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में, बायलर एटेंडेंड की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है ?

(2) क्या सवाई मानसिंह अस्पताल ओथोरिटीज ने श्री नाथूलाल, बायलर अटेंडेंट को 55 वर्ष की आयु में ही, सेवानिवृत्त कर दिया और क्या वही व्यक्ति, पुनः आयुक्त चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य द्वारा, राज्य सेवा में ले लिया गया ?

(1) क्या उस व्यक्ति को न्याय प्राप्त अवधि 1-9-76 से 1-1-78 का वेतन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उन दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहती है, जिनके कारण उक्त व्यक्ति को परेशान होना पड़ा है ?

उत्तर

(1) सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार ने, अपने पत्र क्रमांक प० 5 (12) चि० स्वा०/76/ग्रुप–3 दिनांक 25-8-76 द्वारा, श्री नाथूलाल बायलर अटेंडेंट का 1-9-76 से 1-1-78 की अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में मानकर नियमित किया। अतः उपरोक्त अवधि का वेतन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि इसमें कोई दोषी व्यक्ति नहीं है।

कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र में अन्त्योदय योजना में चयनित परिवार

497. श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : क्या अन्त्योदय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र में कितने अन्त्योदय परिवार छांटे गये एवं उनमें से किस किस ग्राम के, किस किस परिवार को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है ? इसका क्या कारण है॥

(2) अब सरकार इन परिवारों को कब तक सहायता दिला देगी या नहीं दिला सकेगी ?

(3) इस वर्ष इस क्षेत्र में और कितने परिवार छांटे गये हैं एवं कितने परिवारों को सहायता दी जा चुकी है ?

उत्तर

(1) प्रथम चरण में कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र में 693 अन्त्योदय परिवार छांटे गये थे। इनमें से 320 परिवारों को सहायता नहीं दी जा सकी है। ग्रामवार सूची मय कारण के सदन की मेज पर प्रस्तुत है। सहायता कार्य जारी है।

(2) शीघ्र ही सहायता दिलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) द्वितीय चरण में 586 अन्त्योदय परिवार छांटे गये। इनमें से 15 परिवारों को सहायता दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान पुस्तकालय में रखी गई)

पर्यटक स्थलों का विकास

498. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :—

(1) जयपुर शहर में देशी और विदेशी पर्यटकों के देखने हेतु, किन किन पर्यटन केन्द्रों के विकास अथवा नवनिर्माण को कब तक पूरा करने की योजना है ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार रामगढ़ बांध के स्थान का पर्यटन केन्द्र की दृष्टि से विकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या विकास कार्य किया जायगा और कब तक ?

उत्तर

(1) सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। रामगढ़ बांध पर आवास व्यवस्था, स्वल्पाहार व्यवस्था, मत्स्य क्रीड़ा व्यवस्था, नावों की व्यवस्था, रेस्ट हाऊस की व्यवस्था आदि प्रमुख है। इन कार्यों को राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम, अगले वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायेगा एवं दो वर्षों में इनके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के बाहर राज्य के विश्रामगृह

499. श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान व राजस्थान से बाहर राज्य के विश्राम गृह कहां कहां पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन विश्राम गृहों में किस किस श्रेणी के लोग ठहर सकते हैं ? ठहरने व खाना खर्च का क्या क्या चार्जेज किया जाता है ?

(3) राज्य सरकार को इन विश्राम गृहों से होने वाली आमदनी व खर्चे का ब्यौरा पिछले पांच साल का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में विधायक निवास, जयपुर को छोड़कर 12 विश्राम भवन तथा दिल्ली में 2 विश्राम भवन हैं :—

1. कोटा, 2. बूंदी, 3. जयपुर, 4. अलवर, 5. भरतपुर, 6. अजमेर, 7. भीलवाड़ा, 8. चित्तौड़गढ़, 9. उदयपुर, 10. माउन्ट आबू, 11. बीकानेर, 12. जोधपुर तथा नई दिल्ली में राजस्थान हाउस। बीकानेर हाउस एवं जोधपुर हाउस है।

1. जोधपुर हाउस, नई दिल्ली में केवल राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा केबिनेट स्तर के मंत्री ठहर सकते हैं।

राजस्थान हाउस, नई दिल्ली सहित अन्य समस्त विश्राम भवनों में निम्नलिखित व्यक्ति ठहर सकते हैं :—

(क) मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री गण।

(ख) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान सभा सदस्य।

(ग) संसद सदस्य।

(घ) अधिकारीगण, जिनका वेतन 1150) रु० या इससे अधिक है।

(ङ) मण्डलों के अध्यक्ष।

(च) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी।

(2) ठहरने व खाने की निम्न प्रकार राशि वसूल की जाती है :—

(1) पैरा (1) के 'क' से 'ख' तक। ठहरने का 3) रु० प्रतिदिन, भोजन का 3) रु० प्रति खाना प्रति व्यक्ति।

(2) पैरा (1) का व केवल केन्द्र के अधिकारियों के लिए।

एक कमरे में एक व्यक्ति।	10) रु० प्रतिदिन
डबल कमरे में एक व्यक्ति।	12) रु० प्रतिदिन
डबल कमरे में दो व्यक्ति।	15) रु० प्रतिदिन

(3) पिछले पांच वर्षों में आय-व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(मुख्य मन्त्री)

वर्ष	आय	व्यय
73-74	6,37,470	12·93 लाख
74-75	7,88,836)	16·29 ,,
75-76	10,60,975)	26·50 ,,
76-77	11,44,405)	28·64 ,,
77-78	14,03,600)	31·32 ,,

जिला आबकारी अधिकारी उदयपुर के विरुद्ध विचाराधीन मामले

501. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर के विरुद्ध कितनी शिकायतें विभाग में विचाराधीन हैं ? उक्त शिकायतों पर क्या क्या कार्यवाही चल रही है ?

(2) क्या उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी चल रही है, या प्रस्तावित है ?

(3) उक्त अधिकारी ने गत एक वर्ष में कितने कितने दौरे, कितने समय के जोधपुर के किये ? वह दौरे गैर सरकारी थे अथवा सरकारी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी ने जो दौरे जोधपुर के किये, वे सभी गैर सरकारी थे और उन्होंने उसे सरकारी व्यय पर किये ?

उत्तर

(1) जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर के विरुद्ध दो शिकायतें विभाग में विचाराधीन हैं। उनसे जवाब मांगा गया है।

(2) जी हां।

(3) विवरण सहित सूची 'क' संलग्न है। दौरे सरकारी थे।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

पाली जिले में बिक्री कर की चोरी के पकड़े गये मामले

502. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में 1972 से 77 तक बिक्रीकर की चोरी को पकड़ने के, कितने छापे कहां कहां व कब कब मारे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त छापों में कौन कौन से अधिकारी थे ? व उक्त छापे मारने का क्या आधार था ? यदि कोई मुखबरी थी, तो उसके अनुसार कितने रुपयों की कर चोरी मुखबरी में बताई गई ?

(3) उक्त छापों में कितने मामले कर चोरी के पकड़े गये ? व उन मामलों में कितनों में चालान किया गया ? व कितनों में कम्प्रोमाइज किया गया ?

(श्री माधवसिंह दीवान)

(4) क्या जिन मामलों में चोरी पकड़ी गई उन सभी की सूची, क्या आयकर आयुक्त को भेजी गई ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को उनकी गलत हरकतों से आय कर विभाग भी सचेत रहे अब भी उनकी सूची भेजेगी ताकि कर निर्धारण में उनकी विशेष सतर्कता रखी जा सके।

(5) इस प्रकार की कर चोरियों में कमी आये, उसके लिये क्या सरकार सोजत तथा रानी में सहायक वाणिज्य कर अधिकारी का आफिस लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बिक्री कर की चोरी को पकड़ने के वर्ष 1972 से 77 तक की अवधि में, पाली वृत में 250 केसेज बनाये गये हैं। उनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) छापे मारने का आधार एवं जिन अधिकारियों द्वारा छापे मारे गये इत्यादि का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त सभी मामलों में कर चोरी पकड़ी गई है। उसका ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया है। कर चोरी के मामलों में न तो कोई चालान ही किया गया है न किसी मामले में कम्प्रोमाइज ही किया गया है।

(4) कर चोरी के मामले पकड़े गये उनकी सूची आयकर विभाग को नहीं भेजी गई है, क्योंकि राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों में आय कर विभाग को सूचना देना अनिवार्य हो। फिर भी आय कर विभाग द्वारा चाहने पर सूचना दी गई है॥ उसका विवरण भी सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई विचार नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया है)

नगर भूमि एवं भवनकर विभाग द्वारा निर्धारित कर

503. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में नगर भूमि एवं भवनकर विभाग में सालाना कितने रुपये का कर किस-किस नगर का निर्धारित किया गया था ? नगरवार, सर्किलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1 अप्रैल, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक कितना कर वसूल किया गया है और वह कुल लक्ष्य का कितना प्रतिशत अब तक वसूल हो चुका है ? सर्किल वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस विभाग पर 1 अप्रैल, 1978 से अब तक कितना कुल प्रतिशत खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक खर्चा हो चुका ? यदि हां,

(श्री नवरंगसिंह)

तो इसके क्या कारण हैं ? खर्चे की सर्किलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस विभाग के लिए वर्ष 1978-79 के लिये राजस्व संग्रहण का लक्ष्य, 250 लाख रुपये का रखा गया था। इस लक्ष्य को विभाग के 11 सर्किलों में विभाजित किया गया। जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) एक अप्रेल, 78 से 31 जनवरी, 79 तक, कुल 55·47 लाख रुपयों का संग्रहण हुआ है। यह राशि कुल लक्ष्य का लगभग 22 प्रतिशत है। सर्किलवाइज सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इस विभाग पर 1 अप्रैल, 78 से 31 जनवरी, 79 तक, कुल व्यय रुपया 19·06 लाख हुआ जो आय-व्ययक अनुमान वर्ष 78-79, रुपया 27·30 लाख का 69·8 प्रतिशत है। खर्च निर्धारित लक्ष्य से अधिक नहीं हुआ है। सर्किलवाइज व्यय की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें।)

जिला जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा विज्ञापन

505. श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर) : क्या जन संपर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के जन सम्पर्क निदेशालय ने विभागाध्यक्षों को समाचार पत्रों को सीधे स्वयं विज्ञापन देने की छूट दे दी है ? यदि नहीं, तो भरतपुर जिले में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आदि ने पिछले दिनों कितने ही विज्ञापन स्वयं सीधे देकर राज्य की नीति की अवहेलना नहीं की है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) जब भरतपुर जिले में (धौलपुर उपखण्ड को छोड़कर) आधा दर्जन समाचार-पत्र राज्य सरकार से विज्ञापनों के लिए स्वीकृत हैं फिर भी विभिन्न विभागों की अल्पकालीन निविदा सूचनाएं रोटेशन के आधार पर न दी जाकर जैसा कि जनसम्पर्क निदेशालय का नियम है किन्हीं विशेष समाचार पत्रों को ही प्रकाशनार्थ क्यों दी जाती है।

(3) क्या विज्ञापनदाता विभागीय अधिकारी विज्ञापन में प्रयुक्त स्थान का औचित्य पूर्ण स्थान निर्धारण किए बिना मनमानी रकम का भुगतान कर देते हैं जिससे राज्य सरकार को हजारों रुपयों की हानि उठानी पड़ती है ? मनमानी करने वाले ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

(4) जब प्रायः सभी जिलों में जन सम्पर्क अधिकारी कार्यरत हैं फिर भी इन अधिकारियों द्वारा जन सम्पर्क अधिकारी से स्थान निर्धारित करने का परामर्श लिए बिना तथा रोटेशन का ध्यान रखे बिना विज्ञापन क्यों रिलीज कर दिये जाते हैं ? क्या भविष्य

70

(जन सम्पर्क मंत्री)
में सरकार अल्पकालीन निविदाओं से नियमों का ध्यान रखते हुये जिला जन सम्पर्क अधिकारियों के माध्यम से ही विज्ञापन रिलीज कराने की व्यवस्था करेगी ताकि सभी स्वीकृत समाचारपत्रों को यथाक्रम विज्ञापनों का लाभ मिल सके और राज्य सरकार को हजारों रुपये की बचत हो सके ?

उत्तर

(1) जी नहीं । भरतपुर जिले के सम्बन्धित कार्यालयों से इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(2) जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा जिले के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन नियम, 1962 के अन्तर्गत समान वितरण नीति के आधार पर विज्ञापन दिये जाते हैं । जिले के विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(3) जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से जो विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं, उनमें विज्ञापन का स्थल निर्दिष्ट कर ही आदेश दिया जाता है ।

(4) जिला जन सम्पर्क अधिकारी मुख्यतः क्षेत्रीय प्रचार के कार्य के लिए नियुक्त है, अतः नियमानुसार उनके माध्यम से विज्ञापन देने की व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ग्राम सूतड़ी के आयुर्वेदिक अस्पताल में वैद्य की व्यवस्था

506. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सूतड़ी में आयुर्वेद अस्पताल खुलने के बाद, आज तक वैद्य नहीं गया है और न कोई दवाइयां ही भेजी गई हैं ? अगर हां, तो क्यों तथा अब वहां वैद्य, कब तक भिजवा दिया जावेगा एवं अस्पताल विधिवत कब से चलने लग जावेगा ?

(2) ग्राम केरिया तहसील सांचौर में कब से आयुर्वेद अस्पताल में वैद्य नहीं है ? इतने अर्से से वैद्य क्यों नहीं भेजा गया ? अब वहां वैद्य कब तक भिजवा दिया जावेगा ?

(3) इस वर्ष पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में आयुर्वेद अस्पताल कहां-कहां पर, कब तक खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सरपंच ग्राम सूतड़ी को, बार-बार लिखने पर भी औषधालय हेतु भवन की व्यवस्था न करने के कारण स्टाफ नहीं भेजा जा सका ।

(2) ग्राम केरिया तहसील सांचौर में आयुर्वेद औषधालय दिनांक जून, 1978 में खोला गया । वहां से कार्यरत वैद्य का स्थानान्तरण होने के कारण दूसरे वैद्य को लगाया गया परन्तु उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की । वैद्य की नियुक्ति की कार्यवाही के लिए मेरिट सूची को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । कार्य पूर्ण होते ही अतिशीघ्र ग्राम केरिया के औषधालय में वैद्य का पदस्थापन कर दिया जावेगा ।

(3) इस वित्तीय वर्ष 78-79 में 6 नवीन औषधालय जन जाति क्षेत्र में खोलने

(आयुर्वेद मंत्री)

का प्रावधान था, जो खोले जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 79–80 में, 66 नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान है। अभी स्थानों के निर्धारण के कार्य को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में 10 औषधालय करने का लक्ष्य है। सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में वर्तमान में 10 औषधालय चल रहे हैं अतः वर्ष 79-80 में इस पंचायत समिति क्षेत्र में नवीन औषधालय खोलना सम्भव नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री रामसिंह विश्नोई, वृद्धि चन्द जैन, रणजीत सिंह, मथुरादास माथुर, खेतसिंह राठौड़ व रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा, की ओर से पुलिस थाना विधायकपुरी में श्री परसराम मदरेणा, विरोधी दल के नेता के पुत्र श्री अशोक कुमार की पुलिस द्वारा पिटाई करने के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य विधान सभा की ओर से श्री गोपाल सैनी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं धावक द्वारा अनेक स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर भी राज्य सरकार द्वारा उनको कोई प्लाट, खेती की जमीन या नकद पुरस्कार न देने के विषय में।

(3) सर्वश्री रामनारायण चौधरी, रणमल सिंह, जगतार सिंह व मनफूलराम, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम घाटवा तहसील नांवा जिला नागौर के, 28 हरिजन एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को 1970 में आवंटित कृषि भूमि पर से तहसीलदार नांवा द्वारा, हरिजनों को बेदखल करने की कार्यवाही के विषय में।

(4) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा में गत 27 दिसम्बर, 1978 को श्री सुधीर जैन नामक एक छात्र की हत्या में मुलजिमों को गिरफ्तार न किये जाने के विषय में।

(5) सर्वश्री नूरा व रामकृष्णदास, सदस्य विधान सभा की ओर से कल्याण आरोग्य सदन, सांवली, जिला सीकर के कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में।

(6) सर्वश्री श्योपतसिंह मकासर, प्रद्युम्नसिंह व अब्दुल अजीज, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान अणुशक्ति परियोजना, रावतभाटा के कर्मचारियों की गत 12 मार्च से चल रही भूख हड़ताल के विषय में।

मैं इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेज रहा हूं, और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

72

शुभकामना

श्री जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के लिये शुभ कामना

श्री रघुनन्दन व्यास : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर ॥ मेरा यह निवेदन है कि माननीय श्री जयप्रकाश नारायण बम्बई के जसलोक ग्रस्पताल में बीमार है। उनके स्वास्थ्य में दिनों दिन गिरावट की रिपोर्ट ग्रा रही है। सम्पूर्ण देश में समग्र क्रांति लाने के लिए उनके ग्राभारी हैं। मेरा यह निवेदन है कि, ग्राज का सदन ग्रापके माध्यम से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले, साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिये शुभकामनाग्रों का प्रस्ताव उनकी दीर्घायु के वारे में प्रस्ताव पारित करके वहां तो भेजें। (यह जीरो ग्रावर का काम शुरू होने से पूर्व ऐसा किया जाये, ऐसा मेरा ग्रापसे निवेदन है।)

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): हाउस की भावना है कि वह बाबू जयप्रकाश नारायण तक पहुंचा दी जाये।

श्री मदनसिंह दांता : चैयर से ही भेजी जाये।

श्री परसराम मदेरणा : प्रस्ताव चेयर की तरफ से मूव कर दिया जाये। सदन में किसी को भी इस सम्बन्ध में एतराज नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : सदन की भावना के साथ मैं भी ग्रपनी भावनाएं सम्मिलित करता हूं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समग्र क्रांति के जन्मदाता, दूसरे गांधी श्री जय प्रकाश नारायण जी को ईश्वर ग्रारोग्य प्रदान करे। शीघ्रातिशीघ्र वह स्वस्थ हों। सदन की इस भावना को मैं यथोचित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास ग्रवश्य करूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न

शून्यकाल की ग्रवधि

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ग्रध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह जीरो ग्रावर 3-4 बजे तक चलता रहता है। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य सलाहकार समिति ने यह निर्णय लिया था कि एक बजे तक जीरो ग्रावर होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसके स्थान पर 3-4 बजे तक चलता है। उसके बाद जिन लोगों को बोलना होता है उन्हें समय नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि ग्राप ऐसी व्यवस्था करें कि जीरो ग्रावर एक बजे तक ही चले।

श्री ग्रध्यक्ष : यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर तो नहीं है लेकिन सुव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सब यह चाहते हैं कि जीरो ग्रावर एक बजे तक समाप्त हो जाये, लेकिन ग्रासन ग्रकेला इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने में कभी कभी विवश रहता है। माननीय सदस्यों को यही मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन कर सकता हूं कि ग्रासन को सहयोग दें ग्रौर एक बजे तक जीरो ग्रावर समाप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था कृपया करें।

स्थगन प्रस्तावों को देखते हुए यह ग्राशा है कि एक बजे तक जीरो ग्रावर चलने की है लेकिन यह निराशा में ही परिणित होगी।

प्रश्नों के सुपाठ्य उत्तर

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे क्वेश्चन के उत्तर भेजे जाते हैं और मुझे उद्योग विभाग का मिला है, उसे कोई नहीं पढ़ सकता। वह उत्तर ऐसे भेजे जाते हैं कि कोई नहीं पढ़ सकता इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि जो हमारे क्वेश्चन नहीं आये तो उनका उत्तर तो साफ आये ताकि हम उसको पढ़ सकें।

श्री अध्यक्ष : कृपया इस उत्तर को सदन की मेज पर रख दें। मैं इसको ज्यों का त्यों प्रभारी मन्त्री महोदय को भेज दूंगा। यह जीरो आवर के बाद भेज सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, विश्वविख्यात श्री गोपाल सैनी ने करीब 20 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हुए हैं....

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था के दौरान व्यवधान हो गया था और उसमें सुनाई नहीं दिया। मैं स्थगन प्रस्ताव को फिर से पढ़कर सुना दूं? अगर दोनों दलों ने यह निर्णय ले लिया है। आप इस पर बोलें तो ठीक है अन्यथा सुनाई नहीं दिया है तो स्थगन प्रस्ताव में पढ़कर पुनः सुना देता हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री रामसिंह विश्नोई, वृद्धि चन्द जैन, रणजीतसिंह, मथुरादास माथुर, खेतसिंह राठौड़ व रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस थाना विधायकपुरी में श्री परसराम मदेरणा, विरोधी दल के नेता के पुत्र श्री अशोक कुमार की पुलिस द्वारा पिटाई करने के विषय में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपनी तरफ से आज ही एक स्टेटमेन्ट दे और उसका टाइम भी 5 बजे का तय करे। 5 बजे तक के लिए मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस पर विवाद नहीं करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये गोपाल सैनी जो कि विश्व विख्यात धावक है और उच्च कोटि का राजस्थान का खिलाड़ी है और दुनियां में भिन्न-भिन्न खेलों में करीब 15 स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुका है और चांदी और कांसे के पदक भी कई प्राप्त किये हैं और सबसे हाइएस्ट डेकोरेटेड गोपाल सैनी धावक है जिसके लिए श्री बजरंगलाल जी ने कल शिक्षा की डिमांड पर रेफरेन्स दिया था, लेकिन शिक्षा मन्त्री जी ने उसको रेफर ही नहीं किया और जवाब भी नहीं दिया। तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान का गोपाल सैनी जैसा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं धावक जिसने विश्व में और एशियाई खेल-कूदों में और दौड़ों में और दुनियां के खेल-कूद जगत में अपना नाम कमाया है और मेरे ख्याल से दुनियां में इतने स्वर्ण पदक किसी भी खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हुए हैं और मेरे पास बहुत बड़ी फाइल है। श्री

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

गोपाल सैनी ने बार-बार राजस्थान सरकार को कहा कि जयपुर में वह किराये के मकान में रहता है और उसको कोई आवासीय प्लाट नहीं दिया गया, काश्त के लिए जमीन नहीं दी गयी, कैश अवॉर्ड नहीं दिए गए और उसने राजस्थान की तरफ से सब जगह राजस्थान को रिप्रेजेन्ट किया है और वह हमारे राजस्थान का गौरव प्राप्त धावक है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि दुनियां में इसकी बराबर का कोई धावक ही नहीं है जिसने इतने स्वर्णपदक प्राप्त किये हों। आपको इसका ज्ञान भी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं जवाब दे देता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुन लीजिए। उससे आपके राजस्थान का गौरव बढ़ा है और श्री गोपाल सैनी ने हमारे राजस्थान का सिर ऊंचा किया है। यह आर. ए. सी. में प्लाटून कमाण्डर था लेकिन खेलों में भाग लेने में मुश्किल पड़ती थी और इसलिए उसने वहां से नौकरी छोड़ दी और रेल्वे में जाकर कर्मचारी हुआ। उसके ही मुकाबले में श्री रामसिंह सिंधु जो एक धावक है उसने भी रेकार्ड तोड़ा है लेकिन उसको तो 50 बीघा जमीन जयपुर में दे दी तो गोपाल सैनी को क्यों नहीं दी ? और इसने 20 मैडल प्राप्त किये हैं। आज तक राजस्थान सरकार ने न कोई उसको अच्छा कैश रिवार्ड दिया है, न काश्त के लिये जमीन दी है। इसके मां-बाप गरीब हैं और यह गरीब घराने का लड़का है। इस तरह से जो खेल जगत में राज्य का नाम ऊंचा करने वाले धावक गोपाल सैनी के लिये राज्य सरकार ने अभी कोई ईनाम की घोषणा नहीं की है। हरियाणा सरकार पंजाब सरकार ने सिर्फ एक एक गोल्ड मैडल प्राप्त करने वाले को 50, 50 बीघा काश्त की जमीन अलाट की है। दुनियां के धावकों की प्रतियोगिता के लिये अब वह तैयारी कर रहा है। आल इन्डिया के पत्रों की सारी कटिंग्स मेरे पास मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय, इतना समय नहीं है। इतनी पब्लिसिटी होने के बावजूद भी राजस्थान स्पोर्टस कौंसिल की तरफ से कोई ईनाम नहीं दिए गए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

न राज्य सरकार की तरफ से उसको प्रोत्साहन दिया गया है। मैं कहता हूं गोपाल सैनी, राजस्थान का खिलाड़ी व धावक है। उसकी वजह से राजस्थान का सर ऊंचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, माननीय मुख्य मन्त्री जी तो यहां है नहीं, राजस्व मन्त्री जी बैठे हैं, माननीय केदार जी भी बैठे हैं, जो आप खुद खिलाड़ी रह चुके हैं, उनसे निवेदन करूंगा, शिक्षा मन्त्री जी से इसके बारे में शिक्षा की मांग पर कल बजरंगलालजी सदस्य का जवाब तक नहीं दिया और गोपाल सैनी का नाम तक नहीं लिया....

श्री अध्यक्ष : केदार जी खेलों के प्रेमी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जयपुर में किराये के मकान में वह रहता है, उसकी आप परवाह करते नहीं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते नहीं। उसके नाम रहवास की जमीन जयपुर में अलाट करिये। शिक्षा मंत्री जी,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

राजस्व मन्त्री जी, केनाल मन्त्री जी तीनों मन्त्री बैठे हुए हैं, इस खिलाड़ी के लिये आप आज ही अच्छी घोषणा करिये। वह आगे भी राजस्थान का नाम ऊंचा करेगा, इनसफिशियेन्ट इनाम घोषित न करें। आपको पता ही नहीं है गोपाल सैनी कोई है। आपकी तरफ से निश्चित रूप से कोई जवाब आना चाहिये था। कल शिक्षा की मांग पर....

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, सरकार घोषणा करे, उससे पहले मैं घोषणा करता हूं कि मैं एक महीने की तन्ख्वाह उनको हाजिर करूंगा।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने से अच्छा तो यह होता कि शिक्षा मन्त्री जी कल डिमाण्ड के समय घोषणा करते लेकिन मैं आज राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मन्त्री जी, राजस्व मन्त्री जी, जो कुछ दे सकते हैं, आज ही इस हाउस में घोषणा करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा पहले भी आया था। केदार जी खुद अच्छे प्लेयर रहे हैं। आसन ने भी कहा है। आपने एक साल पहले घोषणा की थी, जो अच्छे प्लेयर होंगे उसे राज्य सरकार, सेवा के अन्दर प्राथमिकता देगी परन्तु राज्य सरकार ने उस नीति की अनुपालना नहीं की है। मन्त्री महोदय मन्त्रिमण्डल से अपनी बात की पालना नहीं करवा पाये हैं। आज यह स्थिति है। खिलाड़ी की बात सदन में आ गई है। इस हाउस में बात चल रही है। दांता साहब ने कहा है कि एक महीने की तनख्वाह दूंगा। उनके मन में भावना पैदा हो गई। यह उचित नहीं होगा। किसी भी माननीय मैम्बर द्वारा किसी भी खिलाड़ी को एक महीने की तनख्वाह देना गलत है। यह राज्य सरकार की ड्यूटी है। सुनियोजित ढंग से पुरस्कार दें और यह सरकार नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इन लोगों के दिमाग में सही समय पर सही काम करना आता ही नहीं है। प्रोफेसर केदार नाथ जी की जो घोषणा है कि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, इन्टर यूनिवर्सिटी में........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राष्ट्रीय चैम्पियन में नाम कमायेंगे, राज्य सरकार इस नीति के तहत अपने आप पुरस्कार दे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और उसके चैम्पियन जो कि एशिया का भी सबसे अच्छा खिलाड़ी हैं उसके तगमें हम यहां दिखायें, हमारे लिये शर्म की बात है। किसी भी राज्य सरकार के लिये, उस देश के लिये डूब मरने की बात है, उस देश के प्लेयर की तरफ ध्यान नहीं दें। सवाल मुरब्बा का नहीं, मैं इसको गलत परम्परा समझता हूं। किसी भी खिलाड़ी के लिये आप कहीं कोई मुरब्बा अलाट कर देंगे तो कल को वह काश्त कैसे करेगा? मैं यह कहता हूं कि जिसने एशिया का रिप्रेजेन्टेशन किया है, आगे वर्ल्ड ओलम्पिक में जायेगा.......

एक माननीय सदस्य : दुनियां में हो आया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वर्ल्ड का चैम्पियन हो गया। वर्ल्ड में कोई हैसियत रखता है। उस प्लेयर के बारे में अगर राजस्थान सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया है, यह शर्म की बात है, अब तक क्यों नहीं किया ?

और दूसरी यह बात कि मेहरबानी करके कुछ तो एहसास करो। इस देश को कहां ले जाना चाहते हो। सिवाय आपस में लड़ने के आपके पास कोई काम बचा ही नहीं। जो खिलाड़ी पहले नं० पर आये, दूसरे नं० पर आये, ऐसे प्लेयर्स की सारी जिम्मेदारी, उसकी कोचिंग, उसकी डाईट, उसके बच्चों की सारी जिम्मेदारी सरकार ले। वह प्लेयर हमारे देश को शान होता है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अगर आप यह नहीं करते, यह शर्म की बात है। क्यों नहीं किया आपने ? क्या मंशा है आपकी, क्यों इतने लेट हुए, आप जवाब दीजिये ?

You are criminals.

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गोपाल सैनी का सवाल है यह वास्तव में हमारे देश का गौरव है। उसने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। यह इन्होंने जो इतने सारे पदक प्राप्त किये हैं वे पिछले साल, डेढ़ साल में प्राप्त नहीं किये हैं। पहले भी करते रहे हैं लेकिन उस समय कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस सरकार ने अभी जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि किसी प्रकार का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, मैं बताना चाहता हूं कि इसी 26 जनवरी को 2500 रुपये उसको....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पंजाब ने 20 हजार दिया है....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो ढाई हजार रुपया दिया गया है वह 26 जनवरी को जो हम सम्मान करते हैं उसके अन्तर्गत है। यह सम्मान पैसों से नहीं आंका जाता है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उस खिलाड़ी ने खेल के मैदान में ख्याति प्राप्त कर नाम कमाया है।

(व्यवधान)

आपकी शोभा के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सूरजपाल सिंह : हर बात को टालना चाहते हैं, इस स्तर पर पहुंचने में समय लगा होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो दो साल में प्राप्त की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह चार्ज लगाया है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। उसको एक मुरब्बा दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने जो सूचना दी है वह इसलिये नहीं दी है कि हमने कोई बहुत बड़ी धनराशि दी है लेकिन हमने उस का सम्मान किया है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उसने सारे संसार में नाम किया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री जी, मैं एक सवाल पूछता हूं वर्ल्ड का जो चैम्पियन रहा है, उसकी खुराक क्या होनी चाहिये, आप बताइये।

(व्यवधान)

जो वर्ल्ड का चैम्पियन रहा हो, उसको ढाई हजार से खुश करना चाहते हैं।

श्री सूरजपालसिंह : खेल जगत में उसने नाम ऊंचा किया है, राजस्थान का।

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : जवाब तो सुनने दें। क्या ३० साल में आपने यही सीखा है ?

(व्यवधान)

क्या यही लोकतन्त्र है कि दूसरों की बात ही नहीं सुने क्या इसी प्रकार आप सदन की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं ? इस सदन की गरिमा बढ़ाने की जिम्मेदारी सब की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री जी खिलाड़ी नहीं हैं, खिलाड़ी तो अध्यक्ष महोदय रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : उसकी खुराक के लिये आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं, जब वह एशियाई खेलों में जा रहा था तो उसको १५–६–७८ से १५–१२–७८ तक २००) रू० प्रति माह दिया गया है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : साढ़े तीन रुपये में खाना मिलता है ७)रु० रोज में और वह भी बिना चुपड़ी रोटी मिलती है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जिस नागरिक ने राजस्थान की ख्याति प्राप्त की उसके लिये आपके पास कोई स्कीम नहीं है। कभी कहते हैं ढाई हजार रुपया दिया और कभी कहते हैं तीन महीने के लिये उसको 600 रु. दिये। सवाल यह है कि उसको स्वयं को उठाने के लिये और उसके परिवार के लिये आप क्या दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : उसके लिये, उसके परिवार के लिये आपने क्या व्यवस्था की है ? यह कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : जो राजस्थान विधान सभा के सदस्य यहां से चले जाते हैं उनको बैठे-बैठे को तो 500 रु. देते हो और जो राजस्थान का नाम करता है, उसको 200 रु.।

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) : यह तो सही है कि उसको उचित पुरस्कार देना चाहिये और सरकार का नैतिक दायित्व भी है लेकिन जिस समय सुविधा प्राप्त की थी........

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : चरित्र निर्माण की बात कर रहे हो........

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी : आप सुन लीजिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्य केवल मात्र यही समझते हैं कि वे ही सदन में बोलने वाले हैं। लगातार किसी प्रश्न पर ये ही खड़े होकर सदन का समय खराब करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खराब नहीं, तुमको चलने नहीं देंगे। अगर इस तरह की बदतमीजी की बात करते हो....

(व्यवधान)

कोई हम तुम्हारा भाषण सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री गणेश लाल बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बोलना चाहते हैं और आप उनको जवाब नहीं देने देते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जवाब है ही नहीं भाई, मंत्री जी के पास।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : इनको अधिकार है रोकने का, आपको अधिकार नहीं है।

श्री गणेश लाल बैरागी : मैं आसन से निवेदन करता हूं........

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्य : आपने तो बहुत चरित्र निर्माण किया है न ?

श्री श्योपत सिंह मकासर : इस विधान सभा में तुम जैसे आ गये, जनता ने तुमको गलत भेजा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप सरकारी उत्तर सुन लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह ज्यादा जोर से बोलने का कौन सा तरीका है ?

श्री नूरा : आप बुलाते हो, आप बोलने क्यों नहीं देते हो ?

श्री गणेश लाल बैरागी : आपने जोर से बोलने का ठेका लिया है क्या ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपकी सरकार सही काम करेगी तो नहीं बोलेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री जी को सुनो ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार खिलाड़ियों के सम्मान के लिए हम उनको ऐसे अवसरों पर रिकगनाइज करते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त.......

(व्यवधान)

Just wait.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : केवल रिकगनाइज करने से काम नहीं चलेगा, सम्मान करना पड़ेगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वे अपना जीवन-यापन निश्चितता से चला सकें, उसके लिये सरकार को विचार करना चाहिये और इसी दृष्टि से विचार किया है । मैं निवेदन करता हूं....

(व्यवधान)

आप शान्ति से सुनेंगे तो आपको सन्तोष होगा और नहीं होगा तो फिर बता देना ।

उसके आवास के लिये कोई भू-खण्ड दिया जायगा, यह विचार यू. आई. टी. के सामने रखा गया है । उनको खेती के लिये जमीन देने का विचार चल रहा है । माननीय राजस्व मंत्री जी इस संबंध में बताना चाहते हैं । बाहर खेलने जाने की तैयारी कर रहा है तो जो कुछ मदद दी है........

श्री मदन सिंह दांता : पहले ही यह कह देते । दो सौ रुपयों की बात क्यों कर रहे थे । You should have said earlier.

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने जो किया है वह मैंने आपके सामने रख दिया है । जमीन कितनी दी जाएगी इसकी जानकारी राजस्व मंत्री महोदय पहले भी देना चाहते थे........

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले ही जवाब दे देते ।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप में यह धैर्य ही नहीं है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी का यह उत्तर एब्नार्मल है, इम्प्रोपर है और इन्होंने जो कुछ बताया है उससे हमें संतोष नहीं है । मुद्दा यह है कि प्रख्यात, ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को अपनी शारीरिक अवस्था बनाए रखने के लिए, अपने परिवार को बनाए रखने के लिए हर माह क्या आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, मुद्दा यह है ? आपने कह दिया कि खेती की जमीन देंगे तो वह खेती करेगा या स्किन को कायम रखेगा । सवाल यह है कि आप माहवारी हजार रुपया देना चाहते हैं या नहीं । आपका जवाब एलोबरेट नहीं है । आपसे काफी सवाल किये गये हैं उनमें यही है कि आप मासिक आर्थिक सहायता देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं ? आप, मंत्रियों के दौरे जो दिल्ली में होते हैं, वहां पड़े रहते हैं, उनको तो पैसा देते हैं लेकिन जो ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय ख्याति के लिए,

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

राजस्थान की ख्याति के लिए, खेलों की

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

ख्याति के लिए बाहर जाते हैं उनको क्या देना चाहते हैं ? आपकी सरकार ने इस बारे में कोई नीति नहीं बनाई है । शिक्षा मंत्री जी आप स्वयं इस मामले को देखकर पूरे मन्त्रिमण्डल में विचार करिये कि हर माहवार आप आर्थिक सहायता देने की कोई नीति बनाना चाहते हैं या नहीं । यह बात सही है कि सरकार के इस रवैये से हमारे देश के होनहार खिलाड़ी मिट्टी में मिल जायेंगे ।

श्री श्योपत सिह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कि उसे आवास के लिए देने का विचार कर रहे हैं, क्या इनके पास आवासन बोर्ड के मकान नहीं हैं, जिनके लिए एम. एल. एज. को ऑफर दे रहे हैं ..

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : पाइन्ट आफ आर्डर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री श्योपत सिह मकासर : पहले मेरी बात सुनिये, मैं एक सुझाव दे रहा हूं ।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया । उस पर माननीय सदस्य बोल लिये, मन्त्री महोदय का जवाब आ गया....

श्री श्योपत सिह मकासर : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं सुझाव देता हूं

श्री टीकमचन्द कान्त : नियमों में है कि मन्त्री के उत्तर के बाद कोई नहीं बोलेगा ।

श्री गुल मोहम्मद : सदन का बहुमूल्य समय खराब किया जा रहा है ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है ? इस समय प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : क्या इन्होंने ही सारे सदन का ठेका ले रखा है....

श्री श्योपत सिंह मकासर : तुम्हारे में दम नहीं है इसलिए बोल रहे हैं ।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्योपत सिंह जी ने अभी जो बात कही कि हम लोगों में दम नहीं है, इसलिए सवाल कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो आप इनको चैक करियेगा वरना दम की बात में तो हम इनको बोलने नहीं देंगे ।

श्री नूरा : यह गलत दम तो नहीं है । मन्त्री जी इसका जवाब क्यों नही देते हैं ? हमको मारोगे क्या ? इसके लिए समय जाएगा तो जाएगा....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हम में दम देखोगे तो दम में डूब जाओगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्योपत सिंह जी, स्थान ग्रहण करें। आप दो बार बोल चुके हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं सुझाव दे रहा हूं कि एक प्लेयर के लिए, उसकी एनर्जी मेंटेन रखने के लिए, उसका स्टेण्डर्ड कायम रहे, उसमें सुधार हो, उसकी एनर्जी कायम रहे, उससे भी आगे जाने के लिए उसको लगातार कोशिश करनी पड़ती है मन्त्री जी। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान ही ही नहीं, दुनियां के जितने बेस्ट प्लेयर होते हैं, उसका रोज का जीवन क्या होता है? उसको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी किसी प्लेयर की जिन्दगी को पास जाकर देखिए कि उसकी जिन्दगी क्या है? उसकी जिन्दगी के अन्दर किसी महीने या दो महीने का सवाल नहीं है, अपनी जिन्दगी को सारे अपने परिवार की तरफ से ध्यान छोड़ करके उसको लगातार साधना करनी पड़ती है और उसकी साधना के लिए सहयोग की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है, इसलिए मेहरबानी करके इस ओर ध्यान दें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा सुनिये। अरे सुनो तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरे करीबन तीन सप्ताह पूर्व गोपाल सैनी की एक दरख्वास्त मेरे पास आई थी। गोपाल सैनी की दरख्वास्त थी कि 25 बीघा जमीन गंगानगर जिले के अन्दर आवंटित की जावे। इस पर मैंने गंगानगर जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी है कि कौन-सी जमीन है, क्या है? वहां से जवाब आने के ऊपर जमीन का आवंटन कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिंचित या असिंचित ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं निवेदन करूं कि सिंचित भूमि देने की बात है, कौन-सी सिंचित भूमि आवंटित की जावे वह तफसील आने पर की जाएगी।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों में भी ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो ख्याति प्राप्त हैं, जो बहुत अच्छे हैं, क्या उनको भी इस प्रकार से भूमि आवंटित की जावेगी ?

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर....

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि प्रोफेसर केदार ने राजस्थान केनाल में 25 बीघा जमीन अलाट कर दी है और कागज मंजूरी के लिए मन्त्रिमण्डल के सामने हैं।

श्री मदन सिंह दांता : यह पहले ही कह देते।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह पहले ही कह देते ना।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होगी उसके बाद आप कहें। आप कृपा करके समय का भी ध्यान रखें। यह मेरा बिल्कुल निश्चित अनुभव है कि समय जान बूझ करके दबाना चाहते हैं, समय का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : इनको पता ही नहीं है कि क्या दिया है, क्या नहीं दिया है ?

श्री अध्यक्ष : आपने शिक्षा मन्त्री जी के उत्तर को भी सुनने के लिए कोई भी इच्छा ही प्रगट नहीं की। राजस्व मन्त्री जी भी खड़े हुए तब भी सुनने को इच्छुक हों ऐसा नहीं था।

श्री दिग्विजय सिंह : ताड़ना दीजिए, साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त : दो शब्द माननीय आर. के. दास गुप्ता को भी कह दीजिए, साहब।

श्री नूरा : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों का क्रम टूट गया है। आपका क्रम ऐसा है कि जिसका, जिस प्रकार का नम्बर है उसका नाम पुकारते रहे हैं, आज आपका क्रम तोड़ दिया गया है। आप देखिए, आपके हिसाब से किसका नम्बर आता है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने जो प्रस्ताव अस्वीकार किये हैं उनके और नाम कैसे पुकारूंगा ? जो जिसको बोलना होगा वह क्रम के अनुसार खड़ा होगा तो मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव सीकर के कल्याण आरोग्य हॉस्पिटल, आरोग्य सदन छावली टी. वी. के बारे में है। इसके बारे में जो आपको सूचना दे रहे हैं, उसके बाद में दूसरा स्थगन प्रस्ताव दूंगा। राजस्थान के सीकर जिले में छावली टी. वी. है जिसके बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। वहां के चालीस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को ले करके भूख हड़ताल शुरू की थी और उसका नोटिस लेबर डिपार्टमेंट को भी दिया था। लेकिन भूख हड़ताल शुरू होने के बाद पुलिस उनके टेंट उठाकर ले गई। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस मामले में उनका डेपूटेशन श्रम मन्त्री जी से मिला था और मैंने भी इस मामले में गृह मन्त्री जी से निवेदन किया था, श्रम मन्त्री जी से निवेदन किया था और वहां की चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्री जी से भी निवेदन किया था। लेकिन उन लोगों को, जो कि शांतिपूर्वक अपना आन्दोलन कर रहे थे, सीकर पुलिस ने गिरफ्तार किया और कल जाकर सैशन कोर्ट से उन हड़तालियों की जमानतें हुई हैं। इतने लम्बे समय उनकी मांग नहीं मानी, बल्कि उन पर उल्टे जुल्म किया जा रहा है। यह प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिसको वहां एक सर्वोदयी नेता चलाते हैं, जिसका नाम बद्रीनारायण सोढाणी है, जिसको तीन

(श्री नूरा)

बार लेबर मिनिस्टर ने बुलाया लेकिन बात करने तक के लिए नहीं आया। यह सर्वोदयी नेता है, मैं समझता हूं कि सब एक जैसे नहीं होते, यह सर्वोदयी हैं भी या नहीं, लेकिन सर्वोदयी के नाम से ऐसी संस्था में ये लोग रहते हैं। मैं कहता हूं कि यह सर्वोदय की नीति को बदनाम करने वाले एक कार्यकर्त्ता हैं और जब कि एक महीने तक हड़ताल चली, लेबर मिनिस्टर के बुलाने पर भी और लेबर कमिश्नर के बुलाने पर भी वह नहीं आया। मांगों को मन्जूर करने के बजाय उल्टा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं श्रम मन्त्री जी, आप इस मामले में कुछ कहें, इनकी मांगों को मन्जूर किया जाये और उन पर जो मुकदमें लगाये गये हैं वे वापिस लिए जाएं। उनकी जमानत सैशन कोर्ट में जाकर ली गई। अगर आप नहीं कहेंगे तो मुझे दुबारा इस मामले को उठाना पड़ेगा। इनके साथ जुल्म हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से मिला हूं। यह सरकार देखते हुए भी अन्धी हो रही है, सुनते हुए भी बहरी हो रही है। ऐसी सरकार के प्रति असन्तोष जरूर बढ़ेगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, इस पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए नहीं तो यह आन्दोलन बढ़ेगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी दो लाइन कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष, सीकर में यह जो टी.बी. अस्पताल है, यह एक प्रसिद्ध सेनेटोरियम है, एशिया का प्रसिद्ध सेनेटोरियम है, एशिया का प्रसिद्ध सेनेटोरियम है। माननीय सदस्य, नूरा जी ने यह कहा कि श्री बद्रीनारायण सोढाणी सर्वोदयी नहीं हैं और वे वहां पर कर्मचारियों को लूट रहे हैं। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। फिर भी जो मेरे पास में जानकारी है, उसके अनुसार श्री सोढाणी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपने साधनों से ही सावली ग्राम में टी. बी. सेनेटोरियम की की स्थापना की है। हमें उनका अनुगृहित होना चाहिए।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री नूरा जी ने जो यह प्रश्न उठाया है कि वहां के कर्मचारियों को पिछले 15 वर्षों से केवल 135/– रुपया ही मिल रहा है, तो मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से श्री सोढाणी हमारे मंत्री महोदय के साथी रहे होंगे, उनके साथ मिलकर इस समस्या का हल हो सकता है। यह एक अच्छी संस्था है, श्री सोढाणी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपने साधनों से इस संस्था को तैयार किया है और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। मन्त्री महोदय, उनसे बात करके इस समस्या को हल करें।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवेरे ही श्री सोढ़ाणी से बात की। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां जो टी. बी. अस्पताल है, वहां के चिकित्सा वार्ड में किसी ने भी हड़ताल नहीं की है। जो दूसरे कर्मचारी 20 के लगभग हैं उन्होंने अपने वेतन के सम्बन्ध

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
में हड़ताल की थी और जब उन्होंने बीमारों के लिए अस्पताल में पानी ले जाने से रोक दिया तब वहां पर पुलिस ने इन्टरवीन किया और नहीं मानने पर उनको गिरफ्तार किया गया है।

श्री नूरा : यह सूचना गलत है।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : मेरे पास जो जानकारी है, वह आप सुन लीजिए। मैंने उनसे वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में भी पूछा था। तो उन्होंने यह बताया है कि वे वेतन बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और यह कहा है कि अप्रेल में उनके ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है और उसमें इस पर विचार करेंगे। यह उन्होंने कहा है। बिना ट्रस्ट की मीटिंग के वेतन वृद्धि वे नहीं कर सकते हैं। यह सारी घटना है। जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको इस कारण से गिरफ्तार किया गया कि वे अस्पताल में पानी ले जाने से रोक रहे थे। उनको जमानत पर छोड़ दिया गया है। मैंने उनसे यह कहा है कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और वेतन वृद्धि, जल्दी से मीटिंग बुलाकर करें।

श्री नूरा : आपको जो सूचना दी गयी है, वह बिल्कुल गलत है। किसी भी कर्मचारी ने पानी ले जाने से किसी को नहीं रोका है। यह बिल्कुल गलत है। वह आदमी अपने कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में बात नहीं करना चाहता। उसके दिल में अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति नहीं है। श्रम मन्त्री महोदय, आपके पास जो रिपोर्ट है, वह बतावें। आपने कितनी बार उसको बुलाया और वह क्यों नहीं आया? उसको बुलाया गया और वह नहीं आया। यह झूठी रिपोर्ट है। आप इसकी दुबारा जांच करें। श्रम मन्त्री महोदय, आपने जो प्रयास किया उसमें आपको कहां तक सफलता मिली है? आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि आपने जो प्रयास किए हैं उसमें कहां तक उन्होंने सहयोग किया है? आपसे डेपूटेशन मिला है? आपने प्रयास किया है? आप क्यों इस बात को छिपा रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरी श्री सोढ़ाणी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। उस व्यक्ति के दिल में दया है, तभी तो टी. बी. सेनेटोरियम वहां पर चल रहा है। आपको भगवान न करे कभी टी. बी. हो जाए और आपको वहां भर्ती होना पड़े तो आपको मालूम होगा। जो व्यक्ति बीमार व्यक्तियों को पानी ले जाने से रोके, उससे अधिक नीच और छोटा काम और नहीं हो सकता है। मरीज को पानी न पहुंचने दें, यह घृणित काम है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : मन्त्री महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप इस घटना की जांच करें। आपने जो कहा है वह सरासर गलत है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। यह रिपोर्ट गलत है।

श्री दाऊदयाल जोशी : गलत इल्जाम लगाना शोभनीय नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर।

(श्री मदनसिंह दांता)

माननीय ग्रध्यक्ष जी ये जितने भी सदस्य बोले हैं ये सीकर जिले के नहीं हैं। नूरा जी ने जो बात कही है, वह सही है परन्तु यह कहना कि बद्रीनारायण सोढ़ाणी ग्रच्छे ग्रादमी नहीं हैं, यह गलत है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के समय से उन्होंने काम किया है ग्रौर ग्राज तक उनके बराबर का सामाजिक कार्यकर्ता हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुग्रा है। श्री बद्रीनारायण जी सोढ़ाणी ने जो एक चीज सीकर जिले ग्रौर इस प्रदेश को दी है, उसके मुकाबले ग्रौर कोई चीज नहीं हो सकती है। इसलिए ऐसा ग्रारोप लगाना उचित नहीं है। फिर भी माननीय नूरा ने जो बात कही है कि कर्मचारियों को 135 रुपया मिल रहा है, इस पर ग्रवश्य विचार किया जाना चाहिए।

श्री नूरा : जिसके खिलाफ यह प्रश्न उठाया गया है उससे नहीं पूछा जाना चाहिए। वहां पर जाकर इन्क्वायरी करें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिसके नाम स्थगन प्रस्ताव है उसको बोलने का ग्रधिकार है। ग्रब इसकी ग्रवहेलना की भी पराकाष्ठा हो रही है।

श्री नूरा : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राप उधर से संभालें। मैं तो ग्रपने प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं ग्रापका दोष नहीं मानता हूं। शासन पक्ष के माननीय सदस्यों को विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप के पक्ष की सरकार है। जब सरकार का उत्तर ग्रा गया है तो सदन के बहुमूल्य समय का भी ध्यान रखें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये सरकार के खुरपे हैं।

श्री नूरा : इस मामले में ग्राप जांच करवावें। ग्रापके सहयोग की मैं तो ग्राशा करता हूं। ग्रापका सहयोग मिलेगा तो समस्या सुलझेगी।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कानून ग्रौर व्यवस्था दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है।

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जी हां। 27 दिसम्बर के दिन, ठीक रात के करीब 9 बजे कोटा की ग्राम सड़क पर एक सुधीर कुमार जैन नाम के विद्यार्थी की हत्या हुई, उसको छुरा घोंप दिया गया। उस समय उसके साथ में ग्रशोक था। ग्राज कई महीने हो गये, ग्रापने जांच के लिये गुप्तचर विभाग को लगाया, जो ग्राज तक ग्रपराधी का पता नहीं लगा सका। ग्रगर इस प्रकार कोटा की ग्राम सड़क पर विद्यार्थी की हत्या हो जाये ग्रौर लोगों ने नाम बताया, ग्रशोक कुमार जैन, जिसने कहा कि मेरे ग्रौर दामोदरलाल, जो भारतीय मजदूर संघ के नेता हैं, उन्होंने नाम बताया कि मैं भी साथ था, मुझे छुरा मारने की बजाय उस गुण्डे ने उसको मार दिया। जान से मारने, कतल करने ग्रौर ग्राज तक हत्यारों का पता नहीं लगने के पीछे मैं दोष देता हूं, इसके पीछे राजनैतिक संरक्षण है। एक विद्यार्थी जो बी. काम. फाइनल में था, जिसका कोई कसूर नहीं था, सड़क पर उसकी हत्या कर

(श्री मूलचन्द डागा)
दी गई, केस गुप्तचर विभाग के सुपुर्द किया गया लेकिन कारण क्या है ? इस प्रकार के अपराधी पेशेवर हत्यारे लोग हैं खूनी हैं उनको राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है ।

(व्यवधान)

This is not the way । ये अपराधी पेशा लोग हैं, इनको राजनैतिक सरक्षण मिलता है, इनकी जांच नहीं होती, इनको कठघरे में खड़ा नहीं किया जाता । पुलिस कार्यवाही नहीं करती । यह आत्महीनता की निशानी है । मैं बार-बार कहता हूं कि हालत बिगड़ गई है । जनता पार्टी की सरकार जब से शासनारूढ़ हुई है, पुलिस नाकाम हो गई है । इसके लिये आपको अफसोस जाहिर करना चाहिये । एक जवान लड़का, जिसकी हत्या हो गई और आपकी सरकार पता नहीं लगा सकी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

न तो यहाँ पर गृह मंत्री हैं । मैंने इसके लिये सब जगह पर, सब अखबारों में और कोटा में जब पुलिस डिमाण्ड पर चर्चा हो रही थी कि कोटा और जयपुर में हत्या और अपराध बढ़े हैं........

श्री रघुनन्दन व्यास : पाली में भी बढ़े हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में भी बढ़ेंगे, अगर यही आपकी व्यवस्था रही तो जब प्रशासन है आपका, तो आपको शर्म आनी चाहिये । इसीलिये ये बेशर्म हो गये हैं । उसको 500 रुपये देने चाहे, उसने इन्कार कर दिया, तो मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, हत्यारों का पता लगाया जाय, उन का चालान किया जाय ।

श्री राम नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा और दूसरे माननीय सदस्यों का एक स्थगन प्रस्ताव भादवा ग्राम में....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं तो शायद माननीय सदस्य को बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : मुझे बताने तो दीजिये । माननीय जोशी जी विराजिये । 1970 में इनको अलाटमेंट हुआ है । अगर इनको देने की घोषणा कर रहे हैं तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा ।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : ग्राम भादवा, तहसील नावां के 28 आदमियों को 1970 में जमीन का अलाटमेंट हुआ था । अलग-अलग व्यक्ति हैं जिनको अलग-अलग खसरा नं० 189, 314, 135, 100 पर इनको अलग-अलग जमीन दी गई थी । इसके बाद एक मोहनलाल नाम के आदमी ने नियम 14 (4) के तहत कलेक्टर के पास शिकायत पेश की कि अलाटमेंट गलत है तब अलाटमेंट निरस्त कर दिये गये । इस पर इन लोगों ने अपील रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के यहां की, वह भी नामंजूर हो गई, फिर राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की गई, वह भी नामंजूर हो गई, फैसला मेरे पास है । इसमें लिखा है कि राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 19 के

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
अधीन गैर मुमकिन जमीन थी, इसलिये गवर्नमेंट का अलाटमेंट नहीं था इसलिये निरस्त करना बिल्कुल दुरुस्त है। सरकार ने इस किस्म में परिवर्तन करके उनके अलाटमेंट को बहाल कर दिया है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ निर्णय लेगे जिन्होंने........

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : यह तो अध्यक्ष महोदय........

श्री अब्दुल अजीज : राज्य सरकार के अफसर अगर गलतफहमी कर दें तो कोई कार्यवाही करेंगे क्या ? यह तो मान लीजिये हमने राज्य सरकार को इस मसले में इत्तला दी, लेकिन ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी राज्य सरकार कोई रिमार्क, कोई आक्षेप पास करेगी ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : 1970 में गलत अलाटमेंट का है....

श्री मूलचन्द डागा : किस की गलती से हुआ ? सवाल यह नहीं है कि सरकारी अधिकारियों को दण्डित किया जावे या नहीं। सवाल यह है कि नुकसान किस को हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके अधिकारी गलती करें, दोष करें और विचारे गरीबों को नुकसान हो और वे दण्डित भी न हो। यह गलती क्यों होती है ?

श्री रतनलाल वर्मा : यह गलती क्यों होती है ? मौके पर जमीन बारानी और उस को लिख दी तालाबी। मौके पर तालाबी है और लिख दी गैर मुमकिन, इतनी बड़ी गलती, राजस्व मण्डल में हजारों मुकदमें इस प्रकार के हैं। 30 साल तक कांग्रेस की सरकार में यही काम हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : तीस साल, तीस साल कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : एक गांव का नक्शा सही नहीं है। कोई इसको चैलेन्ज करे तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री मूलचन्द डागा : 22 जुलाई, 77 के बाद के नक्शे बने हैं। वह ठीक हैं क्या ?

श्री रतनलाल वर्मा : इन्होंने किसानों को लूटा है, और मैं चाहता हूं कि जनता राज में किसानों के नक्शे सही नहीं बने, उनके इन्द्राज सही नहीं हुए तो किसानों में असन्तोष फैलेगा। उनकी गलतियों को सुधारने का कष्ट करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : स्थगन प्रस्ताव अगर हम पेश करें तो इस तरह से इन्टरवीन करें बीच में।

श्री रतनलाल वर्मा : सही जानकारी देना कोई गुनाह नहीं है। सही जानकारी

(श्री रतनलाल वर्मा)
देने का आपका ही ठेका नहीं है। सदन की ठेकेदारी आपने ही नहीं ले ली है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह ठेकेदारी की बात अलग है। यह बदनसीबी है कि हमारे देश के लोगों ने यह ठेका आपको दे दिया है। यह देश के लोगों की बदनसीबी है।

श्री रतनलाल वर्मा : गलती का कारण बताया है।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय अध्यक्ष। आपने अभी आसन से यह व्यवस्था दी है कि शासन की ओर से, सत्ता दल की ओर से कुछ लोग बीच-बीच में बोल जाते हैं और सदन में गड़-बड़ होती है। आपने आसन की ओर से यह इंगित किया है। आपकी आज्ञा की अव-हेलना यह इस तरह से करें तो यह तो पराकाष्ठा है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इन लोगों के लिए जो आदेश दिये हैं, उसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आप यह बताने की कृपा करें कि राज्य सरकार ने जो यह आदेश प्रसारित किये हैं, वह आदेश जिलाधीश के पास पहुंच गये हैं? आपने यह भी देखा है कि वास्तव में इन लोगों को रिलीफ मिल गया है, उनको जमीन दे दी गई है या वह अभी विचारा-धीन है फाइलों में?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे नोटिस में जब आया, उसके बाद मैंने इसमें 26-17-9 को ही यह आदेश दिये हैं कि जिलाधीश नागौर से रिपोर्ट मंगा कर के टिप्पणी के साथ पेश करें। राजस्व आयोग को लिखा जाय और कलेक्टर नागौर को लिखा जाय कि आगामी आदेश तक इनको बेदखल नहीं किया जाय। यह मैंने लिखा है। इसके बाद यह जब सारा रिकार्ड आ गया, तब यह मैंने यहां से हुक्म दिया कि इसकी किस्म परिवर्तन कर दी जाय और कलेक्टर से यह भी मांगा जाये कि क्या इनको बेदखल तो नहीं किया गया है? यह 1979 का आदेश है, और 1979 के आदेश के अनुसार यह इसमें लिख दिया है कि उपरोक्त सन्दर्भ में ग्राम घाटवा खसरा, नम्बर इतना-इतना, किस्म तालाब को किस्म तालाब से हटाकर काबिले काश्त के दर्ज करने की राज्य सरकार की स्वीकृति की सूचना एतद्द्वारा प्रेषित है। इस भूमि पर इन अनुसूचित जाति के परिवारों के हक नियमन हेतु कार्यवाही नियमों के अनुसार अपने स्तर पर करें। यह 1979 में पहले आदेश हो गये। 2-2 को जारी हुए हैं और 2-2 के आदेश अब तक पहुंच गये होंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उनकी अनुपालना हुई कि नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय की मन्शा बड़ी स्पष्ट है और उन लोगों की वह मदद करना चाहते हैं और उन्होंने मदद भी की है। लेकिन जो अधि-कारी आदेश देते हैं उसमें एनोमोली पैदा कर देते हैं। यह आदेश की डिप्लोमेटिक भाषा है और गरीब आदमी उसमें फंस जायेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने सूची दी है प्रस्ताव के साथ और खसरा नम्बर दिये

(श्री रामनारायण चौधरी)

हैं, वह खसरा नम्बर आपके यहाँ पर मिलते हैं। आप जिलाधीश को आदेश दें कि गांधी शताब्दी वर्ष में जो भूमि का आवंटन हुआ था और टेक्निकल ग्राउण्ड पर अदालत ने केन्सिल कर दिया, और वह टेक्निकल ग्राउण्ड आपने बताया कि वह पेटे की जमीन थी और आपने उसका किस्म के परिवर्तन करने की इजाजत दे दी, तो आप केटेगरिकली आदेश दें कि इन हरिजनों को बेदखल न किया जाये और 1976 से अलाटमेंट बराबर बरकरार रखा जाना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : 28-2-79 को पुनः मेरे विभाग ने जारी किया है, आदेश जिलाधीश नागौर को उपरोक्त संदर्भ के अनुसरण में लिखा गया है कि उपरोक्त संदर्भ के अनुसरण में आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई, कृपया सूचित करें ? इसका जवाब नहीं आया।

श्री मूलचन्द डागा : पहले 2-2 को लैटर लिखा और फिर 28-2 को दूसरा लिखा है, और आज हो गई है 21 मार्च और आज तक उन पत्रों का जवाब नहीं आया।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : टेलीफोन से मालूम कर लूंगा अभी।

श्री मूलचन्द डागा : यह केवल कागजी कार्यवाही हुई है। उन लोगों को जमीन नहीं मिली है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी कागजी कार्यवाही अच्छी है, लेकिन उन गरीबों को मदद, मान्यवर, नहीं दी गई है।

श्री मूलचन्द डागा : आप उनको लिखें कि इस तारीख तक उनको कब्जा देकर रिपोर्ट दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष, मुझे बोलने दें।

श्री अब्दुल अजीज : जिलाधीश नागौर को जमीनों से उनकी बेदखली न हो यह आदेश कब दिये हैं ? उनसे क्या होने वाला है ? आप निष्कर्ष निकाल कर यह फाइंडिंग्स दें।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद मैं स्पष्ट नहीं कर सका हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : स्पष्ट तो हैं, लेकिन आपके आफिसरों की जो लैंग्वेज है ब्यूरोक्रेसी की, वह ठीक नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : इसमें आदेश है 24–1–79 का कि आगामी आदेश तक किसी शख्स को बेदखल नहीं किया जाये। इसमें पहले किस्म परिवर्तन हो गई तो उसके बाद फिर इनको भेजा गया है जिलाधीश नागौर को, कि क्या कार्यवाही की गई ? उसकी इत्तला मेरे पास नहीं आई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं, आपके मार्फत, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि किसी भी शख्स या काश्तकार को बेदखल नहीं किया जायगा और अगर बेदखल कर भी दिया गया हो तो उसको वापिस कब्जा दिला दिया जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मन्त्री महोदय यह कब तक करवा देंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं आज ही टेलीफोन से मालूम करके आपको शाम को जवाब दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका जो प्रस्ताव है वह कल ले लिया जायगा।

श्री गुल मोहम्मद : आज ही ले लें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया होगा तो वह सरकार को भेजा होगा तो टाइम लगेगा। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक मैंने ले लिया है। इसलिए दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक दिन में नहीं आ सकते। आप एक दिन के लिए शान्ति रखें।

श्री श्योपत सिंह मकांसर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की एक शानदार अणुशक्ति परियोजना, रावत भाटा भी है। पिछले साल 4 महीनों तक वहां पर कर्मचारियों को लगातार हड़ताल पर रहना पड़ा। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ देश को। राजस्थान के लोगों को बिजली नहीं मिलने की वजह से परेशानी भुगतनी पड़ी। दुर्भाग्य से यह परियोजना हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के पास है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के आश्वासन पर और गृह मन्त्री जी के आश्वासन पर वहां के कर्मचारियों के नेताओं ने उस हड़ताल को वापस लिया। एक साल गुजर गया और मैनेजमेंट जो अड़ियल रुख अपना रहा है इस वजह से और मोरारजी भाई के चिढ़े-चिढ़े और अड़ियल स्वभाव की वजह से, यह दोनों आज हमारे राजस्थान की शानदार परियोजना को कचरे की सूरत में बदलने पर तुले हुए हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, न मोरारजी भाई का न बिगड़ेगा, न उस मैनेजमेंट के लोगों का बिगड़ेगा। हमारे राजस्थान को ही नुकसान होगा। राजस्थान के मुख्य मन्त्री और श्रम मन्त्री के कहने के ऊपर, उनके आश्वासन के ऊपर उन हजारों कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल को वापस लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर एक बार मैनेजमेंट ने केन्द्रीय श्रम विभाग के आदेशों को न माना। हमारे राजस्थान का श्रम विभाग भी उसके आगे पंगु है। बावजूद कोशिशों के वहां के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने मेमोरेण्डम दिये, उन्होंने मांग पत्र पेश किये, उनका डेपूटेशन गया। मगर किसी ने भी उनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोरारजी भाई कहते हैं कि आप हड़ताल वापस लो, फिर बात करेंगे। मगर मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदार लोग, जो देश के सर्वोच्च पद पर रहते हैं अगर कर्मचारियों के मांग-पत्र को सुने नहीं, उनके डेपूटेशन पर कुछ ध्यान न दें, और फिर हड़ताल करें तो कहें कि आप हड़ताल वापस लो फिर आपकी बात सुनेंगे। क्या फर्क रहा इन्दिरा गान्धी के उस आदेश पर कि हड़ताल पर रोक लगा दी जाये और मोरार जी भाई की इस बात में कि पहले हड़ताल वापस करो, तब बात करेंगे। एक ही बात है। जब हड़ताल विथड्रा नहीं करेंगे, प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई कोई बात नहीं करेंगे। चुनाव से पहले मजदूरों

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

को बाप कहते थे। कुर्सी पर आते ही नीयत बदल गई है। आन्दोलनों का अर्थ बदल गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रधान मन्त्री के लिए जिद की बात हो सकती है। मगर हमारे प्रदेश के लिए यह परियोजना बहुमूल्य है, हमारे राजस्थान का नुकसान होता है। कर्मचारियों का दोष नहीं है। हमारे मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री के आश्वासन पर उन्होंने हड़ताल खतम की है। एक तरफ प्रधान मन्त्री जी कहते हैं कि हमने भय मुक्त कर दिया है। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी भय ग्रस्त हैं। मैं मुख्य मन्त्री को कहता हूं कि वह भय मुक्त हो जायें। हमारे राजस्थान को लॉ एण्ड आर्डर की परेशानियों को भुगतना पड़ता है। हमें परेशान होना पड़ता है। जैसा कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने ड्रामा किया है, उसी प्रकार से प्रधान मन्त्री जी ड्रामा कर रहे हैं। वह अपनी जिद पर क़ायम रहना चाहते हैं। जब कोई जिद पर अड़ जाये तो किसी को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं। डेमोक्रेसी और जिद का क्या ताल्लुक है ? अभी वहां 12 मार्च से क्रमिक भूख हड़ताल हुई है। अब 20 मार्च से यूनियन के अध्यक्ष आमरण अनशन पर हैं। केन्द्र सरकार शानदार परियोजना को कचरे के रूप में बदलना चाहती है। इस परियोजना को संभाल कर रखना हमारी राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है। मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं। श्रम मन्त्री जी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पिछले साल हजारों मजदूर हड़ताल जारी रखना चाहते थे। उसके बावजूद विरोध सहन करके मजदूर नेताओं ने हड़ताल को वापस लिया। उसका नतीजा यह हुआ कि उन नेताओं को जलील होना पड़ा। उनके वारिस बनकर आप इस सवाल को उठायें। यह केन्द्र का मामला है। लेकिन केन्द्र के सामने आपको मजबूती से बात करनी चाहिए। इस हड़ताल के सम्बन्ध में आप क्या कह रहे हैं ? दूसरा सवाल मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह है कि पिछले साल में हड़ताल के समय में 307 के झूठे मुकदमें बनाये गये। चित्तौड़ सैशन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कहा, ये झूठे हैं। हमारी राजस्थान सरकार उस मुकदमें को हाई कोर्ट में ले जाती है। क्या यही दृष्टिकोण आपका है मजदूरों के प्रति ? मैं कहना चाहता हूं, श्रम मन्त्री जी हैं, वह इस सम्बन्ध में बात करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उनको पलंग मंगवा दीजिए। उनको नींद आ रही है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्य को तो हाउस में रहने का अधिकार नहीं है। मैं तो चिन्तन और मनन कर रहा था।

श्री रतनलाल वर्मा : यह तो अकेले हैं। किस का चिन्तन कर रहे हैं ?

श्री केदारनाथ (श्रम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आर.ए.पी. कोटा में आपने हड़ताल वापिस ली थी और मान्यवर, लेबर मिनिस्टर, केन्द्र ने उन लोगों के मामले में इण्टरवीन किया है। उनके कहने पर लेबर मिनिस्टर तीन-चार बार आये। वह खुद उन नेताओं से मिले हैं। उनका

(श्री केदारनाथ)

फाइनल राउण्ड कब हुआ, यह मुझे मालूम नहीं ? उसके बाद, मजदूरों की हड़ताल कॉल आफ करने के बाद, उनके काम का परफार्मेंस बहुत अच्छा रहा है । इसमें शक नहीं है कि निगोसिएशन्स दो बार किये हैं । यह भी हुआ कि जो रीइन्सटेट करने की मांग को वह एसर्ट कम कर रहे हैं। मान्यवर, वहां पर कोई सिविल एमिनिटीज नहीं हैं । मैंने खुद वहां पर बात की है । इसमें कोई शक नहीं है कि हड़ताल काल आफ करने के वक्त यह वायदा किया था कि कोर्ट ने बरी कर दिया है तो रीइंस्टेटमेंट के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे । भूख हड़ताल खतम कर दें तो केन्द्र से बात करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आइन्दा होने वाली हड़ताल को एवाइड कर सकें । वह हड़ताल खतम कर दें । इसके लिए अपनी ओर से कहता हूं, मैं अपनी ओर से बात करूंगा ।

श्री अब्दुल अजीज : इस बात की क्या गारण्टी है ? कैसे भूख हड़ताल तोड़ेंगे ? आगे आपने 1 करोड़ का घाटा राज्य सरकार को पहुंचा दिया है । कांसीक्वेंसेज को आप क्यों नहीं सोचते है ? सारे राजस्थान का नुकसान होता है । लगभग एक करोड़ का नुकसान हुआ था जब हड़ताल हुई थी ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने नेगोसिएशन के बारे में सदन में आश्वासन दिया था । मेवाड़ टैक्सटाइल मिल में हड़ताल हुई थी तो कोई एक्शन आपने लिया है ?

श्री केदारनाथ : अभी दो दिन पहले ही आर्डर कर दिये हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : कब कर दिये ?

श्री केदारनाथ : दो-तीन दिन पहले ।

अनुपूरक अनुदान की मांगें
अनुपूरक अनुदान की मांगों, 1978-79 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । मांगों का उपस्थापन ।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं 1978-79 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन करता हूं ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन
राजस्थान विश्वविद्यालय (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति का आमेलन

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आइडियल डेयरी, रानीवाड़ा, जिला जालोर की अव्यवस्था एवं उसके कर्मचारियों की हड़ताल

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आइडियल डेयरी, रानीवाड़ा जिला जालोर की व्यवस्था एवं कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की ओर दुग्ध विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले मैं बोल दूं। एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधा भी ध्यान में रखनी है।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रानीवाड़ा डेयरी के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा है....

श्री रघुनन्दन व्यास : प्रश्न नहीं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इसके बारे में मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनमें निश्चित रूप से असन्तोष है और इस असन्तोष का मुख्य कारण यह है कि जो दूध इकट्ठा किया जाता है उसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है और साथ ही जो फेट का नाप होता है वह संकलन केन्द्र पर नहीं होकर जहां पर यह उद्योग होता है, वहां पर होता है। इन दो कारणों से वहां पर असन्तोष फैला हुआ है और इन्हीं कारणों से जो लोग वहां पर रहते हैं वे बार-बार मांग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो डेयरी है, इसकी स्थापना भारत सरकार के लाइसेंस के आधार पर हुई है। उसी के आधार पर यह डेयरी यहां पर कार्य कर रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सरकार अपने हाथ में ले ले, अगर प्रोपरली फंक्शन नहीं कर रही हो तो ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो विवरण दिया है, उन्होंने दो मुद्दे बताये हैं, यह तो फैक्ट्स हैं परन्तु माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह अपेक्षा करता था कि इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट वे सदन के सामने रखते। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कुछ फैक्ट्स आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय के विचारार्थ पेश करना चाहता हूं।

एक तो माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि पैसा समय पर नहीं मिलता है, यह फैक्ट है। अभी मैं वहां से आया हूं तो काश्तकार लोग मुझसे मिले थे। ८ लाख रुपया दूध वालों का बकाया है, जिसमें से तीन लाख का पेमेन्ट तो अभी शायद कर दिया और पांच लाख रुपयों के लगभग और अभी बकाया है। जो फेट निकाला है

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उसके आधार पर पैसा बताया है। दूसरे फेट भी सही नहीं निकालते।

दूसरा सवाल यह है कि जितने भी ट्रान्सपोर्टस हैं उनका भी पैसा बहुत बकाया है। तीसरे, जो कर्मचारीगण हैं जिनकी अस्थाई भर्ती की जा रही है, वे लोग 15-20 दिन से ज्यादा नहीं टिकते या एक महीने से ज्यादा नहीं टिकते और उनको निकाल दिया जाता है। उनमें काफी बड़ा असन्तोष है। वे लोग भी स्ट्राइक करने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम विधान सभा में इस मामले को उठायेंगे और जो बकाया आपका पेमेन्ट है, एरियर्स हैं वह शीघ्र राज्य सरकार से दिलवायेंगे। उनको केजुअल लीव नहीं मिलती, उनका दो-दो और तीन-तीन महीने के वेतन का पैसा बकाया है, कर्मचारियों का बकाया वेतन है। इस तरह से इतनी बकाया होते हुए दूसरा जो दूध लेने का एवं फेट निकालने का मामला है हमने इसको जिला कमेटी के अन्दर भी रखा और एम.एल.ए. और एम.पी. भी यहां पर आये थे। उन्होंने भी कहा कि यह क्या बात है? इसमें 23 लाख का घाटा तो हो चुका है। सौ मील का इन्होंने दूध इकट्ठा करने का लाइसेन्स ले रखा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एग्जामिन करेंगे और आगे दूध बढ़ाएंगे। इस प्रकार से बढ़ाते-बढ़ाते वे 40 हजार लीटर प्रतिदिन दूध तक तो वे पहुंच गये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, दुबारा आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि 40 हजार लीटर दूध इकट्ठा तो कर लिया लेकिन उसका लोजिनी पैसा नहीं दिया। ऐसी दयनीय स्थिति डेयरी की हो गई कि अब वापस 5 हजार लीटर दूध पर आ गई है। कहां 40 हजार लीटर दूध और कहां 5 हजार लीटर दूध। इनकी पेइंग केपेसिटी बिल्कुल खतम हो गई। फिर मैनेजिंग डाइरेक्टर ने कहा कि पाउडर का भाव गिरने से बेचा नहीं जा सका, इसलिए ऐसी हालत हो गई। दस लाख का पाउडर और भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं हुई। पाउडर का पेमेन्ट नहीं होने की वजह से सारी अव्यवस्था फैल गई और दुग्ध उत्पादकों को पैसे नहीं दिए। मोडस आपरेण्डी यह है कि नये-नये रूल्स तो लाते हैं और पुराने रूल्स छोड़ देते हैं ताकि पैसा नहीं देना पड़े। बीस दिन किसी से दूध लिया और फिर दूसरों से ले आए, फिर किसी और से ले लिया ताकि किसी को पैसा नहीं देना पड़े, ऐसा दुग्ध उत्पादकों के साथ हो रहा है।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, धोखाधड़ी हो रही है, फेट निकालने की प्रक्रिया है वह भी इनकी डिफेक्टिव है। उनका जहां पर दुग्ध सेन्टर है वहां पर जाकर फेट निकाला फिर अलग डेयरी में दुबारा फेट निकालते हैं। इससे डेयरी में तो घाटा नहीं होता क्योंकि जो फेट डेयरी में आया उसके आधार पर पैसा भेज देते हैं और दूध केन्द्र के फेट के अनुसार रकम नहीं देते हैं। आठ आना किलो तक का पैसा देते हैं और दूध देने वालों को लूटते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आठ आना ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : हाँ आठ आना। कभी एक रुपया, कभी दो रुपया, कभी आठ आना, कभी 6 आना। आप रिपोर्ट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मांग लीजिये। इसलिए, माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिये मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान का सबसे बढ़िया डेयरी प्रोजेक्ट है, यह मैं मानता हूं, लेटेस्ट मॉडल का है। इसमें पांच हजार लाख लोकल मिल्क ब्रीडर्स का है और दो लाख इन-सिक्का साहब के परिवारों के घर हैं। यह सारा पब्लिक का पैसा है, उनका कुछ नहीं है। 100 मील का क्षेत्र का इनके पास लाइसेन्स है। आपको यह तो देखना चाहिए कि लाइसेन्स में क्या-क्या शर्तें हैं? उसमें यह भी शर्त है कि अगर मैनेजमेन्ट ठीक नहीं होगा तो सरकार को उसका लाइसेन्स रद्द करने और डेयरी अपने हाथ में लेने का अधिकार होगा। इसलिए आप इसको एग्जामिन करायें। उन्होंने अभी से पैसा देना बन्द कर दिया है, उनके घर का माल थोड़े ही है, लोगों का पैसा है। एक मिस्टर सिक्का है। तीन हजार रुपये वह तनख्वाह ले जाते हैं, दो हजार रुपये उनके सुपुत्र ले जाते हैं। इस तरह से पांच हजार रुपये बाप और बेटा वेतन के ले जाते हैं। आपने अन्त्योदय योजना बनाई. दुधारु गाय और भैंस आपने जिन जिन को दिलायी, उनको क्या पैसा मिलता है? इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा—इसमें सिरोही, पाली, जालौर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों का दूध आता है। सौ मील का क्षेत्र आपने उनको दे दिया। ट्रक वालों को उन्होंने पैसा नहीं दिया। ऐसे घोटाले बाजी को आप रोकिए और डेयरी कमिश्नर के द्वारा आप इसको एग्जामिन कराके इसको आप शीघ्र टेक ओवर करेंगे। सिक्का और उसके लड़के को रखना चाहें तो आप रखिये, हमें कोई एतराज नहीं है, परन्तु डेयरी का आप इस तरह से मखौल मत करिये। डेयरी को डेयरी निगम शीघ्र ले ले।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी में लोगों का भला है।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा डेयरी का जो सवाल है जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर जिलों के दुग्ध उत्पादकों का सवाल है, इतना ही नहीं, इन सब दुग्ध उत्पादकों के हितों और हकों पर कुठाराघात हो रहा है। न इनका दूध बिक सकता है और न इनको पैसा मिलता है। इनके पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। यह सारी प्लानिंग दिल्ली में बैठ कर एक मिस्टर सिक्का अफसर हैं, उन्होंने बनाई। रानीवाड़ा आइडल डेयरी बनाम भ्रष्टाचार की जड़, भ्रष्टाचार की मां है। जिस प्रकार से माननीय रघुनाथ जी ने बताया, वहां पर दुग्ध उत्पादकों का भयंकर शोषण होता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहां तक कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलना तो सरल है लेकिन मिस्टर सिक्का से रानीवाड़ा में मिलना बहुत मुश्किल है। राज्य सरकार और भारत सरकार का इसमें पैसा लगा हुआ है, यदि आप इन पशुपालकों की और दुग्ध पालकों की स्थिति को सुधारना चाहते हो तो डी.पी.ए.पी. के नाम पर करोड़ों रुपये का बजट है। इस रानीवाड़ा डेयरी के नाम पर हमारे सारे डवलपमेंट का सत्यानाश हो

(श्री रघुनन्दन व्यास)

गया। We are cruelly murdered. हमारे इलाके के लोगों को हत्या हो गई। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि पशुपालन मन्त्री पर भारी दबाव आने वाला है It is a vested interest. मैं उनसे निवेदन करूं कि इन 4 जिलों के पशुपालकों के हित में, इस इलाके के विकास के लिए इस डेयरी को कम से कम को-आपरेटिव सैक्टर में लेने की कृपा करें। इतना ही नहीं, पुराना बकाया है, बैंकों के सारे पैसे ले लिए, कोई बैंक इसको उधार देने को तैयार नहीं है। रानीवाड़ा में जायं तो हम लोगों के कान खींचे जाते हैं। इस प्रकार की बुरी हालत हमारी हो गई है। इतना ही नहीं, इनके समय रामसिंह रेवदर सिरोही-जालौर में दूध के प्लांट जो लगाने वाले थे, वे रानीवाड़ा डेयरी के कारण रुक गए। यह साधारण सवाल नहीं है। इस प्रश्न को गम्भीरता से लें। राज्य सरकार आज घोषणा करे कि हम इस डेयरी को लेने की कार्यवाही करेंगे अन्यथा मैं कहने को विवश होऊंगा कि राज्य सरकार इन चार जिलों के पशुपालकों के साथ न्याय करने के लिए तत्पर नहीं है। उसके लिए जो भी कड़ए से कड़आ कदम हमें उठाना पड़ेगा पशुपालकों की ओर से, वह भी उठाने के लिए हम विवश होंगे। पिछले सत्र में भी यह सवाल आया था। डेयरी मन्त्री हमको आश्वस्त करें और हमारे इलाके की समस्याओं को निपटाने के बारे में हमें आज पूरा आश्वासन दें कि इतने समय में रानीवाड़ा के मेले के अवसर से पहले इस समस्या का निदान होगा, नहीं तो हमारी शामत होने वाली है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है कि किसानों को रहन रख दिया गया ...

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट ही बोलें, नहीं तो सदस्य 20-20 मिनट बोलने लग जाते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक मिनट।

मुख्य मन्त्री ने प्रश्नोत्तर काल के समय जबाव दिया था और मन्जूर किया था कि इसमें भारी अवस्था है। आखिर यह अधिकार किसने दिया है? कृषि मन्त्री जी, वह भी सिक्का है, आप भी अपना सिक्का दिखाइए, देखें किसका सिक्का बैठता है? आप तो पहुंच वाले मन्त्री हैं, देखते हैं कौनसा सिक्का-सिक्के पर बैठता है? आप अधिकारियों पर सिक्का बैठाते हैं, सब जगह सिक्का बैठाते हैं, राजस्थान में मुख्य मन्त्री के बाद आपका सिक्का है, देखते हैं कि वहां पर बैठाते हैं या नहीं?

श्री कल्याणसिंह कालवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जो सदस्यों ने जानकारी चाही है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा मैंने निवेदन किया था, इस डेयरी की जो स्थापना हुई है, यह स्थापना भारत सरकार....

श्री श्योपतसिंह मकासर : भारत सरकार ने तो दे दिया। आप क्या कर रहे हैं?

श्री कल्याणसिंह कालवी : धैर्य रखें। हम क्या करने जा रहे हैं, वह आपके सामने आ रहा है। कुछ टर्म्स कन्डीशन्स हैं,

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

जिन पर डेयरी की स्थापना हुई थी। इंडस्ट्रियल लॉ के अनुसार जहां पर 500 मजदूर जिस उद्योग में काम करते हैं तथा एक करोड़ से ज्यादा पूंजी की लागत है, उसमें राज्य सरकार यदि उचित समझती है तो भारत सरकार को लिख कर दे सकती है। यह डेयरी ऐसी है जिसमें 100 के आसपास के कर्मचारी काम करते हैं। ऐसी हालत में हमारे सामने यह कानूनी अड़चन है कि हम भारत सरकार को लिखने में समर्थ नहीं हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दुरुस्त कीजिए।

श्री कल्याणसिंह कालवी : दूसरी जो अड़चन आ रही है, मान लीजिए, जैसा अभी सिरोही से आने वाले सदस्य ने कहा कि इसको रानीवाड़ा मेले से पहले पहले हाथ हाथ में लेने की कार्यवाही कर लें। रानीवाड़ा मेले में 15-20 दिन का समय रहा है। यदि हम भारत सरकार को लिखते हैं तो जांच कमेटी बैठती है, वह जांच करती है कि क्या कारण हैं कि इस उद्योग में नुकसान हो रहा है? भारत सरकार को इसे हाथ में लेना चाहिए या नहीं? इस तरह की कार्यवाही में पड़ने पर कितना समय लगता है, आप सोच सकते हैं? रानीवाड़ा डेयरी इतनी स्पेशलाइज्ड डेयरी है, जिसमें स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, जिसको करने के लिये राज्य सरकार के पास में इतने स्पेशलाइज्ड कर्मचारी और अधिकारी हैं या नहीं यह सोचने का मुद्दा है। डेयरी में 265 लाख रुपए की लागत है। जिस तरह का भार अपने राज्य पर पड़ेगा वह भी सोचने का मुद्दा है। इसके बावजूद हम चाहते है, हमारा उद्देश्य यह है कि पशुपालकों को उसके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचे। इसके लिए हम जो कार्यवाही करना चाहते हैं, वह यह है कि डेयरी में जिनकी पूंजी लगी हुई है, जिनकी बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में सदस्यता हैं, उनके माध्यम से इस डेयरी में सुधार करने की कोशिश की जाए, उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए। उस डेयरी को नफे में पहुंचाया जाए। जो डेयरी लगाने की भारत सरकार के साथ शर्तें थीं, उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाए और जो डेयरी में नस्ल सुधार, आर्टीफिशियल इन्सेमीनेशन करना है, पशु चिकित्सा करनी है, यह सारी की सारी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जाए....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स कौन हैं?

श्री कल्याणसिंह कालवी : जैसा कि सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, इस बारे में विस्तृत जानकारी करनी चाही थी, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उनके माध्यम से तथा मेरे यहां से किसी उच्च अधिकारी को भेज कर उस डेयरी में किस तरह सुधार किया जा सकता है, दूध उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसकी विस्तृत जानकारी जल्दी से जल्दी कराऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : इसका अर्थ यह

(श्री रघुनन्दन व्यास)

हुआ कि चार जिलों में भारत सरकार की इच्छा से जो डेयरी योजना है, उसके पास इन चार जिलों के लोगों को गिरवी रख दिया गया है। 4 जिलों के दुग्ध उत्पादक यह अनुभव करें कि आने वाले चार वर्षों में कुछ भी राज्य सरकार से प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : जिस व्यक्ति ने डेयरी लगाई, वह वहां के गरीब उत्पादकों, जो जानवर पालते हैं, घास खिलाते हैं, के दूध का पैसा नहीं दे सकते और उसे राज्य सरकार बंद नहीं करवा सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि दूध के पैसे नहीं दे सकते, उन चार जिलों के किसानों को पैसा नहीं दे सकते। आप इस बारे में कदम उठायें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस डेयरी की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है, यह पिछले 18 महीने में हुई है या इससे पहले खराब थी? दूसरे, जिस प्रकार सरकार सिल्क काटन मिल्स का राष्ट्रीयकरण करती है तो क्या डेयरी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता है? क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती? इससे किसानों को कितनी हानि हुई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप लाइसेन्स की शर्तों को पढ़ें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैं सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा गया कि 4-5 जिले प्रभावित हैं, लेकिन जालौर और सिरोही के सिवाय इस डेयरी से कोई दूसरा जिला प्रभावित नहीं है....

(व्यवधान)

बाड़मेर व बालोतरा में चिलिंग प्लांट की स्थापना हो चुकी है, फालना में हो चुकी है, जोधपुर में डेयरी प्लांट लगा चुके हैं, सारे के सारे चल रहे हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : इसका मतलब जालौर, सिरोही व बाड़मेर तहसीलों के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे।

(व्यवधान)

सारे पशुपालक एक सेठ के यहां गिरवी रख दिये गये हैं और उसकी मदद करने जा रही है गवर्नमेंट।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : डेयरी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और दूध उत्पादकों को पैसा नहीं मिल रहा है। जब आप स्वयं मानते हैं तो अब आप उस डेयरी को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? यह मुद्दा है। यह मुद्दा नहीं है कि दो जिले है या चार जिले हैं। हम तो यह जानना चाहते हैं कि राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है?

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एक ऐसा पलान्ट है जो कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे अच्छे प्लान्टों में गिना जा सकता है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो क्या सिर फोड़ें उससे? पैसा नहीं दे रहा है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह तो वही बात हो गयी कि गाय तो फूटरी है लेकिन दूध नहीं दे रही है। डेयरी अच्छी है लेकिन घाटा है।

श्री कल्याणसिंह कालवी : आपको उस डेयरी के बारे में जानकारी है नहीं। जरा सुनने का तो धैर्य रखिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने खुद ने कहा है कि अव्यवस्था है और पैसा नहीं देते हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मन्त्री महोदय, आप अपने दिमाग से निकाल दें कि हमें मालूम नहीं है। हमने तो जो आपने कहा है उसको आधार मान कर कहा है। आप स्वयं मानते है कि आर्थिक;स्थिति खराब है और सुचारु रूप से काम नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, यह बतायें ? बीकानेर में भी डेयरी लगी हुई है और साल दो साल में वहां भी यह स्थिति होने वाली है। डेयरी व्यवस्था से मेरा निजी सम्बन्ध है और जानकारी है। मैं यहां जो कुछ कहता हूं वह जानकारी के बाद कहता हूं। मुझे पता नहीं मन्त्री महोदय को उनके अधिकारियों ने सही ब्रीफ किया है या नहीं।

श्री कल्याणसिंह कालवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अपने विचार आपके सामने पेश कर सकता हूं। मेरा दिमाग आपके दिमाग में नहीं घुस सकता। आप मेरे विचार को सुनने की कोशिश कीजिए।

तो जैसा सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन किया था और जैसी उन्होंने जानकारी दी थी कि डेयरी प्लान्ट हिन्दुस्तान के सबसे अच्छे प्लान्ट में से एक है लेकिन इस प्लान्ट को सुचारु रूप से कैसे चलाया जाय और इस प्लान्ट के माध्यम से दूध उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा पहुंचाया जाय–यह मूल प्रश्न है ? प्रश्न यह नहीं है कि उस प्लान्ट का क्या करें ? हम हाथ में लें या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

पहला सवाल है कि दूध पैदा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे पहुंचे ? इसके लिए हम व्यवस्था करने जा रहे हैं और मैंने यह व्यवस्था बताई है कि जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स हैं उनके माध्यम से तथा विस्तृत जानकारी लेकर इसमें कितना सुधार लाया जा सकता है, वह पहले हम कोशिश करेंगे ताकि इसमें सुधार लाया जाये। जब हमारे पास बहुत ही अच्छा प्लान्ट है, उस प्लान्ट का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकें। यह काम पहले करने का है।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के नाम तो बता दें। सारे जन प्रतिनिधि आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लोगों का पैसा लगा है और उनको असुविधा हो रही है। हम सारे उस क्षेत्र के विधायक आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह तो बतायें कि कौन-कौन बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में हैं जिनके माध्यम से यह सारी व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं ? वह नाम तो बता दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

महोदय, छोटा सा प्रश्न मैं भी पूछ लूं। पहले भी पूछा जा चुका है कि बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स के नाम बता दें और साथ ही यह भी बतायें कि जब ग्राप मानते हैं कि ग्रन्य राज्यों की डेयरी के मुकाबले सांचौर की जो डेयरी और चिलिंग प्लान्ट है वह सोफेस्टीकेटेड हो सकता है, ग्रच्छा हो सकता है, सुन्दर हो सकता है, विशाल हो सकता है लेकिन दूध उत्पादकों को ग्रन्य राज्यों के चिलिंग प्लान्ट के मुकाबले कम पैसा देते हैं तो ग्रापने यह शोषण क्यों परमिट कर रखा है ? यह भी बता दें।

श्री कल्याणसिंह कालवी : बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स के नाम हैं श्री डी. एस. चिंतामणि, श्री पी. सी. जैन, श्री के. एल. कक्कड़, श्री एस. पी. नैयर, श्री भरत गुप्ता शास्त्री, श्री डी. डब्लु. कदीर....

श्री रघुनन्दन व्यास : इनमें एक भी राजस्थान का नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कोई जागीर बख्शी है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स क्या करते हैं ? किस-किस के स्पेशलिस्ट हैं ?

श्री सूरजपाल सिंह : एक डाइरेक्टर सिक्का ने तो ग्रपने लड़के को और ग्रपाइन्ट कर दिया है। चाहे जिसको ग्रपाइन्ट कर देते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह ग्रादमी जिन्दा हैं या मर गए ? यह ग्रादमियों के नाम हैं या जानवरों के नाम हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या इसमें कोई राज्य सरकार का भी प्रतिनिधि है ?

श्री कल्याणसिंह कालवी : हमने तो बोर्ड ग्राफ डाइरेक्टर्स में जानवरों के नाम कभी ग्राते नहीं देखे। मैं यह निवेदन करना चाहता था।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ग्राप तो जानवरों के नाम की बात कर रहे हैं। मेरे यहां तो पेड़ों पर ग्रादमियों के नाम हैं जैसे कीकरसिंह है....

श्री नूरा : जैसे प्रकाश सिंह बादल है, जैसे टमाटर सिंह है उसके नाम से भी जमीन ले ली है और उस नाम का कोई ग्रादमी ही नहीं है।

श्री किशनसिंह भाटी : यह गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री नूरा : यह सही है।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : सिंधी कम्युनिटी में मिर्चूमल और मुंगड़ामल नाम होते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री राम रघुनाथ चौधरी : मन्त्री जी उत्तर देना चाहते हैं। नहीं तो यह ग्रस्पष्ट बातें रह जायेंगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मन्त्री, संसदीय कार्य) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा....

व्यवस्था का प्रश्न
बिना पूर्व सूचना मुख्य मंत्री की सदन से अनुपस्थिति

श्री रामनारायण चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। आज के बिजनेस में है वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिह शेखावत, मुख्य मंत्री निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मुख्य मन्त्री जी यहां हैं नहीं। उनकी जगह कौन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं? आपने मुख्य मन्त्री जी का नाम पुकारा है। यदि मुख्य मन्त्री जी ने आपको कोई सूचना दी हो कि मैं बाहर रहूंगा। मेरी जगह मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रस्ताव करेंगे, तब तो बात समझ में आती है। यह सूचना है नहीं। यह सदन का, आसन का अपमान है। कोई मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मन्त्री जी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सरकार का पूरा दृष्टिकोण आना चाहिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर का जवाब यह है····

श्री रामनारायण चौधरी : आप नहीं दे सकते। आप मुख्य मन्त्री नहीं बन सकते। आप अध्यक्ष भी नहीं बन सकते।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी ने जो आपत्ति उठाई, उस सम्बन्ध में मैं सूचित करना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं। मुझे यह सूचना मिली है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं अतएव इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष कोई अन्य मन्त्री महोदय रखेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें पुरानी परम्परायें हैं। भैरोंसिह जी की आपत्ति पर फैसला हुआ है। आपके प्रिडिसेसर्स ने व्यवस्था दी है। जो बिजनेस में नाम है, वह यदि नहीं हैं तो बिना आसन को सूचना दिये और बिना आसन की पूर्व अनुमति लिये····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय, आसन सूचित हो चुका है।

श्री राम नारायण चौधरी : आप हो गये या उन्होंने किया है। आप छिपाइये नहीं। आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यह प्रतिष्ठा सदन की है। पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस है। आपके प्रिडिसेसर्स की व्यवस्थायें हैं। यदि आपको मुख्य मन्त्री महोदय ने पूर्व में सूचना दी है कि वे बाहर रहेंगे और आज के बिजनेस को ट्रांजेक्ट नहीं करेंगे, उनका बिजनेस कौन मन्त्री महोदय ट्रांजेक्ट करेंगे। यह इस प्रकार की सूचना है तो वैसा फर्मायें। अगर नहीं है, तब भी आपको अधिकार है आप प्रस्ताव प्रस्तुत करवा सकते हैं। आपके अधिकारों को हम चुनौती नहीं दे सकते लेकिन जो आपकी व्यवस्थायें हैं, आपके प्रिडिसेसर्स की रूलिंग्स हैं, उनको ओवर लुक किया जायेगा, उनकी अवहेलना की जायेगी ट्रेजरी बैंचेज के द्वारा, यह अच्छी परम्परा कायम नहीं हो रही है। यही कारण है कि हमारे सदन के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर यह सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि इनको स्ट्रिक्ट करिये। इस पर आप व्यवस्था दीजिये। मान्यवर, आपकी और मुख्य मन्त्री की बातों से, मैं समझता हूं, आपको एम्ब्रेसमेंट हो सकता है लेकिन यह सदन की परम्पराओं का प्रश्न है। दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं है। आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम नारायण जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन की परम्परागत जो कुछ भी व्यवस्थायें हैं उनके प्रतिकूल कुछ भी नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे सूचित किया कि वे सदन में आज न आने के लिये विवश हैं, अतएव मैं यह उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो प्रस्ताव किया जा रहा है, वह उचित है।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइंट आफ आर्डर। आपके लिये माननीय राम-नारायण जी ने ऐसे शब्द कहे कि आप छिपाते हो। आप छिपा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय रामनारायण जी का इन्टेंशन कभी भी आसन के प्रति ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

भूल से अगर कोई वर्ड निकल भी गया है, it is a slip of tongue.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री ने कोई सूचना नहीं दी है। उनके पी० ए० द्वारा आपके पी० ए० या प्राइवेट सैक्रेटरी के पास आ गई हो लेकिन मुझे विश्वास है मुख्य मंत्री जी ने आपको लिखित में सूचना नहीं दी है। और कौन से माननीय मंत्री महोदय बिजनेस ट्रांजेक्ट करेंगे यह भी सूचना नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : यदि लिखित में मुख्य मंत्री जी ने सूचना नहीं दी है और केबिनेट के मिनिस्टर द्वारा मुझे यह सूचना देकर अवगत किया गया है तो मेरे ख्याल में ...

श्री रामनारायण चौधरी : No, Sir। हाउस इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है, वह परम्पराओं के प्रतिकूल नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है, उसकी इज्जत करेंगे लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने आपको सूचना नहीं दी ...

श्री कौशलकिशोर जैन : यह रोज समय खराब करते हैं। 20 मिनट हो गये। आप इनको बिठाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी है ...

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप कैसे कह रहे हैं, बैठ जाओ ? जैसे अध्यक्ष पद पर आप ही बैठे हों।

श्री रामनारायण चौधरी : आप भी बैठिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राम नारायण जी चौधरी से निवेदन करना चाहता हूं····

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात आसन से हो रही है। आप क्या निवेदन करेंगे ? हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मुख्य मंत्री जी को जयपुर से बाहर जाते वक्त आपको सूचित करना चाहिये था। इस महत्वपूर्ण सवाल पर इगनोर किया गया···

श्री अध्यक्ष : मुझे सूचना मिल गई है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं मिली है। यह सदन का अपमान है। आपका अपमान सदन का अपमान है। मुख्य मंत्री राष्ट्रपति नहीं, मुख्य मंत्री गवर्नर नहीं, मुख्य मंत्री इस सदन का सदस्य है। He is leader of the House.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : कोई भी मुख्य मंत्री आसन से ऊंचा नहीं है। आसन को इन्फार्म नहीं किया है तो यह आपके अधिकारों पर कुठाराघात किया है और व्यवस्थाओं को तोड़ा-मोड़ा है। चौधरी साहब का आब्जेक्शन सही मालूम पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के प्रतीक हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन के अधिकारों और गरिमा के प्रतिकूल कोई भी बात होगी तो मैं सदन के समक्ष रखूंगा।

श्री मूलचंद डागा : बराबर हो रहा है। सदन के नेता कई बैठकों में उपस्थित नहीं होते। क्वेश्चन आवर सबसे इम्पार्टेंट आवर होता है। यह सदन का अपमान है। प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से गिराने वाला प्रश्न है। मैं कई बार देखता हूं सदन के नेता ने सदन को एक मखौल समझ रखा है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर 295 में चर्चा उठाना चाहें, मेरे कक्ष में आयें, मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : कृपा आपकी। धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो इस सदन की गरिमा का प्रश्न उठा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इतना भी नहीं किया कि आपको सूचना देते।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी तो आदत पड़ गई है, सदन का समय खराब करने की।

श्री नूरा : आदत तो आपकी है।

श्री श्रवणलाल : इनको मालूम होना चाहिये, अगर कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित रहता है तो दूसरे माननीय सदस्य

(श्री श्रवणलाल)

को प्रश्न पूछनने का अधिकार दे देता है। यह जानकारी आपको होनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : रूल 295 में है। मेरा प्रश्न सीधा था। मान्यवर, आर्डर शीट में मुख्य मंत्री का नाम है, महत्वपूर्ण कमेटियों के बारे में प्रस्ताव पेश करने के बारे में। आपके पास उनका अनुरोध नहीं है कि सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में माननीय चौधरी साहब ने यह सूचना आपको दी है। मान्यवर, आप उदार हैं और आप महामना हैं इसलिये आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली में हैं। कौन होते हैं चौधरी साहब, जो यह सूचना दे रहे हैं कि वे दिल्ली में हैं। यह तो आपके पास ही सूचना होनी चाहिये थी। यह संसदीय व्यवस्थाओं की अवहेलना है और आपको कठोरता से इसको लेना चाहिये।

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब कभी सदन में कोई कानूनी मसला उठाया जाता है तो जो कोई आप कानूनी व्यवस्था देते हैं उसे इस तरह हो-हल्ले से समाप्त नहीं करना चाहिये। आपको कोई समुचित कानूनी व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री परसराय मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा के अन्दर प्रति दिन कार्य की सूची में प्रभारी मंत्रियों के नाम आ जाते हैं। उसमें जो पेपर्स ले-डाउन करने के प्रस्ताव हैं वे होते हैं। मैंने लोक सभा को देखा है। कोई भी मिनिस्टर, जिनके नाम से सदन की मेज पर पेपर ले-डाउन करने का है, अगर किसी वजह से अनुपस्थित हैं तो वे ऐसा आसन की अनुमति से ही कर सकते हैं। तब आसन यह कह सकता है कि फलां मिनिस्टर उनकी अनुपस्थिति में पेपर ले-डाउन करेगा। इसका मतलब है वह पहले परमिशन ले। यह व्यवस्था और सदन की गरिमा का प्रश्न है। लोक सभा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है? जो पेपर ले-डाउन करते हैं, अगर प्रभारी मंत्री जी नहीं है तो आसन यह कहे कि वे प्रभारी मंत्री, जो सदन के पटल पर रखने वाले थे, किसी वजह से नहीं है और फलां मंत्री को अनुमति है पेपर्स रखने की। यह सदन के मान का ही प्रश्न नहीं है बल्कि आसन के प्रति असम्मान भी है।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं तो आपकी बात को एप्रीसियेट करता हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय को कोई कानूनी व्यवस्था देने के लिये निवेदन किया था।

श्री परसराम मदेरणा : सदन की गरिमा और सम्मान बना रहे। आसन से जो अनुमति लेनी है वह तो कम से कम मंत्रिमण्डल के सदस्यों को लेनी ही चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, यह व्यवस्था प्रेक्टिस एण्ड प्रासीजर आफ पार्लियामेंट में है।

"It has been the practice that during the protracted absence of the leader of the House when Lok Sabha is in session, the Minister of Parliamentary Affairs, in consultation with the former, intimates the Speaker as to who would act as leader of the House. No formal

(श्री मूलचन्द डागा)

announcement in this regard may be made, but it must be intimated to the Speaker in writing."

Whether he has intimated to the Speaker in writing that he would not be able to come in the House ?

श्री किशनसिंह भाटी : Mr. Speaker, Sir, who so ever is in the shoes of the Chief Minister, should come well prepared so that correct presentation should be made.

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता ने जो आपत्ति उठाई है, उसके सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि लोक सभा की परम्परा उत्तम है, श्रेष्ठ है और अनुकरणीय है, लेकिन यह सदन भी सुप्रीम है और इस सदन के अन्दर जो भी व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में यह सदन ही निर्णय कर सकता है कि जो व्यवस्था है, वह उचित है या अनुचित है। आसन की गरिमा और महिमा को संरक्षण देना आपका कर्त्तव्य है। आसन इस सदन का अविभाज्य अंग है। जहां तक मुझे याद पड़ता है ऐसी वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में भूतपूर्व शासन में भी मुख्य सचेतक के द्वारा ऐसे प्रस्ताव सदन में आये हैं। रहा सवाल सूचना देने का, सूचना राइटिंग में हो, लिखित रूप में हो या कोई केबिनेट रेंक के मंत्री के द्वारा मुझे सूचना मिले – यह मेरे डिस्क्रिशन के ऊपर है। मैं आपको सूचित कर देना उचित समझता हूं, गत दो वर्षों में मेरा अनुभव है। जब मुख्य मंत्री जी कहीं गये हैं तो मुझे सूचित किया है, केबिनेट रेंक के मिनिस्टर के द्वारा सूचित किया है, टेलीफोन के द्वारा भी सूचित किया है। मेरा निवेदन है अब बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं है, बाल की खाल निकालना और तूल देना भी ठीक नहीं होगा। माननीय सदस्यों, मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि सदन की कार्यवाही आगे चलाई जाय। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं, सक्षम है इस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिये। अगर प्रस्ताव अनुचित है या कोई प्रक्रिया में खामी है तो उसे सदन स्वीकार करे या न करे। सदन में रखने की अनुमति मैं दूंगा। अब माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में।

श्री किशनसिंह भाटी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि श्रीमान् ने बताया कि संसद की परम्परा उत्तम है, श्रेष्ठ है और अनुकरणीय है, नम्बर एक, दूसरे, प्रस्ताव में कोई कमी है या नहीं यह व्यवस्था आप दें। और नम्बर तीन, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा वर्तमान व्यवस्था में कोई कमी है या नहीं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कह चुका हूं।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के सदस्यों का निर्वाचन

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

के नियम 230 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1979-80 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 1979-80 के लिये 21 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 (बी) (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 1979-80 के लिये 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि तीन वित्तीय समितियों, जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति के गठन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सदन के समक्ष आये हैं उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

व्यवस्था का प्रश्न

नियम समिति के प्रतिवेदन में वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी सिफारिशें

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा हो रहा है। वह प्रश्न यह है मान्यवर कि आपकी अध्यक्षता में जो रूल्स कमेटी है उसने महत्वपूर्ण रिकमण्डेशंस सदन को दी हैं। वे रिकमण्डेशन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और वे रिकमण्डेशंस सदन के द्वारा स्वीकृत हो जाती हैं तो यह सारा चक्कर समितियों का, बदल जाता है। आज यदि ये रिकमण्डेशंस पास हो जाती हैं तो उसके आधार पर दूसरी कमेटियों के स्वरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। संख्याओं में भी बढ़ोतरी होगी। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स से आपकी मार्फत, मान्यवर, वे भी पार्टी में रहे हैं। उन नियमों की रिकमण्डेशंस में, उनकी कंसेंट इम्पलाइड है, वे अपियर हुए थे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसमें आगे कार्यवाही करने से पूर्व आफ मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लीडर आफ दी अपोजिशन और जो विभिन्न ग्रुप्स सदन के अंदर हैं उनके लीडर्स को बुलाकर, आप अपने चैम्बर में बुला करके बात करें कि उन रिकमण्डेशंस का क्या फेट होगा ? इधर यह प्रस्ताव आ गया। इतनी महत्वपूर्ण कमेटी ने अपनी रिकमण्डेशंस की हैं। इस समिति का इतना लाइटली लें, इतनी उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखें, मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने प्रस्ताव उसमें दिलाये हैं, फिर भी उसकी रिकमण्डेशन्स के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं दिखायें, कोई आदर नहीं दिखायें यह उचित नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि आगे कार्यवाही करने से पूर्व आप इस पर गौर करेंगे और सभी को बुला कर और इन रिकमण्डेशन्स का क्या भविष्य होने वाला है, उस पर गौर करेंगे।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, सूचना के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह नियम समिति का प्रतिवेदन है उसमें मान्यवर, आपके द्वारा ही जो बातें लिखी गई हैं, मूलभूत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो-जो सिफारशें उस समिति ने की हैं वे न केवल उचित ही हैं बल्कि श्लाघनीय हैं। उनको अतिशीघ्र लागू किया जाना चाहिये। ऐसा करने से न केवल विधान सभा के कार्य में गतिशीलता आयेगी बल्कि यह सदन लोकहित के कार्यो के सुसंपादन के लिए एक प्रभावशाली माध्यम का काम कर सकेगा। अतः स्थूल रूप से तथा सिद्धांततः समिति, उप-समिति की सभी सिफारिशों और अभ्युक्तियों से सहमत है। इस पर आप, श्रीमान, ने सहमति प्रकट की है।

मैं, आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय रामनारायणजी ने प्रश्न उठाया है और नियम उप–समिति के प्रथम प्रतिवेदन में जिसको श्लाघनीय बताया गया है और आप श्रीमान् ने स्वयं उस पर सहमति प्रदान की है, राज्य सरकार उस पर विचार करे और विचार करने के बाद इन नियमों को लागू करके यह जो राजस्थान की विधान सभा है और इसका जो कार्य है, इसके द्वारा राजस्थान की तीन करोड़ जनता को, जो जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जन चेतना को लाभ पहुंचाने का काम है, उसको कर सकें। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार बिना किसी प्रकार की इधर–उधर की धोखेबाजियों के, इसको पूर्ण रूप से सम्मान दे करके, सदन में निर्णय ले करके तुरन्त कार्य करे तो हम समझते हैं कि आने वाले इतिहास में यह सदन इस राजस्थान प्रदेश को लाभ दिलायेगा। इन बातों के साथ मैं माननीय रामनारायणजी के सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा........

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में देखूंगा....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं आधा मिनट में अर्ज कर देता हूं।

मैं यह कहूंगा कि गत 16 तारीख को रूल्स कमेटी के बारे में किसी कारणवश इस सदन में जब कि न्याय विभाग और वन विभाग की डिमाण्ड पर विचार विमर्श होना था, उस समय रूल्स कमेटी के बारे में विचार–विमर्श हुआ था। यह बड़े दुःख की बात है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चर्चा होने के तुरन्त बाद में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने उसमें आब्जेक्शन रेज कराये। ट्रेजरी बैंचेज के मैम्बरों को इन्फार्म कर दिया। इस तरह का वर्ताव कर ट्रेजरी बैंचेज के लोग रूल्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष आप स्वयं हैं, को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर करना चाहते हैं, जिससे इस सदन की प्रतिष्ठा को बल ही नहीं मिलेगा बल्कि जैसा माननीय व्यासजी ने कहा कि प्रजा–तांत्रिक व्यवस्था की जड़ें और गहरी होंगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आपसे आग्रहपूर्ण निवेदन है कि रूल्स कमेटी के प्रतिवेदन को अंगीकार करने के बाद कमेटियों के चुनाव करायें। श्रीमान्, मैं एक बात और कहता हूं, उस दिन मिनिस्टर फार पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने स्वयं माना है, 16

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

तारीख को, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के इतिहास में वह काला दिन था जब मंत्री महोदय द्वारा यह माना गया कि मैंने कुछ मैम्बरान से उस रूल्स कमेटी के प्रतिवेदन में अमेंडमेंट दिलाये हैं। श्रीमान्, वह काला दिन था....

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम समिति ने अपना प्रतिवेदन रख दिया उस पर जिनको आब्जेक्शन करना था उन्होंने अपने आब्जेक्शन पेश कर दिए। अब इस पर विधिवत बहस होगी। इस पर अभी प्री-मेच्योर बहस करना नियमों के विपरीत है। इसलिये अभी इस पर बहस नहीं करनी चाहिये। अभी आप इसका हल नहीं निकाल सकते....

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम रोगी को मार करके उसका इलाज करना नहीं चाहेंगे। हम वित्तीय समितियों के चुनाव करालें तो फिर यह सम्भव नहीं होगा....

श्री ईश्वरचन्द्र : यह जो प्रस्ताव रखा गया है....

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सदस्य बोल रहे हैं, इससे सारा स्वरूप ही बदल जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : बस बीस सैकिंड।

यह आज तक की सदन की परम्परा रही है कि किसी भी कमेटी के प्रतिवेदन को ट्रेजरी बैंचेज ने इतना इग्नोरिंग ढंग से ट्रीट नहीं किया। ट्रेजरी बैंचेज की कामन राय से कुछ माननीय मैम्बरों से अमेंडमेंट दिलवाये हैं ऐसी रिपोर्ट में जिसके स्वीकार होने के बाद हाउस में कुछ चेंजेज आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के अधिकार, कर्त्तव्य और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं और उस कमेटी के चैयरमैन भी आप ही हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि माननीय चौधरी साहब के प्रस्ताव पर ट्रेजरी बैंच विचार करेगी कि इन वित्तीय समितियों के चुनावों को स्थगित कर और उस रूल्स कमेटी की रिपोर्ट को अंगीकार करके और प्रक्रिया में संशोधन करके उसके बाद चुनाव करवाये जायं।

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्ताव रखा गया है, वह पारित हो चुका है। रहा सवाल, माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी, श्री रघुनन्दन व्यास और श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने जो प्रश्न उठाया कि नियम समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है....

श्री मूलचन्द डागा : इस पर सरकार विचार नहीं कर सकती। यह तो हाउस करेगा। सरकार का कोई लेना देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य आसन को अपने विचार व्यक्त करने के लिये एक मिनट का समय भी नहीं दे सकते, खास करके जबकि मैं माननीय सदस्यों को दो दो, तीन तीन मिनट का समय दे चुका हूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : सारा समय आपका है।

श्री अध्यक्ष : मैं समय की मोनोपोली नहीं लेना चाहता हूं, मोनोपोली आफ विज-डम नहीं है, मैं भी मनुष्य हूं। हमारा जो प्रतिवेदन नियम समिति का था, माननीय नियम समिति के सदस्यगण और माननीय सदन के सदस्यों को भी मैं अवगत कराना चाहूंगा कि वह निष्पक्षता, जनतन्त्र को सुदृढ़ बनाने हेतु और इस सदन के अधिकारों को अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार को सबसे पहले विचारार्थ प्रतिवेदन भेजा गया। माननीय श्री रामनारायण चौधरी ने कहा, उस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल विपक्ष के नेता और माननीय संसदीय मन्त्री महोदय से मैं इस सम्बन्ध में परामर्श करूंगा, बल्कि मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को बुलाऊंगा, उनकी राय लूंगा। हमारा गंभीरतापूर्वक जो कुछ भी प्रतिवेदन है, वह सदन के समक्ष ग्रान रिकार्ड है। यह सदन निर्णय करेगा कि हमने जो कुछ भी प्रतिवेदन रखा है, वह ठीक है, उचित है या निकम्मा है, वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकने लायक है और उसकी ग्राह्यता के लिए क्या चाहते हैं? अतएव अभी यह प्रीमेच्योर स्टेज में इसको तूल-तबेला नहीं दें। यह गम्भीर मामला है, यह नाजुक समस्या है। आपके अधिकार अक्षुण्ण हैं, अपने अधिकारों का आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे अधिक आज मेरे से आप अगर कहना चाहें तो आपका आसन है, इसको कोसना चाहें तो कोसिये लेकिन मैं, मेरे विचार निश्चित रूप से रखता आया हूं, अभी भी रखे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आसन को पूरा सम्मान और आदर देते हुये हमने विचार रखे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हाइपोथेटिकल मैटर्स को रिपीट करके वेस्ट आफ टाइम न करें।

आय व्ययक द्वितीय अवस्था–
अनुदानों की मांगों पर चर्चा

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26, चिकित्सा की प्रस्तुति

माननीय चिकित्सा मन्त्री।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50 करोड़ 10 लाख 89 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेद की मांग ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : इसमें सम्मिलित है।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

११०

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (वनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

1. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में खराब पड़े उपकरणों को ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (वनीपार्क, जयपुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

2. जयपुर स्थित जनाना अस्पताल का नामकरण रखे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर)

श्री बजरंग लाल शर्मा (वनीपार्क, पुर)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

3. जयपुर में जिला अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. जयपुर में बालवर्ष के उपलक्ष में 400 बैड्स वाले चिकित्सालय खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

5. आयुर्वेदिक औषधालयों व उनके मुख्य कार्यालय की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. पाली बांगड़ चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था व दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये।

7. सी० ए० एस० व अन्य डाक्टरों की आवश्यक मांगों की पूर्ति न होने के कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

8. इस वर्ष मेडिकल कालेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के चयन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

9. मोबाइल सर्जिकल यूनिट के स्टाफ को उचित सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. सोजत रोड़ एवं कण्टालिया जिला पाली में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. सीयाट तहसील सोजत में एड पोस्ट खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

12. चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (नौहर)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) :

13. चिकित्सा सुविधाओं के अभाव तथा विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. परिवार कल्याण सेवाओं का विस्तार हर पंचायत केन्द्र तक करने हेतु चर्चा के लिये।

15. नौहर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के चिकित्सा की दृष्टि से समुचित विकास की समस्या के समाधान पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

16. डिस्पेन्सरीज में फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध न कराये जाने बाबत चर्चा के लिये।

17. डिस्पेन्सरियों को दी जाने वाली औषधियों की पूर्ण सप्लाई न किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

18. अस्पतालों में कम्पाउन्डर एवं नर्सो की कमी के विषय में चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा)

श्री नूरा (मसूदा) :

19. मोबाइल यूनिट चिकित्सा हेतु और अधिक संख्या में उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

20. पागल कुत्तों के काटे के लिए एन्टी रेबिक सीरम के उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

21. ग्रामीण क्षेत्र में नियमित तौर से प्रति माह कम से कम एक बार हर ग्राम में डाक्टर को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

22. जाखेड़ा तहसील डेगाना के आयुर्वेद औषधालय को 'ए' श्रेणी में बदलने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

23. बाड़मेर जिले में डिस्पेन्सरियों में डाक्टर न भेजने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में 100 रोगी शैय्याओं को 150 रोगी शैय्याओं में बढ़ाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

25, परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) :

26. मालपुरा चिकित्सालय में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

27. ग्राम मुंडावरा व नागल बानी में एड पोस्ट खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

28. थानागाजी में महिला चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. तहसील मुख्यालयों पर चिकित्सालयों में आक्सीजन सिलेन्डर उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

30. सरकार द्वारा गांवों में चिकित्सा के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :

31. सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग में व्याप्त घोर धांधली में सुधार न किये जा सकने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

32. कोटपूतली में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

33 चिकित्सा सुविधा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

34. आयुर्वेद विभाग को पंचायतों के अधीन लिया जाकर ग्रामीण स्वास्थ्य की रक्षा की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

35. भीनमाल अस्पताल को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

(श्री नाथूराम)

36. बांसवाड़ा व डूंगरपुर में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) :

37. नसीराबाद व भिनाय विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में सहायक चिकित्सा केन्द्र व रेफरल हॉस्पिटल खोले जाने पर चर्चा के लिए।

38. नसीराबाद व भिनाय क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में आयुर्वेद औषधालय खोले जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

39. नसीराबाद नगर में स्थित राजकीय सामान्य चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत किए जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

40. अलवर के जनरल अस्पताल में नई एक्स-रे मशीन की व्यवस्था कराने के बारे में चर्चा के लिये।

41. अलवर के जनरल अस्पताल को 'अ' श्रेणी का घोषित करने के पश्चात् स्टाफ व अन्य सुविधाओं के न बढ़ाये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

42. ग्राम बोमारी में चल रहे चिकित्सालय को परमानेन्ट कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

43. (1) सूरतगढ़ में टी० बी० वार्ड व सर्जन पोस्ट बाबत, (2) श्री विजयनगर, अनूपगढ़ में लेडी डाक्टर के सम्बन्ध में तथा (3) क्षेत्र में नई डिस्पेन्सरियां व एडपोस्ट खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टौंक)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

44. टौंक में शहादत अस्पताल को 150 विस्तर में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

45. संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. अस्पतालों में दवाइयों की आवश्यक मात्रा बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. मेडिकल कालेजों में रिसर्च की दवाइयों को पेटेन्ट कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

48. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले व्यय में बढ़ोतरी कराने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री करतार सिंह)

49. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तिलोनिया में मातृ शिशु एवं कल्याण केन्द्र खुलवाने बाबत चर्चा के लिये।

50. अनूपगढ़ एवं अराई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

51. किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल के विस्तार बावत चर्चा के लिये।

52. स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक ग्रामोन्मुखी बनाने बाबत चर्चा के लिये।

53. राज्य में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के विकास में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

54. चिकित्सा विभाग द्वारा योजना बना कर टी० बी० हॉस्पिटल उदयपुर में आने वाले बीमारों के सम्बन्धियों को ठहरने हेतु बनी धर्मशाला को पूरी करने की चर्चा के लिये।

55. उदयपुर क्षेत्र में केन्सर जैसी बीमारी के निदान हेतु प्राथमिकता देकर सरकारी सहयोग प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

56. आयुर्वेद विभाग में एक लम्बे समय से निदेशक का पद रिक्त होने से कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

57. श्री केशुलाल आयुर्वेदिक औषध वितरण केन्द्र, कोटा के लापता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में आयुर्वेद विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

58. वैद्यों का वेतन बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

59. राजस्थान में चलने वाली निजी औषध निर्माण संस्थाओं से आयुर्वेद विभाग दवाइयां नहीं खरीद कर बाहर से दवाइयां मंगाता है, इसकी चर्चा के लिये।

60. मलेरिया कर्मचारी संघ एवं लेब टेक्नीशियन की हड़ताल से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

61. जयपुर के जनाना अस्पताल में हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं ई० एस० आई० ई० हॉस्पिटल के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

62. ग्रामीण आंचल में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय में दवाइयों के अभाव एवं 50 लाख का बजट लैप्स होने की विषम स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

63. ग्रामीण व रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष चिकित्सा पद्धति अपनाये जाने हेतु विशेष प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) :

64. राजस्थान में चिकित्सकों को देहातों में जाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

65. आयुर्वेद चिकित्सकों के वेतनमान कम से कम पशु चिकित्सकों के समान करने हेतु व कोटा में आयुर्वेद कालेज खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

66. राजस्थान में उपलब्ध चिकित्सकों की विशेष योग्यताओं का उपयोग करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

67. गांवों में चिकित्सा के लिए दुगुनी राशि उपलब्ध कराई जावे इस पर चर्चा के लिये।

68. मकराना अस्पताल में 50 बैड्स की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

69. पिड़ावा में पी० एच० सी० को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. सुनेल पिड़ावा में लेडी डाक्टर की व्यवस्था अब तक न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

71. सम्यक चिकित्सा नीति न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां) :

72. नवीन चिकित्सालय राजनैतिक आधारों पर खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

73. अस्पतालों में दवाइयों के तथा स्टाफ के अभाव पर चर्चा के लिये।

74. परिवार कल्याण कार्यक्रम को बिल्कुल ठप्प कर देने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

(श्री रघुनन्दन व्यास)

75. मणादर ग्राम में नयी डिस्पेन्सरी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

76. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व दवाइयों के अभाव के कारण ग्रामों में होने वाली असुविधा की चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

77. बाड़मेर जिले में क्षय निवारण केन्द्र (T. B. Clinic) के भवन निर्माण में शिथिलता बरते जाने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री बंशी लाल सारस्वत (नागौर)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

78. अधिक प्रभावी एवं देश की मांग के अनुरूप व ग्राम प्रधान चिकित्सा पद्धति अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल (जैतारण) :

79. जन स्वास्थ्य रक्षक के पदों के सृजन से होने वाले फालतू खर्चों को रोकने पर चर्चा हेतु।

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला) :

80. खण्डेला की डिस्पेन्सरी को 20 विस्तर के अस्पताल में परिवर्तित करने तथा वहां उचित मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. खण्डेला में मेटरनिटी सैन्टर स्थापित करने के सम्बन्ध में तथा खण्डेला कस्बे में आयुर्वेदिक औषधालय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

82. गांवों में बसने वालों को चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिये पूरे प्रबन्ध किये जाये और मेडिकल कालेज में तथा आयुर्वेद कालेज में एडमिशन की आवश्यक शर्त गांवों में सेवा करना अनिवार्य रूप से रखी जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज)

श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं)

सु० श्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय)

श्री गोपाल सिंह (खण्डेला)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

83. ग्रामों में चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

84. जिला जालौर एवं विशेष कर तहसील सांचौर में चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध कराने में सरकार की घोर उपेक्षा की चर्चा के लिये।

85. सांचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की 30 शय्या रेफरल अस्पताल में परिवर्तन करने की सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये।

86. सांचौर तहसील में मलेरिया, खुजली आदि भयंकर बीमारियों के फैलने के खतरे की स्थिति पर चर्चा के लिये।

87. जिला जालौर में परिवार कल्याण योजना की क्रियान्विति में सरकार की भारी असफलताओं की चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) :

88. ग्राम केशवणा जिला जालौर में डिस्पेन्सरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. जालौर मुख्यालय के जिला चिकित्सालय को 150 शैय्याओं से अधिक की सुविधाएं प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये।

90. चिकित्सा क्षेत्र में व्यापार व मुनाफे की बढ़ती हुई मनोवृति से जन हित को होने वाली हानि को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

91. भीलवाड़ा नगर परिषद् के काशीपुरी में डिस्पेन्सरी न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

92. भीलवाड़ा जनरल अस्पताल को 150 के स्थान पर 250 शैय्याओं के अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. भीलवाड़ा नगर में नगरपालिका द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय को विभाग द्वारा लेने की चर्चा के लिये।

94. राजस्थान में 25% अस्पतालों को रेफरल अस्पताल बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

95. सांचरोल तथा सींगोली में एडपोस्ट तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाने, बीकरन व मांगटला में औषधालय स्थापित करने की चर्चा के लिये।

96. मांडलगढ़ रेफरल हॉस्पिटल में शल्य कक्ष तथा वार्ड निर्माण व एक्स-रे मशीन, रोगी वाहन व कुत्तों के इन्जेक्शन रखाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

97. पीपल्दा क्षेत्र में चिकित्सा विभाग में विभिन्न स्थानों पर रिक्त स्थानों

118

(श्री हीरालाल आर्य)

की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. इन्द्रगढ़, इटावा, खातौली में महिला चिकित्सक उपलब्ध कराने तथा सभी दवाखानों में दवाएं तथा बैड्स बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. नोनेरा, अयानी, बिनायका, जलोदा खातियान, माल बमोरी, छापोला, चाणदा खुर्द, नवलपुरा, पीपल्दा शुद खुर्द, लक्ष्मीपुरा, भटवाड़ा में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (नौहर):

100. परिवार कल्याण सेवाओं का विस्तार पंचायत केन्द्रों तक करने पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):

101. ब्यावर ए० के० अस्पताल को 'ए' श्रेणी में क्रमोन्नत कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर):

102. अस्पतालों की दयनीय दशा के सुधार की आवश्यकता बाबत चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद):

103. नसीराबाद नगर में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. नसीराबाद राजकीय सामान्य चिकित्सालय में अविलम्ब एक रोगी वाहन प्रदत्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री एच० एन० शर्मा (वेगूं):

105. प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध जल्द से जल्द कराने हेतु चर्चा के लिये।

106. ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोगों के निवारणार्थ लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये अनुदान की राशि में बढ़ोतरी करने की चर्चा के लिये।

श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर):

107. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर का और विस्तार कर मरीजों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक रेफरल चिकित्सालय खोल कर उनमें बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री माधोसिंह (रेवदर):

109. चिकित्सालयों में स्टाफ व दवाइयों की समुचित सप्लाई न होने बाबत चर्चा के लिये।

श्री जय नारायण सालोदिया (निवाई)।

110. चिकित्सा विभाग में नियुक्तियों, प्रमोशनों व ट्रान्सफरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के बारे में चर्चा के लिये।

111. टोंक के शाहदत अस्पताल की अव्यवस्था तथा व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

112. टोंक जिले में मलेरिया की रोकथाम में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

113. बूंदी अस्पताल में फैली अव्यवस्था से व्याप्त जन आक्रोश की चर्चा के लिये।

114. बूंदी में दो डिस्पेन्सरियां तथा तालेड़ा में रेफरल अस्पताल बनाने की चर्चा के लिये।

श्री डा० गंगासहाय (कठूमर) :

115. होमियोपैथिक कालेजों को मान्यता देने व बोर्ड में होने वाली अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. अस्पतालों में कम्पाउण्डर, नर्स व सब सैन्टरों में स्टाफ न पहुंचने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

117. प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों पर स्टाफ न होने तथा कम होने से कुम्हेर क्षेत्र की जनता में व्याप्त असन्तोष को प्रसूति गृह खोल कर तथा स्टाफ की नियुक्ति कर दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

118. स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम०एस० एवं एम० डी० छात्रों के प्रवेश में मनमानी करने पर चर्चा के लिये।

119. सवाई माधोपुर जिले के अस्पतालों में विभाग द्वारा लेडी डाक्टर की उचित व्यवस्था न करने बावत चर्चा के लिये।

120. स्वास्थ्य विभाग चिकित्सालयों में समुचित औषधियों न देने बावत चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल बैरवा (शाहपुरा)

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

121. शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में अस्पताल में डाक्टर के अभाव के

(१२८)

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

122. शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रेफरल ग्रस्पताल शीघ्र पूर्ण कराने की ग्राव-श्यकता पर चर्चा के लिये।

123. कनेछनकलां जिला भीलवाड़ा के ग्रस्पताल में एक वर्ष से डाक्टर के ग्रभाव से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

124. मानसिंह ग्रस्पताल, जयपुर में व्याप्त ग्रव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवरणलाल (हिण्डौन)

श्री उमरावसिंह गूजर (महुग्रा) :

125. जिला सवाई माधोपुर में मलेरिया एवं ग्रन्य प्रकार के रोगों को फैलने से रोकने में विभाग द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।

126. हिन्डौन में 50 बैडस् का ग्रस्प-ताल खोलने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

127. जिला सवाई माधोपुर में खोले गये प्राईमरी हैल्थ सब सैन्टर एवं डिस्पेंसरियों में स्टाफ एवं दवाइयां उपलब्ध कराने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।

128. जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में सरकार की ग्रसफलता पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

129. खारची क्षेत्र में चिकित्सा सुवि-धाग्रों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री कल्यारणसिंह सांखला (ग्रजमेर, पूर्व) :

130. गरीबों को दवायें मिलने में ग्रसुविधा तथा ग्रस्पतालों की बिगड़ती हुई व्यवस्था को सुधारने की चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) :

131. ग्रामीरण क्षेत्रों में विशेषतया रेगिस्तानी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

132. राजगढ़ में चिकित्सालय खोलने तथा पुराने चिकित्सालयों की दशा सुधारने की चर्चा के लिये।

133. राजगढ़ जनाना व मर्दाना ग्रस्प-ताल में शैय्यायें बढ़ाने व एक्स-रे मशीन को सुचारू रूप से चलाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

(श्री गंगाराम चौधरी)

134. सिविल असिस्टेन्ट सर्जन के पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चयन आवश्यक होने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

135. मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र दौसा में सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. दौसा में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. दौसा के अस्पताल में एक्स-रे मशीन का उपयोग में न आने की चर्चा के लिये।

138. दौसा के अस्पताल में फ्रिज के अभाव में दवाओं के रखे जाने की असुविधा पर चर्चा के लिये।

139. जयपुर में दो परिवार कल्याण ब्यूरों में से एक को दौसा स्थानान्तरित किये जाने की चर्चा के लिये।

140. दौसा में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में सुविधाओं को मुहैया कराने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) :

141. ग्राम वांघ में डिस्पेन्सरी एवं ग्राम दांता में 'बी' श्रेणी का अस्पताल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर(हनुमानगढ़):

142. हर बीमार को दवाई की मुफ्त व्यवस्था तथा भवनों के खर्च को कम करने की चर्चा के लिये।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

143. फलौदी तहसील में अधिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की चर्चा के लिये।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) :

144. ग्राम गनोड़ा, राजपुरा तथा गोगावास में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत(कुम्भलगढ़) :

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

145. मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीप की गत दो सालों से व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

146. ग्रामीण राजकीय चिकित्सालयों को भवन निर्माण हेतु अनुदान उपलब्ध कराए जाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

147. सिकराय क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का और विस्तार किए जाने की चर्चा के लिये ।

148. ग्रामीण चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव तथा चन्द प्रभावशाली व्यक्तियों को ही डाक्टरों द्वारा दिये जाने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

149. टौंक जिले में विभिन्न प्रकार के डाक्टरों के खाली पदों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये ।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

150. आयुर्वेदिक विभाग में वैद्यों के वेतनमान एलोपैथी के डाक्टरों के समकक्ष करने पर चर्चा के लिये ।

151. राजस्थान के अन्दर जूनागढ़ (गुजरात) की तरह का आयुर्वेदिक का पोस्ट ग्रेयूएट कोर्स खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अचलाराम (देसूरी) :

152. सादड़ी-मारवाड़ के राजकीय अस्पताल को क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये ।

वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) :

153. आयुर्वेदिक विभाग में स्थानान्तरण नीति निर्धारित कराने बावत चर्चा के लिये ।

154. आयुर्वेदिक विभाग में औषधालयों में समय पर औषधि न पहुंचने पर चर्चा के लिये ।

155. आयुर्वेदिक विभाग में वैद्यों के वेतन की असमानता पर चर्चा के लिये ।

156. आयुर्वेदिक विभाग में नये औषधालय खोलने तथा वहां पर भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

158. आयुर्वेदिक विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

159. आयुर्वेदिक विभाग में निदेशक की नियुक्ति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) :

160. आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने के लिये कोई मापदन्ड तय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

161. आयुर्वेदिक विभाग द्वारा संचालित रसायन शालाओं में समय पर औषधि उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

162. वैद्यों के वेतनमानों के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

163. राजस्थान में गुजरात की तरह आयुर्वेद की अलग से यूनिवर्सिटी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

164. आयुर्वेद कार्यालयों के भवनों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम) :

165. वैद्यों, उपवैद्यों, धात्री, कल्पदों के शिक्षण के लिए अजमेर में आयुर्वेद कालेज एवं शिक्षण केन्द्र चालू कराये जाने पर चर्चा के लिये।

166. आयुर्वेद के प्राचीन अंगों-हाड़-वैद्य, जौंक, सिगी, पाज्यकर्म आदि की रक्षा के लिए उनमें व्यापक शिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. आयुर्वेद विद्यार्थी की इन्टर्नशिप की संख्या वढ़ाने की चर्चा के लिए।

168. मलेरिया, चेचक, परिवार कल्याण विभागों में आयुर्वेद को भी स्थान देने पर चर्चा के लिये।

169 वैद्यों, उपवैद्यों, कल्पद, धात्री एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. आयुर्वेद विभाग द्वारा स्वास्थ्य-वृत्तम् के केन्द्र चलाने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूलाल (घाटोल) :

171. घाटोल डिस्पेंसरी में शैय्या वढ़ाने एक लेडी डाक्टर व एक डाक्टर की कमी पूरी करने एवं नरवाली में डिस्पेन्सरी खोली जाने बाबत चर्चा के लिए।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

172. प्रति 15 मील की परिधि में चिकित्सा सेवा व्यवस्था करने तथा सीमावर्ती रेगिस्तानी एवं जन-जाति क्षेत्रों के चिकित्सकों को विशेष सुविधायें देने तथा नर्सिग स्टाफ की पूर्ति व भ्रमणशील चिकित्सालयों की अधिक व्यवस्था व रेगिस्तानी जड़ी बूटियों आधारित चिकित्सा शोध पर अधिक ध्यान देने हेतु वित्तीय प्रावधान कराने पर चर्चा के लिये।

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर) :

173. गंगानगर जिले के बड़े कस्बों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

174. सीगोली के स्वास्थ्य उपकेन्द्र को अप ग्रेड करने तथा बीकरन मालका खेड़ा और मालका खेड़ा में औषधालय स्थापित करने की चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल बैरवा (शाहपुरा) :

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) :

175. नन्दराय जिला भीलवाड़ा की आबादी 4 हजार की होने के उपरान्त भी डिस्पेन्सरी के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली):

176. चिकित्सा निदेशालय में प्रशासनिक व्यय, फिजूल खर्ची में कमी करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

177. रामगंज मण्डी और तहसील लाडपुरा क्षेत्र में नए चिकित्सालय खोलने में, उनको क्रमोन्नत करने तथा परिवार कल्याण पर चर्चा के लिये।

श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर, पश्चिम):

178. जयपुर में आयुर्वेद विभाग में प्रशासकीय कर्मचारी कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. आयुर्वेदिक औषधालयों में फर्नीचर की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन):

180. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य हेतु सुविधाओं की अपूर्णता एवं प्रत्येक जिले में "अ" श्रेणी के अस्पताल निर्माण करने के सम्बन्ध में।

श्री हरिकृष्ण (नदबई):

181. चिकित्सा को सस्ती सुलभ बनाने, चिकित्सालयों में समुचित व्यवस्था करने एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा):

182. केशोरायपाटन अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

183. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर):

184. ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को तेज गति से व्यापक आधार पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डौली):

185. हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सेवायें बढ़ाने विशेषतः हिन्डौली में रेफरल हॉस्पिटल खुलवाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रावत राम (सुजानगढ़):

186. राजकीय अस्पतालों में दवाइयों के अभाव एवं रोगियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में मेडिकल डिस्पेन्सरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. जनसंख्या के आधार पर देहाती क्षेत्रों में एवं चूरू जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र में अधिक औषधालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री रावत राम)

189. देहाती क्षेत्रों में स्थित राजकीय औषधालयों में दवाई आदि समय पर न पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के 14 प्रतिशत प्रवेश आरक्षण को बढ़ा कर 28 प्रतिशत कराने की चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

191. पंचायत समिति सांचौर में आयुर्वेद अस्पताल खोलने में सरकार की घोर उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये।

192. सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में फूड इन्सपेक्टर की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल परमार (डूंगरपुर) :

193. अस्पतालों में व आयुर्वेदिक औषधालयों में डाक्टरों एवं वैद्यों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

194. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जिथिंग (कुशलगढ़) :

195. बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्रों में चिकित्सालयों की अव्यवस्था एवं अभाव के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरा (मसूदा) :

196. गांवों में डाक्टरों, लेडी डाक्टरों एवं रिक्त पदों को भरने बाबत चर्चा के लिये।

197. हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डिस्पेन्सरी खोलने बाबत चर्चा के लिये।

198. मसूदा हॉस्पिटल में एक्स-रे मशीन लगाने व दूसरे दर्जे में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) :

199. लाडपुरा रामगंजमण्डी तहसील में औषधियों एवं औषधालयों की भारी कमी पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

200. सिरोही अस्पताल में सफाई स्टाफ बढ़ाने तथा नया आपरेशन थियेटर बनाने हेतु चर्चा के लिये।

201. सिरोही अस्पताल को अपग्रेड करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

202. आयुर्वेदिक विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले में वन औषधि उद्यान लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. बांसवाड़ा जिले के अन्तरंग भागों में नवीन आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(126)

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) :

204. चिकित्सा विभाग में बढ़ती हुई अव्यवस्था एवं घोर धांधली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) :

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

205. आयुर्वेद औषधालयों की कमी के बारे में चर्चा के लिये ।

206. कामां क्षेत्र में नये आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

207. सी. एम. एच. ओ. कार्यालय भरतपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

208. मेडिकल विभाग में स्थानांतरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

209. तहसील टोडाभीम एवं नादौती में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

210. राज्य में मलेरिया की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा उदासीन नीति अपनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (बामनवास) :

211. ग्राम फलौदी क्वारी तहसील खण्डार (सवाई माधोपुर) में पी. एच. सी. खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भण्डार में महिला चिकित्सक की व्यवस्था तथा आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

212. ग्राम खण्डार, पाली, अनियाला, रेड़ावद, डिडामच, सिगोरकला (खण्डार) तथा सुनारी, डेकवा, खांडांना चौड़ में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेण्ड ए. एन. एम. की नियुक्तियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

213. ग्राम बालेर तहसील खण्डार तथा ग्राम बहरावण्डाखुर्द के पी. एच. सी. सेंटरों पर डाक्टरों की नियुक्तियाँ की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. श्री गंगासहाय (कठूमर) :

214. अस्पतालों में जनरेटर लगाने, टेलीफोन द्वारा वार्डों को जोड़ने पर चर्चा के लिये ।

215. अस्पतालों में खरीदी जाने वाली काटन, बैंडेज, गाज व लिन्ट, पेथेडिन इन्जेक्शन को सरकार स्वयं विभाग द्वारा तैयार करे इस पर चर्चा के लिये ।

216. अस्पतालों में भर्ती होने वाले रोगियों की देखभाल के साथ आने वाले ग्रामीणों के ठहरने की कोई उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

217. बिजोलियां, काछोला तथा बीगोद में जहां जहां पुरानी डिस्पेन्सरीज हैं वहां लेडी डाक्टर तथा मेल और फीमेल नर्स का पद और बढ़ाने की चर्चा के लिये।

218. बीकरन, मांगटलां, मोहनपुरा, गेनोली, सराना, दोवनी, गंगा का खेड़ा तथा जिन जिन पंचायतों में किसी भी तरह की औषधि सेवा नहीं है वहां आयुर्वेद औषधालय या सब सैन्टर खोलने की चर्चा के लिये।

श्री नरसींसिंह (फुलेरा) :

219. अस्पतालों में ग्रामीण जनता की अवहेलना के क्रम में चर्चा के लिये।

220. अस्पतालों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये।

221. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्रों के अभाव पर चर्चा के लिये।

222. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों व वैद्यों को विशेष वेतन व विशेष सुविधा दी जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोकस्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

223. जोधपुर अस्पतालों में अनेक प्रकार की कमियों और राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

224. चौमूं अस्पताल में स्टाफ की कमी एवं अव्यवस्था से ग्राम जनता में भारी असंतोष के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. चिकित्सा अधिकारियों के भारी संख्या में तबादलों से ग्राम जनता को असुविधा एवं तत्संबंधी नीति निर्धारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

226. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने से व्याप्त असन्तोष एवं सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. अस्पतालों में बढ़ती हुई अव्यवस्था एवं उसकी रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

228. राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां न होने से गरीब लोगों का इलाज महंगा पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229. ग्राम सिहोडी में पर्याप्त भवन बनाने के बाद भी वहां की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा सुविधा नहीं होने पर चर्चा के लिये।

230. ग्राम झाडली (सीकर) की आबादी सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 7 हजार से भी अधिक होने पर भी वहां की जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं देने पर चर्चा के लिये।

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

231. ग्राम नाथुसर नांगल (सीकर) की आबादी सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 6 हजार से भी अधिक होने पर भी वहां चिकित्सा सुविधा नहीं होने पर चर्चा के लिये।

232. ग्राम महरोली (सीकर) में विभाग द्वारा बताये गये निर्देशों पर पर्याप्त भवन व क्वार्टर्स बनाने के बाद भी डिस्पेन्सरी नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

233. चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य व सफाई के उदासीनता, परिकल्पना का अभाव व भ्रष्टाचार तथा धांधली पर चर्चा के लिये।

श्री अयूब खां (तिजारा) :

234. ग्राम गवालदा में विभाग द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण कराए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

235. नेत्र चिकित्सालय लाडनूं में शैय्याओं की संख्या को बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

236. लाडनूं अस्पताल में डाक्टरों की संख्या को बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

237. लाडनूं अस्पताल में एक्स-रे मशीन बड़ी साइज की तथा अन्य जांच उपकरण उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

238. ग्राम लेडी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में अस्पताल भवन बन जाने के बाद भी अस्पताल नहीं खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

239. प्रत्येक पंचायत मुख्य कार्यालय पर आयुर्वेद या एलोपैथी किसी भी तरह की एजेन्सी खोलने की आवश्यकता की चर्चा के लिये।

240. मेडिकल री-इम्बर्समेंट हेतु निम्नांकित मापदंड निर्धारित कराने हेतु चर्चा के लिये।

(1) 500 रु. से जिन्हें अधिक वेतन मिलता है उनका मेडिकल री-इम्बर्समेन्ट बन्द कराने।

(2) 500 रु. वेतन वालों के लिये भी रकम मेडिकल की निश्चित करने बावत।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) :

241. आसीन्द में रेफरल अस्पताल बनाने की चर्चा के लिये।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

242. जिला झुंझुनूं में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव के बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

243. कार्यालय सहायक जनाना अस्पताल, जयपुर के विरुद्ध भयंकर आरोप सिद्ध हो जाने पर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

244. भूतपूर्व जिला खाद्य निरीक्षक करौली द्वारा सैम्पल चेन्ज करने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

245. चूरू जिला अस्पताल (भरतिया) में पिछले पूरे वर्ष चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ के स्थान रिक्त रखने से हुये नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. गांवों में खोली गई डिस्पेन्सरियों में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ न भिजवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

247. अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

248. जयपुर के एस. एम. एस. व जनाना हॉस्पिटल और टी. बी. हॉस्पिटल में बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

249. जयपुर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एक महिला हॉस्पिटल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (तारानगर) :

250. तारानगर तहसील क्षेत्र के कस्बे में तथा देहाती क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

251. मकराना अस्पताल में सर्जिकल का सामान भिजवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

252. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर के चिकित्सालय में सर्जरी के आपरेशन को सफलता पूर्वक सम्पन्न करने के लिये निम्न मशीनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

1) इलैक्ट्रिक काउट्री (इलैक्ट्रोटोन)

2) एनाथीसियां मशीन

3) आर्टीफिशयल रेसिपरेटर

4) जनेरेटर फार आपरेशन थियेटर

5) इमर्जेन्सी लाइट इन ओ. टी. शैडो लैम्प

253. बाड़मेर जिले में निम्नलिखित पद रिक्त हैं जिनको तुरन्त भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये :—

1) बच्चों का विशेषज्ञ

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

2) एम. एस. आरथोपैडिक्स (सी० ए. एस.)

3) एम. एस. ई. एन. टी. (सी० ए० एस०)

4) एम. डी. ट्यूबरक्यूलासिस (तपेदिक)

5) एम. डी. पैथोलाजी

6) जूनियर स्पेशलिस्ट (जी० वाई० एन०)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

254. जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में प्रिवेंटिव एन्ड सोशियल मेडिशन्स का भारतीय स्तर का अनुसंधान केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

255. अस्पतालों, औषधालयों, आदि में अधिक औषधियां उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

256. गांवों में अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

257. अस्पतालों में फैली अव्यवस्था के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों बाबत चर्चा के लिये।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) :

258. विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों में चिकित्सालयों के भवनों पर ध्यान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

259. आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

260. राजकीय अस्पतालों में दवाइयों का अभाव एवं रोगियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

261. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में खराब पड़े उपकरणों को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विभाग में नियुक्तियों, प्रमोशनों व ट्रान्सफरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता व भाई भतीजावाद पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमुआरामगढ़) :

263. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला अधिकारियों की अनियमितताओं के बारे में तथा क्षेत्र का चिकित्सा के प्रति उदासीनता होने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

264. राजकीय अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा गरीब बीमारों को बेशुमार दवाइयां बाहर से लाने व मंहगी दवाइयों का प्रेसक्रिपशन बनाने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण डूंडी)

265. राजकीय अस्पतालों में दवाइयों की कमी के कारण होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी) :

266. चित्तौड़गढ़ जिले में अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

267. उप-स्वास्थ्य केन्द्र हथोरा, जोरावर नगर, भाखी सिहोड़ी व बुर्जा की ढाणी तहसील श्री माधोपुर (सीकर) स्वीकृत हो जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने व उनमें स्टाफ नहीं लगाने से जनता में रोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

268. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डाक्टरों की पार्टीबाजी पर चर्चा के लिये।

269. धौलपुर उपखण्ड में नवीन चिकित्सालय न खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) :

270. परिवार कल्याण सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. ग्राम उण में आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने की आवश्यकता पर व ग्राम वाला में आयुर्वेद औषधालय भवन करीब 8 साल से बना हुआ पड़ा है उसमें भी स्टाफ भिजवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. ग्राम भाद्राजून में डिस्पेन्सरी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

273. बाड़मेर जिले में चिकित्सा सुविधा का नितान्त अभाव होने पर चर्चा के लिये।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

274. मलेरिया की रोकथाम के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में टी. बी. क्लीनिक के भवन निर्माण हेतु राशि दिलाने में विभाग द्वारा उदासीनता अपनाये जाने के विषय पर चर्चा के लिये।

276. बाड़मेर जिले के प्राइमरी हैल्थ सैन्टर, डिस्पेन्सरी और चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ, दवाइयां, आदि के न होने से जनता के तीव्र असन्तोष पर चर्चा के लिये।

277. बाड़मेर नगर के चिकित्सालय में एम्बूलेन्स गाड़ी के अविलम्ब व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चचा के लिये।

132

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

278. राज्य सेवा में सभी डिप्लोमा धारियों को डिप्लोमा ग्रेड दी जाती है परन्तु नर्सिंग डिप्लोमाधारियों को यह ग्रेड नहीं दी जाती है, इस पर चर्चा के लिये।

279. नर्सिंग सेवा महत्वपूर्ण सेवा है परन्तु आज दिन तक उक्त सेवा वर्ग का सर्विस मेनुअल नहीं बनाया गया है, इस पर चर्चा के लिये।

280. मेल नर्स ग्रेड (द्वितीय), स्टाफ नर्स तथा मेल नर्स ग्रेड प्रथम एवं सिस्टर की पे-स्केल में अधिकतम में कोई फर्क नहीं है, इस पर चर्चा के लिये।

281. ट्रेन्ड नर्सेज एसोसियेशन राज्य शाखा के मांग पत्र पर लम्बे समय व्यतीत हो जाने पर भी आज दिन तक कोई निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

282. नर्सिंग स्टाफ की पदोन्नति के सन्दर्भ में करीब 20 साल से डी. पी. सी. की बैठक नहीं हुई जिससे कई कर्मचारियों का भविष्य अन्धकार में है, इस पर चर्चा के लिये।

283. एक ही सेवा वर्ग के कर्मचारियों यथा-मेल नर्स तथा फीमेल नर्सों में सैक्स के अनुसार अन्तर सेवा नियमों में रखने से मेल नर्सों में व्याप्त असन्तोष एवं 1972 से सरकार द्वारा निरन्तर सेवा नियमों में संशोधन करने संबंधी आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

284. नाहरी का नाका क्षेत्र में एक जिला अस्पताल वर्तमान टी. बी. सेनटोरियम के स्थान पर कायम करने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

285. नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड की कामचलाउ डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत कर वहां की आबादी की दृष्टि से 'ए' ग्रेड में तबदील करने पर चर्चा के लिये।

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल)

श्री बालचन्द आर्य (डग)

श्री लालूदास (फलासिया)

श्री शिवकरण बुहाड़िया (फागी)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

286. जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल में निर्धन मरीजों को निःशुल्क औषधियां देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

287. प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं अन्य दवाखानों में दवाओं का बजट बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. इन्टरनशिप से डाक्टर को कोई ठोस लाभ नहीं मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये।

289. प्रत्येक मेडिकल कालेज में एक-एक विषय पर स्पेशलाइज़ करने के प्रावधान पर चर्चा के लिये।

290. सन् 1978 में जो प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था उसमें जो छात्र उत्तीर्ण हो गये थे उनका एडमीशन हो गया परन्तु उनको नहीं लिया गया और दूसरे छात्रों को ले लिया गया जिससे छात्रों में भारी असन्तोष के विषय पर चर्चा के लिये।

291. सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने पर चर्चा के लिये।

292. सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब-करीब सारी एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी हैं और नयी लगाई नहीं जा रही इस पर चर्चा के लिये।

293. मेडिकल कालेज में पढ़ाई के मामले में दिनों-दिन गिरावट के लिये।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

294. जोधपुर में नर्सिंग होस्टल का तत्काल निर्माण करवाने हेतु बजट प्रावधान करवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

295. महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में मानवीय आवश्यकतायें :—

(1) फ्लश शौचालय—32

(2) स्नान गृह—55

(3) पेशाब घर—28

(4) वास बेसिन– 13

(5) क्लीनर सिंक—10

(6) नर्सिंग स्टाफ

(7) सफाई कर्मचारी

(8) शुद्ध पानी व सफाई हेतु जलाशय निर्माण की तत्काल पूर्ति करने की मांग पर चर्चा के लिये।

296. क्षय रोग चिकित्सालय, जोधपुर का विस्तार और शैय्याओं की संख्या बढ़ाने की मांग पर चर्चा के लिये।

297. महात्मा गांधी अस्पताल और उम्मेद अस्पताल में शैय्याओं की संख्या बढ़ाने की मांग पर चर्चा के लिये।

298. जोधपुर में उम्मेद हॉस्पिटल के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति—

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 25 फ्लश शौचालय।

(2) 50 के. वी. एक विद्युत जनेरेटर

(3) 150 छत पंखे।

134

(श्री माधोसिंह कछवाह)

(4) आपरेशन थियेटर में इन्स्ट्रूमेन्ट्स, इक्यूपमेन्ट और अन्य कार्य के लिये धन राशि।

(5) नर्सों की कमी शीघ्रता से पूरी करने की मांग पर चर्चा के लिये।

299. हाउस आफिसर्स संख्या जयपुर 90, उदयपुर 56, बीकानेर में 52 आदि को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में 35 के बजाय 60 करने की मांग की चर्चा के लिये।

300. जोधपुर में न्यूरो सर्जिकल वार्ड स्वीकृत करने की मांग पर चर्चा के लिये।

301. महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में इन्टेंसिव थेरेपी यूनिट के लिए आवश्यक स्टाफ और ब्लड गैस अनेलाइजर यन्त्र आदि की पूर्ति हेतु सात लाख रुपयों की धन राशि की मांग पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) :

302. राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

303. सी. एम. एच. ओ. जयपुर द्वारा कर्मचारियों के किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति करवाने हेतु चर्चा के लिये।

304. सी. एम. एच. ओ. जयपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रणजीत सिंह राठौड़ (ओसियां) :

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

305. स्वास्थ्य विभाग में फर्नीचर व पलंगों के खरीद के मामले में भयंकर घोटाले होने के संबंध में चर्चा के लिये।

306. स्वास्थ्य विभाग में खरीद के मामलों में भयंकर घोटाले होने की वजह से राजकीय कोष का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों का क्रम

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकारलाल चौहान।

श्री ओंकार लाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग की मांग आज हाउस के समक्ष प्रस्तुत है....

श्री माधोसिंह कछवाह : अध्यक्ष मोहदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेष अधिकार की रक्षा नहीं होती है, बल्कि राजस्थान की सारी जनता की, जो यह सदन है, उसके ये चुने हुए प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। मैंने कल आसन से यह जानकारी चाही थी कि माननीय सदस्यों के बोलने की जो सूची है, उसके क्रम की सूचना से नाम पुकारे जा रहे हैं, या जो कटौती प्रस्ताव का क्रम है, उसके अनुसार या अन्य कोई सूची है, उसके क्रम से सदस्यों के नाम पुकारे जा रहे हैं? इसकी जानकारी मैंने कल

(श्री माधोसिंह कछवाह)

ग्रासन से चाही थी। मैंने कल निवेदन किया था। दो दफा जाकर निवेदन करने पर इतनी भी जानकारी नहीं मिलती है तो किस प्रकार से हमारे विशेष ग्रधिकारों की रक्षा होगी? मैं ग्रापसे विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इतना तो बता दिया जाए कि कौन सा नाम कब ग्राने वाला है, ताकि माननीय सदस्य चाय पी सकें, टेलीफोन पर बात कर सकें, जो नागरिक उनसे मिलने ग्रावें उनसे वे मिल सकें। इसके लिए भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाए। कल मुझे इस बात के लिए सदन से बहिर्गमन करना पड़ा। यदि सूचना नहीं दी गयी। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी हमारे ऊपर मेहरबानी है। ग्राप उदार रहे हैं। ग्राप हमारे हितों के रक्षक हैं। इसलिए इस पर ग्रापका निर्देश, मार्ग-दर्शन चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे दल को कल दो मिनट का भी समय नहीं दिया गया।

श्री ग्रध्यक्ष : सबको समय मिलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, जोधपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मेरी राय में ग्रासन को ग्रसिस्टेन्स के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, इस सदन में कभी भी, किसी भी माननीय सदस्य द्वारा किसी प्रकार की जानकारी चाहने पर कि, उसका नाम किस क्रम में है ग्रौर किस तरह से ग्रासन द्वारा नाम पुकारे जा रहे हैं, यह परम्परा बताने की या स्पष्टीकरण देने की नहीं रही है। ग्रासन पर इस प्रकार का एसपरसन का यह पहला मौका है। पहले कभी भी इस प्रकार का एसपरसन ग्रासन पर नहीं किया गया है। ग्रासन किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देने को तैयार नहीं है। ग्रासन किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा। चाहे वह सूची चीफ-व्हीप ने दी हो या कोई दूसरी सूची हो, चाहे वह कटौती प्रस्ताव के ग्राधार पर तैयार की गई सूची हो। ग्रासन की तरफ से नाम पुकारा जाता है ग्रौर उस समय माननीय सदस्य बोलते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यदि माननीय सदस्यों को यह मालूम हो गया कि उनका नाम इस क्रम में है तो वे सदन में नहीं बैठकर बाहर घूमते रहेंगे ग्रौर नम्बर ग्राने पर बोल कर वापिस चल देंगे। इसलिए माननीय सदस्यों को यहां पर बराबर बैठना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ग्रौर जब ग्राप उनका नाम पुकारेंगे तब वह उसका फायदा उठायेगा। उसे यहां बैठ कर ग्रापकी ग्रांख पकड़नी पड़ेगी। यह चीफ-व्हीप की सूची नहीं है। यह ग्रासन की सूची है ग्रौर नाम पुकारना ग्रौर किस क्रम में लेना यह ग्रासन के विवेक पर है, उसका डिस्क्रिशन है। यह हमेशा रहा है। ग्रासन कोई स्पष्टीकरण, इस सम्बन्ध में नहीं दे। यह मेरा निवेदन है।

श्री मदन सिंह दांता : इसके उपरान्त भी जिस किसी का पेट दुखे वह नेता महोदय के पास जावें।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधो सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह

(136)

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, एक सुविधा का प्रश्न है। आसन के अधिकारों से यह कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। अभी जो परम्परा इस सदन में चल रही है, वह यह है कि मुख्य सचेतक द्वारा सदस्यों के नाम दिए जाते हैं। कटौती प्रस्तावों पर बोलने के सम्बन्ध में आसन को अधिकार है उसमें आंशिक परिवर्तन करने का। अगर किसी सदस्य को पूछना है कि अमुक सदस्य का नाम किस क्रम पर है तो यह आसन की गरिमा के प्रतिकूल नहीं है, सूचना देना, जो सदस्य चाहते हैं। माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाएगा, एक या दो माननीय सदस्य बोल लेंगे, उसके बाद पुकारा जाएगा। अगर सूची में अल्प संख्यक, परिगणित जाति, पिछड़ी जातियों के माननीय सदस्य का नाम नहीं हो तो अध्यक्ष को यह अधिकार है, उसमें वह परिवर्तन कर सकेगा।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। बजट भाषण हो, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, डिमान्ड हो, इस पर जो बहस होती है उसमें अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को मौका नहीं मिल रहा है बोलने का....

श्री अध्यक्ष : मैं तो यह चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति की रिपोर्ट पर भी सदन में डिस्कशन हो।

श्री श्रवणलाल : चार साल से रिपोर्ट नहीं रखी जा रही है।

आप से ही हम कह सकते हैं। हम कहां जाएं ? दो-चार जो इनके चम्मचे हैं वे तो रोजाना बोलते हैं। उनको ही मौका दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप मुझ से मेरे कक्ष में भी मिल सकते हैं। मैं आपके अधिकारों की रक्षा करने की पूर्णतया चेष्टा करूंगा, लेकिन कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है वह शिरोधार्य है। यदि आप लिस्ट पढ़कर सुनाने लगे तो माननीय सदस्य यह समझेंगे कि मेरा नाम तीसरे स्थान पर है या आठवें नम्बर पर है तो यहां पर जो दो-तीन बोलने वाले हैं वे ही माननीय सदस्य बैठे रहेंगे बाकी सब यहां से चले जायेंगे और अगर आपने इस तरह का आदेश दिया तो यह निश्चित तौर से तय है कि आपको हर पन्द्रह मिनट पर कोरम के लिए घंटी बजानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई माननीय सदस्य यह चाहता है कि आसन उसको उसकी क्रम संख्या से अवगत करा दे तो उसमें कोई बुरी बात, मेरे ख्याल से नहीं है। आप अनुभवी सदस्य हैं। माननीय सदस्य, बजट के सम्बन्ध में जब लोक सभा में कोई चर्चा होती है तो कभी-कभी ऐसा देखने में आता है, 540 की सदस्य संख्या वाले सदन में केवल 10-12 सदस्य ही बैठे रहते हैं। कटौती प्रस्ताव के संबंध में कोई क्रम बता दें तो क्या होगा ? लोकसभा में जो व्यवस्था है, उसकी तो बहुत ऊंची व्यवस्था है। वह सर्वोपरि सदन है। परन्तु लोकसभा से हमारा सदन कम नहीं है।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री ओंकार लाल चौहान।

श्री ओंकार लाल चौहान : चिकित्सा विभाग के संबंध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, को डिमाण्ड्स प्रस्तुत की गई हैं, इस संबंध में मैंने कट मोशन्स मूव किये हैं। मैं संक्षेप में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। राज्य सरकार की नीति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधा पहुंचाई जाय और इसका विकास ग्रामोन्मुखी होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 78–79 को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमारी राज्य सरकार की नीति ग्रामीण योजनाओं की ओर जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिकाधिक खर्चा किया जा रहा है। 78–79 में 34·46 करोड़ का प्रावधान था, 79–80 में 36·25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, इससे पता चलता है कि प्रति वर्ष निरन्तर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। 78–79 में 203 डिसपेंसरियां खोली गईं, 110 एड पोस्ट खोले गये, 296 हैल्थ सैंटर खोले गये, 33 रूरल डिस्पेंसरीज और 18 अरबन डिस्पेंसरी खोली गईं, जो इस बात का प्रमाण है कि हम ग्रामीण विकास की ओर बढ़े जा रहे हैं। 79–80 में यह भी देखने की बात है कि 50 डिस्पेंसरियां खोली जा रही हैं, जिनमें सिर्फ 10 शहरी क्षेत्रों में खोली जा रही हैं। रूरल एरिया में गत वर्ष के मुकाबले आने वाले वर्षों में निरन्तर प्रगति कर रहे हैं और सारी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, रूरल सैक्टर के विकास के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये की जा रही है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं, वे बधाई के पात्र हैं। मेरे क्षेत्र में भी डिस्पेंसरी कायम की गई। कोटा में 300 से बढ़ा कर 500 शैय्याएं की गईं, इससे पता लगता है कि हम निरन्तर प्रगति कर रहे हैं। बारां में 50 से 100 शैय्याएं की गईं। यह वास्तव में प्रसन्नता की बात है। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वे देखें छबड़ा में भी यह कार्य शुरू हुआ है या नहीं।

इसी प्रकार मैं आइडियल व्यवस्था के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं, जो डिस्पेंसरियां, प्राइमेरी हैल्थ सैंटर, आप खोलते हैं आबादी के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें मेरा निवेदन है कि ट्राइबल एरिया, रूरल एरिया और डेजर्ट एरिया में आबादी बहुत दूर-दूर बसी हुई है, ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया और डेजर्ट एरिया को टाप प्रायोरिटी दी जानी चाहिये। वहां बीमारियां अधिक होती हैं, लोग चिकित्सा से वंचित रहते हैं। एक साइंस के युग में बहुत बड़ी बीमारी कैंसर का इस प्रगति रिपोर्ट में कोई विवरण देखने को नहीं मिला कि इसमें क्या शोध कर रहे हैं? मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कम से कम इस ओर भी इशारा करें। इस ओर क्या कार्य किया जा रहा है, क्या रिसर्च की है?

एक 78-79 की रिपोर्ट में चिकित्सा सुविधाओं का जो वर्णन किया है, उसकी तुलना की है 1951 से 1978 तक। वास्तव में यह तुलना, मैं समझता हूं उचित नहीं दिखाई देती। 51 का लक्ष्य 78 को मानें, 51 की बजाय क्रमवार 75-76, 76-77, 77-78 होना चाहिये था, जिससे पता लगे कि कितनी प्रगति हुई है और कौन सी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

खामी रही; जिसको हम दूर कर सकते हैं। फिर भी काफी कीर्तिमान स्थापित किये हैं, फिर भी ट्राइबल एरिया, डेजर्ट एरिया को टाप प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। जितनी प्रगति की गई है उसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। डाक्टरों की कमी की बात बताई गई। हमारे यहां भी 6 महीने हो गये, एक ही डाक्टर कार्य कर रहा है, मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया, चिकित्सा विभाग को निवेदन किया। हाउस में प्रश्न के द्वारा चर्चा उठती है तब भी यह सवाल उठता है कि डाक्टरों की कमी है। डाक्टरों की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, डाक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते।

(2·55 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन ऐसा लगता है कि डाक्टर बनने के लिये हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेजों की कमी है। इसके लिये कोटा को, जिसे छोटे कानपुर की संज्ञा दी जाती है, क्यों नहीं वहां एक मेडिकल कालेज की व्यवस्था की जावे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ तो डाक्टरों की कमी बताई जाती है, दूसरी ओर कहा जाता है कि मेडिकल कालेज की आवश्यकता नहीं है, इसलिये मेरा यह निवेदन है। इसके अलावा डाक्टरों का रूरल एरिया की ओर रुझान हो, इसके लिये मेरा सुझाव है कि डाक्टरों के इंसेंटिव अधिक बढ़ाये जावें। पुरानी सरकार ने और जनता सरकार ने भी उनको राइडर भी लगाया कि उनको रूरल एरिया में जाना पड़ेगा लेकिन सफलता नहीं मिली। यह स्वाभाविक है। डाक्टर शहर में पलता है, शहरी वातावरण मिलता है, उसका गांव की ओर जाने का रूझान कम होगा। इस लिये उनको अधिक इंसेंटिव देना पड़ेगा, ज्यादा सुविधाएं देनी पड़ेंगी, क्योंकि राजस्थान का 3/4 हिस्सा ग्रामीण है, जिससे बच्चे, महिलाएं, ग्रामीण जनता की सेवाएं भली प्रकार से हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही अहम् सवाल है कि परिवार नियोजन के बारे में। इसमें आंकड़े दिये हैं। स्वेच्छिक नसबन्दी 12650 आपकी रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 10392 महिलायें और 2258 पुरुष हैं और इसमें दिखाया गया है कि जयपुर और उदयपुर जिलों में सर्वाधिक नसबन्दी हुई। तो what about rest of the districts ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को गंभीरता से लागू करना पड़ेगा। प्रश्नों के उत्तर में कहा गया था कि हम वातावरण तैयार कर रहे हैं; समितियां बनाई हैं। मैं यह नहीं मान कर चलता हूं कि इमर्जेंसी के दिनों में जो ज्यादतियां हुई वैसा ही यह सरकार भी करे। हम यह जरूर चाहते हैं कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं? गांवों में प्रचार का क्या कार्य शुरू किया? क्या आपने ऐसा कोई प्रचार कार्यक्रम बनाया है और उसे किन के माध्यम से अपनाया है? इस बारे में जानकारी देने की कृपा करें। इसमें हमें लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, टार्गेट्स के बारे में अधिकारियों को कहना पड़ेगा, उनसे जवाब मांगना पड़ेगा, टार्गेट्स हमको फिक्स करने चाहियें और टार्गेट्स पूरे करने में अगर कहीं खामी आती है तो उसका इन्तजाम होना चाहिये, बार-बार दबाव डालना चाहिये। लेकिन वह दबाव ऐसा न हो कि इमर्जेंसी के डण्डे की तरह का हो, लेकिन इस प्रकार का दबाव हो, उपाध्यक्ष महोदय, स्वेच्छा से,

(श्री ओंकारलाल चौहान)
कहां कमी है, इसमें कौन दोषी है, क्यों नहीं प्रोग्राम सफल हो रहा है, मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपको इसमें यह सब देखरेख करनी पड़ेगी।

आप समझ सकते हैं कि आज इन फैमिली प्लानिंग के आपरेशन्स को बन्द कर देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान और हिन्दुस्तान की आबादी इस रेट पर बढ़ेगी तो क्या हालत होगी ? आपकी सारी योजनाएं धरी रह जायेंगी, वह मुकम्मल नहीं हो पायेंगी टार्गेट की पूर्ति समझायश से हो, टार्गेट की पूर्ति प्रचार से हो, टार्गेट की पूर्ति कुछ इन्वाल्वमेंट से हो, जनता समितियों के द्वारा हो। टार्गेट विधायकों, पंचायत समितियों के द्वारा और एम. पी. के द्वारा आप को तय करना चाहिए। हमारी नीति दवाब देने की न हो, क्योंकि जोर और दवाव से काम नहीं होता है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, बहुत जल्दी ही समाप्त करूंगा क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि टाइम बराबर जा रहा है।

इसलिए इस अहम् मसले के लिए प्रमोटर्स और मोटीवेटर्स के लिए कहना चाहता हूं कि हमें प्रमोटर्स को और मोटीवेटर्स को इन्सेन्टिव देना चाहिए और प्रमोटर्स को आगे लाना चाहिए क्योंकि जो लोग ग्रज करते हैं उनमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी, तभी इस नेशनल प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में सफल हो सकते हैं।

इसी प्रकार से, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि तीन साल पहले पे-क्लीनिक का काम शुरू किया गया था। आप बहुत दिनों से सोंच रहे हैं पे-क्लिनिक के बारे में, तो यहां बताने का कष्ट करेंगे, उत्तर के समय कि क्या आप इस सिस्टम को अबालिश करने जा रहे हैं ? क्या यह वास्तव में सफल हुआ है ? मेरा अनुभव है कि पे-क्लीनिक से लोगों की कुछ कठिनाइयां बढ़ी हैं। लोगो का एप्रोच ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है। तो पे-क्लीनिक की व्यवस्था को क्या आप बदलने जा रहे हैं ? मुझे पता लगा है कि इसके बारे में आपने एक कमेटी बिठाई है। अगर वह कमेटी बिठाई है तो माननीय मन्त्री महोदय, उस कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी मंगाया जाय और उस पर विचार करें और उस पर विचार करके सरकार कुछ न कुछ निर्णय ले।

इस सम्बन्ध में मैं एक ही बात और करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद विभाग के वैद्यों और डाक्टरों की पे के बारे में जो असंगति है उसको दूर करना चाहिए।

1978–79 के बजट में उदयपुर में प्रशिक्षण कार्य के लिए दो लाख रु. मन्जूर किये गये थे, तो मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि उन दो लाख रु. का क्या हुआ ? क्या प्रशिक्षण वहां पर शुरू हुआ है ? आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था, टाइम्स आफ इंडिया में श्री रवि रे ने मलेरिया के सम्बन्ध में और आयुर्वेद विभाग को स्ट्रेन्थन करने के लिए कहा कि मलेरिया के लिए कोई आयुर्वेदिक औषधि बन रही है जो हमारे लिए अच्छी साबित

(श्री ओंकारलाल चौहान)

होगी। मलेरिया के बारे में मलेरिया का इर्रेडिकेशन नहीं हुआ पहले गोलियां बांटी, काम किया, छिड़काव किया, टीके लगाये। इस रिपोर्ट के अन्दर कहीं भी कोई लक्ष्य नहीं बताया गया है। क्या उसको इसमें निकाल दिया है तो मलेरिया का इर्रेडिकेशन हो गया है राजस्थान से ? राजस्थान अपना पिछड़ा हुआ प्रदेश है और सैन्टर से इसके लिए सेन्ट पर्सेन्ट एड मिलती है तो मैं चाहता हूं कि इसके आंकड़े प्रस्तुत करें।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने कटमोशन मूव किया है, उसको प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि जो प्रगति मंत्री महोदय ने की है वह सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र ब्यावर कलां ग्राम में डिस्पेन्सरी में जो कम्पाउन्डर्स और डाक्टर्स की कमी है, उसको पूरा करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने में एतराज नहीं है कि कल आपने कहा था कि रोज-रोज न बोलेंगे तो आप इजाजत दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कल मैंने बड़ी आतुरता से आपकी प्रतीक्षा की थी, लेकिन आप चले गये थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : साढ़े छः बजे तक इन्तजार किया।

श्री उपाध्यक्ष : दो सदस्य सत्ता पक्ष के बोल लेंगे तो आपको टाइम दे दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर, 1977 से जन-स्वास्थ्य रक्षक का कार्य 78 पंचायत समितियों में 3100 जन स्वास्थ्य रक्षक बनाकर लगभग 35 लाख जनता को लाभ पहुंचाने का माननीय मंत्री जी की ओर से जो प्रयास हुआ है, गांवों के व्यक्तियां के लिए जन-स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्तियां की गयी यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। इससे मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की साख एक एक गांव, एक एक ढाणी में इस प्रकार से जमी हुई है कि इसका प्रत्युत्तर विरोधियों के पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस के साथ-साथ मैं एक बात और बता दूं कि माननीय मंत्री महोदय, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के लिए कुछ उपलब्धियों की आज यहां पर घोषणा करें। जयपुर शहर में जे. के. ने एक बिल्डिंग बनाई, जनाने अस्पताल के नाम से। क्योंकि जनाना अस्पताल नहीं है जयपुर शहर में। लेकिन जयपुर शहर में बालकों के लिए एक चिकित्सालय की अत्यन्त आवश्यकता है, तो आपने उनके लिए बाल-चिकित्सालय बनाया है। माननीय मंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि इस बाल वर्ष में जयपुर शहर के लिए ही नहीं, राजस्थान में यह पहला बाल चिकित्सालय होगा। आप अपने श्रीमुख से घोषणा करें कि किस तरीके से इस बाल-वर्ष में यह चिकित्सालय कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ? यह आपके श्रीमुख से हम उपलब्धि सुनना चाहेंगे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जयपुर में जिला अस्पताल का अभाव है, जयपुर शहर में एक महिला अस्पताल का अभाव है तो महिला अस्पताल बने, जिला अस्पताल बने, उसके लिए कोई निश्चित बात आप सदन में बतायेंगे ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय की आलोचना नहीं करने जा रहा हूं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी में कुछ चैन्जेज नजर आने चाहिए, कुछ परिवर्तन नजर आने चाहिए। एस. एम. एस. अस्पताल के बारे में आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बात कही कि लाखों रुपयों की मशीनरी एस. एम. एस. अस्पताल में कुछ पुर्जों के अभाव में, मामूली सी ठीक कराने के अभाव में बेकार पड़ी हुई हैं। उस सूची को मुझे पढ़ने का समय नहीं है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : जनता पार्टी में परिवर्तन आयेगा या नहीं आयेगा लेकिन माननीय गिरधारीलाल जी के भाषणों में काफी परिवर्तन आ गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा समय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यों कटेगा तो उसकी रोक की बात आप करेंगे।

मैं यह कहने जा रहा था कि जो लाखों रुपयों की मशीनरी इस तरह से बेकार पड़ी हुई है, उसको ठीक कराकर उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

मैंने एक प्रश्न किया था कि मेडिकल जूरिस्ट वहां पर अस्पताल में नहीं मिलता है और लोगों को उनको घर से बुलाना पड़ता है। आपने उसके उत्तर में बताया था कि मेरी बात गलत है और मेडिकल जूरिस्ट सतत् अवेलेबल होता है। यह आपकी बात गलत है, उसकी ठीक व्यवस्था करें।

भोजन ले जाने की ट्रालियां ऐसी खरीदी गई हैं, वह इतनी बड़ी हैं और दरवाजे छोटे हैं कि उनमें आ जा नहीं सकती, और वह मरीजों के लिए गर्म भोजन ले जाने वाली ट्रालियां बेकार पड़ी हुई हैं। आइ आपरेशन थियेटर की व्यवस्था ठीक नहीं है। पुर्जो को ठीक से रखने की जो मशीन है वह बरसों से खराब पड़ी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण अस्पताल में पीने के ठण्डे पानी की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से केन्सर वार्ड का निर्माण होना चाहिए। मेरा निवेदन करना यह है कि जनता पार्टी के बदले हुए परिप्रेक्ष के आधार पर लोगों को सहूलियतें मिलनी चाहिए। वह सहूलियतें नहीं मिलतीं हैं तो जयपुर के लोग पूछते हैं कि कहो भार्गव साहब, अब तो आपका राज आ गया, अब भी अस्पताल की यह दशा है। मैं मांग कर रहा हूं, आलोचना नहीं कर रहा हूं, सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्था ठीक की जानी चाहिए।

अस्पतालों के लिए जो सलाहकार समितियां पिछली बार भी बनी थीं, आप उन सलाहकार समितियों को कब तक बना देंगे ? इस विषय में भी आज घोषणा की जाने की जरूरत है।

बाकी जनाना अस्पताल में भी मैं समझता हूं कि हालत ठीक नहीं है। वहां पर राजनीति व्याप्त है। वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट को हटाया जाये या नहीं हटाया जाये, इसमें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मैं नहीं जाना चाहता हूं। वहां पर जो महिलाएं भर्ती होती हैं, तो वहां की चारपाइयों में खटमल भरे हुए हैं। वहां जनाने अस्पताल में खटमल हैं। यह इस विभाग के लिए कलंक की बात है। इसी तरह से टी. बी. सेनटोरियम है, वहां पर डण्डा खिंचा हुआ नहीं है। वहां पर लोग रात को आकर शराब पीते हैं। शराब पीने वालों का वह फील्ड बना हुआ है। उसके पास में पानी भरा हुआ है। उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। सुअर वहां पर घुसते हैं। इस टी. बी. सेनटोरियम को माकूल रूप से ठीक कराने की आवश्यकता है। राजस्थान में क्षय रोग बढ़ रहा है। चाहे पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो। आप उसके चैयरमैन हैं। इसको रोका जाना चाहिए, अन्यथा क्षय रोग बढ़ता ही चला जाएगा। राजस्थान में पौष्टिक भोजन का अभाव है। राजस्थान में इस प्रकार का अभियान चलाया जाना चाहिए, जो कर्मचारी हैं, ई. एस. के जो लोग हैं, आपके जो वहां जाते हैं। वह प्रशासनिक हैं। वह जाते हैं, वह कहते हैं कि हम को 25 मरीज दिखाओ, अन्यथा वह कहते हैं, डाक्टर तुम फिट नहीं हो। मेडिकल फिटनेस के नाते 20–20 रुपये लिये जाते हैं। उनकी रसीद नहीं दें तो यह विचारणीय बात है। वेतनमान के बारे में कहना चाहूंगा कि उनके स्केल ठीक नहीं हैं। चिकित्सा कोर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। जिससे राजस्थान की चिकित्सा सेवा बढ़ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बात मैं और प्रस्तुत कर दूं। जयपुर शहर से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : सब बातें आप ही कह डालेंगे। कुछ बातें उजला जी के लिए भी छोड़ दीजिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह भी जयपुर शहर की विधायिका हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपने बहुत बढ़िया बात कही है। इन दोनों ने मिलकर भाषण तैयार किया है। पूरा यही बोल जायें तो वह क्या कहेंगी ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उनका फर्ज वह निभायेंगी। मेरा फर्ज मैं निभा रहा हूं।

नर्सिंग स्टाफ के कई लोग रिटायर हो गये हैं। उनको डिप्लोमा वाला नहीं किया गया है। कोई नाम नहीं बनाये गये हैं। पुरुषों में भी स्टाफ, नर्सों का है। उनमें कई अन्तर हैं। इसी तरह से कई गाड़ियां खराब हैं। उनके बारे में क्या व्यवस्था है ? मलेरिया के बारे में आपने सुधार किया है। पर खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है। अभी तक उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर पाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर में आयुर्वेद संस्थान है। उसकी हालत क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : चिकित्सा विभाग में आयुर्वेद की बात कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेद मन्त्री जी बिराजे हुए हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अनेक जड़ी बूटियां हैं, हमें उनका विकास करना चाहिए। विभाग का जो विकास करना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
चाहिए था, वह नहीं हुआ है। आयुर्वेद के विकास के लिए घोषणा की जानी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद के महाविद्यालय पांच शहरों में खोले जायं। राजस्थान में उनका निगम बनाया जाये। होम्योपैथी को आयुर्वेद में मिला दिया गया है। होम्योपैथी के छात्रों की परीक्षा होती नहीं है। आज वनस्थली मार्ग पर उनका लाखों रुपयों का भवन बन रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि होम्योपैथी की परीक्षा राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। आपने जो मुझे समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मैं पांच मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : आज आप सफल हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रद्युम्नसिंह जी....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कुछ मुद्दों पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा निवेदन है कि आपने नयी डिस्पेंसरियां प्रारम्भ की हैं। आप यह कहते हैं कि हमारे पास भवन नहीं हैं। आपका विचार है कि नये औषधालय खोले जायें। अगर आपको कोई आपके मतलब के, घर पर कोई कमरे दे दें तो आप किराये पर ले सकते हैं। इससे चिकित्सा सुविधा लोगों को मिल जाये। आप किराया दे दीजिए। चाहे वह पंचायत के सभापति दे दें। कम से कम चिकित्सा की सुविधा तो ग्रामीण लोगों को मिल जाये। जो दूर दराज के लोग हैं, उनको चिकित्सा की सुविधा मिल जाये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में पुरानी सरकार ने इसको बन्द किया था। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला है। यह मेडिकल कालेज में बन्द कर रखी है। जब कि जिला चिकित्सालयों में आज भी चल रही है। तो मेरा सुझाव है कि इस बन्दिश को हटा देना चाहिए। इसको मान लेना चाहिए।

तीसरी बात, मैं निवेदन कर रहा हूं मलेरिया के बारे में। बड़ी चिन्ताजनक हालत है। लोग कहते हैं कि मच्छर बहुत मजबूत हो गया है। डी. डी. टी. का उस पर कोई असर नहीं होता है। मैंने पहले भी सदन में यह बात कही है। आज फिर कह रहा हूं कि डी. डी. टी. में जिन दवाइयों का मिश्रण करना चाहिए, वह किया नहीं जाता है। कम्पनियों से आपके अधिकारी मिले हुए हैं। टेस्ट लेकर आ गये। आप डायरेक्ट्रेट को हुक्म दें। आप टेस्ट के लिए उसको भेज दें। तो आपको बहुत बड़ा घोटाला मिलेगा।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। जो मेडिकल होता है, उसमें बहुत

(१५५)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

घोटाला है। पहले 20 रुपया लेते थे। आप इसके बारे में घोषणा करें तो वह अखबारों में आ जाएगी। आप घोषणा कर दें। एक बात और कर दीजिए कि मेडीकल की फीस की रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद नहीं देगा तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर रसीद की बात हो जाएगी तो आब्लीगेटरी यह गड़बड़ बन्द हो जाएगी।

कुछ शब्दों में परिवार नियोजन के बारे में कह रहा हूं। लगता है, पुरानी ज्यादतियों के कारण यह सरकार घबरा रही है। आबादी बढ़ने के साथ साथ आजकल मकानों की समस्या भी है, विश्वविद्यालयों में और कालेजों में विषय नहीं मिलने की समस्या है, इससे देश की इकानॉमी का, देश की बढ़ती हुई आबादी से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। इसलिए इस कार्यक्रम को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, और अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, आपकी जीत का एक मुख्य कारण परिवार नियोजन की ज्यादतियां भी थीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए।

श्रीमान्, एक निवेदन मैं आपसे यह कर रहा था कि धौलपुर के अंदर और कई स्थानों पर आपने 'ब' श्रेणी के हास्पिटल कायम कर लिये हैं, लेकिन वहाँ पर पैथोलॉजिकल डाक्टर्स नहीं हैं। कई चीजों की जांच करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। इसलिए कम से कम जहां पर जिला मुख्यालयों पर अस्पताल हैं, वहां पर आपको पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी कायम करनी चाहिए और वहां पर आप पैथोलॉजिकल डाक्टर अपाइन्ट कर दीजिए। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि चिकित्सा जगत में यह आवश्यक है कि पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की सुविधायें वहां पर होनी चाहिए।

श्रीमान्, दो एक बातें अस्पतालों के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। यहां का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है। यहां पर बहुत अच्छे-अच्छे और होशियार डाक्टर्स हैं, श्रीमान्, मेरा कटौती प्रस्ताव भी इसी संबन्ध में है। मैं किसी डाक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, काफी होशियार डाक्टर हैं, लेकिन पार्टीबाजी में फंसे हुए हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब यहां पर सरकार ही पार्टीबाजी में भागीदार बन जाती है तो वह एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि, यह मेरा कोई सरकार पर आक्षेप नहीं है और न मैं कोई आक्षेप लगा रहा हूं। आपको मालूम है कि अस्पताल में पार्टीबाजी समाप्त करनी चाहिए, जो होशियार डाक्टर हैं उनको पार्टीबाजी से रोकना पड़ेगा। इस अस्पताल का नाम राजस्थान में ही नहीं, बाहर भी बहुत अच्छा है। यह जाहिर है कि राजस्थान में चिकित्सा और प्रान्तों के मुकाबले सस्ती और सुलभ है। आगरा का अस्पताल मैंने देखा है वह तो एक कसाईखाना है। उसको देखते हुए मुझे खुशी होती है कि यहां हालत काफी अच्छी है। यू. पी. में बहुत बुरा हाल है, डाक्टरों का और अस्पतालों का। इस पार्टीबाजी को समाप्त करने के लिए आप अच्छे-अच्छे डाक्टरों को यहां रखिये। आज हालत यह है कि किसी डाक्टर का किसी से लगाव है और किसी डाक्टर का किसी से लगाव है। इस चीज को समाप्त करने के लिए आपको

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
कठोर कदम उठाना चाहिए । यह मेरा एक सुझाव है ।

एक बात यह और निवेदन करना चाहता हूं कि अस्पतालों में जो गन्दगी है, इसको रोकने के लिए निश्चित रूप से किसी को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा । इसके लिए मेरा एक आसान सुझाव है कि पूर्व सरकार ने सलाहकार समितियों का गठन किया था। इन सलाहकार समितियों को आप तैयार कीजिये और हर अस्पताल में, चाहे छोटी डिस्पेन्सरी हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, चाहे 'बी' ग्रेड का अस्पताल हो, 50 ग्रेड का हो या 40 ग्रेड का हो, सलाहकार समिति विजिट करेगी और वह इसको देख लेगी, यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि सी. ए. एस. डाक्टर्स हैं, जिनकी आठ वर्ष की, सात वर्ष की और तीन-चार वर्ष की सर्विस हो गई है । उनको पब्लिक सर्विस कमीशन फेस करनी पड़ रही है और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो जानकारी मिल चुकी है, जो वहां पर सिफारिशबाजी का जोर चल रहा है। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान ही मालिक है । मेरा सुझाव है कि सन् 65 में भूतपूर्व सरकार ने एक परिपत्र निकाला था, जिसके तहत एक कमेटी मुकर्रर की गई थी, जिसने सी. ए. एस. डाक्टरों का सलेक्शन किया था । मेरा सुझाव है कि जिनकी तीन चार साल की सर्विस हो गयी उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं भेजना चाहिए, उनका चार वर्ष का एक्सपीरीयन्स ही काफी है । इसलिए इसके लिए भी हमको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात सी. ए. एस. डाक्टरों के लिए क्या इम्मयूनिटी है ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनको भी असिस्टेन्ट डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और ज्वाइन्ट डाइरेक्टर बनाया जाना चाहिए, इनका ग्रेड भी ऐसा कर देना चाहिए, जिससे कि भविष्य के लिए इनका भी रुझान हो, अदरवाइज इनका कोई इण्टरेस्ट नहीं होगा ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपाल पचेरवाल ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चिकित्सा के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और आपने मुझे बोलने की इजाजत दी इसके लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान बून्दी चिकित्सालय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे बहुत ही आश्चर्य से कहना पड़ रहा है कि जनता सरकार बनने के बाद कोटा अस्पताल में तो सुविधायें बढ़ाई गईं, वहां पर बैड्स की संख्या दो सौ तक बढ़ा दी गई, बारां में पचास बैड बढ़ाये गये । क्या मैं यह समझूं कि कांग्रेस के राज में बून्दी जिले की घोर उपेक्षा की गई और हमारे राज में भी। जनता सरकार के आने के बाद भी बून्दी का अस्पताल आज भी 'सी' श्रेणी में पड़ा हुआ है । मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा मन्त्री महोदय, आपको बून्दी से क्या नाराजगी है ? हमसे क्या गलती हो गयी, जिसकी वजह से यह सरकार बून्दी के

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लिए उदासीन है और आप नाराज हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हाड़ौती के तीसरे मन्त्री होने के बाद भी बून्दी की यह घोर उपेक्षा किस कारण से की जा रही है ? कांग्रेस के राज में भी चिकित्सा मन्त्री बून्दी के थे। उस काल में भी इसकी घोर उपेक्षा की गई और निरंतर इसकी उपेक्षा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसका बहुत अफसोस है और गहरी चिन्ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता से, जनता सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि वह इसके लिए वचनबद्ध है, लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराई जायगी। मैं माननीय चिकित्सा मन्त्री जी से आग्रह करूंगा, सदन की मार्फत और आपकी मार्फत उपाध्यक्ष महोदय, कि बून्दी एक ऐसी जगह है, यह एक ऐसा जिला है जो बैकवर्ड है, यहां पर अनुसूचित जाति के और अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, जहां पर कई लोग अस्पताल में मरण शय्या पर पड़े हैं, इसलिए उसको 'बी' श्रेणी का अस्पताल घोषित किया जाय, यह आपका अहसान होगा और बून्दी जिले की जनता के साथ न्याय होगा। हमने जनता से जो वायदे किए हैं, वे भी पूरे कर सकेंगे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जनता की माग को आप स्वीकार करके घोषणा करेंगे, बून्दी अस्पताल को 'बी' श्रेणी में घोषित करने की।

एक और निवेदन यह करना चाहता हूं कि बजट में आपने यह लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर एक उपकेन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इससे कैसे न्याय होगा। मेरा निवेदन है कि आप इस नीति को तोड़िये और दो हजार की आबादी पर नहीं खोल सकें तो पंचायत हैड क्वार्टर पर एक सब सेण्टर खोला जावे और बड़े-बड़े गांवों में अलग से एक आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए। तभी मान्यवर, जनता के साथ न्याय हो सकेगा। श्रीमान्, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आज ही इस बात की घोषणा करें कि दस हजार की आबादी की जगह दो हजार, या पंचायत हैडक्वार्टर पर, या पंचायत समिति के मुख्यालय पर चिकित्सालय खोलने की घोषणा करेंगे।

आज सुबह जब सदन में चर्चा चली तो बताया गया कि लेडी डाक्टर की नियुक्ति होने के बावजूद वह नहीं पहुंची हैं, यह सही है। इसका कारण यह है कि आज हमारी सरकार की जो व्यवस्था है उसके अनुसार यदि थाने का भवन बनेगा तो सरकारी कोष से, आर. ए. एस. अधिकारी का निवास स्थान बनेगा तो सरकार व्यवस्था करेगी। लेकिन अफसोस है कि शिक्षा के लिए भवन बनेगा तो जन सहयोग से, चिकित्सालय भवन जन सहयोग से बनेगा लेकिन आई. ए. एस. अधिकारी या विकास अधिकारी, थानेदार या थाने या चौकी के लिए सरकार के कोष से पैसा लगेगा, लेकिन जो चिकित्सालय का भवन होना चाहिए, जिसकी बहुत आवश्यकता है, वह जन सहयोग से निर्माण करायेंगे। अफसोस की बात है कि वही कांग्रेस की पुरानी परिपाटी चली आ रही है, यह जनता के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए चाहे ए. ई. एन. के लिए सिंचाई विभाग में भवन नहीं बने, विद्युत

(श्री गोपाल पचेरवाल)

इन्जीनियर के लिए भवन नहीं बने, लेकिन चिकित्सालय के लिए घोषणा करें कि उसका भवन निर्माण राज के कोष से करवाएंगे।

मेरे क्षेत्र के लिए कई बार मैं केशोराय पाटन, जहां से चुनकर आया हूं, के लिए निरन्तर मांग करता आया हूं और शुक्र-गुजार हूं कि कुछ दिन पहले वहां लेडी डाक्टर को डिप्यूटेशन पर लगाया, लेकिन जहां राज्य के सारे विभाग हैं, नगरपालिका है, तहसील मुख्यालय है, ऐसी जगह पर लेडी डाक्टर नहीं है। हमारे क्षेत्र के लिए लेडी डाक्टर के पद का स्थाई सृजन करके पोस्टिंग करें न कि डिप्यूटेशन पर। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां शीघ्र ही व्यवस्था करें। मेरा क्षेत्र है जहां निरन्तर पहले भी उपेक्षा की गई है। मैंने पहले, जो कोटा वाले चिकित्सा मन्त्री थे, उनको भी सूची दी : पारसला, जलोदा, भाईजा, चिटावा, कोडम्या, उतराणा, माखीदा, देई-खेड़ा, बसवाड़ा, सकाड़दा, फोलाई, लवाण, रेवारपुरा, चड़ी, बलकासा, ठगारिया, समद-पुरिया। ये पंचायत मुख्यालय हैं और आयुर्वेद मंत्री पूरे क्षेत्र को जानते हैं। वह जो बसवाड़ा गांव है वहां भयंकर खाले नाले हैं, किसी बीमार आदमी को ले जाया जाए तो कोटा, बूंदी या केशवराय पाटन तक ले जाय जाने तक जीवित नहीं पहुंच सकता। वह बीच में ही मर जाएगा। मैंने वर्तमान मन्त्री महोदय को भी सूची दी है। वहां अस्पताल या औषधालय खुलवाने की कृपा करें ताकि वहां की जनता को सुलभ चिकित्सा मिल सके।

मेरे क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की कम्पाउंडर डिस्पेन्सरी एवं उपकेन्द्र है, बहुत पुरानी है, बड़ा खेड़ा और अरनेठा। आप कृपया अविलम्ब डाक्टर डिसपेन्सरी की घोषणा करें तो उत्तम होगा।

आपने जो चिकित्सा का फण्ड रखा है, मेरी जानकारी के अनुसार प्रत्येक डिसपेन्सरी में दो हजार रुपये की दवाइयां भेजते हैं। नगरपालिका क्षेत्र में जो चिकित्सालय हैं उनमें दो हजार की दवाइयां भेजते हैं। मैं समझता हूं प्रति व्यक्ति दस पैसे की दवाई भी वहां के निवासियों के लिए उपलब्ध नहीं होती। आप अपने खर्चे में कटौती करें। मन्त्रियों का दिल्ली और दूसरे जगहों के दौरों पर खर्च होता है, टेलीफोन पर भारी खर्चा होता है। उसमें कटौती करें लेकिन जो उपयोगी चीज है, उसको अधिक पैसा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जिंगिग भाई।

श्री जिंगिग (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में चिकित्सा के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मैं भी अपने क्षेत्र की समस्यायें, आपके द्वारा, मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चितौड़गढ़ आदिवासी क्षेत्र है। जनता पार्टी का घोषणा पत्र है कि शहरी विकास को अधिक महत्व न देकर ग्रामीण विकास को, जनता पार्टी की सरकार अधिक महत्व देगी और हर प्रकार की सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में उप-लब्ध कराएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक तरफ हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है, दूसरी तरफ जनता पार्टी हर काम के लिए क्राइटेरिया बनाती है। उसके कारण हमारे जैसे इलाके के लोग उस सुविधा से वंचित रह जाते हैं।

(५८)

(श्री जिथिग)

सरकार ने 10 हजार की जनसंख्या पर एक सब सेन्टर या डिसपेन्सरी खोलने की जो घोषणा की, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, यह घोषणा बिल्कुल गलत है। आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह क्रेटेरिया बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मन्त्री महोदय उत्तर देते समय ऐसी घोषणा निश्चित रूप से करें, क्योंकि आदिवासी लोग पहाड़ी क्षेत्रों में 20-20, 30-30 मील पर बसे हुए हैं, जहां चिकित्सा सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। डिलीवरी केसेज में बहनें अपनी जान खो बैठती हैं, ऐसी बीमारियों में चिकित्सा पहुंच नहीं पाती, रास्ते में ही जान खत्म हो जाती है। आज जनता पार्टी की सरकार यह वायदा करती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को हर प्रकार की सुविधा देंगे, तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि ग्रामीण क्षेत्र आज की सुविधा से वंचित हैं। तो कृपया ट्राइबल एरियाज के लिए आप इस क्रेटेरिया को समाप्त करें।

जहां तक चिकित्सा और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार की समस्या है, पिछले समय में कुशलगढ़ का एक डेपूटेशन मुख्य मन्त्री से मिला और कुशलगढ़ में रेफरल अस्पताल स्थापित करने की मांग रखी। उस समय मुख्य मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जितना संभव हो सकेगा, कुशलगढ़ में रेफरल अस्पताल कायम की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारियों ने उनकी आंखों में धूला डाला और उनको बताया गया कि कुशलगढ़ में कोई रेफरल का प्रस्ताव नहीं, परतापुर में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला विकास अधिकरण में बैठकर, प्रस्ताव पास कर, विभाग के पास व चिकित्सा मन्त्री के पास बार-बार रिप्रेजंटेशन दिया है कि परतापुर का कोई प्रस्ताव नहीं था। परतापुर में इसलिए किया गया है कि वह हरदेव जोशी का क्षेत्र है, उसका गांव है और उनके कहने पर उनको खुश रखना था। इसलिए यह कह दिया कि पिछले समय से ही परतापुर की स्वीकृति है इसलिए कुशलगढ़ में नहीं खोला जाएगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि आंख में धूला डाला गया है और आपके अधिकारियों द्वारा कुशलगढ़ की जनता को नुकसान पहुंचाया गया है और वहां की जनता का अहित हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको मालूम होना चाहिए कि सन् 52 से चुनाव पद्धति लागू हुई, तब से लेकर कुशलगढ़ का इलाका पिछड़ा हुआ रहा और तीस साल में कांग्रेसी राज में भी उपेक्षित रहा है। आज भी अगर वही स्थिति रहेगी तो कुशलगढ़ का तो भगवान ही मालिक है। फिर वहां की जनता के लिए कोई चारा नहीं है और स्वास्थ्य जैसा विभाग जो कि इन्सान के जीवन-मरन का विभाग है, यह विभाग जनता के साथ अन्याय करेगा तो बरदाश्त के काबिल नहीं होगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक निवेदन और करना चाहता हूं। वह यह कि सब-सेन्टर्स कायम किये हुए हैं। मैं जानता हूं वहां क्या होता है? वहां पर कोई दवाइयां नहीं होती हैं। किसी की भी वहां पर प्राइमरी चिकित्सा नहीं

(श्री जिथिंग)

होती है। तो मेरा यह सुझाव है कि सब-सेन्टर्स को डिस्पेन्सरीज में परिवर्तित करके उन सेन्टर्स पर दवाइयां उपलब्ध कराई जायें और कम्पाउन्डर का वहां पोस्टिंग किया जाये ताकि समस्त जनता को लाभ मिल सके।

साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी इलाके में बिखरी हुई आबादी के लिए एक मोबाइल यूनिट होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है आदिवासियों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक मोबाइल यूनिट की जरूरत है और हर क्षेत्र में और हर पंचायत क्षेत्र में मोबाइल यूनिट जाकर जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करे, ताकि बिखरी हुई आबादी में जो रहने वाले लोग हैं, उनको आपके विभाग से फायदा मिल सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही मिनट का समय लूंगा। मैं इसी संबंध में निवेदन करना चाहता था। 58-59 में हमने पंचायत समिति के द्वारा एक 25 हजार की एक्स-रे मशीन खरीदी थी, उसकी कोई यूटीलिटी नहीं है। उसके लिए विभाग व्यवस्था नहीं कर रहा है तो मंत्री जी इस बारे में आप अपने विभाग के अधिकारियों से जांच करायें कि कुशलगढ़ में 25 हजार की मशीन दी है जो कि अस्पताल में पड़ी सड़ रही है। जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है और यह इसलिए किया गया था कि बिखरी हुई आबादी में यह हैल्थ सेन्टर आम जनता के उपयोग में आयेगा। लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही आशा करूंगा कि जैसा मैंने कहा है कि सब-सेन्टर्स को डिस्पेन्सरीज में परिवर्तित किया जाये, कुशलगढ़ में हैल्थ फार्म और बिखरी हुई आबादी में मोबाइल यूनिट स्थापित किया जाये—इस सम्बन्ध में आप निश्चित रूप से कोई घोषणा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत आवश्यक सूचना देनी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि मेडीकल की डिमाण्ड चल रही है। झुंझुनू में 8 लोग मर चुके हैं, क्योंकि वहां पागल कुत्ते के काटने का वेक्सीन नहीं है। वहां के सी० एम० ओ० ने सूचना दी है कि 8 आदमियों का देहान्त हो चुका है और वेक्सीन नहीं है। इसी तरह से झालावाड़ में भी 15 केसेज पड़े हैं और वहां भी यह वेक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न पर कल चर्चा हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि वह इस बारे में कुछ करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये चिकित्सा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा ···

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहती हूं कि एयर कन्डीशन कल तक तो खुला नहीं था और आज अचानक खोल दिया गया है और इतनी ठंड लग रही है। इसको कम करा दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं, नहीं, फिर मर जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, जब आपके बोलने का समय आ जायेगा तो यह आटोमेटीकली कम हो जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कट मोशन के जरिये चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव, जिला जालौर क्षेत्र के अस्पताल का है। चिकित्सा विभाग की तरफ से ऐसी कोई सुव्यवस्था नहीं की गयी है, जिससे ग्रामीण लोगों को अच्छी तरह से चिकित्सा प्राप्त हो सके। जिला जालौर में सब-सेन्टर और एडपोस्ट तो जरूर खुली है लेकिन वहां कोई स्टाफ नहीं है। सब-सेन्टर खोल दिया और वहां न तो स्टाफ है न नर्स है और न कम्पाउन्डर है। जहां नर्स और कम्पाउन्डर ही नहीं हो काम कैसे चलेगा और बहुत सी जगह तो दवाइयां भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। वह तो नाम-मात्र के सब-सेन्टर और एडपोस्ट आपने खोल रखे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने ऐडपोस्ट डूंगरी और भवातड़ा में, सांचौर पंचायत समिति क्षेत्र में जहां मलेरिया का भयंकर प्रकोप है और वहां बारहों ही महीने मलेरिया के पोजीटिव केसेज रहते हैं। वहां एडपोस्ट खोली और मुझे मंत्री महोदय को कहते हुए दुख है कि वहां न दवाइयों की सप्लाई पहुंची है और न वहां स्टाफ पहुंचा है। इसी प्रकार से जब आपने एडपोस्ट खोल दी तो आप नर्स और कम्पाउन्डर क्यों नहीं लगा रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि आप ग्रामीण लोगों की चिकित्सा के प्रति उदासीन हैं। सिर्फ आप संख्या के आधार पर कह देते हैं कि हमने यह व्यवस्था कर दी है। उससे काम नहीं चलने का है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, उसमें भी पागल कुत्ते के इन्जेक्शन नहीं हैं। स्नेक बाइट के इन्जेक्शन की बिल्कुल सप्लाई नहीं है और प्राइवेट दुकानों के ऊपर, चाहे जितने इन्जेक्शन मिल सकते हैं। वहां पर स्नेक बाइट के केसेज बहुत होते हैं और वहां के लोगों को गुजरात में, पालनपुर और पाटन जाकर इलाज करवाना पड़ता है। प्राइवेट दुकानों से लोग इन्जेक्शन्स लेकर आते हैं तो बहुत ज्यादा दाम उनको देने पड़ते हैं और जब उनको लोग मेडीकल रिएम्बर्समेंट के लिए वेरीफाई कराने आते हैं तो डाक्टर ऐसा करने से मना कर देते हैं कि बिल वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अस्पताल में इन्जेक्शन नहीं है और बाहर से इन्जेक्शन नहीं लगवा सकते। वहां और कोई स्नेक बाइट केस आता है तो डाक्टर कहते हैं कि हम इलाज की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। दूसरी जगह लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता है। अभी भी बताया गया है कि सीकर में पागल कुत्ते के काटने से आदमी मर रहे हैं और इन्जेक्शन नहीं हैं। सांचौर में भी यही हाल है। इससे तो अच्छा हो कि आप सारे ही पागल कुत्तों को मरवा दें। यह मेरा सुझाव है। कुत्तों को राजस्थान से ही समाप्त कर दो ताकि इन्जेक्शन मंगाने का काम ही नहीं पड़े।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, सांचौर में एक डाक्टर के० सी० जैन है। जालौर वाले सदस्य पीछे पड़े हुए थे तो उनको सांचौर भेज दिया। अब सांचौर में जब कोई मेडिको

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लीगल केस आता है तो दोनों पार्टियों से पैसे ले लेता है। एक अंगूठे को धारदार औजार से कटना बताया गया था और एक चोट में बताया प्रीवियस बलट हटे और उसके बाद में लिखा है सिम्पल शार्प, यह कैसे हो सकता है? ब्लन्ट औजार से इनसाइड बंध नहीं आ सकता। अंगूठा नहीं कट सकता और फिर एक्स-रे रिपोर्ट दूसरी है। इसके बारे में मैंने शिकायत भी मंत्री जी से की है। ऐसे डाक्टर मेडीकल डिपार्टमेंट के लिए ब्लाट्स हैं। वह कहता है कि मैं तो पैसे देकर यहां आया हूं और मन माफिक पैसे वसूल करूंगा। उनको जालौर वाले विधायक ने, जो यहां बैठे हैं, अपने यहां सांपला से शिकायतों के आधार पर धकेल कर, हमारे यहां साचौर भिजवा दिया है और हमारे लिए आफत खड़ी कर दी। वह लोगों को बेहद लूट रहा है।

हमारे वहां और भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। इस तरह से मेडीकल डिपार्टमेंट में भारी करप्शन फैल गया है। आप इसका शीघ्र इलाज करें।

उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स पर फिर से सर्विस हैल्थ सर्टीफिकेट्स, नौकरियों वगैरह में लेने के लिये, एक साइक्लोस्टाइल फार्म उपलब्ध है। उस पर 20 रुपये फीस लेकर दे रहे हैं, सब लोग पैसा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार अब ओपन हो गया है। जिला हैल्थ आफिस में भ्रष्टाचार बहुत है। जिला हैल्थ आफिस में सब बाबू भ्रष्ट हैं, उनको क्यों नहीं पलटते? दूसरा सी. एम. एच. ओ. को डाक्टर्स के ट्रांसफर्स की पावर्स दे देने से फिर करप्शन बढ़ गया है। तीसरा, चिकित्सा विभाग में भ्रष्ट आफिसर्स हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर विचार के समय सम्बन्धित मंत्री की उपस्थिति

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त कोई मंत्री नहीं है जहां 20, 20 मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री जी मौजूद हैं। चिकित्सा मंत्री जी शायद नेचर काल अटेन्ड करने गये होंगे।

श्री गुल मोहम्मद : पेशाब पर पाबन्दी तो नहीं लगा सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिये जो हम सुझाव दे रहे हैं, वे हवा में न जायें। माननीय काला बादल जी, आप नोट कर रहे हैं या नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय सदस्य, कौशलकिशोर जी नोट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : किसी मंत्री को बुलाने की व्यवस्था कर रहा हूं।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : माननीय काला बादल जी बैठे हैं।

श्री गुल मोहम्मद : क्या कोई पेशाब करने नहीं जा सकता?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काला बादल जी, मैं जानना चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्री जी सदन छोड़ कर क्यों गये हैं?

श्री भैरवलाल काला बादल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : मुझे कह कर गये हैं, अभी आ रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आन ए पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, स्वीकृति लेनी पड़ती है, माननीय मंत्री महोदय, चाहे थोड़ी देर के लिये सदन से बाहर जायें, आवश्यक कार्य से जायें, लेकिन दूसरे मंत्री को अपना काम संभला कर जायें।

श्री भैरवलाल काला बादल : मुझे कह कर गये हैं....

श्री मदनसिंह दांता : झूठ मत बोलना, कालाबादल साहब, हमें विश्वास है।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : ऐसा नहीं है कि मंत्री मौजूद नहीं है....

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मंत्री महोदय, अपने कागज कौशलकिशोर जी को देकर गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह बात सत्य कह रही हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अभी इस सदन में कोई मंत्री नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आज तक 30 वर्षों में कभी ऐसी बात नहीं हुई।

श्री भैरवलाल काला बादल : मैं नोट कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : हमारे राज्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आप पढ़ कर सुनायें, आपने क्या-क्या नोट किया है ?

श्री भैरवलाल काला बादल : जवाब में आपको सारांश मिल जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

माननीया श्रीमती सुमित्रासिंह ने काफी गम्भीर प्रश्न उठाया है कि जब बजट के संबंध में चर्चा की जा रही हो, तो उस समय सम्बन्धित मंत्री महोदय को उपस्थित रहना चाहिये। अगर किसी कारणवश बाहर जायें तो आसन को सूचना देकर जायें। अन्य कोई दूसरा मंत्री कम से कम नोट्स लेने के लिये सदन में उपस्थित रहना चाहिये। कोई भी मंत्री महोदय उपस्थित न रहे, यह अशोभनीय स्थिति है। किसी और एम. एल. ए. को देते हैं जो ट्रेजरी बैन्चेज के मैम्बर नहीं है, जो कैबिनेट का मेम्बर नहीं है, इस बात को गम्भीरता से लेता हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मुझसे कह कर गये हैं, अभी आ रहा हूं।

श्री गुल मोहम्मद : काला बादल साहब मंत्री हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बात को महसूस करता हूं कि कम से कम कैबिनेट स्तर का मंत्री अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

(153)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ विश्नोई, कृपया चर्चा जारी रखें ।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उससे एक प्रश्न पैदा होता है । आपने व्यवस्था दी है कि किसी कैबिनेट मंत्री को रहना चाहिये जबकि बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनका इन्डीपेंडेन्ट चार्ज स्टेट मिनिस्टर्स के पास है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, अगर राज्य मंत्री स्वयं प्रभारी मंत्री हैं तो उनकी उपस्थिति काफी है । अगर नहीं हैं, तो कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री होना चाहिये ।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : आयुर्वेद विभाग के प्रभारी मंत्री मौजूद हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : किन्तु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का इन्डीपेन्डेंट चार्ज होल्ड नहीं कर रहे हैं ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहती हूँ, राज्य मंत्री को मंत्रिमण्डल की मीटिंग में नहीं बुलाया है ।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : यह आपके जमाने में नहीं होता होगा । जो इन्डीपेन्डेंट चार्ज होल्ड करते हैं, उनसे सम्बन्धित मामलों में बुलाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, आप कृपया बिराज जायें ।

(व्यवधान)

अब इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री बजरंगलाल अग्रवाल : यही बात मैंने अध्यक्ष महोदय के सामने रखी । अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी वह सही है और मैंने जो व्यवस्था दी है, इस परिस्थिति में सही है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बजरंगलाल जी, आप मंत्री नहीं बनेंगे, यह निश्चित है ।

(व्यवधान)

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिला हैड क्वाटर्स पर जालौर के हैल्थ आफिसर के आफिस में एल. डी. सी., यू. डी. सी. जो 10-10 साल से वहां बैठे थे, जिनका ट्रान्सफर पहले दूसरी जगह हो गया, फिर सिफारिश के आधार पर वापस उसी जगह आकर बैठ गये हैं और कर्मचारियों को लूटते हैं । उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले तीन महीनों से वेक्सीनेटर्स का संघर्ष चल रहा है । वहां कलेक्टर को हमने कहा कि आप इनको पलटें । उन्होंने कहा, हम क्या करें, यह सरकार का काम है । हैल्थ आफिसर कुछ नहीं कर सकता, सीधा आदमी है । एडमिनिस्ट्रेशन यू. डी. सी'ज के हाथ में है । कोई परवाह नहीं करता है । खुले आम पैसा लेते हैं । माननीय मंत्री जी, अगर स्वयं आकर विश्वस्त होना चाहें, स्वयं जायें, जिला हैल्थ आफिस के कर्मचारियों में भ्रष्टा-

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

चार का अड्डा बना हुआ है। इसके लिये आप मंत्री जी कुछ कदम उठायें।

इसके अलावा दूसरा मैं सांचौर पी. एस. सी. की बात बताऊं। मैंने डाक्टर के विरुद्ध शिकायत आपको दे रखी है। वह 6 हजार रुपये वाली याद आ गई क्या? यह बड़ा सीरियस मामला है। जो शिकायत मैंने दी थी, उसकी आपने क्या जांच पड़ताल की है? झूठे सर्टिफिकेट देकर फंसाना कोई मामूली बात नहीं है। गरीब लोगों के साथ ऐसा अन्याय?

हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायत इस विभाग में है। 6-6 महीने जयपुर में बैठ कर यह डाक्टर के०सी० जैन, न मालूम क्या क्या करते हैं—डाइरेक्टर, कमिश्नर कुछ नहीं है उसके आगे। जो वह कहता है, मैं तो फलां जगह जाऊंगा और जाकर ही रहता है। पता नहीं उसकी क्या सिफारिश है? मेरा भी उससे सम्पर्क है, लेकिन अनडिजायरेबल आदमी है। इसलिए उससे सम्पर्क नहीं रखता। सांचौर में कह कर जयपुर में 6 महीने बैठकर डंके की चोट पर आ गया।

एक माननीय सदस्य : कौन है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपको खुद को मालूम है, आपने तो हटा कर लगाया है। जालौर विधायक ने पार्टी मीटिंग में आपसे कहा कि मेरी शिकायत क्यों नहीं मानते? इस पर उनकी पल्टी हुई।

एक माननीय सदस्य : आपके राज में हुआ है वह तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच बीच में इन्ट्रप्शन्स न करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा जो ग्रामीण लोगों के साथ इलाज में खिलवाड़ किया जा रहा है। जगह जगह दवाइयां नहीं हैं, बैंडेज नहीं हैं, सब उपचार की चीजों का अभाव है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों के लिए कोई सुचारु रूप से उपचार की व्यवस्था नहीं है। आपके हैल्थ सैन्टर्स और डिस्पेन्सरियों में कोई दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। कुछ बजट आपने जरूर बढ़ाया है दवाइयों का, लेकिन पेशेन्ट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वह बजट भी आपका कम रहता है, इसलिए और बजट बढ़ावें।

सांचौर स्वास्थ्य केन्द्र को राज्य सरकार ने काफी पहले आश्वासन दिया था कि 30 बैड्स वाला हास्पिटल बनायेंगे, लेकिन अब यह कह दिया कि बिल्डिंग बनायेंगे तब खोलेंगे। तो वह तो एक रूरल क्षेत्र है। मुख्य मन्त्री जी ने अपना कोष बनाया है, उसमें से पैसा अलाट कर दें। यह तो नहीं होना चाहिए कि कहीं पैसा नहीं आये तो आप मेडिकल फेसिलिटीज ही नहीं दो। भीनमाल में मातेश्वरी का 50 लाख का पैसा आया था ऐसा बताया और मोहन छंगाणी ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन अब सुराणा साहब ने वह पत्थर हटाकर दूसरा बाफनाजी का रख दिया। अब तीसरा कोई और जायगा तो फिर वह पत्थर हटा देंगे। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि हैल्थ सेन्टर्स में अच्छे डाक्टर्स जायें। आपके मेडिकल डिपार्टमेंट

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में स्टाफ की कमी है। उससे सारा काम अस्पताल का ठप्प पड़ा है, तो फिर आप शीघ्र स्टाफ की व्यवस्था कीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष जी, अभी तो आधा समय ही लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी चर्चा समाप्त करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाकी के अब तो हम दो के ही नाम रह गए हैं और कोई नहीं बोलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कई नाम बच रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाम होते तो मुझे ध्यान होता। मैं पहली बार बोल रहा हूं। आज तो महरबानी करिए। उपाध्यक्ष जी, मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि हमारे सांचौर जिले में मलेरिया का भयंकर प्रकोप है, साथ ही रोवीदा और खुजली की बीमारी है। तो ये तीनों बीमारियां हमारे क्षेत्र में भयंकर रूप से हैं। इसका कारण है, मैं पिछले तीन साल से कहता रहा हूं कि न्यूट्रिशन लोगों का कम होता है और पानी की खराबी की वजह से ये बीमारियां हो जाती हैं। जो इन्सपेक्टर वहां जाता है, वह खुद भी मलेरिया से ग्रस्त हो ाता है। सरकार कहती है कि मलेरिया के मच्छर मरते ही नहीं हैं और सारी डी० डी० टी० वे खा जाते हैं, डी० डी० टी० प्रूफ हो गए हैं। यह आपका विभाग जानता है लेकिन मैं चाहूंगा कि समय पर डी० डी० टी० अच्छे प्रपोर्शन में साल में दो बार स्प्रे करें, तो प्रभावी हो सकती है, वरना खाली सफेद पानी घोल कर छिड़कने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब सैन्टर्स में और एड पोस्टों में जाने वाला स्टाफ मलेरिया से डरता है और उस क्षेत्र में जाता ही नहीं है। 15-15 मील के एरिया में एडपोस्ट खोले हैं और वे भी खाली पड़े हैं। मेरा निवेदन है वहां कोई स्ट्रांग मलेरिया की दवा भेजें और स्टाफ भेजें।

आयुर्वेद मन्त्री जी, कालाबादल साहब यहां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, प्रश्न आया था उसके उत्तर में कि वैद्यजी बैठते नहीं हैं। दो बार निवेदन कर चुके हैं। विद्या पाठक जी ने भी कई बार आश्वासन दिया था। भयंकर रूप से वहां मलेरिया फैला हुआ है और पूरे पंचायत क्षेत्र, सूतड़ी में एक आयुर्वेद के वैद्य का प्रोविजन किया है (सी) क्लास का, लेकिन दवा सप्लाई नहीं की है और न वैद्य गया है। एक को नियुक्ति दी, वह छोड़ गया। तो मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा मन्त्री जी कालाबादल जी को बता दें – सूतड़ी में आयुर्वेद का वैद्य नहीं है। वहां पर इम्मीजिएटली भेज दें। आपकी सामर्थ्य है या नहीं भेजने की, यह मैं कह नहीं सकता हूं। अब तक मौके पर नहीं पहुंचे। सारे हमारे लोग पालनपुर और गुजरात में जाकर इलाज करवाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा आप इस बारे में कोई न कोई व्यवस्था जल्दी करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दूसरे हमारे सांचौर में फूड इन्सपेक्टर पहले था, इसकी पब्लिसिटी की गई। कोई देखता ही नहीं है, गांवों में, दवाओं में एडल्ट्रेशन हो रहा है, दूध में एडल्ट्रेशन हो रहा है। पहले आप कहते थे इमर्जेंसी में बड़ी भारी चैकिंग होती थी, आप भी करें। आपने कहीं रेड डाल कर एडल्ट्रेशन की दवाओं को पकड़ा है। आपने खुली छूट दे रखी है, इन्जेक्शन पानी का दे देते हैं। सब छूट है। तो, उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा, आपको हैल्थ इन्सपेक्टर्स को और ज्यादा पावर्स देकर नगरपालिका क्षेत्र, सांचौर में लगाना चाहिए ताकि इन चीजों की चैकिंग समय समय पर हो सके और एडल्ट्रेशन रुक सके।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा आयुर्वेद के अस्पताल हमारे जालौर जिले में बहुत कम हैं। दूसरे मन्त्री जी जो आए हैं वे सब इधर के ही आए हैं। हम तो आयुर्वेद की डिस्पेन्सरी (सी) क्लास से ही काम चलाने को तैयार हैं। सब–सैन्टर्स नहीं खोलें, एडपोस्टें नहीं खोलें तो एक आध आयुर्वेद का वैद्य भेजने में क्या दिक्कत है? चतुर्वेदी साहब ने पहले कहा था कि असन्तुलन बहुत हो गया है, तो अब तो आप बेलेन्स को ठीक कर लें। लेकिन हमारी कौन सुने। पहले उदयपुर वाले करते थे अब आप करने लग गए। हमारा निवेदन है जो डेजर्ट एरिया है वहां डिसपेन्सरी खोलने में पक्षपात न करें। मैं खास तौर से इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक विधायक निवास की डिस्पेन्सरी एस० एम० एस० हास्पिटल से सम्बन्धित सन् 1952 से लेकर आज दिन तक चली आ रही थी। डाइरेक्टर जो जयपुर का है उसने सी० एम० एच० ओ० के अन्डर में अब दे रखी है। उसके देने से विधायकों एवं उनके बच्चों के इलाज की इतनी कठिनाई होती है जो कह नहीं सकते। विधान सभा आफिसर्स भी वहां इलाज हेतु जाते हैं। अब आपने प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर रखी है, इसलिए डाक्टर लोग परवाह नहीं करते हैं। वह जो फेसेलिटी सन् 1952 से चली आ रही थी उसको आज आप कैसे डिस्कन्टीन्यू कर रहे हैं? अब आप शीघ्र विधायक निवास डिस्पेन्सरी को वापस एस. एम. एस. अस्पताल से सम्बद्ध करने की घोषणा करें। क्यों आप विचार नहीं करना चाहते हैं। पहले की व्यवस्था अच्छी थी। अब आप क्यों नहीं दुबारा अच्छी करते हैं। आपकी अच्छी व्यवस्था क्या है? पूरी दवाइयों के लिए बजट नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। इसको एस. एम. एस. हास्पिटल के अन्डर में क्यों नहीं वापस दे देते?

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : विश्नोई साहब, आपने उदयपुर के लिए कहा। मैं आपको कहता हूं कि उदयपुर में तो कुछ भी नहीं हुआ है। गांवों में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दिया तले अंधेरा।

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी : वहां के लिए मन्त्री महोदय ने डेढ़ साल पहले

(श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी)

आदेश दिया था, लेकिन आज तक इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है। आप उदयपुर को यों ही बदनाम कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दूसरा परिवार कल्याण योजना के बारे में निवेदन करूं कि आप स्वतः कहते हैं। अभी परसों ही एक घण्टे तक झगड़ा चला, मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता। हम चाहते हैं, इतना बड़ा बजट आप खर्च कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसको खिलवाड़ के रूप में मत उड़ाइये। पहले करीब-करीब दो साल तक आप प्रचार करते रहे हैं, अब उसको बन्द करिये। चीफ मिनिस्टर साहब ने सभी डिपार्टमेंट के हैड्स को बुला कर मीटिंग की थी लेकिन आज कोई डाक्टर सहयोग नहीं दे रहा है, क्योंकि पार्टी को कोई जानकारी नहीं है कि क्या प्रोग्राम चलाना चाहते हैं? आपकी पार्टी साथ नहीं देती।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब तक जन आन्दोलन इसके साथ नहीं होगा, वर्कर्स का, सभी पार्टियों का समर्थन नहीं होगा, गवर्नमेंट कितना ही कहे कोई डाक्टर आगे आने वाला नहीं है। अब तो लोग यह समझते हैं कि यह प्रोग्राम खतम ही हो गया है। गवर्नमेंट के डाक्टर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यह बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम है, इसको आपको इस तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसकी आपने बराबर उपेक्षा की है, इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जालौर जिले के लिए क्या टार्गेट थे, अब क्या प्रोग्रेस हो रही है। इसके बारे में आप अपने जवाब में जरूर बतायें, बाकी तो बतायें या नहीं। उपाध्यक्ष जी, यह जो सी. ए. एम.....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कितना समय अभी और लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सी. ए. एस. डाक्टरों की एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजे थे, सरकार ने आश्वासन भी दिया कि 31 मार्च 79 तक रिपोर्ट पेश कर देंगे। उनकी मांगें वाजिब थीं, उन पर आपने आश्वासन दिया था। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार बताये कि क्या सरकार के पास रिपोर्ट आ गई? उस पर आप क्या फैसला कर रहे हैं? वरना उनकी नियुक्तियां एडहाक चलती रहती हैं, पी. एस. सी. से कई वर्षों तक अप्रूव नहीं होते और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी दुर्दशा होती रहती है। इसलिए आप उनके लिए समय पर फैसला कर दें, सरकार ने पहले आश्वासन भी दिया है वरना थोड़े दिनों बाद फिर उनकी स्ट्राइक होगी, आपके लिए प्राब्लम खड़ी होगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि कमेटी की जो भी रिकमण्डेशन्स हैं, उनके बारे में सरकार अपना फैसला शीघ्र बताये। इसी तरह से मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के बारे में आपने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई होगी। आप उस पर क्या निर्णय लेना चाहेंगे, इसके बारे में भी आप कुछ बतायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी को फुल चार्ज देकर हमारे यहां पर यह कार्य दिया है ! मैं समझती हूं कि भारतवर्ष में आयुर्वेद मन्त्री इस तरह से नहीं हैं। मैं राज्य सरकार को बधाई देती हूं और वह इसके लिए बधाई की पात्र भी है। दूसरी बधाई मैं इस बारे में देना चाहूंगी कि चिकित्सा मन्त्री जी ने चिकित्सा सेवाओं में काफी विस्तार किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि चिकित्सा सेवाओं में जितना विस्तार किया है, उसका सुदृढ़ीकरण भी निश्चित रूप से होना चाहिए। सलाहकार समितियां गत वर्ष बनाई गई थीं, उनकी बैठकें बहुत कम हुई हैं। ऐसी समितियों की बैठकें बराबर हों। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि एक तो ऐसी समितियों की बैठकें नियमित रूप से हों, जिनमें अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो तो कुछ न कुछ भली बात निकलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर जनसंख्या के आधार पर आपने चिकित्सालयों को खोलने की बात कही थी, लेकिन जो बिखरे क्षेत्र हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका है, इधर के इलाके बहुत बिखरे हुए हैं, दरिद्र लोग रहते हैं, वहां पर चिकित्सा सेवा किस तरह से उपलब्ध होगी इस बारे में आप निश्चित रूप से उत्तर दें। इसके बारे में कोई योजना आपने बनाई है। मैं मानती हूं कि निश्चित रूप से बनाई होगी वह क्या बनाई है ? अपने जवाब में आप जरूर बतायें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि परिवार कल्याण के बारे में काफी बातें कही जाती हैं, उसके ऊपर हम लोगों का खर्चा बहुत अधिक है, लेकिन इम्पलीमेंटेशन बहुत कम है। इसके बारे में जिस तरह से पुराने जमाने में प्रचार हुआ, उस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए। लोगों को प्रेरित करके नई तरह का अभियान चलाया जावे, यह मेरी मान्यता है। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि जितना आपने चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया है, उस विस्तार में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र को निश्चित रूप से जोड़ें, ऐसी घोषणा आप अपने उत्तर में जरूर करें क्योंकि जहां आप गांवों में चिकित्सालय खोल रहे हैं, वहां महिलाओं के बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। महिला चिकित्सालय नहीं होगा तो मैं समझती हूं कि मुझे बहुत सी बातें जो कहनी नहीं चाहिये वह कहनी पड़ेगी। मैंने बहुत सी महिलाओं को दम तोड़ते हुए देखा है प्रसूति के समय में। कई ऐसी घटनायें होती हैं अविद्या के कारण। जो दाइयां हैं, वे प्रशिक्षित नहीं होतीं। उनकी अज्ञानता के कारण कई बार दुर्घटनायें घटती हैं। जो पिछले सालों में दुर्घटनायें घटी हैं वे कम से कम अब नहीं हों, यह मेरा निवेदन है। महिला चिकित्सा के प्रसार के बारे में आप अपने जवाब में निश्चित रूप से बतायेंगे कि आप क्या योजना बना रहे हैं ? आप आगे चल कर क्या करना चाहते हैं क्योंकि फिफ्टी पर्सेन्ट में मैं यही देखा करती हूं कि अनेक लोगों को अहसास भी नहीं होता कि कितना कष्टकारी समय होता है प्रसूति का। इसके लिए योजना बनाइये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गांवों में जो चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने जा रहे हैं, उनमें शैय्यायें हों, रेफरल हास्पिटल होना चाहिए, ताकि गांवों में जो लोग रहने वाले हैं उनको वहीं पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके और शहरों के हास्पिटल्स की भीड़ भी कम हो। जो यहां पर परेशानियां होती हैं, गांव के लोग बड़े-बड़े शहरों में आ जाते हैं, वहीं उनको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने से उनका कम पैसा खर्च होगा और चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो हमारी अन्य पद्धतियां हैं, देशी पद्धति चिकित्सा की उनमें सुधार किया जाना बहुत जरूरी है। जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उसके लिए बहुत कम पैसा रखा गया है। वह पैसा भी कई बार डूब जाता है। अभी भी 15 हजार रुपया डूब गया है, मैं समझती हूं कि यह उचित नहीं है। देशी पद्धति में जो पद्धतियां जोड़ी गई हैं उनमें यूनानी पद्धति है, होम्योपेथी पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा प्रयत्न हुआ है। लेकिन इनके लिए पैसा कम रखा गया है, मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल असंगत है। इसी के कारण से उनके वेतनमानों में असंगतियां हैं और जो हमारी आयुर्वेद की निर्माण शालायें हैं वे भी अपना अच्छा स्वरूप नहीं रखतीं। मैं पिछले दिनों राजस्थान सरकार की तरफ से गुजरात में गई थी, वहां की चिकित्सा सेवाओं की कितनी प्रशंसा करूं। आयुर्वेद की वहां पर यूनिवर्सिटी है, अलग प्रशिक्षण केन्द्र है, 9 कालेज चलते हैं। उनकी जो दवाइयां बनाने की रसायनशाला है, वह सारे भारत में दवाइयां सप्लाई करती है। इस तरह की योजना हमको भी बनानी चाहिये। हम भी इस तरह से प्रमुख कार्य कर सकते हैं। आपके औषधालय यहां पर भी ऐसी औषधियां उपलब्ध करा सकते हैं, जो प्रभावी हों। मैं निवेदन करना चाहूंगी जो दवाइयां बनाने वाली फार्मेसी है वह केवल मार्केट के हिसाब से दवाइयां बनाती हैं। अभी पिछले दिनों में कई बार हमारे सामने बात आई थी कि शकरकन्द डाल दिया आंवले के स्थान पर उसको मीठा करने के लिए। अगर हम इसके लिए निगम बनायें तो निश्चित रूप से अच्छी औषधियां उपलब्ध होंगी, जो बहुत प्रभावी होंगी। मैं यह कहना चाहूंगी कि यूनानी चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : निगम की चैयरमैन उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले भी चर्चा होती रही है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति से लोग चिकित्सा कराना चाहते हैं। लोगों पर असर करती है, लोग उस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कराना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि माननीय श्री त्रिलोक चंद जी जब मंत्री थे तब उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी यूनानी चिकित्सकों की। वह लिस्ट अभी तक लागू नहीं की गई है जिसकी वजह से मैं समझती हूं कि दवाखाने बिना चिकित्सकों के खाली पड़े हुए हैं। आपकी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यह चिन्तनीय विषय है। आप इस पर चिन्तन करके निश्चित रूप से इसको अच्छा करेंगे। यह बात बहुत दिनों तक नहीं टालनी चाहिये। होम्योपैथिक चिकित्सा कालेज में जब माननीय मन्त्री जी गये थे तो उस कालेज में घोषणा करके आये

160

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

थे कि 9 लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से देंगे, मैं समझती हूं कि एक डेढ़ साल हो चुका है उस बात को, पिछली 4 अप्रेल को आप गये थे, लेकिन आज तक भी आपने पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। हमें वही घोषणा करनी चाहिये जो हम कर सकें। यदि नहीं कर सकते हों तो हमें वह बात नहीं कहनी चाहिये। मै समझती हूं कि अपनी कही हुई बात की निश्चित रूप से पूर्ति करेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो कैंसर का चिकित्सालय है, उसके बारे में कुछ समय पूर्व एक चिकित्सालय खोलने की चर्चा आई थी। उसके अन्दर अनुसन्धान के रूप में प्रभावी रूप से काम हो सकता है और जो असाध्य रोग के रूप में मानते हैं वह साध्य रूप में हो सकता है। इससे निश्चित रूप से अनेक रोगियों की जान बच सकती है। हमारे यहां इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, जो हमारी चल चिकित्सालय इकाइयां है, उनको और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। ये इकाइयां गांवों में हाट के दिन जाएं तो निश्चित रूप से इनका वहां के लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। आशा है, मंत्री महोदय इसके बारे में विचार करेंगे। मैं मानती हूं कि आपने इस दिशा में काम किया है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पे क्लिनिक है इसके बारे में भी सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए। माननीय छंगाणी साहब ने इस पर विचार किया था। इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। इस पर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। इस सम्बन्ध में पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था। उस समय आपने यह उत्तर दिया था इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। उस निर्णय से आज तक सदन को अवगत नहीं कराया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के विरोध में नहीं हूं। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए परन्तु जो राज्य कर्मचारियों के लिए आपने सहकारी भण्डार के जरिए दवाइयों की व्यवस्था कर रखी है, वह नाकाफी है। जयपुर शहर में केवल 25 दुकानें हैं और रात को केवल दो दुकानें खुलती हैं। एक जनाने अस्पताल पर और दूसरी मर्दाने अस्पताल पर। झोटवाड़ा में कोई बीमार हो जाता है तो छः रुपया खर्च करके उसको दवाई लेने के लिए आना पड़ता है। वहां भी सिर्फ दो दुकानें खुली रहती हैं। या तो आप इन 25 दुकानों को खुली रखने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को दवाई मिल सके, अन्यथा जयपुर शहर से यह व्यवस्था हटा कर आप जहाजपुर ले जाइये ताकि आपको मालूम हो सके इस व्यवस्था के बारे में। मलेरिया रोकथाम के लिए जो राजकीय योजना है वह आज तक प्रभावी रूप से काम नहीं कर पाई है। आज मलेरिया से घर घर में बीमारी है। निश्चित रूप से इसमें आप जल्दी परिवर्तन लाएं ताकि इस बीमारी को दूर किया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी खाद्य पदार्थों में मिलावट जारी है।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के बोलने के लिए तो कोई समय निर्धारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया दो मिनट में चर्चा समाप्त करें। दुबारा घंटी न बजानी पड़े, कृपया इसका ध्यान रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बराबर जारी है। इसी तरह से दवाइयों में मिलावट हो रही है। शराब में भी मिलावट की जाती है। लोगों की आस्था कम होती जा रही है। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो पोषाहार का कार्यक्रम चलाया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसमें हो रहे घपलों को रोका जाए। आपने इस बारे में जो आंकड़े दिए हैं उनसे सन्तोष नहीं होता है।

महिला चिकित्सा के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहती हूं। आप साथ साथ आवास की सुविधा भी उपलब्ध करावें और सुरक्षा की व्यवस्था हो तो सफलता मिलेगी। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहती हूं कि डाक्टर छुट्टी लेकर घर बैठ जाते हैं और आपकी नौकरशाही इतनी हावी है कि चिकित्सा मंत्री के आर्डर्स को वे फेंक देते हैं। किसी भी मंत्री के लिए यह उचित नहीं है। जैसे पति का कहना कोई पत्नी नहीं मानती है। इसमें निश्चित रूप से आप सुधार करेंगे, यह उम्मीद करती हूं। इन लोगों का क्या कर्त्तव्य है, दायित्व है, यह आपको बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सवाई मानसिंह अस्पताल है....

श्री मदनसिंह दांता : क्या आपने डाक्टर को मंत्रियों का पति बताया है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप समझ ही नहीं पाते हैं बात को।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बिराजें। कृपया समाप्त करें।

श्री कौशल किशोर जैन।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ हमारा भी ध्यान रखेंगे।

श्री कौशल किशोर जैन : जब भी मैं खड़ा होता हूं, माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल से आप जो बिराजे हैं, वे सब ही एक सदस्यीय दल से हैं। वैसे अभी कांग्रेस दल बाकी है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ठोस सुझाव तो हम भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पीछे शंकरलाल जी बैठे हैं।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल को कल भी समय नहीं दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल अनुपस्थित थे। श्री प्रद्युम्नसिंह को समय दिया गया था।

श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, हमको ये दो रिपोर्ट्स मिली हैं--एक एलोपैथी की और दूसरी आयुर्वेदिक विभाग की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर इस साल एलोपैथी पर 3207·21 लाख रुपये का खर्च होगा और आयुर्वेद पर केवल 773·82 लाख रुपये का बजट रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों मन्त्री महोदय यहां पर विराजमान हैं। इनमें एक तो केबिनेट मिनिस्टर हैं और दूसरे स्टेट मिनिस्टर हैं। दोनों में जो यह अन्तर है यह इनके विभागों में भी है। राजस्थान के अन्दर आज से 30 साल पहले आयुर्वेद के 346 औषधालय चलते थे। हम यह समझते थे कि राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गत दो साल में आयुर्वेद और एलोपैथी के बजट में जो अन्तर है वह मिटेगा परन्तु जो रेश्यो तीस साल से चला आ रहा है वह रेश्यो आज भी प्रचलित है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी मोटी बात निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर 77-78 के अन्दर 1057 डिस्पेन्सरियां चलती थीं और इस साल के बजट में 1107 कुल औषधालय चलाने का प्रस्ताव है, प्रावधान है।

इसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधालय गत वर्ष 2396 थे और इस साल 2462 चलाने का प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, 2462 आयुर्वेदिक औषधालय चलाने का जो बजट है, वह कितना है? केवल 510·24 लाख का और 1107 अस्पताल चलाने के लिए जो बजट दिया गया है वह है 2168·94 लाख का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो साल पहले जितने आयुर्वेदिक औषधालय चलते थे। क्या जनता सरकार बनने के बाद भी वही ट्रेंड बना रहेगा? आयुर्वेद के साथ यह अन्याय है। कई सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया कि इसे राज्य की चिकित्सा पद्धति घोषित किया जाए, लेकिन यह बजट सिद्ध कर रहा है कि आयुर्वेद के साथ राजस्थान की सरकार ने अन्याय किया है। आज आयुर्वेद का का कोर्स 6½ साल का और एलोपैथी का का कोर्स 5½ साल का है। आयुर्वेद के अन्दर योग्यता हायर सैकण्डरी और एलोपैथी में टी. डी. सी. फर्स्ट ईयर। मैं निवेदन करना चाहता हूं 6½ वर्ष का कोर्स करते हैं, संस्कृत की पढ़ाई करते हैं इसके बाद भी वेतनमान है 470-830 और एक डाक्टर का 750–1350। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ वैद्य हैं। आज के दिन मेरी एक बहन नौकर रख सकती है, एक नहीं रख सकती,

(श्री कौशल किशोर जैन)

यह अन्तर मिटाना होगा राजस्थान में। मैं नहीं कहता कि एलोपैथी के बजट को कम किया जाये लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आयुर्वेद के बजट को बढ़ाया जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पत्नी का दर्द है या नहीं ?

श्री कौशल किशोर जैन : मेरी पत्नी तो हायर सैकण्डरी तक पढ़ी हुई है, उपाध्यक्ष महोदय। डाक्टरों को स्टाइपेंड देते हैं 350 और आयुर्वेद वालों को केवल 150 रु.। समझ में नहीं आता, इधर तो वेतनमान है 470-820 और उधर 750-1200, चार अग्रिम वेतन वृद्धियां और दी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जो बजट दिया है, आयुर्वेद शिक्षा पद्धति पर 26.81 लाख का खर्चा राज्य सरकार करेगी और एलोपैथी पर 337.35 लाख का। बेरोजगारी भत्ते का आयुर्वेद में कोई प्रावधान नहीं है और एलोपैथी के लिये 1.40 लाख का प्रोविजन किया है। आखिर आयुर्वेद के साथ यह भेदभाव क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आयुर्वेद मंत्री जी को भी कह दें।

श्री कौशल किशोर जैन : यहां पर आयुर्वेद के केवल एक निदेशक हैं, वह पद ढाई साल से भरा नहीं है। कार्यवाहक निदेशक क्या होता है ? ढाई साल से पद खाली पड़ा है ऐसा क्यों ? सैक्रेट्री का पद क्यों नहीं, सचिव, कमिश्नर का पद क्यों नहीं है ? क्या आयुर्वेद का कोई धनीधोरी नहीं है, मालिक नहीं है ? उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद मंत्री को भी पूर्ण स्तर का मंत्री बना कर पूर्ण स्तर का दर्जा दिया जाय राजस्थान में।

एक माननीय सदस्य : मैं निवेदन करूंगा कि श्री कौशल किशोर जी को उसी विभाग का मंत्री बनाया जाय।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनका उत्साहवर्द्धन जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेद विभाग में पिछले डेढ़ साल से 11 जिलों में आयुर्वेद अधिकारियों के पद रिक्त हैं, यह क्या मजाक है ? इसके अलावा 700 इस प्रकार के पद रिक्त हैं, जिन्हें कम्पाउंडर, नर्सेज कहते हैं। अगर 700 पद रिक्त हैं, परिचारिक लोग मांग कर रहे हैं उनका कोई स्थान नहीं और केरल की लड़कियों को 2–3 महीने की ट्रेनिंग देकर दाई का काम दिया जा सकता है। जो कल्पद काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं दे सकते ? मन्त्री महोदय अभी नये-नये पधारे हैं, श्रीमती विद्या पाठक जी के बाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं 5 साल से आयुर्वेद विभाग में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपकी जिम्मेदारी थी। 5 साल से डी० पी० सी० न होने का कारण मेरी समझ में नहीं आता। गुजरात, यू०पी०, एम०पी०, मैसूर, हरियाणा और केरल 6-7 राज्य ऐसे हैं जहां आयुर्वेद और एलोपैथी के वेतनमान समान हैं। गुजरात में जूनागढ़ में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुर्वेद संस्थान का निर्माण कराया था। कांग्रेस ने वाहवाही लूटने के लिये घोषणा की, लेकिन उसकी हालत क्या है ?

(164)

(श्री कौशल किशोर जैन)

दिल्ली में इण्डियन मेडिकल इन्स्टीट्यूट बना है---

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार से मेरा आग्रह है कि ऐसा बिल पास करे। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट और लूंगा। आयुर्वेद की हालत क्या है? जितने औषधालय हैं उनमें दवाई नहीं है, उनका बजट कम है, आयुर्वेद विभाग में कहीं रोगी वाहन के दर्शन नहीं होते, प्रसूति की व्यवस्था नहीं, अस्पतालों में फर्नीचर नहीं। जितना एलोपैथी की ओर देखा जाता है, स्वास्थ्य विभाग उतना आयुर्वेद की ओर नहीं देखता। उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और, इण्डियन मेडिसन बोर्ड के चैयरमैन जयपुर आते हैं तो उनका मानदेय भत्ता क्या है 11 रुपये और एक सी०एम०एच०ओ०, डी०एम०एच०ओ० को 51 रुपये भत्ता मिलता है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 51 तो एम. एल. ए. को मिलते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : 31 मिलते होंगे। यह अन्तर क्यों? अन्त में चरक और हिमालय ड्रग का पुनर्भरण आयुर्वेद विभाग नहीं कर सकता तो, क्या इसका निर्णय डाक्टर करेंगे कि चरक क्या है और हिमालय ड्रग क्या है? माननीय मन्त्री महोदय, आज राजस्थान में चारों रसायन शालाओं को मिला कर एक औषध निगम का निर्माण करें। राजस्थान के आयुर्वेद को सोपान दीजिये ताकि राजस्थान में एलोपैथी और आयुर्वेद का जो बजट का अनुपात है वह कम से कम बराबर स्तर पर आये। उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी, यूनानी पद्धति और आयुर्वेद तीनों जुड़े हुए हैं। यूनानी पद्धति का विकास होना चाहिये........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री कौशल किशोर जैन : राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को ज्यादा साधन सुलभ कराये जायें, ज्यादा सुविधा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में सर्व प्रथम मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जन-स्वास्थ्य रक्षक की जो योजना है वह हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बड़ी खतरनाक योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी के जाने के पश्चात् मुझे यह आशा कुछ बनी थी, जिन्होंने अपने दिमाग से इस गलत योजना को जन्म दिया था, उनके जाने के बाद इसमें परिवर्तन होगा और यह योजना पुनर्गठित होकर चिकित्सा विभाग इसमें सुधार लायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मानते हैं कि 5 साल की शिक्षा के बाद भी एम० बी० बी० एस० किसी रोगी की चिकित्सा करने के योग्य नहीं होता है, वहां 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उसको एलोपैथी विज्ञान की चिकित्सा के योग्य मान लिया जाय, यह क्या ग्रामीणों के प्रति आपका आदर है? उससे ग्रामीण क्षेत्रों में आप चिकित्सा करवाना चाहते हैं।

(श्री शंकरलाल)

वह नीम हकीम खतरा-ए-जान है। Little knowledge is a dangerous thing. उपाध्यक्ष महोदय, या तो इसको भी खतम किया जाय और लाखों रुपयों का जो खर्चा इस पर हो रहा है वह दूसरे काम में लगाया जाये। अगर इस योजना को खतम नहीं करते हैं तो इसको दूसरे रूप में लिया जाय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था और आप भी यह मानेंगे कि आयुर्वेद की मामूली नालेज रखने वाला आदमी है वह किसी का बुरा नहीं कर सकता है अगर भला नहीं कर सके तो, लेकिन एलोपैथी की लिटिल नालेज वाला आदमी दूसरे का फौरन बुरा कर सकता है। आपको ज्ञान नहीं होता है तो आप ऐसी दवा दे देंगे, जिससे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए आप जन-स्वास्थ्य रक्षक की जो योजना है उसको एलोपैथी से हटाकर आयुर्वेद वालों को दे दें। आयुर्वेद के लोग मामूली शिक्षा से गांव वालों का कुछ फायदा कर सकेंगे, वरना यह योजना बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी। इसके परिणाम बुरे होंगे। इसके परिणाम आपने अपनी रिपोर्ट में बताये होते तो हम कह पाते।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अगर गांवों को आप वास्तविक फायदा पहुंचाना चाहते हैं चिकित्सा के जरिये से तो आप भ्रमणशील चिकित्सा की जो इकाई है, जो यूनिट है उसमें एक यूनिट और बढ़ायें। इसके बारे में मैं तो यह कहूंगा कि हर एक डिवीजन में एक यूनिट हो। अगर हर एक डिवीजन में फुल्ली इक्विप्ड मोबाइल सर्जिकल यूनिट होती है और वह गांव में जाती है तो वहां के लोगों को फायदा होता है। अभी इस मोबाइल सर्जिकल यूनिट से गांव वालों को काफी फायदा पहुंचा है। इससे आपके बजट का और ज्यादा उपयोग होगा।

तीसरे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके अस्पतालों में वह दुर्व्यवस्था है तो उस दुर्व्यवस्था की वास्तव में बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन फिर भी जैसा और कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है, पहले बोलने वालों ने कि पहले विजीलेन्स कमेटी थी हर एक हास्पिटल के साथ में, अब उन विजीलेन्स कमेटियों का टाइम खतम हो गया है और इस सरकार से वापस विजीलेन्स कमेटियां नहीं बनाई हैं और कोई स्थानीय प्रतिनिधि आफिसर हास्पिटल्स में विजीलेंस कमेटियों में नहीं हैं। इसलिए यह दुर्व्यवस्था हो रही है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि पाली के अन्दर 8 तारीख को वहां के एक कार्यकर्ता हैं, धनराजजी उनकी लड़की प्रेमलता है, जिसके प्रेगनेन्सी थी। वह सीरियस हो गई तो हास्पिटल ले गये, कांगड़ हास्पिटल, पाली में 8 तारीख को। जैसा कि वहां का प्रोसीजर है उन्होंने अर्जेन्ट काल करके लेडी डाक्टर को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया। एक भंवरलाल नाम के आदमी को भेज दिया। उसको लेडी डाक्टर ने कहा कि कह दो कि वह घर पर नहीं है। वास्तव में श्रीमती सुधा गहलोत लेडी डाक्टर घर में मौजूद थीं। उसने आकर यही कह दिया कि वह घर पर नहीं है। फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि हैं तो सही लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था। उस लड़की का आपरेशन मेल डाक्टर को करना पड़ा। वहां पर दो-दो,

(श्री शंकरलाल)

तीन-तीन लेडी डाक्टर्स हैं, लेकिन उस लड़की का आपरेशन वहां के मेल डाक्टर ने किया। आप इसकी जांच करवायें। इस प्रकार डाक्टर लोग परवाह नहीं करते हैं जिलों के अन्दर, क्योंकि वे जानते हैं कि वहां पर कौन पूछता है। इसलिए कोई बात नहीं है।

चौथा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जहां पर आपके अस्पताल नहीं हैं लेकिन वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं। आज आप उनसे पूछो कि आपके पास कौन सी डिग्री है तो कहते हैं कि आर० एम० पी०। आर० एम० पी० यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। यह आर० एम० पी० है वह गवर्नमेंट के डाक्टर नहीं हैं। प्राइवेट दुकानें खोलकर बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों को उनके द्वारा अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक ताजा उदाहरण है कि पाली में हाल ही में राजस्थान मिल मजदूर पंचायत संघ के उपाध्यक्ष श्री चुन्नीलाल सोलंकी हैं, उनकी तबीयत खराब हुई तो पास में प्राइवेट डाक्टर विष्ट है, उनको बुलाया। वह इंजेक्शन लगाकर गये और उनकी डेथ हो गई। हो सकता है कि डेथ का कारण कुछ और भी हो, लेकिन क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद डेथ हुई तो लोगों के मन में शंका पैदा हुई। मैंने स्वयं ने उनको बुला कर पूछा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है तो उन्होंने कहा कि आर० एम० पी०। तो राजस्थान के अन्दर जितने भी प्राइवेट डाक्टर्स हैं उन सब के ऊपर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं तो आप उनको जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। कई गांव के लोग आते हैं सरकारी अस्पतालों में उनकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर वे इन डाक्टरों के पास जाते हैं तो गलत दवाइयां मिलती हैं और लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। इसलिए इसके बारे में विचार करेंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपने उपभोक्ताओं के लिए एडल्ट्रेशन का कानून बनाया हुआ है। वह राजस्थान में 6 स्थानों पर लागू है। उपाध्यक्ष महोदय, Prevention is better than cure. आप लोगों को बीमार न पड़ने दें। जितनी बीमारियां आज होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण एडल्ट्रेशन आफ फूड और दूसरी चीजों में एडल्ट्रेशन है। इसलिए इस कानून को आप राजस्थान के प्रत्येक स्थान पर लागू कीजिये। जिन स्थानों पर यह लागू नहीं है, मिलावट करने वाला उस जगह जाकर मिलावट कर देता है, जहां पर यह कानून लागू नहीं होता है। आपने 6 स्थानों पर इसको लागू किया है। इसलिए आप पूरे राजस्थान में सब स्थानों पर इसको लागू करें। इसके अलावा आप इसमें सजा का प्रावधान रखें। यह पहले प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी पढ़ा था, जिसमें आर० पी० अग्रवाल, जिनकी कि मियाद पूरी हो चुकी है, ने कहा था कि यह मर्डर की तरह है। आप किसी को मिलावट करके चीज खिलायें उससे नुकसान हो तो कितने खतरे की चीज है।

(श्री शंकरलाल)

इसलिए इसको आपके विभाग के अन्दर में लें और उसको करें।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डाक्टर्स, नर्सेज और कम्पाउन्डर्स यह टेक्निकल कर्मचारी हैं। डाक्टर्स के लिए एक तरफ तो आप कहते हैं कि मिलते नहीं हैं और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट डाक्टर्स होते हैं, अध्यक्ष महोदय, जो कई साल से काम करते आ रहे हैं, उनको यह लोक सेवा आयोग, जिसके काले कारनामे इस विधान सभा में आये हैं, दो-तीन मिनट का इन्टरव्यू लेकर अनफिट करार कर देता है और वह सेवा से निकाल दिये जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पहले भी एक समिति बनाई हुई थी, वह स्क्रीनिंग कमेटी डाक्टरों को नियुक्त कर देती थी तो लोक सेवा आयोग में जाने को उचित नहीं ठहराया जाता था। आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि डाक्टरों की कमी है और दूसरी तरफ डाक्टर जो रखे हुए हैं उनको निकाल दें तो कौन डाक्टर आपके यहां आना चाहेगा ? यह पहले का सन् 65 का आर्डर है गवर्नमेंट का। उसका नम्बर और तारीख आपको दूंगा। 13 जुलाई, 1965 का है। नं० एफ 17। 655। एम पी एच। 61 इसके तहत एक कमेटी बनी थी। पहले डाक्टर्स टेम्प्रेरी अप्वाइन्ट होते थे और इसके बाद इस कमेटी के द्वारा उसका सलेक्शन हो जाता था, परन्तु अब लोक सेवा आयोग में जाना पड़ता है इसलिए डाक्टरों को बड़ी दिक्कत आती है।

रेडियोग्राफर्स की आप ट्रेनिंग देते हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनकी ट्रेनिंग होती है, एक्स-रे और टेक्निकल मामलों की। उनको आप रेडियोग्राफर की ग्रेड नहीं देते हैं टेक्निशियन्स की ग्रेड देते हैं और टेक्निशियन्स की जगह मैट्रिकुलेट को लगा देते हैं। तो फिर उनको ट्रेनिंग क्यों देते हैं ? उसका मतलब क्या है ? आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपके ध्यान में आ जाये। आपने बताया है कि आपके यहां रेडियोग्राफर का प्रशिक्षण होता है तो उनको रेडियोग्राफर की ग्रेड दें काम करने दें। जब तक काम करने वालों को उचित रूप में कम्पेन्सेशन नहीं देंगे, उचित तनख्वाह नहीं देंगे तब तक काम से एफिशियेन्सी नहीं हो सकती है।

दूसरा, इसी सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कान्स्टीट्यूशन के अन्दर मेल और फीमेल का भेदभाव नहीं रखा गया है, लेकिन इस मेडिकल विभाग में मेल नर्सेज और फीमेल नर्सेज में भेदभाव रखा गया है। अगर फीमेल नर्स है तो उसकी पदोन्नति हो सकती है, वह आगे उन्नति कर सकती है, लेकिन कम्पाउण्डर चूंकि मेल है इसलिए आगे उन्नति नहीं कर सकता है। इसके लिए मैंने इसी असेम्बली में एक क्वेश्चन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, 30-11-78 को, तो उसका जवाब आया था चिकित्सा विभाग से उसमें उन्होंने यह मना किया था और बताया था कि पुरुष कम्पाउण्डर की पदोन्नति श्रेणी प्रथम तक ही सीमित रहती है, जब कि महिला कम्पाउण्डर को वरिष्ठता के आधार पर स्टाफ नर्स, सिस्टर, सहायक नर्सिंग सुप्रिन्टेन्डेन्ट, नर्सिंग सुप्रिन्टेन्डेन्ट ग्रेड दो व 1 के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

(श्री शंकरलाल)

पीछे मैंने पूछा तो कहा, मामला विचाराधीन है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस मामले का क्या हुआ ? मेल और फीमेल का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। एक, दो, मैं मेरे क्षेत्र की बातें निवेदन करना चाहूंगा। जैतारण में लोगों ने हास्पिटल के लिए पैसा देना मंजूर किया है। यह भी पूछा है कि किस प्रकार का बनाया जाये वह नक्शा भेज दीजिये लेकिन यह नक्शा नहीं भेजा गया है। इस प्रकार की लाल फीताशाही से वह नक्शा नहीं भेजा गया है। इसी प्रकार आनन्दपुर की डिस्पेंसरी के लिये 2 लाख रुपया इकट्ठा कर रखा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही का समय रात्रि के 8-00 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय रात्रि के 8-00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय रात्रि 8–00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

(4·53 म० प०)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे गांवों में डिस्पेंसरियों की मंजूरी दें तो उनको इससे लाभ मिल सकता है। आपने अपनी रिपोर्ट में मलेरिया के बारे में बताया है। कुछ जगह आपने कम्पेन चलाया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझे अनुभव है, चाहे जयपुर हो, पाली हो, आपके मच्छरों ने बहुत उत्पात मचा रखा है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उस पर ध्यान दें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह पाली के मच्छरों ने मचा रखा है।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : आपने कम्पेन चलाया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री श्रवणलाल।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी है। हमें घण्टों बैठा रहना पड़ता है। हम भी ह्यूमेनबींग हैं।

श्री जगतार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय मिलना चाहिये।

श्री टीकमचन्द कांत : फिर लोगों को निर्दलीय बनने में ज्यादा विश्वास हो जाएगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जब आप आसन पर नहीं होते हैं तो हमारे साथ अन्याय होता है।

श्री अध्यक्ष : क्या, माननीय सदस्य ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : जब आप आसन पर नहीं होते हैं तो हमारे साथ अन्याय होता है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो नहीं हो सकता है, माननीय सदस्य। यह सम्भव नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह सम्भव ही नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री टीकमचन्द कांत : श्रवणलाल जी का नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : अगर पांच-पांच और सात-सात मिनट बोलेंगे तो सबकी बारी आ जायेगी। आप सहयोग देंगे तो मैं तीनों माननीय सदस्यों को समय दूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं केवल पांच मिनट ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे आश्वासन दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आश्वासन देता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि बराबर आपके साथ न्याय होगा।

श्री टीकमचन्द कांत : श्रवणलाल जी को बैठा दिया है।

श्री अध्यक्ष : बहुमूल्य समय अब हो गया है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कट मोशन्स के द्वारा अपने यहां के चिकित्सा विभाग के बारे में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि सब सैण्टर, डिस्पेंसरियां और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में पिछली सरकार से ज्यादा, जनता की भावनाओं को पहचानते हुए, खोलने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही मैं यह मांग करूंगा कि 31 तारीख को बजट लैप्स होने जा रहा है। जहां आपने स्टाफ नहीं पहुंचाया है, जहां आपने दवाई की व्यवस्था नहीं की है और वह पैसा लैप्स होने जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी वहां पर स्टाफ पहुंचाने की व्यवस्था करें, वहां सामान और दवाई पहुंचाने की व्यवस्था करने के अलावा और थोड़ा प्रबन्ध करें, तो अधिक उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान हिण्डौन की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय से हिण्डौन के अन्दर एक छोटी सी डिस्पेंसरी पी. एच. सी. के नाम से चली आ रही है। वहां की जनसंख्या अब ज्यादा हो चुकी है, जहां पहले 10 हजार थी, वहां अब वह 50 हजार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, पी०एच०सी० की डिस्पेंसरी के अनुसार ही वहां पर स्टाफ है। उसके अनुसार वहां पर दवाइयों का इन्तजाम होता है। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वहां की जनसंख्या के आधार को देखते हुए वहां पर 50 बैड का एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्था करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं इस विभाग के अन्दर जो धांधली

(श्री श्रवणलाल)

चल रही है. उसके बारे में भी आपके द्वारा बताने में मुझे संकोच नहीं होगा। यहां जिस प्रकार की लिफ्ट लगी हुई है वैसी सवाई मानसिंह अस्पताल में लिफ्ट लगी हुई है, उसके साथ साथ जनाना अस्पताल में भी लिफ्ट लगी है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह लिफ्ट कहीं पर दिखाई नहीं देती है। वह लिफ्ट कहां पर है? उसके पुर्जे कहां पर हैं? उसका कोई पता नहीं है। वर्षों से आज तक उसकी मरम्मत के लिए, उसके पुर्जों के लिए हजारों का हर साल बजट रखा जाता है। वह पैसा उठाया जाता है। मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि वह लिफ्ट खराब पड़ी है। वहां का लिफ्टमैन मौजूद नहीं होने पर भी उसके नाम पर खर्चा उठाया जाता है। कौन उठाता है? इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए माननीय मन्त्री महोदय सजग होंगे, तो मैं समझूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत बड़ा काम किया है।

सी. एम. एच. ओ. के आफिस में जायें, तो वहां पर पहले से दवाई मौजूद हैं। आज वहां पर 60 हजार की दवाइयां मौजूद हैं। किसी फर्म को ऑब्लाइज करने के लिए 1 लाख 60 हजार की दवाइयां खरीदी जाती हैं। दवाइयां हैं, फिर भी 1 लाख 60 हजार की दवाइयां फर्म को ऑब्लाइज करने के लिए खरीदी जाती हैं। इसका कारण उस फर्म को लाभ पहुंचाना है।

इसी प्रकार से जनाना अस्पताल में धांधली चल रही है। जनाना अस्पताल में फर्जी बिल बनाये जाते हैं। फर्जी कम्पनियों से इस प्रकार से रकम ऐंठी जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले को लेकर कई बार आन्दोलन हुए हैं और उसको दबाने के लिए हमारे मन्त्री महोदय को तीन-तीन हजार रुपये की पार्टियां सिसोदिया गार्डन में दी जाती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करूंगा कि वे यह भी बताने की कृपा करें कि किसने पार्टी दी, कहां दी और कब दी? हमको बुलाया गया तो किस तारीख को बुलाया गया?

श्री श्रवणलाल: मैं इसकी फोटोस्टेट कॉपी सदन की मेज पर रख देता हूं। इस पर जांच के भी आदेश दिये गये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य यह सिद्ध कर दें कि किस ने पार्टी दी और मैं उसमें गया हूं तो मैं एक मिनट के लिए भी मन्त्री पद पर रहने के लिए तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल: मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं इस बात को साबित करूंगा कि आप पार्टी में गए हैं, दो हजार रुपये की पार्टी दी गई है और आपके बड़े भाई, जो अकाउण्टेन्ट थे, के द्वारा।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक बातें माननीय मन्त्री महोदय ने चाही हैं, दिन—स्थान और

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

किसने पार्टी में बुलाया ? माननीय सदस्य को यह सबसे पहले साबित करना चाहिए।

श्री नत्थींसिह : मन्त्री महोदय ने क्या खाया और क्या पीया यह भी बतावें ?

श्री श्रवणलाल : मैं चार्ज लगा रहा हूं, उसकी फोटोस्टेट कापी सदन की मेज पर रखता हूं, 18 हजार के फर्जी डाकूमेन्ट्स हैं, बिल हैं और बिल्टी हैं, जिसकी फोटो-स्टेट कापी है, इन्क्वायरी कराई है ···

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना पूर्व सूचना दिये और बिना नोटिस दिये इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। माननीय सदस्य को वे ही तर्क देने चाहिए जो मन्त्री महोदय ने चाहे हैं, वे गलत भी हो सकते हैं। मन्त्री महोदय ने पार्टी खाई, यह स्पेसिफिक बात कहा है तो, किसने पार्टी दी और कहां दी, मन्त्री महोदय उसमें शामिल हुए, इन तीन बातों के बारे में माननीय सदस्य से निश्चित रूप से जानकारी ली जानी चाहिए।

(व्यवधान)

अगर माननीय सदस्य तथ्य देने में असमर्थ हैं तो माननीय सदस्य को नम्रता-पूर्वक अपनी बात को वापस ले लेना चाहिए।

श्री श्रवणलाल : यह गलत है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको साबित करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : आप शान्त रहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो अपना भाषण जारी रखिये, यह तो चलेगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा, जनाना अस्पताल ने 31/3/78 को बिना सामान प्राप्त किए, फर्जी प्रमाण पत्र देकर भुगतान कर दिया। इस चिकित्सालय के कुछ कर्मचारियों ने गत वर्ष 77-78 के अन्त में 31-3-78 को साजिश करके पार्टी से मिल कर स्टाक एण्टरी का झूठा प्रमाण पत्र बिल बना कर धनराशि राजकीय कोष से ड्रा कर ली।

एक माननीय सदस्य : यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री श्रवणलाल : मैं पार्टी बता रहा हूं। इसमें एक मैसर्स गुडविल स्टोर, दिल्ली, बिल नम्बर 402, दिनांक 30-3-78।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : यह क्या तरीका है ?

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सदस्य छिपा रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : मैं छिपा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने चुनौती दी है, इस मामले को निपटाना चाहते हैं। जब सदन में चुनौती आने के बाद माननीय सदस्य

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

तथ्य नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आरोप माननीय सदस्य को वापस ले लेना चाहिए या फिर तथ्य दें। मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे एक क्षण भी मन्त्री पद पर नहीं रहेंगे, अगर सिद्ध हो गया तो। इसलिए कृपा करके इसके फैक्ट्स दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आरोप तो लगते रहते हैं, सिद्ध होगा तो मन्त्री महोदय ने जो कहा वह आगे आएगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सदन इसके लिए उत्सुक है····

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : फिर माननीय सदस्य के आरोप लगाने का क्या मतलब निकला ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको समाप्त तो करने दीजिये, कहने तो दीजिये।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, बजरंगलाल जी और माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं, मेरे पास तारीख तो नहीं है, यह मैं बाद में बता सकता हूं, लेकिन सी. ए. ओ. ने जांच की और जांच में दोषी पाया गया। हुक्मचन्द जी ने घोटाले किए जो मन्त्री महोदय के बड़े भाई हैं, उन्होंने पार्टी के अन्दर कम से कम तीन हजार रुपये खर्च करके सारा मामला रफा-दफा किया है।

(व्यवधान)

हुक्मचन्द जी के द्वारा पार्टी दी गई।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय, इस पार्टी में गये हैं और जाने के बाद से इस मामले को रफा-दफा कर रखा है।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सदस्य के पास जो सूचना है वह अधूरी है, कान्क्रीट सूचना के अभाव में ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रवणलाल जी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा है कि आरोप लगाने वाले और जिस पर आरोप लगाया जाय····

(व्यवधान)

यह आप तय कर लीजिये।

श्री अब्दुल अजीज : यह घटकवाद का झगड़ा है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप अपने पास बुला लें, विरोधी दल के माननीय नेता को भी, और मुख्य मन्त्री जी को, तीनों के सामने फैक्ट्स रख दें, और कह दें कि पार्टी किसने दी, कहां दी और मैं पार्टी में गया हूं। मैं उसको जानता भी नहीं। जिस दिन तथ्य प्रमाणित हो जायेंगे उसी दिन मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा। कल, परसों या एक सप्ताह का समय माननीय

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
सदस्य ले लें, अध्यक्ष महोदय, आपको तथ्य दे दें, आप तय करें, मैं मान जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय के सुझाव के अनुसार व्यवस्था भी कर सकता हूं। माननीय सदस्य, आप भाषण समाप्त करें।

श्री टीकमचंद कान्त : कुछ जल्दी में कह गए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आरोप वापस लिये जायें।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : आरोप वापस नहीं लूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री गुल मोहम्मद : या तो माननीय सदस्य आरोप वापस ले लें····

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि ···

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यदि आरोप वापस लेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आरोप वापस लेने का विचार रखते हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि क्योंकि मंत्री महोदय ने एक सप्ताह और दिया है तो माननीय सदस्य को भी जवाब के लिए समय दिया जाए, एक सप्ताह दिया जाये। आप उनको दबा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक सप्ताह तक तथ्य सप्लाई करें, ऐसा मंत्री महोदय ने कहा है।

श्री रतनलाल वर्मा : बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के कोई भी माननीय सदस्य किसी पर गलत आरोप न लगाएं। जो इस सदन की परम्परा रही है उसको न बिगाड़ें। चाहे मंत्री हों या सदस्य हों, यह बिल्कुल गलत तरीका है कि जो चाहें आरोप लगायें। मंत्री महोदय ने इतना चैलेंज कर दिया, हालांकि यह साधारण बात है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 272 कहता है कि अगर कोई ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। गृह मंत्री।

श्री श्रवणलाल : मैं बोल रहा था।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आरोप वापस लिए बगैर नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल ऐरन : हम नहीं बोलने देंगे जब तक आरोप वापस नहीं लेंगे।

श्री श्रवणलाल : वापस नहीं लूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : या तो सिद्ध किया जाय या वापिस लिया जाए। दोनों में से एक बात चलेगी।

श्री शंकरलाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे अलग मिलूंगा और आवश्यकता होगी तो मंत्री महोदय के साथ मिलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : ऐसा नहीं हो सकता।

श्री श्रवणलाल : आप मुझे रोक नहीं सकते।

श्री रतनलाल वर्मा : यह कोई पटेलों की पोल नहीं है, गांव का चौराहा नहीं है....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

पूर्व सूचना के बिना मंत्री पर आरोप

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने सुना ही नहीं। इस सदन की परम्परा रही है और नियमों में भी प्रावधान है कि किसी मंत्री के विरुद्ध कोई सदस्य आरोप लगाना चाहें तो वह अध्यक्ष को लिखित में दें और मंत्री को भी पूर्व में ही लिखित में दें। इस प्रकार की आश्चर्यजनक व खेदजनक घटना हमने नहीं देखी है कि जिस पार्टी का राज है, उसी पार्टी का विधायक अपने मंत्री पर विधान सभा के अन्दर चार्ज लगाएं। यह बिल्कुल गलत है। मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं सिसोदिया गार्डन जानता नहीं। तो आप व्यवस्था दें कि इस प्रकार जो आरोप लगाये, जो नियमों के अन्दर नहीं हैं, उनको हटाया जाए।

श्री मूलचंद डागा : नियम 272....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक आरोप लगाया गया, मंत्री जी ने चुनौती स्वीकार कर ली, उन्होंने तथ्य मांगे, माननीय सदस्य तथ्य नहीं दे सके। बजाय इसके कि माननीय सदस्य से माफी मांगने के लिए कहा जाए, आसन की तरफ से कहा गया, माननीय सदस्य, मैं आपसे मंत्री महोदय सहित मिल लूंगा। क्या सदन में यह परम्परा कायम होगी कि कोई सदस्य स्पष्ट आरोप लगाए, तथ्य नहीं दे सके तो अध्यक्ष सम्बन्धित मंत्री के साथ, आरोप कर्त्ता के साथ मिलने जायें? क्या यह परम्परा सही है?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री का कहना सही है लेकिन अध्यक्ष किसी से मिलें और माननीय सदस्य एस्पर्शन करें, यह बजरंगलाल जी को शोभा नहीं देता। अध्यक्ष ऐसे मामले में बातचीत कर सकते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आप एस्पर्शन किसे कहते हैं ? आपने कभी समझा है कि एस्पर्शन क्या होता है ?

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : मैं आपकी नॉलेज की दाद देता हूं।

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय श्रवण लाल द्वारा जो आरोप लगाए गए, मन्त्री महोदय ने चुनौती स्वीकार की, यह बात यहां समाप्त हुई, परन्तु अध्यक्ष महोदय को इंगित करके आसन की अवहेलना वाली बात जो बजरंगलाल द्वारा कही जा रही है, वह निन्दनीय है और हम चाहते हैं कि इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी जाए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने जो शब्द कहे हैं, आप, अध्यक्ष महोदय, पढ़ कर तय करें कि मैंने क्या कहा है ?

श्री किशनसिंह भाटी : इस सदन में हमेशा परम्परा रही है और कम से कम हम 19-20 महीनों से देखते आए हैं कि महत्वपूर्ण विषयों पर अध्यक्ष कहते हैं कि बातचीत हो जाएगी तो अध्यक्ष ने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया ?

श्री बजरलाल शर्मा : ऐसा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर।

श्री ईश्वरचन्द्र : मई, 1967 से अगस्त, 1975 तक विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन में, एक ऐसे मामले का उल्लेख है, उसमें आसन ने 30-3-70 को आदेश दिया है कि सदस्य के किसी भी कथन को कार्यवाही में अंकित न करने की आसन द्वारा व्यवस्था दी जा सकती है। श्री श्रवण लाल अपने शब्द वापस लेने के लिए क्या तैयार है ? उन्होंने मंजूरी नहीं ली है, आप उचित समझते हैं तो कार्यवाही से निकाल सकते हैं क्योंकि मन्त्री महोदय, की स्पष्ट चुनौती थी....

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : उसको निकलवा दिया जाए, जो भी बजरंगलाल जी ने कहा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : किशनसिंह जी बड़े सेन्टीमेंटल हो रहे हैं उनको रात को नींद नहीं आएगी, रिपोर्टर्स ने जो लिखा है, उसको आप पढ़ लें। मैं नहीं चाहता कि मेरे इतने प्यारे दोस्त को रात भर नींद नहीं आए।

श्री किशनसिंह भाटी : आप केवल वकील हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बजरंगलाल जी से कहूंगा कि श्री किशनसिंह भाटी को ट्रेंक्वेलाइजर का इन्जेक्शन दे दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इनको तो तक नींद नहीं आयेगी जब तक मन्त्रिमण्डल में नहीं आयेंगे। खुमारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं सब सुन रहा था चैम्बर से। कम से कम यह समस्या तो

(श्री अध्यक्ष)

समाप्त होने दीजिए। माननीय सदस्यों ने जो आपत्ति उठाई उस तथ्य तक मैं पहुंचू, तब तो कोई व्यवस्था दूं। मैंने कुछ नहीं सुना। प्रोसीडिंग्स में जो कुछ भी आयेगा उसको मैं पढ़ूंगा और पढ़कर मैं व्यवस्था दे सकता हूं। माननीय श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर ने जो कुछ पढ़कर एक्सट्रेक्ट मुझे सुनाया, उसमें कहा है कि हो सकता है, यदि होने जैसा है तो हो जायेगा और यदि होने जैसा नहीं है तो नहीं होगा। जब तक मैं उसका अध्ययन न करूं, सुनूं नहीं, चिन्तन नहीं करूं, तो व्यवस्था क्या दूं?

श्री श्रवणलाल स्थान ग्रहण करें। अब गृह मन्त्री जी कोई महत्वपूर्ण बयान देना चाहते हैं, उसको सुन लीजिए।

शासकीय वक्तव्य

श्री परसराम मदेरणा-नेता प्रतिपक्ष के पुत्र श्री अशोककुमार की पुलिस द्वारा पिटाई

श्री सम्पतराम (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, आज अविलम्ब लोक महत्व के प्रश्न को लेकर कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव सदन में रखा था। जब जीरो आवर चल रहा था तो कुछ माननीय सदस्यों से इस सम्बन्ध में मेरी बातचीत हुई और मैंने वायदा किया था कि 5 बजे के करीब पूरी जानकारी एकत्र करके सदन में मैं अपना एक बयान दूंगा। उसकी अनुपालना में मैं आज इतना ही कह सकता हूं कि माननीय परसराम जी मदेरणा के सुपुत्र श्री अशोक कुमार के साथ पुलिस की कहीं थोड़ी बोलचाल या मारपीट हुई, लेकिन ऐसा समझ में बैठता है कि उसको थाने ले जाने और वहां उसकी पिटाई करने की बात मुझे मालूम नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूं और इसका मुझे अपने आप में अफसोस है और इस दोष के कारण जो सब-इन्सपेक्टर शर्मा है उसको मुअत्तिल करने के आदेश देता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं सदन को, कि इस मामले में सही और निष्पक्ष जानकारी जो भी मैं करा सकता हूं, वह ईमानदारी से करवाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री अध्यक्ष : चिकित्सा की मांग पर बहस। श्री मदनसिंह दांता।

माननीय सदस्य देख लें, आपको कहूं उसकी अनुपालना करें, यह मेरा अनुरोध है। मैं 3 माननीय सदस्यों को इधर से बुलवाऊंगा और फिर 3 को इधर से बुलाऊंगा। 5-6 मिनट ही एक माननीय सदस्य बोलें।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके दांता में हास्पिटल के लिए और डिस्पेन्सरी के लिए लिखकर दे दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा कोई सुझाव देता हूं, मैंने कल भी शिक्षा मन्त्री जी को सुझाव दिया और आज भी दे रहा हूं कि आज भारत के कान्सटीट्यूशन में जो धारा 47 है उसमें लिखा है कि Drinks injurious to the health. तो क्या वित्त मन्त्री जी की ड्यूटी नहीं थी इसमें लिखने की? मैं विश्वास दिलाकर कहता हूं कि आप चाहे

(श्री मदनसिंह दांता)

दांता में डिस्पेन्सरी नहीं खोलें, हास्पिटल नहीं खोलें लेकिन दांता में शराब और सुल्फा बन्द हो जाना चाहिए था। इधर तो आप शराब पिलाते हैं, छूतरे खिलाते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं और फिर दवाइयां देते हैं। यह कौन सा तरीका है? It is a criminal waste of money. आप दवाइयां देते जाते हैं और शराब पिलाते जाते हैं और बीमार लोगों को कैंसर के लिए अमल देते हैं और छूतरे पिलाते हैं। डोढे, अमल, अफीम और चरस भी है और उसके साथ ही आदमी खतम होने लगेगा तो इन्जेक्शन और दवाइयां अच्छी अच्छी देंगे। यह रईसों के समय में होता था कि रईस ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे और नशे के मारे लकवा हो जाता था, पेशाब की बीमारी हो जाती थी। इसलिए इधर तो शराब पिलाते हैं और उधर रोग बढ़े तो दवाइयां देते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मुझे बड़ा आनन्द आता कि अगर आप यातायात विभाग लेते और डाक्टर हरिसिंह जी यहां होते। मैं तीस वर्ष से देख रहा हूं कि गाय के नीचे भैंसा और भैंसे के नीचे गाय है। कम से कम आप इतना नहीं देख सकते कि डाक्टर हरिसिंह हैल्थ के विषय में ज्यादा जानते हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : ज्यादा झगड़े होते।

श्री मदनसिंह दांता : कोई झगड़े नहीं होते। यह आपको कहना चाहता हूं। इस मन्त्रालय के मन्त्री वही होने चाहिए थे, जो कि इसके विशेषज्ञ हैं। आपको मालूम है कि कुत्ते के काटने पर दवाइयां कहां मिलेंगी और आपकी जगह मैं मन्त्री होता तो विलायत से हवाई जहाज से भी मंगा लेता। बड़े आदमी बीमार हो जाते हैं तो हवाई जहाज उड़ जाता है लेकिन जब कोई गरीब आदमी को कुत्ता काटता है और उससे लोग मर रहे हैं तो उस समय हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। मन्त्री को उड़ना हो तो हवाई जहाज। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेन्ट से कह रहा हूं लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उसको ही आप लें। अगर यातायात में हरिसिंह जी हैं तो फिजूल में बदनाम हो रहे हैं। आप भी कई चीजों को नहीं जानते। इसलिए मन्त्रालय में उसी विभाग का विशेषज्ञ होना चाहिए। आज विदेशों में हर मन्त्रालय में उसका विशेषज्ञ मन्त्री होता है और यही कारण है कि वह अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। राजस्थान में एक रिटायर्ड आई० जी० पुलिस का मिनिस्टर होना चाहिए, तब वह सोच सकता है कि पुलिस में क्या होना चाहिए। आज भारत वर्ष में एक रिटायर्ड कर्नल होता तो रक्षा मन्त्रालय का काम अच्छी तरह से सम्भालता और अगर यह होता तो आप सोचिये कि हमारा देश कितना आगे बढ़ता। भैंस को दुहनी है तो गाय बांध देते हैं और गाय दुहनी है तो भैंस बांध देते हैं। इसलिए यही हल्ला होता रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी।

(अनुपस्थित)

श्री माणक लाल ठाकोर

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय

(१७८)

(श्री माणकलाल ठाकोर)

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने जब से यह मन्त्रालय संभाला है तब से इस विभाग में सुधार करने का सतत् प्रयत्न कर रहे हैं और देहातों में चिकित्सकों को भेजने और वहां पर हास्पिटल्स खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए यह धन्यवाद के पात्र हैं, किन्तु एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं जैसी कि आज की व्यवस्था है कि आज के चिकित्सक हैं और विशेष रूप से जो महिला चिकित्सक हैं और प्रश्नोत्तर काल में भी इसके लिए काफी चर्चा हो चुकी है, वह देहातों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 15 माह पूर्व माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय ने मेरे क्षेत्र नैनवा में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की और चार-चार बार उनके स्थानान्तरण हो गए, लेकिन एक भी महिला चिकित्सक अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। वहां पर लोगों ने भूख हड़ताल भी रखी लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। जब नैनवा जैसे स्थान पर जहां 10 हजार की आबादी है, सब डिवीजनल हैड क्वार्टर है, बहुत सी व्यवस्थायें हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, सिनेमा है, सब तरह के साधन हैं, वहां भी अगर महिला जाने को तैयार नहीं है तो ज्यादा इन्टीरियर में कौन महिला चिकित्सक जाने को तैयार होगी? इसलिये इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि अध्यक्ष महोदय, सुझाव दिया गया साम, दाम, दण्ड भेद से आप करें। जिस चीज की आवश्यकता है, सुविधायें प्रदान करें, मकान बनायें और फिर भी नहीं जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था कीजिये कि प्राइवेट प्रेक्टिस तक न कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लाखों रुपया खर्च कर चिकित्सक बनाया और अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि जो डाक्टर अच्छे हैं जैसे आपको कुछ समय पहले माननीय सदस्य ने कहा कि केशोरायपाटन के बन्दू खां कैसे मरे। बूंदी जिले के तीन डाक्टरों ने रिपोर्ट दी कि टी. बी. से मरा है, दूसरी कोई इन्जुरी नहीं है। दुबारा जांच कोटा के 5 डाक्टरों ने की और माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचों डाक्टरों ने यह रिपोर्ट दी है कि बन्दू खां की जो मौत है, सिर की चोट से हुई है।

एक माननीय सदस्य : टी.बी. का मरीज बता रहे थे।

श्री माणक चन्द ठाकोर : मौत सिर की चोट के कारण हुई है, यह पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं या तीन डाक्टर झूंठे हैं जिन्होंने पहले रिपोर्ट दी कि टी.बी. से मौत हुई है या पांच डाक्टर झूंठे हैं जिन्होंने बाद में रिपोर्ट दी कि सिर में चोट के कारण मौत हुई है। माननीय मन्त्रीजी, आपने क्या कार्यवाही की है? ऐसे महत्वपूर्ण मामले में डाक्टर गलत रिपोर्ट देते हैं। बूंदी से आने वाले माननीय श्री ओम प्रकाश जी ने कहा, बूंदी में 'बी' क्लास अस्पताल होना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा जो हमारी नैनवा पंचायत समिति है, उसमें कांग्रेस के जमाने से, माननीय डागा साहब की सरकार के जमाने में अस्पताल बनाने की योजना थी, मालूम नहीं वह योजना कहां चली गई? हमारी जनता पार्टी की सरकार ने कई जगह रेफरल अस्पताल बनाये हैं, किन्तु मेरे क्षेत्र में नहीं बना। हमारे जो चिकित्सा मन्त्री हैं, यह आनेस्ट इन्टीग्रिटी वाले ईमानदार

(श्री माणक लाल ठाकोर)

गांधीवादी मन्त्री हैं, इसके बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन जो दवाव रखते हैं, उस दबाव के आगे झुक जाते हैं। मेरे यहां लेडी डाक्टर का ट्रांसफर हुआ। बूंदी वालों ने दवाव दे दिया तो उनका केंसिल कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सदस्य का वेट कम है।

श्री माणक लाल ठाकोर : राजनीति तो चलती रहती है....

श्री अध्यक्ष : मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में कल परसों सात के सात डाक्टरों का सामूहिक ट्रांसफर किया गया है।

श्री टीकम चन्द कांत : अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा दवाब कम प्रयोग किया गया है।

श्री माणक लाल ठाकोर : दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में कम से कम दो-दो अस्पताल खुल गये, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक भी नहीं खुला। मन्त्री महोदय से प्रार्थना की, इन्होंने आज से लगभग कुछ माह पहले आदेश दे दिये, लेकिन आदेश की अनुपालना कौन करे ? स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरह से जो हमारा क्षेत्र है, नैनवा विधान सभा क्षेत्र, वह अन्त्योदय क्षेत्र हो रहा है, न अस्पताल खुलता है, एक खुला उसमें स्टाफ नहीं जा रहा है और न आयुर्वेद मन्त्री महोदय मेरे क्षेत्र में कोई दवाखाना खोलते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि मेरा क्षेत्र अन्त्योदय क्षेत्र है और मैं कहता हूं कि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। बाड़मेर वाले और बीकानेर वाले फालतू बातें करते हैं, नैनवा का मुकाबला कर लें तो मेरा एरिया ज्यादा पीड़ित है, जहां पर हमेशा अकाल जैसी स्थिति रहती है, जहां न अस्पताल खुलता है। माननीय चिकित्सा मन्त्री महोदय अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने एक अस्पताल खोलने के आदेश दिये हैं, आशा है अनुपालना भी करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री माधोसिंह।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या महोदय, आपका नाम मैंने पुकार लिया।

श्रीमती नारंगी देवी : पानी पीने गई थी, आप से पूछकर।

श्री अध्यक्ष : माधोसिंह के बाद आपका नाम पुकारूंगा। फिर श्योपत सिंह जी, फिर जगतार सिंह जी। पहले श्री माधोसिंह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे आयुर्वेद मन्त्री श्री काला बादल जी हैं और बादल जी आकाश में रहते हैं और बड़े प्रेम से बरसते हैं और उनके विरुद्ध ढूंढने पर भी मौका नहीं मिला कि किसी प्रकार की बात की अनहोनी कर दें। और हमारे त्रिलोक चन्द जी, जो मन्त्री हैं, वे काला बादल जी के ऊपर तीन लोक में रहते हैं और तीन लोक के अन्दर मुझे ऐसा लगता है कि वे शायद गांधी जी की गीता पढ़ते हैं। गांधी जी ने गीता में कहा है कि जो अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, वे पापी हैं, वे पाप खाते हैं। जब तीन लोक में यह गांधी जी के साथ पढ़ते होंगे तो

(श्री माधोसिंह कछवाह)
उस वक्त इस पृथ्वी पर जो लोगों में दुःख होते होंगे, या अस्पताल में जो अव्यवस्थायें हैं, उस पर जरूर ध्यान जाता होगा।

श्रीमान, सादी ने कहा है जब शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर व्याकुल हो जाता है। जब जोधपुर के अस्पताल के अन्दर कई तरह के लोगों को समय पर उपचार नहीं मिलने से, कमियां होने से, वहां लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है, मौतें होती हैं तो शहर के लोगों को जब पता चलता है तो उनमें व्याकुलता बढ़ती है। राजस्थान के अस्पतालों में इस तरह की कमियां होती हैं, तो इस सदन में व्याकुलता पैदा होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मानव का विकास शुरू हुआ था, उस वक्त सबसे पहले मानव ने अपने उपचार के काम किये और चिकित्सा का बीज बोया और जब बीज बोया था उसके बाद और प्रगति की। आज उस चिकित्सा पद्धति के बारे में हमारा मंत्रालय उदासीन है और सड़क बने या न बने, अन्त्योदय में पैसा कम लगे या ज्यादा लगे, और व्यवस्थायें करने के लिये हम सोचें या नहीं सोचें, लेकिन यह ऐसा पहला काम है जिसमें सबसे ज्यादा बजट होना चाहिये। विदेशों में जो नये-नये आविष्कार हुए हैं और मानव के लिये जो आवश्यक हैं वे सब हमारे यहां राजस्थान के अस्पतालों में जुटाने चाहिये। उदाहरण के लिये मैं निवेदन करूं कि एक मशीन होती है जिसकी कीमत दो लाख रु. होती है, वह दो मिनट के अन्दर खून में ए सी डी टी कितनी हैं, आक्सीजन, कार्बोनिक आक्सीजन आदि-आदि सारी बातों का पता एक चार्ट पर छपकर आ जाता है। जब मनुष्य के लंग्स काम नहीं करते हैं तो आटोमेटिक आक्सीजन देती है, वह हमारे हर अस्पताल में होनी चाहिये, उसका भी अभाव है। ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिये कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिये। और उसके लिये लड़-झगड़ कर बजट लेना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं ये हमारे मन्त्री जी सर्वोदयी कहे जाते हैं, लेकिन पता नहीं इसके नीचे जो मन्त्रालय है वह किस तरह सोचता है? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि वहां पर किस बात की कमी है, सोचने में और मानव को मौत से बचाने के लिये क्या-क्या होना चाहिये और मरणोदय योजनायें क्या होनी चाहिये? इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है–कोई भी महान आत्मा पागलपन के मिक्सचर से बची नहीं है No excellent soul is exempt from a mixture of madness अगर मैं भी उसमें से यह कहूं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उनको अनुभव मेरे से पहले हो गया होगा और इसके लिये बधाई देता हूं।

मान्यवर, मन्त्री महोदय से खास निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा मन्त्री जी से इसी सदन में पिछले साल भी निवेदन किया था कि जोधपुर के अस्पताल में बहुत सी कमियां हैं और सारी कमियों को मैंने कटौती प्रस्ताव में रखा था। मैंने इन कमियों के लिये कहा था, अगर पूरी नहीं करेंगे तो मुझे भूख-हड़ताल करनी पड़ेगी। इस पर उन्होंने एक पत्र लिखा 28–3–78 को और जो इसका एन्डोर्समेंट है उसकी भाषा इस प्रकार है, "आपकी सूचना के अनुसार हास्पिटल में सुधार करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। 15 मई के बाद मैं स्वयं

(श्री माधोसिंह कछवाह)

जोधपुर आऊंगा और मैं स्वयं देखूंगा कि व्यवस्था में कितनी प्रगति हुई है ? आप जो सुझाव देते जायेंगे, तदनुसार सुधार करते जायेंगे।" मान्यवर, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जिन बातों को मैंने पिछले साल कहा था उनका एक बिन्दु तक हल नहीं हुआ है और श्रीमान्, यानी वहां जो गन्दगी थी, उससे भी मुक्ति नहीं दिला पाये हैं। हमारे "महात्मा गांधी अस्पताल" में शौचालयों की व्यवस्था ठीक नहीं, पेशाब-घरों की सफाई नहीं, वास बेसिन की सफाई नहीं, वार्डों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं और सफाई कर्मचारियों की बढ़ोतरी नहीं, नर्सिंग स्टाफ की बढ़ोतरी नहीं और यहां तक, श्रीमान्, कि पीने के पानी का जो अभाव है उसका हल भी अभी तक नहीं कर पाये हैं, जिसका हल तत्काल करना चाहिये था। मैं तो इन सर्वोदयी मन्त्रियों से जितनी आस्था रखता था, मुझे एक साल बाद ऐसा लगा कि व्यवस्था करने में क्यों असफल रहे हैं ? ऐसे आवश्यक कामों के लिए धन की कमी भी नहीं बताई जा सकती है। अगर धन की कमी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि पहला काम वे इसे समझें और बिना किसी मांग पर उनको स्वतः करना चाहिये, नहीं तो श्रीमान्, जो कमी मैंने बताई है, समय की कमी से सब को तो मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन जोधपुर अस्पताल में जो कमी है, जैसा कि उजला जी ने कहा, कई बहिनों की मृत्यु हो जाती है, कई पतियों की मृत्यु हो जाती है, कई पिताओं और माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो मुझे महादेवी वर्मा की चार लाइनें याद आ जाती है और वे चार लाइनें मैं पढ़कर सुनाता हूं—

"इस मीठी सी पीड़ा में डूबा जीवन का प्याला,
लिपटी सी उतारती है केवल आंसू की माला।"

श्रीमान्, यह मीठी सी पीड़ा क्या है....?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वाह-वाह क्या कविता पढ़ी है।

श्री माधोसिंह कछवाह : डूबा जीवन का यह प्याला और लिपटी सी उतारती है केवल आंसू की माला।

तो मान्यवर, सर्वोदयी उपचार रूपी विश्वास की यह मीठी सी पीड़ा है। जब यह विश्वास टूट जाता है और जब लोग यह सोच कर जाते हैं कि इन अस्पतालों में उपचार हो जायगा लेकिन उपचार होता नहीं। उपचार के स्थान पर मृत्यु होती है, तो उसकी पीड़ा सहन करने की शक्ति चुक जाती है। मरने के बाद आंसू पड़ते हैं वह तो सर्वोदयों के लिये लागू होता है। यह बड़े दुःख का विषय है। मान्यवर,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं सर्वोदयों से एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह कहना चाहूंगा कि मैं इनकी वजह से 501 रु. हार गया। जब ये मन्त्री बने थे तो जोधपुर में मित्रों के साथ चाय का प्याला पी रहे थे तो शर्त लगी थी कि त्रिलोकचन्द जी सर्वोदयी हैं और अस्पतालों का सुधार करेंगे, क्योंकि सर्वोदयी गहराई में जाकर काम करते हैं। साल भर में काम हुआ नहीं तो मैं वह बाजी हार गया। उसका मुझे दुःख नहीं है, मान्यवर, लेकिन

(श्री माधोसिंह कछवाह)
वे अब भी यह सोचें कि कमियों का सर्वोदय नहीं लाना, मौत का सर्वोदय नहीं लाना, इन्सान के दुःखी होने का सर्वोदय नहीं लाना है। हर बात की कमी का सर्वोदय नहीं लाना है तो सर्वोदय नाम की रक्षा आज भी कर सकते हैं और उसकी रक्षा करने के लिये जो कबीर का दोहा है वह भी पढ़कर सुना देता हूं—

"नहाये धोये क्या भया, जो मन मैल न जाय,
मीन सदा जल में रहे धोये बांस न जाय।"

अगर हम सर्वोदय के नाम का गान करते रहेंगे और गान की गति यही रही और काम नहीं हुआ, आदमी मरते गये तो यह सर्वोदय नाम में भले ही स्नान करें बांस तो वहीं रहेगी। इधर के बैठने वाले उधर बैठने लग गये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप तो मोरारजी का सर्वोदय लें....

श्री माधोसिंह कछवाह : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था जोधपुर की जनता बड़ा अचम्भा कर रही है और जब हम उनमें बैठते हैं तो बार-बार पूछती है और वह क्या पूछती है कि राष्ट्रपति पधारे थे--महामहिम राष्ट्रपति और गोपाल प्लान्ट का उद्घाटन किया था, साल भर हो गया उस नींव के पत्थर को रखे, लेकिन अभी चींटी की चाल भी नहीं चले। हमारे देश में राष्ट्रपति का पद बड़े गौरव का पद है, उससे ऊंचा कोई पद नहीं है। राष्ट्रपति उद्घाटन कर दें और सरकार सोयी रहे, उसकी साल-साल भर तक नींद नहीं खुले, अगर ऐसा होने लग जायेगा तो हम जनता को कोई उत्तर दे पायेंगे ? अब या तो मैं स्तीफा देकर चला जाऊं या ये चले जायें, लेकिन अभी तो मैं सोचता हूं कि दोनों ही स्तीफा न दें और अब भी आप सर्वोदय को कायम रख सकते हैं, अभी भी आपके लिये समय है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मान्यवर, एक-दो बात और निवेदन करना चाहता हूं और एक बात खासतौर से निवेदन करना चाहता हूं और वह है श्रीमान्, न्यूरो सर्जिकल वार्ड, जो जोधपुर में नहीं है। बल्कि जयपुर में है। जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जावे, हैड इन्जरी हो जाती है, सिर में चोट पहुंचने पर श्रीमान्, उस आदमी के लिए क्या उपचार किया जावे ? अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है। चाहे फलौदी में हो, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे जोधपुर के आस-पास में कहीं हो, जोधपुर अस्पताल में लाते हैं और तीन दिन रखने

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

के बाद जब यह उनको सलाह दी जाती है जोधपुर के डाक्टरों द्वारा कि इस मरीज को जयपुर ले जाओ। जयपुर जब लेकर आते हैं तो जयपुर का डाक्टर कहता है कि अब तो बहुत देरी हो गई। उसका आपरेशन करने के बाद भी बचता नहीं है और वह चला जाता है। उसी स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। एक केस तो मैंने सर्वोदयी मन्त्री जी को ले जाकर बताया तो उन्होंने बड़ी कृपा की और उसकी बड़ी साल सम्भाल हुई सर्वोदयी मन्त्री जी के द्वारा वहां के डाक्टर

(श्री माधोसिंह कछवाह)
भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत अच्छा उपचार भी किया था और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। डाक्टर की तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई, लेकिन पता नहीं सर्वोदयी के पुण्य से या पाप से क्या था, वह मर गया। इसलिए, श्रीमान्, यह व्यवस्था जोधपुर में होनी चाहिये और यह वार्ड जोधपुर में खोलना चाहिए। अगर यह व्यवस्था जोधपुर में नहीं कर सकते तो लोग मौत के कुएं में जायेंगे।

अन्त में मैं सर्वोदयी मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वे सर्वोदयी हों, मैंने कुछ कह दिया हो, उसको हजम करके कार्य रूप में परिणित करेंगे और जो कमियां बताई हैं उनके लिए जरूर कोशिश करेंगे और अगले बजट सैशन में कोई कमी नहीं रहेगी यह मैं आशा करता हूं।

और साथ ही अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि का मामला है, उसको भी जल्दी से हल करें। इनका मामला बहुत गंभीर बना हुआ है, वे लोग बहुत परेशान हैं, उनके वेतन दूसरे डाक्टरों के मुकाबले में आधे भी नहीं हैं। इसलिए इसको भी हल करने की तत्काल कार्यवाही करें और डाक्टरों के लिए भी गांवों के अन्दर अन्य सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : समाप्त ही कर रहा हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए बड़ा आभारी हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए, बीस मिनट हो गए हैं, अभी काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री जगतारसिंह : आप तो पार्टी में बोलो....

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह : अन्त में मैं माननीय मन्त्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि महीने दो महीने के बाद आप जोधपुर पधारें, उससे पहले जो भी सैंक्शन्स करनी हों कर दीजिए, ताकि पहले भी भूख हड़तालें होती थीं, मैंने पहले तो भूख हड़ताल नहीं की लेकिन अब की बार करनी पड़ेगी, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह करूंगा, जिसके लिए आपको चेतावनी देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नारंगी देवी।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, कोई भी रुग्ण होना नहीं चाहता है :

"रुग्ण होना चाहता न कोई, किन्तु यदि रोग आ गया पास में, तिब्बत औषध के बिना उपचार, क्यों क्षमित होता नहीं वह मिष्ठान से।"

१८४

(श्रीमती नारंगी देवी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों मंत्री, आयुर्वेद मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री बहुत ही मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि इनसे बातें करें तो बातों से ही मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कार्य रूप में परिणित कोई बात नहीं होती है। यह बड़ी विडम्बना की बात है। आज राज्य में एक ओर सैंकड़ों डाक्टर बेकार घूमते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर नियुक्त नहीं होते हैं। मेरे क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं, किशनगढ़ और शाहबाद क्षेत्र में डॉक्टर्स नहीं रहते। मैं तो हाथ जोड़ कर मन्त्री जी से हार गई लेकिन सात महीने के बाद भी डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या ही अच्छा होता कि माननीय मन्त्री महोदय, अपने सोने के कमरे में चार्ट बनाकर लगाते और हमेशा चार्ट में यह देखते रहते कि कौन से विधान सभा क्षेत्र में, इर्रेस्पेक्टिव आफ एनी थिंग कहां पर किस चीज की आवश्यकता है?

मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे देश में महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है और लेडी डॉक्टर जो एक्सपर्ट होती हैं, वह अगर कहीं पर पोस्टेड है तो उस डॉक्टर को उस स्थान पर नहीं रहने दिया जाता है, उसका दूसरी जगह पर ट्रान्सफर कर दिया जाता है। क्या ही अच्छा होता कि उनको उसी जगह पर काम करने दिया जाता।

इसी तरह से अस्पतालों की जो बिल्डिगें हैं, किशनगंज में जो बिल्डिंग है, वह इस तरह से टूटी फूटी हालत में है कि बार बार निवेदन करने के बाद भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। जितना धन होता है वह जयपुर शहर और कोटा शहर के अस्पतालों की बिल्डिग्स पर बेरहमी से खर्च किया जाता है लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, पहाड़ियों के लोग रहते हैं, ऐसे बोर्डर एरियाज के क्षेत्रों में बिल्डिंग बनाना सरकार का अपना कर्त्तव्य है।

मैं समझती हूं कि आज बालकों की भी रक्षा नहीं होती है, उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था नहीं है। उनके मां-बाप का उन पर अधिकार है लेकिन उनकी चिकित्सा नहीं होती है। क्या ही अच्छा होता कि हमारे मन्त्री जी इस पर विचार करते और आने वाली संतति के लिए, आने वाले होनहार बालकों के लिए विशेष अस्पतालों की व्यवस्था होती। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे जनाना अस्पताल में जायें, चाहे चाइल्ड वेलफेयर हॉस्पिटल में जायें तो एक ही बैड पर चार-चार बच्चे सोते रहेंगे और वह बीमारी बच्चों में एक से दूसरे में फैलती रहती है। यह स्थिति इतनी दयनीय और शोचनीय है कि उनको आंखों से देखा नहीं जाता। माननीय मन्त्री जी, जयपुर के अन्दर तो बच्चों के अस्पताल की बात हो रही है लेकिन कोटा के लिए अभी भी उपेक्षा की जा रही है। कोटा में बच्चों के अस्पताल के लिए अभी तक प्रगति नहीं हुई है। मैं चाहूंगी कि गांवों में जाने वाले डाक्टरों के वेतनमानों में भी वृद्धि की जाय और उनकी हालत को देखते हुए उनको दो-दो इन्क्रीमेंट दिये जावें।

माननीय मंत्री जी, कोटा में हमारे अनेक कार्य होने से रह गए हैं, मैं समझती हूं कि

(श्रीमती नारंगी देवी)

सरकार को उसकी चिन्ता नहीं है। राजस्थान में कोटा औद्योगिक नगरी है और इसकी वजह से कैंसर और टी. बी. की बीमारी अधिक होती है। अभी तक हमारे कोटा में कैंसर यूनिट की व्यवस्था नहीं हुई है और टी. बी. के इलाज के लिए जो अस्पताल है, वह भी इस शहर के बीच में महाराजा भीमराव हॉस्पिटल के पास में है। क्या ही अच्छा होता कि यह अस्पताल शहर से दूर होता।

इसके अलावा चिकित्सालयों में दवाइयां भी बहुत कम हैं, उनमें बहुत दिक्कत रहती है, बैंड पर्याप्त नहीं है और जो यू. एन. ओ. से दवाइयां मिलती हैं या दूसरी धनी संस्थाओं से जो फ्री मेडिशन्स मिलती हैं, जब अच्छी औशधियों की व्यवस्था होती है वह हमारे डाक्टरों के काम में आती हैं न कि उन लोगों के, जिनके लिए वे दी गई हैं। आप चाहें तो इसकी जांच करा सकते हैं।

इसी तरह से गांवों में चिकित्सा कराने की व्यवस्था नहीं है, जिससे गांवों से लोगों को शहर में जाना पड़ता है। शहर का आदमी तो कहीं पर भी डाक्टर के पास जाकर इलाज करा सकता है लेकिन गांवों के लिए व्यवस्था नहीं है। अभी भी कितने ही माननीय सदस्यों ने यहां पर व्यक्त किया कि गांवों में बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं तो कहती हूं कि इस समय उनकी हालत मृत प्रायः होती है। क्या ही अच्छा होता कि उनके लिए भी समुचित व्यवस्था की जाती।

एक और निवेदन करूंगी कि हॉस्पिटल में जो दवाइयां दी जाती हैं वे पर्याप्त नहीं होती हैं, यहां तक कि कुनेन और ए. पी. सी. तक बाजार से लाने को कहा जाता है। यदि किसी के पैर में चोट लग जाय तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा भी बाहर से लाना पड़ता है, यह दयनीय स्थिति है श्रीमान्। मैं कोटा क्षेत्र का एक उदाहरण निवेदन करना चाहती हूं। कोटा की उपेक्षा बहुत हुई है। अभी भी वहां पर थ्री हण्ड्रेड बैडेड हॉस्पिटल है और वहां की आबादी बहुत बढ़ गई है। कोटा औद्योगिक नगर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय को एक यूनिट तो हण्ड्रेड बैड की शहर के बीच में रहे और एक यूनिट किसी भी फैक्ट्री के आस पास में लगायें, ताकि दूर दराज क्षेत्र से आने वाले लोग, वहां के लोग उसमें इलाज करा सकें। और दूसरा यूनिट है वह गढ़ के पास में रखा जा सकता है। कोटा के अस्पताल में बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं, उनके लिए बिल्डिंग भी बढ़ाई जाये और मेरा निवेदन है कि इन डाक्टरों की अलग-अलग यूनिटें स्थापित की जायें।

एक उदाहरण और मैं निवेदन करना चाहती हूं। पहले दो मेडिकल डॉक्टर्स और दो सर्जन डाक्टर्स थे, जो आल्टरनेट डेज में पेशेंट्स को देखते थे कोटा में। अब छः-छः, आठ-आठ डाक्टर आने से स्थिति यह हो गई है कि जिसका पेशेंट है वही डाक्टर उस पेशेंट को देखेगा और आज भी उनके पेशेंट की विभिन्न प्रकार की जांच कराने के लिए घण्टों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि डाक्टर्स की जो अभी तक पोस्टें हैं, इस समय इतने डाक्टर बेकार रहते हैं, उनको कार्य के अन्दर यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, उनके कार्य को

(श्रीमती नारंगी देवी)
यूटिलाइजेशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, इसलिए इनको अलग अलग यूनिट में किया जावे।

अब मैं आयुर्वेद मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वास्तव में आपको विद्या बहिन ने यह आयुर्वेद का चार्ज संभलाया है, विद्या बहिन से आपने चार्ज लिया है कि विद्या बहन ने मुझे आश्वासन दिया था कि आपके यहां एक आयुर्वेदिक औषधालय जरूर खोलूंगी, लेकिन दुःख का विषय है कि अभी तक वहां एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खुला है। आप भी मेरे क्षेत्र में गए हैं, मेरे को आपने भी आश्वासन दिया था और कहा था कि मैं आपकी बात का अनुमोदन करता हूं किन्तु अभी भी यह ऐसा नजर नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस डिपार्टमेंट में जो घपले हो रहे हैं, उसका एक नमूना मैं आपकी सेवा में यहां पर पेश करना चाहती हूं। जो चीज पेशेन्ट को अस्पताल में 40 रुपये किलो दी जाती है वही बाजार में 15/– 20/– रुपये किलो मिलती है। इतना बड़ा सरकार का डिपार्टमेंट है, जिसमें कितना व्यय होता है। यह डाइरेक्टर के लिए लज्जा की बात है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो रद्दी कागज दवाई की पुड़िया बनाने के लिए लिया जाता है, दवाई दी जाती है, वह रद्दी कागज आपका विभाग चार रुपये किलो लेता है, जबकि बाजार में इसका भाव 1.75 पैसा प्रति किलो है। इसी प्रकार से जो विभाग में चपरासी, नर्सेज हैं, उनको विशेष प्रकार का अलाउन्स दिया जाना चाहिए। यह मेरा नम्र निवेदन है। आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। इसी प्रकार से डॉक्टर और वैद्य के वेतनमान में जो अन्तर है, उसको भी कम किया जाना चाहिए। वेतनमान समान होना चाहिए। ये दोनों ही हमारे समाज के विशेष कार्यकर्ता और उपयोगी अंग है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा निवेदन है कि हम बीस सदस्य हैं। हमारा नाम कब तक आ जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके मुख्य सचेतक ने जो सूची दी है उसमें आपका नाम नहीं है।

अब मैं तीन विपक्ष के माननीय सदस्यों को मौका दूंगा।

(व्यवधान)

आपका नम्बर बाद में आएगा। आप और श्री नूरा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम सूची में है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम आ रहा है और मेरी मौजूदगी में आपकी बात सुनूंगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : धन्यवाद।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह क्या पार्टी है ? कैसे लोग हैं ?

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय सदस्य श्री बजरंगलाल, फिर आप और फिर श्री गुल मोहम्मद ।

श्री श्योपत सिंह ।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, दवाई आदमी को जिन्दा रखने के लिए जरूरी है। जिस देश में दवाई बिकती हो, वह देश नहीं, नरक है। इस देश के अन्दर जिन्दा रहने का अधिकार सिर्फ पैसे वाले का है। यह भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, जो कहते हैं कि हमारा देश महान् है, तो यह महान् देश किसके लिए है जिसको दवाई नहीं मिल सके········

श्री टीकमचन्द कान्त : आप बंगाल में क्या कर रहे हैं ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : बंगाल में क्या हो रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। पहले यहां तो देखो ।

अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब विडम्बना है। यहां पर वही आदमी जिन्दा रह सकता है, जिसकी जेब में पैसा हो। हमारी 60 फीसदी आबादी ऐसी है, जिसके पास दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है, जिसके खाने की कोई गारन्टी नहीं है, जिसको कपड़े की कोई गारन्टी नहीं है, जिसकी शिक्षा की कोई गारन्टी नहीं है और दवाई की भी उसकी गारन्टी नहीं है। यह हमारी व्यवस्था है। बहस करने का एक रिवाज पूरा हो रहा है। हम जानते हैं कि कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं। आपका ध्यान इस ओर दिला रहा हूं। हमारी हालत क्या है ? हनुमानगढ़ में, अध्यक्ष महोदय, एक डिस्पेन्सरी है, उसकी हालत क्या है, वह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जो समाजवाद की बातें करते हैं, वे भी कृपया सुन लें। मैंने इसके बारे में एक प्रश्न यहां पर किया था। यह आपका उत्तर है। हनुमानगढ़ की आबादी 50,000 है। मैंने यह सवाल पूछा था कि कितने तो आउटडोर पेशेन्ट वहां पर आते हैं, कितने इन्डोर और कितना वहां पर दवाई पर रुपया खर्च होता है ? मैं इसका तीन साल का उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह जवाब है। सन् 1976 में 1 लाख 16 हजार आउटडोर पेशेन्ट आए और 1703 इन्डोर पेशेन्ट इस डिस्पेन्सरी में आए और इनके लिए आपने दवाइयां दी हैं केवल 16,990रु. की। राम नारायणजी सुन लीजिए। प्रति पेशेन्ट आया 14 पैसे। समाजवाद की बात करने वालों, इन्दिरा गांधी आज गरीबों की मसीहा बनी फिरती है। उनके राज में प्रति पेशेन्ट खर्च करते हो 14 पैसे। अब जनता पार्टी का शासन आया। हम सोचते थे कि कुछ काम ठीक होगा। 1977 में 96,000 पेशेन्ट आउट डोर में आए और इन्डोर में 2050 और दवाई दी आपने 34650/–रु. की। यानी तीस पैसा प्रति पेशेन्ट। डबल हो गया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद 1978 को लीजिए। 98,000 आउटडोर पेशेन्ट आए, 1781 इन्डोर पेशेन्ट आए और दवाई पर खर्च किया 42 हजार रु.। चालीस पैसा प्रति बीमार के हिस्से में आया, इतना पैसा आप ले लेते हैं अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी इस मुल्क को नरक बना रखा

(श्री ग्योपतसिंह मकासर)

है। तीस वर्ष जिस रास्ते पर कांग्रेस चली उसी रास्ते पर यह जनता सराकार चल रही है। कांग्रेस जिस रास्ते पर चली उसी रास्ते पर यह जनता पार्टी चल रही है। इनकी समझ में कोई फर्क नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान से देखो वरना इस देश के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। एक वक्त आएगा जब आपकी बुरी हालत होगी।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं बीमार की खुराक के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अस्पताल में मरीजों को जो खुराक देते हैं उससे जेल के कैदी की खुराक बढ़िया होती है। आप अस्पतालों में जाकर देखिए। यह मैं जानता हूं।

(व्यवधान)

इस अस्पताल के मरीजों के खाने से तो कैदियों का खाना अच्छा होता है। बुरे से बुरा खाना उसको दिया जाता है। कैदी को, जो बुरे से बुरे जुर्म में सजा-याफता होता है उसको भी बढ़िया खाना मिलता है। वह अच्छा गेहूं लाता है। अच्छी सब्जियां लाता है, मगर अस्पताल के अन्दर तो बंटाधार है। अस्पताल में हजारों सैंकड़ों पेशेन्ट होते हैं। इतने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए अलग अलग कीचन की व्यवस्था होनी चाहिए। इतने लोगों का खाना बनाने में टाइम लगता है। सप्लाई में समय लगता है तथा बढ़िया खाना नहीं दिया जा सकता है। न जिम्मेदारी होती है। अफसोस की बात है कि अस्पताल में दूध कैसा मिलता है, उसमें फेट कम होता है, यह कभी जाकर आपने देखा है? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दवाई देना तो जहन्नुम में जाए, खाने को रोटी भी आप अच्छी नहीं देते हैं। उस गरीब को आप दवाई नहीं दे सकते हैं। अस्पताल में किसी गरीब आदमी को दवाई दी जाती है? मन्त्री महोदय, मैं चाहता हूं कि आप जैसे नेक आदमी इस काम को देखें। दुनियां में जितने भी समाजवादी देश हैं वहां पर दवाई नहीं बेची जाती है। वहां पर दवाइयां बिना पैसे दी जाती हैं। आदमी जरूरी है। पैसा जरूरी नहीं है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकें तो कम से कम 56 प्रतिशत वे लोग जो गरीबी की सीमा से भी नीचे हैं, वे आपके महंगे कैप्सूल नहीं ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, इन्जेक्शन नहीं ले सकते हैं उनके लिये तो फ्री किया जाय, उनके लिये फ्री दवाइयों की एक दुकान अलग हो, इसकी आप व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ हमारे चिकित्सालयों में भी थाने की तरह तबादले होते हैं। माननीय अध्यक्ष, सामूहिक ट्रांसफर, किसके कहने से क्यों किये, जी, क्या शिकायत थी? अगर सात डाक्टरर्स के खिलाफ कोई शिकायत थी तो तबादले के वनिस्पत उनको सस्पेंड करके घर भेज देते। किस आदमी को खुश करने के लिये, किसकी बात रखने के लिये किये? चित्तौड़ के डाक्टरों का सामूहिक ट्रांसफर किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ सी. ए. एस. डाक्टर्स के बारे में बात कहना चाहता हूं कि उनकी क्या हालत है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो डॉक्टर्स एम. बी. बी. एस. हैं 5–5 साल का कोर्स करते हैं इंटेलिजेंट लड़के, उसके

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

बाद आपने उनके लिए लोक सेवा आयोग की बीमारी लगा रखी है, जो पेपर आउट करती है उसके जिम्मे डॉक्टरों को छोड़ते हैं, जो तीन मिनट में तय करेगी कि कैसा डाक्टर योग्य है या नहीं। मेरे ख्याल में कम से कम जितने दिन आप रहें। मैं चाहता हूं एक ऐसा आदमी, जिसके पास स्वास्थ्य मन्त्रालय है, अगर नेक आदमी अच्छे काम न करे तो उसको कौन याद करेगा ? आई. सी. एस. आफिसर्स के प्रमोशन होते हैं, आप डाक्टरों को उन बूचड़ों के आगे सौंपते हैं, वे तय करेंगे ? क्या आपके विभाग के इम्तिहान गलत है, प्रेक्टिकल्स परीक्षाएं गलत हैं। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप एडहॉक बेसिस पर नियुक्त कर रहे हैं डाक्टर को, जिसे यह पता नहीं कि कब उसकी नौकरी पक्की होगी। डाक्टर का काम कर रहा है, डिग्री उसके पास है फिर भी उसे पता नहीं। तो मेहरबानी कर के आप मत खोलिये हॉस्पिटल। इन डाक्टर्स के साथ ज्यादती मत करिये, जलील तो मत करिये। आप डाक्टरों को जलील करते हैं। हजारों बेरोजगार डाक्टर घूम रहे हैं क्या देश में कोई बीमार नहीं है ? मैं कहता हूं 100 में भी 90 आदमी बीमार हैं, आप किसी आदमी को पकड़ लें, विधान सभा में चैक करवा लें 90 फीसदी आदमियों को कोई न कोई बीमारी है और दूसरी तरफ आपके पास डाक्टर नहीं हैं, दूसरी तरफ डाक्टर बेकार घूम रहे हैं। आप क्या करेंगे ? यह प्लानिंग कैसी बनाई है ? कौन करेगा एम. बी. बी. एस. के कोर्स ? कौन डाक्टर बनना चाहेगा ? अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि 10 वीं पास लोग आफिसर्स बन गये मगर एक सी. ए. एस. डाक्टर का कोई भी एक्सपेरियेंस काउन्ट नहीं करेगा।

एक माननीय सदस्य : करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कोई नहीं करता। थानेदार, एस. पी., आई. जी. पी. बन सकता है। मगर सी. ए. एस. डाक्टर आखिर तक सी. ए. एस रहेगा चाहे एम. बी. बी. एस. कर ले, सी. ए. एस. बन गया तो सी. ए. एस. ही रहेगा। एक पचास साल का डाक्टर जिसे 25 साल का तजुर्बा है उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। यह गलत प्रोसीजर है, इन्जस्टिस है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने गांवों में पंचायत समिति स्तर पर....

श्री रघुनन्दन व्यास : बूढ़े डाक्टरों को भी एम.एस.एस.डी. करवाइये।

श्री मूलचन्द डागा : विधायकों के जो डाक्टर है, उसके घर फोन नहीं, हम रात को बात करना चाहें तो नहीं कर सकते, यह सुविधा नहीं है। विधायकों के लिये डाक्टर है उसके घर काल तक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहूंगा कि 60–61 से गांवों में समाज सेवक लगा रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, जिस आदमी को आज से 10–15 साल पहले लगाया ट्रेनिंग देकर, उसके बाद कम

(श्री श्योपत सिंह मकासर)
पढ़े लिखे लोगों को भी ज्यादा वेतन और प्रमोशन दे रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस परिवार कल्याण विभाग में समाज सेवक, उन्होंने मेमोरेण्डम दिया है, आपको भी मिला होगा, हमें मिला है। आप हास्पिटल चाहे कम खोलें मगर ज्यादा से ज्यादा दवा की व्यवस्था करें, गरीब लोगों के लिए मुफ्त दवा की व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ आयुर्वेद विभाग, हमारे काला बादल के जिम्मे आया है, पैसा तो दिया नहीं, खुश करने के लिये पिछड़ी जन जाति, ट्राइबल समाज से मिनिस्टर बना दिया और मिनिस्टर भी ऐसा भला आदमी जिसे कोई पैसा नहीं दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण मिनिस्टर हैं जो लगातार इस असेंबली में आते रहे हैं, कांग्रेस में भी आये, उसके खिलाफ भी आये और जनता पार्टी में भी आये। क्षेत्र में इतने पूजनीय, इतने योग्य आदमी को खुश करने के लिये ऐसा महकमा दे दिया जिसमें पैसा नहीं है। इनके पास भी गरीब आते हैं।

(व्यवधान)

जितना अच्छा काम वैद्य कर सकते हैं, इनके पास गरीबों की अप्रोच है, जयपुर हास्पिटल एस.एम.एस. में कौन जायेगा? गरीब तो जा ही नहीं सकता।

मुझे बता दीजिये किसी गांव के आदमी को दवाई लेते....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हमारा तो नम्बर ही नहीं आयेगा।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री जगतार सिंह कंग (करणपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। चिकित्सा के सम्बन्ध में गांवों में बड़ी तरक्की हो रही है, गांवों में बड़ा बजट दिया जा रहा है, यह कहने का एक फैशन हो गया है। हमारे चिकित्सा मन्त्री जी ने फर्माया कि गांवों में बहुत डिस्पेंसरियां खोली जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा इलाका उपेक्षित है, जिसका एरिया पाकिस्तान के साथ लगता है और पाकिस्तान की तरफ के वहां के लोग वैसे ही पीड़ित हैं, वहां का क्षेत्र राजनीतिक कारणों से बहुत ही पीछे रह गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे गंगानगर जिले में बहुत बड़ी आबादी है। बड़े बड़े गांव हैं उन गांवों में गरीब लोग ज्यादा हैं और उनमें बहुत ही गरीब लोग रहते हैं। मान्यवर, मैंने माननीय चिकित्सा मन्त्री जी के बजट को देखा है। उसमें जितनी भी नई डिस्पेंसरियां खोली गई हैं, वह राजनैतिक आधार पर खोली गई हैं, न कि आबादी के आधार पर। मान्यवर, जो गंगानगर जिले के बारे में अपने श्योपत सिंह जी ने गिनती करके बताया है कि डिस्पेन्सरियों में डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है, नर्सों की व्यवस्था नहीं है, कहीं पर दवाइयां नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कस्बे पदमपुर व केसरीसिंहपुर की आबादी 15 हजार से 30 हजार तक की है। मान्यवर, यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कहीं सड़कों से जुड़े हुए हैं तो उनका डिस्टेन्स 30 मील, 40-50

(१९१)

(श्री जगतार सिंह कंग)

मील तक का है। सड़कें जो हैं उनकी हालत का तो आप अन्दाजा लगा ही नहीं सकते हैं। इसी तरह से मान्यवर, रोडवेज के विषय पर चर्चा होती रही है कि रोडवेज की हालत क्या है ? मैं इन बातों को चिकित्सा के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं कि किसी बीमार को गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। मान्यवर, हरेक कोई अपनी जीप या कार पर नहीं जा सकता है। और इन कस्बों में अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो डिस्पेन्सरियों में पट्टी बांधने को भी नहीं मिलेगी और गंगानगर आने के लिए साधन नहीं हैं। इन कस्बों में जबकि इन कस्बों की आबादी 15 से 30 हजार तक की है, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में माननीय मन्त्री महोदय से मिल कर कई बार कहा है कि इतने बड़े बड़े कस्बों में कहीं भी लेडी डाक्टर नहीं है। और डिलीवरी केसेज को गंगानगर पहुंचाने के पहले ही रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के केसेज बहुत ही खतरनाक हैं और औरतों को बड़ी प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ती है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, हमारे पदमपुर कस्बे में और गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में एक्स-रे की मशीनों का कोई इन्तजाम नहीं है। जो मशीनें हैं उनको इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। दवाइयों की खास तौर से कोई व्यवस्था नहीं है। जिला हास्पिटल होते हुए भी उस हास्पिटल में बहुत ही कम डाक्टर्स दिये गये हैं और बहुत सी पोस्टें खाली पड़ी हैं। मरीजों की ओर अच्छी प्रकार से ध्यान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे माननीय श्योपतसिंह जी ने बताया कि 16 पैसे और 20 पैसे हमारे जिले में प्रति मरीज दवाई के लिये देते हैं।

मान्यवर, इसी तरह से हास्पिटल में सफाई के नाम से बदबूदार हवा मिलती है और अच्छा भला आदमी हास्पिटल में किसी मरीज को देखने जायेगा तो वह बीमार होकर वापस आता है। यह हास्पिटल की सफाई की व्यवस्था है और मरीजों का बहुत ही बुरा हाल है। यह गांवों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उसका एक नमूना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सी. ए. एस. डाक्टरों की डिमाण्ड्स हैं, जिनको हम मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। मान्यवर, जब शहरों के डाक्टर गांवों में काम करते हैं तो उनकी 350 रुपये पेज ज्यादा हो जाती है, और बाकी डाक्टरों, जिनका इन लोगों से सम्बन्ध है, उनको सेवा में रखकर उनको इससे डीबार रखा जाता है, यह बहुत ही निन्दनीय बात है।

मान्यवर, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस तरह से सामूहिक तौर पर डाक्टरों का ट्रान्सफर किया जाना बहुत दुखद घटना है। यदि डाक्टर काम नहीं करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। फिर भी जो मरीज हास्पिटल में एडमिटेड हैं, जो वहां के लोग हास्पिटल में इलाज ले रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देकर, उनकी तरफ देखकर इस तरह से जो सामूहिक आफ हैण्ड ट्रान्सफर्स किये गये हैं, वह

(श्री जगतारसिंह कंग)

बहुत ही गम्भीर मसला है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान खास तौर से गंगानगर जिले की ओर दिलाना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि हमारे जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनमें डिस्पेन्सरीज खोली जायें, हास्पिटल में डाक्टर भेजें तथा कस्बों में लेडी डाक्टर्स की पोस्ट क्रियेट करायें, और हमारे जिले की तरफ आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा। तीन-चार इधर से बोल लें, फिर आपको समय दूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय हमारा नम्बर कब आयेगा।

श्री अध्यक्ष : इनके बाद आपको, राम कृष्णदास जी गुप्ता और डागा जी एक साथ आयेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा(वनीपार्क, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी की इस बात की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण बात कही है। मैं उनकी और सराहना करूंगा कि स्वास्थ्य सम्बन्धी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, वह उन्हें स्वीकार करेंगे। जैसा कि श्योपतसिंह जी अभी कह रहे थे कि देश को नरक बनायेंगे। तो स्वर्ग तो चीन में है लेकिन यहां भी नरक नहीं बन गया है। स्वर्ग नहीं बना है फिर भी काम बहुत करना बाकी है। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप जिस मुस्तैदी के साथ काम में लगे हुए हैं उसकी गति और अधिक बढ़ा दें तो यह मुश्किल काम नहीं है।

मैं इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की तीन और बातें हैं। सक्षम टीम का सहयोग आपको अब तक जिस प्रकार प्राप्त होता रहा है वह प्राप्त होता रहे तो निश्चित तौर से हम यह विश्वास लेकर चल सकते हैं कि जिस तरह से जनता सरकार ने शिक्षा की रोशनी गांव गांव में पहुंचा दी है, उसी तरह से गांव गांव में चिकित्सा व्यवस्था जनता सरकार उपलब्ध करा देगी।

श्री रामनारायण चौधरी : आज तक कोई तवदीली है?

श्री टीकमचन्द कान्त : आपको बुरा क्यों लग रहा है?

श्री बजरंलाल शर्मा : और कोई बोलना बाकी रहा हो तो बोल लें। आप तो बोल बोल कर चले जाते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं है। जितने भी बैठे हुए हैं वह कुसर कुसर करते रहते हैं। आप शान्ति से सुनें, डागाजी। आज मैं मेरी आवाज को मोडीफाई करके बोल रहा हूं। जिस ढंग से मैं बात कहना चाहता हूं मेरे विरोधी भाइयों को उससे एतराज है तो उनके मन के मुताबिक बात कह देता हूं।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मन्त्री महोदय, आपको मन्त्री का पद तो परमानेन्ट रूप से मिला हुआ है, लेकिन आपका विभाग सारे का सारा एडहॉक है। यहां पर मुझे बताया गया है कि 61 के बाद यहां पर डाइरेक्टर कभी भी कन्फर्म्ड और परमानेन्ट रूप में कभी इस पोस्ट पर नहीं रहे हैं। आज एक साहब डाइरेक्टर के पद पर होंगे और कल दूसरे आयेंगे। एडहॉक तौर से लगे हुए हैं, आप भी इस बात को जानें कि उनको एडहॉक से परमामेन्ट किया जाय।

लेकिन इस विभाग में नर्सिंग स्टाफ की 30 वर्षों से डी. पी. सी. नहीं हुई है। दूसरे जो लोग हैं उनकी भी डी. पी. सी. नहीं हुई है और खास तौर से यह बात आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक स्वास्थ्य मन्त्री का रिकार्ड मुझे मालूम है, आप किसी भी विभाग में रहे हैं, वहां पर कोई काम बाकी छोड़कर नहीं आये और डी. पी. सी. का वर्क भी छोड़कर नहीं आये थे, तो इस विभाग में क्या हुआ ? डी. पी. सी. क्यों नहीं करा रहे हैं ? मेरी प्रार्थना है और स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से उम्मीद करूंगा कि नर्सिंग स्टाफ और दूसरे लोगों की जिनकी डी. पी. सी. नहीं हुई है, उनकी निश्चित तरीके से डी. पी. सी. करवायेंगे, ऐसी घोषणा आज इस सदन में करेंगे और जो अधर में लटके हुए हैं और पदोन्नति, वेतन या अलाउन्स के बारे में अनिश्चिन्तता महसूस कर रहे हैं उनको अपने हक के मुताबिक, वरिष्ठता के मुताबिक तरक्की पर पहुंचायेंगे।

स्वास्थ्य मन्त्री महोदय को कुछ चन्द बातें और निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। अभी चर्चा हुई कि पैसे की चिन्ता है। मेरा निवेदन है कि आप बैण्डेज पर कितना खर्च करते हैं ? पूरे राजस्थान में आप कितना खर्च करते हैं ? आप यह महसूस करते हैं तो आप स्वयं एक फैक्ट्री चलाकर या मिल चलाकर, उसको पैदा करें। अगर आप मिल को चलाकर यह काम करते हैं तो मैं अधिक तो क्या कह सकता हूं, आपको पैसे का अभाव नहीं होगा। इससे जो पैसा बचेगा, वह और कामों में लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

मास्टर रामशरण जी का ख्याल है।

दूसरी बात मैं, यह निवेदन करूंगा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में और अन्य स्थानों पर जो बहुमूल्य साधन पड़े हुए हैं, काम नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है कि उन इलैक्ट्रोनिक यन्त्रों का एक वर्क शॉप बनाया जाये। जैसे ही वह खराब हों, तुरन्त ही उसको ठीक किया जा सके, और उनका उपयोग हो सके। इसी प्रसंग में मैं स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यहां जयपुर में बहुत सी टेक्निकल चीजें बनाई जाती हैं। क्या माइक्रोस्कोप, आपका हास्पिटल नहीं बना सकता है ? मैं कहना चाहूंगा कि लाखों रुपयों की अनियमितताएं और उनको गड़बड़ घोटाले क नह कर माइल्ड वेन में मैं कहना चाहूंगा, इसमें सुधार नहीं हुआ तो अगली बार मैं दूसरे तरीके से कहूंगा। आप जिन यन्त्रों को बाहर से खरीदते हैं, उन यन्त्रों को यहां से नहीं खरीदा जाता है। वह अधिक दूरी से माइक्रोस्कोप खरीदे जाते हैं। मुझे दुबारा

(१९५)

(श्री बजरंलाल शर्मा)
यह कहने का मौका नहीं देंगे कि फिर मैं आपके सामने कहूं। यहां अस्पताल के बारे में शिकायत हुई। दो आदमियों की कमेटी बनाई गई। उसमें दोनों आदमियों को यह काम सौंपा गया कि वे सवाई मानसिंह अस्पताल में अनियमितताओं का अध्ययन करके उसमें सुधार की कार्यवाही की रिकमण्डेशन करें। अस्पताल में क्या सुधार लाया जा सकता है? पहली बार यह हुआ कि सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। शायद यह आपको पसन्द नहीं आई। जबकि कमेटी की तरफ से रिपोर्ट तैयार करके उत्तर भेजा जा रहा था। बहुत कम्प्रीहेंसिव तरीके से उत्तर भेजा जा रहा था। लेकिन उसको समाप्त किया गया। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा नहीं है कि इसमें कोई सुधार हो।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्य की वॉयस खराब हो रही है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : क्या माननीय सदस्य, इस बहाने अपनी बात कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

जो सिस्टेमेटिक ढंग से काम कर रहे थे। जन प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर जो काम किया था, एक अच्छा काम किया था। उतनी ही ज्यादा अवज्ञा की गई। मैं निश्चित तौर से उसे इश्यू बना सकता था। आपने किन परिस्थितियों में उन कमेटी को काम करने से रोका? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार ने जो अच्छा काम किया, इस सरकार ने नहीं पिछली सरकार ने। जो यूज करने वाले आते हैं, उनमें 80 प्रतिशत मरीज ऐसी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। जो कि पांच किस्म की हैं। तो क्या खुद की फैक्ट्री लगाकर नहीं कर सकते? माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री रविराय यहां पर पधारे थे। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है। ये दवाइयां इस प्रकार की ड्रग्स हैं। 80 प्रतिशत मरीज ठीक हो सकते हैं। तो क्या वह 22 दवाइयां क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? ताकि गरीबों को आप चिकित्सा सुविधा दे सकें।

श्री माधोसिंह कछवाह : बजरंगलाल जी, आपका गला ज्यादा खराब हो गया है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपकी नजर लग गई है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपकी आवाज मुझे पसन्द है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुझे भी अपनी आवाज पसन्द है, साथ ही आपकी आवाज भी पसन्द है।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय रिपोर्ट देते कि इतना पैसा बचेगा। उससे और दवाइयां खरीदी जा सकती थीं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय सदस्य ने झुंझुनूं और झालावाड़ की बात कही है, वेक्सीन के बारे में। उसका सभी जगह अभाव है।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

सभी जगह उसके बिना काम चला रहे हैं। आखिर ऐसी चीजों का अभाव क्यों चला आ रहा है ? इसके साथ साथ मैं ड्रग्स की बात कहूंगा। जो बाहर से नहीं मिलती हैं। तो मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए निवेदन करूंगा कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको रिएम्बर्समेंट के बिना और जो पे नहीं करते हैं, उनको रिएम्बर्समेंट से सप्लाई करें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एलोपैथिक चिकित्सा का जितना बजट है, उसके मुकाबले आयुर्वेद को बहुत कम बजट मिलता है। मेरा कहना यह नहीं है कि कालाबादल जी बहुत भले आदमी हैं, इसलिए ज्यादा दे दो। आज राष्ट्रपति से लेकर कालाबादल तक यही कहेंगे कि यह आयुर्वेद हमारी भारतीय पद्धति है। ऐसा संकल्प है। इसके अलावा एस. एम. एस. की दवाइयों का ही बजट ले लें तो वह आयुर्वेद का पूरा बजट हो जाता है। यह कैसी हिप्पोक्रेसी चल रही है। जहां पैसे का सवाल आता है, वहां पर यह स्थिति, जबकि राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण आदमी तक उसी भाषा में बोलते हैं। जहां करने का सवाल आये, वहां पर यह होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद के लिए अधिक बजट का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों के लिए खाने के लिए गोलियां हैं जो बहुत स्वादिष्ट हैं। होमियोपैथी का कालेज है, जिसको लेने के लिये निर्णय हो चुका है लेकिन आज तक उसको नहीं लिया गया है। इसके एग्जामिनेशन ठीक प्रकार से होने चाहिए। इसके प्रिन्सीपल का स्थान भी बहुत लम्बे अर्से से रिक्त है लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी योग्यता वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। होमियोपैथी की जितनी सुलभ और सस्ती पद्धति है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसकी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। एक और मेरा निवेदन यह है कि आयुर्वेद वाले प्रमाण पत्र दे सकते हैं, एलोपैथी वाले प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लेकिन होमियोपैथी का चिकित्सक प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है। इसलिए भी लोग इस अच्छी चिकित्सा पद्धति से वंचित रह जाते हैं। इस वास्ते इस बात पर भी विचार करना चाहिए और होमियोपैथी वालों को भी प्रमाण पत्र देने के लिए आथोराइज करना चाहिए।

अन्त में मैं परिवार नियोजन की बात कहना चाहता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जरूरी है ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपको देखकर जरूरी हो गया है। आप आदेश की पालना कर रहे हैं लेकिन मेरे जैसे और मुख्य मन्त्री जी जैसे भी हैं जो आदेश की पालना नहीं कर रहे है, दर्जनों वाले भी यहां बैठे हुए हैं। परिवार नियोजन के बिना सारी व्यवस्था फेल हो सकती है। राजस्थान में यह कार्यक्रम अन्य सूबों की तुलना में बहुत कमजोर रहा है और यह सारे देश के विकास को खा रहा है। इसलिए इस बढ़ती हुई

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

आबादी को रोकना बहुत आवश्यक है। आप बसों में चले जायं, बाजारों में, दुकानों में, सिनेमा में कहीं भी चले जायं, आप कुछ भी देखिये, अगर इस देश को ऊंचा उठाना है, अगर राष्ट्र का विकास करना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुस्तैदी के साथ परिवार कल्याण विभाग को काम करना चाहिए। स्वास्थ्य मन्त्री महोदय अपना कोटा पूरा कर लें, मेरे भाषण का भी कोटा पूरा हो रहा है। देश की बढ़ती हुई आबादी को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसको मिलकर हमें करना चाहिए।

अन्त में, मान्यवर, एक बात और निवेदन करूं और वह यह है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का एक बार पुनर्गठन किया जाना चाहिए। आशा है स्वास्थ्य मन्त्रीजी इस बारे में कोई निश्चित घोषणा करेंगे। पुनर्गठन करने से पहले इसका उचित मूल्यकांन करना चाहिए और किस प्रकार से किस प्रकार की सेवाएं होनी चाहिए, इसकी भी पूरी जांच करके इस पर विचार करना चाहिए ताकि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जनता को सस्ती और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय दाऊदयाल जी जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आयुर्वेदिक के मूल्यांकन के सम्बन्ध में शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है —

> "मत्स्य देशस्य यो जन्तु
> तज्ञं तस्योवधम् हितम्
> स्वस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणाम"

जिस देश की जलवायु के अनुसार जो औषधि होगी वही उस देश के लिए हितकर होगी। मेरे देश की भारत की औषधियां कितनी लाभकर और हितकर हैं, उसको देखकर आज दूसरे देश हमारे देश की पद्धति का अनुसरण करने को तैयार हैं। मेरे देश के पड़ौसी श्री लंका में आज राष्ट्रीय चिकित्सा कि रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार किया है और वहां पर 90 प्रतिशत लोग आयुर्वेदिक के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आज के दैनिक राष्ट्रदूत में आया है कि पश्चिमी जर्मनी ने घोषणा की है कि वह 50 लाख खर्च करके आयुर्वेदिक पद्धति के बारे में अनुसंधान करेगा। जब लंका और जर्मनी इस पद्धति के बारे में खोज कर रहे हैं तो मेरा मस्तक शर्म से झुक जाता है कि आखिरकार मेरे देश में इसको उचित महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी सरकार क्यों नहीं इस ओर अग्रसर हो रही है? दुख का विषय है कि श्री लंका सरकार 500 औषधियों पर, जो भारत में पैदा होती हैं उन पर खोजबीन कर रही है, लेकिन मेरे देश के अन्दर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

इस बात के लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आयुर्वेद मन्त्री महोदय ने बार बार आग्रह करने के बाद यह स्वीकार किया है कि मेरे राजस्थान में, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कृषि के अनुकेन्द्र हैं, उनमें से तीन लाख रुपया स्वीकार करके पांच स्थानों पर वनस्पति उद्यान लगाने का निश्चय किया है इसके लिए मैं इनको साधुवाद का प्रतीक मानता हूं। ये वनस्पति उद्यान अजमेर जिले में लीढ़ी ग्राम में, पाली जिले के गूंदोल, भीलवाड़ा के वेना नागौर के

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हुंडल, और गंगानगर के शेरेका में स्थापित्त किये जायेंगे। यह साधुवाद प्रतीत होता है। लेकिन इन गांवों का चयन करते समय शाह बाद जैसे महत्वपूर्ण स्थान को भूल गए। जहां पर शतावर मिलती है और सफेद मूसल बहुतायत से पैदा होती है। मैं इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि इन पांच उद्यानों पर जो तीन लाख रुपया सरकार लगाने जा रही है उसकी व्यवस्था के लिए दो चौकीदार, एक चपरासी, एक फारेस्ट गार्ड हैं, इस तरह पांच व्यक्ति मिलकर इसकी व्यवस्था करेंगे। मेरा निवेदन है कि जब हमने वनस्पति उद्यान लगाने का निश्चय कर लिया है तो एक विशेषज्ञ की भी नियुक्ति करनी चाहिए, जो ठीक प्रकार से इसकी देखरेख कर सके। लेकिन बजट में धनराशि के अभाव के कारण ऐसा नहीं किया गया है। मैं इसके लिए अर्ज करूंगा कि जो पांच वनस्पति उद्योग लगाने की बात है; लेकिन पिछले सत्र में जब माननीय त्रिलोक चन्द जी आयुर्वेद मन्त्री थे, एक चल वाहन गांवों में सेवा कर रहा था। एक शाहबाद में भी इसकी स्थापना होनी चाहिए।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि जहां एलोपैथी के लिए बड़े-बड़े वाहनों को उपलब्ध कराया जाता है और राजस्थान में भ्रमणशील वाहन घूम रहे हैं, आयुर्वेद में एक ही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही कम है और इस बारे में और अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार से यह सारी स्थिति है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। अभी जैसा कि माननीय सदस्य कौशल किशोर जी ने कहा उसको देखने से पता लगता है कि समान योग्यता वाले विद्यालयों में जो बच्चे भर्ती किये जाते हैं, टी. डी. सी. के लिए एलोपैथी में, और आयुर्वेद में, दोनों का समान स्तर होते हुए भी एलोपैथी वाला 5 साल के अन्दर डाक्टर बनकर निकलता है लेकिन आयुर्वेद का विद्यार्थी साढ़े छः साल के बाद वैद्य बनकर निकलता है। एलोपैथी वाला एम. एस. या एम. डी. सवा साल में करके बाहर निकलता है, लेकिन आयुर्वेद का विद्यार्थी तीन साल की ट्रेनिंग के बाद स्नातकोत्तर बनता है। एलोपैथी के डाक्टरों के वेतनमानों की ओर माननीय कौशल किशोर जैन ने ध्यान आकर्षित किया है। आयुर्वेद के विद्यार्थी को 75 रुपये इन्टर्नशिप के मिलते हैं जबकि एलोपैथी के विद्यार्थी को 450 रुपये प्रति माह मिलता हैं। आखिर एलोपैथी की तुलना में आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेगी। जहां एक ओर यह स्थिति है वहां दूसरी ओर आप आश्चर्य करेंगे कि आज सारे राजस्थान में 17 हजार एलोपैथी के बैड्स राजस्थान के अस्पतालों में हैं और आयुर्वेद के लिए हजार बैड्स। एलोपैथी के लिए 3260.21 लाख रुपये आपने रखे और आयुर्वेद का बजट 677 लाख का है। जब आयुर्वेद आपकी ज्यादा सेवा कर रहा है तो क्या कारण है कि आयुर्वेद वालों को आकर्षित न किया जाए? मुझे दुःख है कि पिछले 20 महीनों से या पिछले दो सालों से आयुर्वेद के लोगों के वेतनमानों में बढ़ोतरी का सवाल चल रहा है। अगर आप वैद्य को डाक्टर के बराबर नहीं दे सकते तो कम से कम पशु चिकित्सक के बराबर तो उसको वेतन देना चाहिए। कल ही सदन में घोषणा की गई कि वरिष्ठ शिक्षकों के वेतनमानों में बढ़ोतरी की जाएगी....

(१९८)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आदमी का इलाज करने वाले को पशु का इलाज वाले के बराबर वेतन ?

श्री दाऊदयाल जोशी : जब वरिष्ठ शिक्षकों के वेतनमान बढ़ सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि वैद्यों के वेतन न बढ़ाए जायें। आज आयुर्वेद में एक डाइरेक्टर, दो डिप्टी डाइरेक्टर और 17 इन्सपेक्टर राजस्थान में हैं। लगभग 125 औषधालय ऐसे हैं जहां वैद्य नहीं। इसके कारण राजस्थान का 40 लाख का बजट लैप्स होने जा रहा है। आज से कुछ दिन पूर्व प्रश्नोत्तर काल में आयुर्वेद मन्त्री ने बताया था कि यदि वैद्यों के वेतनमान बढ़ाये जायं तो 14·70 लाख रुपए केवल मात्र खर्च आएगा। जब कि 40 लाख का बजट लैप्स होने जा रहा है। वास्तव में मानवता की सबसे बड़ी सेवा वैद्य कर रहा है, उनको निश्चित रूप से ज्यादा वेतन दिया जा सकता है। आयुर्वेद मन्त्री जवाब देते समय इस बात को ध्यान में रखें।

यह भी निश्चय किया गया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में हर पंचायत समिति में 10 औषधालय खोलेंगे। आयुर्वेद के हर साल 120 विद्यार्थी निकलते हैं। आज औषधालयों में धात्री नहीं, कल्प पत्र नहीं।

यहां पर इंडियन मेडिकल बोर्ड नाम की एक संस्था चल रही है, जिसको 22 साल में केवल मात्र 16 हजार रु. की ग्रांट-इन-एड दी गई है। धात्री और कल्प पत्र की परीक्षायें इस संस्था के माध्यम से लागू की जाएं जिससे अच्छी धात्रियां मिल सकें, जिस की गांव में आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा आयुर्वेद का विषय है। इसलिए मुझे बोलने दिया जाए। आयुर्वेद का कोई सचिव नहीं। इस समय आयुर्वेद का सचिव एलोपैथी के साथ चलता है। इसलिए जब आपने आयुर्वेद विभाग अलग कर दिया तो सचिव भी अलग होना चाहिए। उसके साथ ही एक विशेषाधिकारी का पद भी सृजित किया जाए जो आयुर्वेदज्ञ होना चाहिए।

पहली बार बजट में तीन लाख रु. का प्रावधान संजीवनी औषधियों के लिए किया गया है, जो आयुर्वेद के विटेमिन्स हैं। उनके लिए केवल 3 लाख की व्यवस्था की गई है। मेरी ताराप्रकाश जी डाइरेक्टर से बात हुई थी। उनकी धारणा है कि कुछ वैद्य च्यवनप्राश को टेबलेट्स के शकल में बना रहे हैं। मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय स्वयं च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं, अच्छा होगा अगर च्यवनप्राश की टेबलेट आ जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे स्कूलों में जो अंडे खिलाने की बात कही जाती है, वह भूल जायेंगे और सही प्रकार के विटेमिन्स च्यवनप्राश के माध्यम से मिलेंगे।

आयुर्वेद के महाविद्यालय राजस्थान में केवल दो हैं। मेरा निवेदन है कि कम से कम 5 आयुर्वेद महाविद्यालय राजस्थान में खोलने चाहिए। हर डिवीजन में एक महाविद्यालय हो, एक कोटा जिले में हो····

श्री रघुनन्दन व्यास : सिरोही में खोलें तो हम भवन बनाकर दे सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुगल काल में अमूल्य निधि चली गई। यह 1500 साल

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पहले की प्रणाली है। दुर्भाग्य की बात है कि आयुर्वेद की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी गई। वर्षों बाद भी आयुर्वेद जीता रहा, केवल मौखिक रूप से उसको संजोए रखा। आशा है, जब आज आपने मांग रखी है, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।

(व्यवधान)

राजस्थान ने अन्त्योदय के मामले में पहल की है, काम के बदले अनाज में पहल की है, तो राज्य की चिकित्सा प्रणाली केवल आयुर्वेद हो, इसमें भी राजस्थान पहल करे, निश्चित रूप से आप शतायु बनकर जायेंगे।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि इसी साल धन तेरस के दिन सारे राज्य का स्वास्थ्य दिवस हो, वह स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाए।

अंत में मैं त्रिलोकचन्द जी से शिकायत करूंगा कि बारां में एक डाक्टर है। वह दो साल से छुट्टी पर है, उसका तबादला हो गया और उसके कारण छुट्टी ले ली। वहीं एक डिस्पेन्सरी बना कर ठाठ से प्रेक्टिस कर रहा है। तनख्वाह भी सरकार से ले रहा है। बुरी तरह से गालियां भी देता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? मन्त्री जी, उस महाशय का कुछ बिगाड़ो, दो साल से फोकट की तनख्वाह लेना और उधर अपनी प्रेक्टिस करना कितना अन्यायपूर्ण है?

इसके अलावा सारे देश में जो आयुर्वेद की प्राइवेट परीक्षायें हों, उसमें भी राजस्थान पहल करे, हिन्दी साहित्य प्रयाग की परीक्षायें होती हैं, दिल्ली विद्यापीठ की होती हैं। जब विद्यार्थी अपने माता-पिता की गाढ़ी कमाई आयुर्वेद कालेज में जाकर व्यय करता है तो घर बैठे केवल मात्र नोट्स के आधार पर आयुर्वेद पढ़ कर आयुर्वेद आचार्य का रजिस्ट्रेशन करवा कर गांवों में लोगों की चिकित्सा करेगा तो दुष्परिणाम निकलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार तुरन्त इस प्रकार की परीक्षा को बन्द करे और प्रतिबन्ध लगाये और आयुर्वेद कालेज में स्नातकों को अग्रसर करे। राजस्थान में आयुर्वेद कालेज कम होने के कारण अस्पताल तो बहुत खुल गए, लेकिन हमें उनके लिए स्नातक नहीं मिल पाये। बिहार और मध्यप्रदेश के आयुर्वेद स्नातकों को लाना पड़ा। मेरा ख्याल है कि जब हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें स्नातक नहीं मिल रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से आयुर्वेद के इन विद्यार्थियों के लिए कालेज खोलने की कृपा करें।

एक बात और है और वह है आरोग्य केन्द्रों की स्थापना। एलोपैथी का हैल्थ आफिसर होता है वह नाममात्र का है। आरोग्य केन्द्र की स्थापना कराई जाये। स्वास्थ्यं रक्षणम्, आयुर्वेद चिकित्सा नहीं करता, वह तो केवल जिन्दा रखने के लिए ज्ञान देता है। इसलिए अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाये, यह सिद्धान्त आयुर्वेद ही दे सकता है। एलोपैथी नहीं दे सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल ऐरन

(200)

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग पर अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मैं आप के द्वारा माननीय चिकित्सा मन्त्री का ध्यान अपने नसीराबाद क्षेत्र के नगर नसीराबाद जो कि पिछले तीस वर्षों से उपेक्षित रहा है, वह बहुत बड़ा सैनिक केन्द्र भी है और 25 हजार की आबादी भी है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : पिछले तीस वर्ष से शुरू करते हैं, इसको हटवा दो।

श्री भंवर लाल ऐरन : आपको क्यों चिन्ता हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद नगर में केन्टोनमेंट बोर्ड शासन चलाता था और एक चिकित्सालय कार्यरत था। उस समय राज्य के द्वारा भी एक डिस्पेन्सरी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चलती थी। सन् 1974 में केन्टोनमेंट के पास शायद फंड नहीं रहा और उन्होंने 1974 में अपना सामान्य चिकित्सालय राज्य को सौंप दिया। राज्याधीन लेने के बाद डिस्पेन्सरी भी चलती रही और आज तक वह व्यवस्था चलती आ रही है। मैंने चिकित्सा मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यह दोहरी व्यवस्था क्यों की जा रही है और दोहरा व्यय क्यों किया जा रहा है ? सामान्य चिकित्सालय और डिस्पेन्सरी दोनों में मिला कर 51 शैय्यायें हैं, लेकिन फिर भी उसे 'बी' श्रेणी का हास्पिटल घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है ? 4 डाक्टर हैं, जिसमें से दो तो चिकित्सालय में हैं और दो डिस्पेन्सरी में हैं। एक महिला डाक्टर परिवार कल्याण की कार्यरत है। मेरा चिकित्सा मन्त्री महोदय से निवेदन था कि वह एक महिला डाक्टर जो गाइनिक सर्जन हो, की नियुक्ति करें, ताकि वहां पर जो डिलीवरी केसेज हैं और महिलाओं के रोगों की व्यवस्था है, वह हो पाये।

माननीय चिकित्सा मंत्री जी, एक बार नसीराबाद भी पधारे थे तो मैंने उन्हें कुछ उपकरण उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया था। उनकी कृपा से वहां ई. सी. जी. मशीन आ गयी, आपरेशन टेबुल आ गयी लेकिन कुछ और एपरेटर्स नहीं आये और उनके अभाव में सर्जन आपरेशन करने में अपने आपको सक्षम नहीं पाते। इसके अतिरिक्त एक अनेस्थेटिस्ट की भी वहां बहुत जरूरत है, जिसके अभाव में पूरी तरह से सर्जरी वर्क नहीं हो पाता है। जरा जरा सी सर्जरी के काम के लिए रोगियों को अजमेर आना पड़ता है। अजमेर जाने के लिए भी मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रोगीवाहन की बहुत आवश्यकता है। जिसके अभाव में रोगी अजमेर पहुंचने के पहले ही स्वर्ग पधार जाता है। मैंने चिकित्सा मन्त्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया था और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि रोगी वाहन का प्रबन्ध कर दिया जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि अगले सत्र से पूर्व रोगी वाहन की व्यवस्था अवश्य करा दें और हमारे नसीराबाद चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी का हास्पिटल बनायें।

वहां पर राजकीय औषधालयों का भी होना बहुत जरूरी है। 25 हजार की आबादी वाले नगर में राजकीय औषधालय

(श्री भंवरलाल ऐरन)

का नहीं होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है और मैं आयुर्वेद मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि नसीराबाद में एक औषधालय की व्यवस्था भी करायें।

मान्यवर, नसीराबाद में एक आइसोलेशन वार्ड रिक्त था और वह इतना बड़ा भवन है जिसमें राजकीय चिकित्सालय चल सकता है। आज वह रिक्त पड़ा है और क्षत-विक्षत अवस्था में है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि उसकी मरम्मत करा दी जाये और माननीय चिकित्सा मंत्री जी आप ने मुझे आश्वासन भी दिया और तत्कालीन सी. एम. एच. ओ. ने कहा कि 80 हजार रुपये कि राशि उनके पास बिल्कुल व्यर्थ पड़ी है और उसके लिए किसी की भी मांग नहीं है। आपने उनको कहा भी, लेकिन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के एस्टीमेट देने के बाद भी वह राशि हमें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं चिकित्सा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उस राशि को शीघ्रातिशीघ्र आवंटित करायें।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यहां बैंडेजेज, गाज और काटन की कमी की बहुत चर्चा की गयी। मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि वहां एक अर्से से केन्टोनमेंट की व्यवस्था होने से आज तक वहां पर कम्पाउन्डर्स का तबादला नहीं हो रहा है। काफी लम्बे अर्से से वही कम्पाउन्डर्स वहां कार्यरत हैं और दारू पीते हैं और सब चीजों को बाजार में बेचते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने मन्त्री जी से निवेदन किया कि जो कम्पाउन्डर्स दस, दस और पन्द्रह-पन्द्रह साल से कार्यरत हैं और जो अकर्मण्य हैं, अयोग्य हैं, उनका स्थानान्तरण करके अच्छे कम्पाउन्डर्स की व्यवस्था करायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

मेरे क्षेत्र में ग्राम जेठाना है जहां अभी पी. एच. सी. है। मैंने कई बार निवेदन किया कि उसे केपेटल हास्पिटल में क्रमोन्नत किया जाये मैं पुनः आपके माध्यम से चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, मैं आयुर्वेद मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पांच बड़े गांव हैं, जहां आयुर्वेद औषधालय का होना बहुत आवश्यक है। इन औषधालयों के अभाव में लोगों को दूर-दूर तक रोगियों को ले जाना पड़ता है। उनके पास साधन नहीं होने से और गाड़ियों में लेकर वह जाते हैं और इसके कारण मेडिकल केयर नहीं होती। मेरे क्षेत्र के यह गांव हैं—न्यारा, भवानीखेड़ा, नांदला, झडवासा और केसरपुरा। तो यहां पर आयुर्वेद औषधालय अवश्य खोले जाने चाहिएं।

मैंने एक और कटौती प्रस्ताव दिया है, और वह है विभाग की अव्यवस्था के बारे में। मैं केवल एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि डाक्टर पाठक सवा तीन साल तक बिना लीव और बिना लियेन के अफ्रीका चले गए थे और जब वह लौटे तो पता नहीं किस प्रभाव से उनकी सर्विसेज कन्टीन्यू कर दी गयी। उनका कोई अता-पता

(श्री भंवरलाल ऐरन)

नहीं, कोई छुट्टी नहीं, लेकिन फिर भी बिना मन्त्री की इजाजत के उनकी सर्विस कन्टीन्यू कर दी गयी। इस प्रकार की अव्यवस्था को अविलम्ब दूर किया जायेगा, ऐसी आकांक्षा करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई आबादी देश के लिये एक ऐसी समस्या है, जिसको कांग्रेस ने जल्दी रोकने के लिये तय किया और अधिकारियों के हाथ में वह काम दिया। वह काम जल्दी पूरा नहीं किया लेकिन कांग्रेस का कार्यकाल उन्होंने जल्दी समाप्त कर दिया। जब से देश को जनता पार्टी ने संभाला, जनता पार्टी के लोगों की सरकार इतनी डर गई कि कहीं हमने इसको हाथ में लिया तो हमारा अन्त्योदय इसके साथ होगा, शायद हमारा आखरी टाइम होगा। इसको हाथ में लिया तो कांग्रेस तो 30 साल में गई। 30 के बजाय हम 5 साल के बाद चले जायेंगे। मैं कहता हूं, मौजूदा राष्ट्रपति ने यह बात कही थी कि यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसका प्रचार करके बहुत बड़ा लाभ उठाया है। आप जब शासन में आ गये, जनता पार्टी के सामने समस्या खड़ी हो गई कि इसको कन्ट्रोल कैसे करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को, जबरदस्ती लागू न किया जाये। मैं यह कहता हूं प्रचार से, प्रसार से इस कार्यक्रम को बढ़ायें। इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता चाहे आप कितनी दवाइयां मंगा लें, कितने अस्पताल खोल लें आपकी सारी की सारी व्यवस्था कम पड़ेगी। इसलिये आपको प्रचार और प्रसार द्वारा लोगों को इस कार्यक्रम में दिलचस्पी करायें। साथ ही मैं यह कहूंगा आप दवाइयां मोहैया करते हैं लेकिन बीच में कई मिलावटी दवाइयां बनने लग जाती हैं, वह नकली दवाइयां लोगों के लिये दुश्मन बन जाती हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सब से पहले फर्जी दवाइयां जो चलती हैं, उस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिये। एक छोटी सी दवाई जान लेने को तैयार हो जाती है उस पर कन्ट्रोल करना चाहिये। मजदूरों पर ई. एस. आई. लागू है, उनको लाभ मिलता है, लेकिन ताकत की दवाइयां कतई नहीं दी जातीं। वे अपना हिस्सा देते हैं, मालिक हिस्सा देता है, उनके पास लाखों रुपया पड़ा है, पैसे की कमी नहीं है, उसका उपयोग होना चाहिये। ब्यावर में ई. एस आई. अस्पताल है। 7 हजार कार्ड चलते हैं। आपकी व्यवस्था के अनुसार 5 हजार से अधिक कार्ड होते हैं तो दूसरी डिस्पेन्सरी और खुलनी चाहिये। वह अंधेरे में पड़ा हुआ है। आपकी व्यवस्था के अनुसार वह बढ़ सकता है। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा, इस तरह की व्यवस्था से गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग के लोग दवाइयों का लाभ नहीं उठा पाते, वैसे ही मर जाते हैं। साथ ही मैं यह कहूंगा कि गांव में डिलीवरी केसेज होते हैं। ग्रामीण परम्पराओं के अनुसार महिलायें डिलीवरी कराती हैं। उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये, ग्राम पंचायतों के लिये बजट होना चाहिये। कम से कम जो व्यवस्था संभाल सकें ऐसे लोगों को रखना

(श्री नूरा)

चाहिये। मैं कहना चाहता हूं तबादला नीति की वहुत बड़ी समस्या है। कहीं 12 महीने में डाक्टर बदल देते हैं, कहीं 6 महीने में बदल देते हैं। उसका जो लाभ होता है वह नहीं मिल पाता। जो प्रभावशाली डाक्टर्स हैं, वर्षों तक एक जगह रहते हैं। नीति का कोई महत्व नहीं, चाहे जैसा करते हैं। उनके पीछे कौन सी ताकत है जो उनको जमाये रखती है। ब्यावर में मैंने एक केस में देखा था, एक औरत का इलाज चल रहा था, उसने लेडी डाक्टर को चार दफा फीस दी। वह डाक्टर भार्गव के नाम से पुकारी जाती है, उसने उसका इलाज नहीं किया। मैंने उस औरत के आदमी को सी. एम. एच. ओ. के सामने खड़ा किया, उनके सामने वह रोने लग गया। ऐसे लोगों की जान की दुश्मन बनने वाली लेडी डाक्टर के खिलाफ अविलम्ब एक्शन लेना चाहिये। ब्यावर के टी. बी. अस्पताल के डाक्टर को देखा है, पहले डांट पिलाता है, तब उसके इलाज का काम शुरू करता है। मैंने एक केस देखा है ब्यावर का। डाक्टर ने कहा, तू चार दिन में मर जायेगा, तुम चले जाओ। उसको डांट से बुखार हो गया। जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। उस डाक्टर का नाम हरिश्चन्द्र शर्मा है, टी. बी. अस्पताल ब्यावर में है। वहां पर असंतोष है। उस का इलाज जम नहीं पाता। अस्पताल में रोजमर्रा दंगा करते हैं। मिल एरिया होने की वजह से मजदूरों को सही मायने में जो लाभ मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर के अस्पताल में 3-९-78 को रात के 9½ बजे मिल में काम करने वाला एक मजदूर भर्ती हुआ, दवाइयों के अभाव में, उसकी संभाल नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया। यह तार, यह चिट्ठियां सारी फाइल खड़ी हो गई, लेकिन अब तक उस केस की इन्क्वायरी नहीं हो सकी और कोई नतीजा नहीं निकला। अगर कार्यवाही की जाती तो निश्चित रूप से वह डाक्टर सस्पैंड होता। मैं कहना चाहता हूं क्या गरीब आदमी अस्पताल का लाभ उठा सकेंगे? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी कहा था आप जिस अस्पताल में पधारना चाहें, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, आप भेष बदल कर जाइये, शायद बाई चांस ही कोई ऐसी जगह मिलेगी, जहां पर मरीजों से पैसा न लिया जाता हो। जिन्दगी की कीमत ली जाती है यह भ्रष्टाचार का तरीका है। मैं समझता हूं इसमें बढ़ोतरी हुई है, यह घटा नहीं है। जो आपके पास आता है, आप उसको सुनते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपको गहराई से देखना चाहिये, आपको क्या डिसीजन करना है। मैं साथ ही कहना चाहता हूं, कई अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टरों की कमी है। मसूदा के बारे में निवेदन किया। डाक्टर की पोस्ट है, लेडी डाक्टर की पोस्ट है किन्तु डाक्टर बैठते नहीं। लेडी डाक्टर है नहीं। वह जगह बर्षों से खाली पड़ी हुई है। विजयनगर में, ब्यावर में रहेंगे, तनख्वाह वहां से उठायेंगे। इस तरह की कई परेशानियां स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिये गांवों के लोगों को होती है। डाक्टरों के गांवों में जाने

(श्री नूरा)

की नीति है, वे गांवों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इसलिये आपको गरीब आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिये सख्ती से कदम उठाना चाहिये और सख्ती से कदम उठाकर गांवों तक पहुंचाने में दिलचस्पी दिखानी चाहिये। इस प्रकार का एक नया कदम उठाना चाहिये। साथ ही मैं यह कहूंगा मसूदा में नाम मात्र की डिस्पेन्सरी सैकिण्ड क्लास की है। उसमें दवाओं का अभाव रहता है। वहां पर एक एक्स-रे मशीन होनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

माननीय श्योपतसिंह जी तो बहुत कुछ कह गये। वह मेरी बात से ध्यान हटाना चाहते हैं। इतना बड़ा अस्पताल और, अध्यक्ष महोदय, एक्स-रे की मशीन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा जो सर्वोदयी हैं वे सहानुभूति-पूर्वक विचार कर इस कमी की पूर्ति करवायें। जहां जहां डाक्टरों की कमी है, उसकी भी पूर्ति शीघ्र ही करवायें। मुझे विश्वास है कि आप कोई सख्त कदम उठा कर इन कमियों की पूर्ति करवायेंगे ताकि आने वाले समय में मुझे इस भाषा में न बोलना पड़े। कमियों की आप पूर्ति करवायें! धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका नाम बहुत नीचे है।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं तो मरीज हूं, साहब और चिकित्सा की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग के बजट पर बहस चल रही है....

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है या नहीं ?

श्री नवरंगसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं निवेदन कर रहा था आपके मार्फत माननीय मंत्री जी को कि जो राजस्थान में राष्ट्रीय रोग, मलेरिया है। यद्यपि यह बीमारी कतई राजस्थान से चली गई थी लेकिन पिछले दो वर्ष का इतिहास आपकी चिकित्सा का यह बताता है कि पुन: इस बीमारी ने विशेषकर देहात में जोर जमा लिया है। यद्यपि राजस्थान को केन्द्र से पर्याप्त सहायता मिलती है उसके उपरान्त भी जो काम देहाती इलाकों में होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा काम है कर्मचारियों की कमी का। गांव गांव में ये कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं और न दवा बांट पाते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, खून लेना आवश्यक है यह देखने के लिये कि मलेरिया है या नहीं। इसकी भी देहाती क्षेत्रों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के गांवों में खून लेने की व्यवस्था ही नहीं है। बड़े बड़े हैड क्वार्टर्स पर ही केवल खून लेने की व्यवस्था है, बाकी जगह है ही नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हर अस्पताल में यह व्यवस्था की जाय और जो गांव हैं, उनमें भी इस व्यवस्था को पहुंचाया जाय।

(श्री नवरंगसिंह)

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जितने मलेरिया के कार्यकर्ता है वे फर्जी लोगों को दवा बांट कर बाजार में दवा बेच जाते हैं। गांव वालों के पास दवाइयां नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी रोकथाम के लिये विशेष उपाय करें। इसी तरह डी. डी. टी. जो दवा छिड़कने की है, पिछली बार जब मलेरिया के जो डाइरेक्टर हैं वे झुंझुनूं गये थे तब उनके सामने मैंने स्थिति रखी थी कि आप देखिये, इन गांवों में दवा छिड़की जा रही या नहीं। उन्होंने मुझे बताया था कि दवा छिड़की जा चुकी है। मेरा उनसे आग्रह था कि आप खुद जाकर देख लीजिये, दवा नहीं छिड़की गई है। इसका गांवों में सही इन्तजाम हो और वर्षा से पहले ही इसको छिड़का जाय तो मेरी मान्यता है कि मलेरिया समाप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा और उनसे कहना चाहूंगा कि विशेषकर गर्मी के दिनों में हैजे की स्थिति पैदा होती है। पिछली बार झुंझुनूं में कई बार बीमारियां आई. लेकिन हैड क्वार्टर पर ही इलाज की व्यवस्था है। मेरा निवेदन है कि गांव गांव में यह व्यवस्था होनी चाहिये। आपने लिखा है हैड क्वार्टर पर सक्षम व्यवस्था है, लेकिन मेरा मानना है उससे काम नहीं चलने वाला है। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, एक सांवलदान नाम का हरिजन आज से 15 दिन पहले मेरे पास आया था। उसने बताया कि 15 दिन पहले ही उसने मुख्य मंत्री सहायता कोष के लिये एक फार्म भरा था और स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी गया था। मैं आपको बताऊं कि कल ही मुझे यह खबर मिली थी, वह यहां मिलने आया था और वह खतम हो चुका है। जो आप कहते हैं कि वह इससे मरता नहीं है, वह हरिजन इस बीमारी से मर गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि राजस्थान में इसका सर्वेक्षण कराया जाय। नवलगढ़ में काफी देहात हैं वहां आप सर्वे कराने की व्यवस्था कीजिये, जिससे इस बीमारी पर नियंत्रण किया जा सके।

इसके साथ ही परिवार कल्याण के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। यह एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है। राष्ट्रीय प्रोग्राम के अन्तर्गत हमें राजस्थान का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि जोर जबर्दस्ती कीजिये, मैं यह नहीं कहता जो नहीं करवाना चाहते हैं उनका जबर्दस्ती आपरेशन कीजिये, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, यदि राजस्थान को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें परिवार नियोजन के लिये लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे। मैं यह निवेदन भी कर दूं कि कैम्प लगा कर इसका प्रचार किया जाता है, किन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कैम्प लगा था, मैं भी वहां गया तो वहां कोई डाक्टर नहीं था, वहां कोई कम्पाउन्डर नहीं था। चार घंटे बाद डाक्टर आये। मैंने लिख कर दिया है और अखबार में भी निकला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस तरह आपका परिवार कल्याण विभाग

(श्री नवरंगसिंह)

काम नहीं कर सकता है। मैं निवेदन करूंगा कोई लक्ष्य निर्धारित करें...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ, एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। देहातों में डाक्टर नहीं जाते हैं. इसके लिये मेरा सुझाव है अच्छी महिलाओं को मेडिकल में प्रवेश दें, उनको मेडिकल के आधार पर प्रवेश दें तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ गांवों में ज्यादा डाक्टर जायेंगे और उनका शहरों में झुकाव नहीं होगा। यह भी कहना चाहूंगा कि डाक्टरों को देहातों में ज्यादा सुख-सुविधायें दें। एक बात यह भी कहना चाहता हूं वर्षों से जो बड़े बड़े डाक्टर शहरों में बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा है आपकी सरकार को कि इन बड़े बड़े मठाधीशों को बाहर भेजना पड़ेगा। आज भी कहना चाहता हूं जो बड़े बड़े हास्पिटलों में डाक्टर बैठे हैं, उनको दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में भेजिये।

इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नवलगढ़ में एक छोटी सी डिसपेन्सरी है, जब कि 35 हजार की जन संख्या का कस्बा है। उस हास्पिटल को भी क्रमोन्नत कीजिये ताकि लोगों को लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेद मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आयुर्वेद ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब गोविन्दसिंह जी आपका भी नाम है।

श्री मालाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : है तो सही, लेकिन मौका मिलना मुश्किल है।

श्री मालाराम : सिर्फ दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : समय के अभाव के कारण सभी माननीय सदस्यों को संतुष्ट करना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गंगासहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद और एलोपेथी ये दोनों आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन होमियोपैथी संसार में सबसे सरल और सस्ती चिकित्सा पद्धति है और भारतवर्ष के लिए, इस देश के लिए बहुत ही फायदेमन्द है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी उपेक्षा की जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहूंगा कि गत वर्ष बजट में 2.58 लाख रुपया रखा गया था और इस वर्ष 1979-80 के लिए सिर्फ 2.61 लाख रुपया रखा गया है। यह प्रगति एक वर्ष में हुई है, यह उपेक्षा का प्रमाण है। जो सबसे सस्ती, सरल, उत्तम पद्धति है उसका यह हाल किया जा रहा है ? यह भी कहा गया है कि 21 जिलों में इसका विस्तार करेंगे,

(श्री गंगासिंह)

लेकिन इतनी सी राशि का प्रावधान किया है। हम कहते तो हैं कि हम ग्रामों की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन किस तरह से गांवों की उपेक्षा की जा रही है, यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि होमियोपैथिक बोर्ड के चुनाव नहीं कराये गये हैं। गत 20 अप्रेल को ही इसकी अवधि समाप्त हो गई और अब एक साल की अवधि भी समाप्त हो रही है, लेकिन इसके चुनाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। पहले छः महीने के लिए अवधि बढाई थी, वह भी अक्टूबर में समाप्त हो गई। उसके बाद भी चुनाव नहीं कराये गये हैं। यहां प्रशासन में जो अध्यक्ष हैं, वे गांवों को लाभ नहीं देना चाहते हैं, यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतना ही नहीं, जहां तक मीटिंग बुलाने का प्रश्न है, साल में 120 दिनों में निश्चित रूप से मीटिंग बुलानी चाहिए, लेकिन आज आठ महीने हो गए मीटिंग नहीं बुलाई गई है। महोदय जी, इसके अतिरिक्त जो भी निर्णय बहुमत से होते हैं, उनकी पालना भी नहीं की जाती है। उस समय के जो कमिश्नर थे, राजगोपालन साहब, उन्होंने भी इसकी घोर उपेक्षा की, कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि गत वर्ष इसी सदन में विधान सभा में प्रश्न उठाया था कि जो होमियोपैथी का कालेज है, उसको राज्य सरकार मान्यता दे। यहां से हजारों स्टुडेंट निकलते हैं, गांवों में स्टुडेंट बैठे हुए हैं जो चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी उपेक्षा की गई है। आज तक उनको मान्यता नहीं मिली है। यद्यपि उस समय के मंत्री महोदय माननीय जैन साहब ने उसको मान्यता देने के लिए प्रोमिस किया था फिर भी उसकी उपेक्षा की गई है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं कई बार कहा गया कि बहुमत के आधार पर किए गए निर्णय को मान्यता देंगे, लेकिन उसकी भी उपेक्षा की गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो दूसरा महाविद्यालय है, वह महाविद्यालय बहुत पुराना है, उसके अन्दर भी घोटाले हैं, उनकी जांच नहीं की गई। मैं चाहूंगा कि उस महाविद्यालय को भी सरकार अपने हाथ में लेकर यूनिवर्सिटी से परीक्षा की व्यवस्था की करे। इसके अतिरिक्त एक बात और भी कहना चाहूंगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त करता हूं। उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, जनता से जो चुन कर आए उन चार लोगों को तो निकाल दिया और बोर्ड में दूसरे चार लोगों को बिठा दिया। वे चुने हुए प्रतिनिधि थे, यह स्वीकृत नियम है कि पांच चुने हुए लोग होंगे, लेकिन नियमों की अवहेलना हो रही है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष इसका बजट पास नहीं किया गया। बिना बजट पारित किये ही खर्चा कर रहे हैं और बाद में जाकर किसी न किसी तरीके से लीपा-पोती की जावेगी। चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं है, बोर्ड की मीटिंग करते थे वह भी नहीं करते हैं, जन प्रतिनिधियों को निकाल दिया गया है और अपने मर्जी-

(श्री गंगासहाय)
दान लोगों को लाकर यह सारी व्यवस्था की जा रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री गंगासहाय : दो तीन बातें और निवेदन करनी हैं। बोर्ड के एक्ट में यह प्रावधान है कि बोर्ड में सर्वप्रथम जो रजिस्ट्रार होगा उसको गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी, और उसके बाद में जो रजिस्ट्रार नियुक्त किया जावेगा वह बोर्ड की स्वीकृति से नियुक्त किया जावेगा। लेकिन इसके अन्दर ऐसे आदमी को लाकर बिठाया गया है, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप हैं। इसके खिलाफ जांच की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सदस्य बार बार विवरण की मांग करते हैं लेकिन उसका विवरण भी नहीं दिया जाता है। यद्यपि हम लोग सूचनायें मांगते हैं लेकिन वह कभी भी नहीं दी गई है इसलिए आगे कार्यवाही नहीं कर सकते।

इसके अतिरिक्त बोर्ड के जो सदस्य थे उनके लिए एक्ट में प्रावधान है कि उनको मीटिंग में आने जाने का खर्चा दिया जावेगा, लेकिन आज तक नहीं दिया गया है। जब मीटिंग में जाते हैं चुने हुए प्रतिनिधि, तो उनको पैसा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगा सहाय : बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : गुल मोहम्मदजी की बारी अब आएगी, फिर गोविन्दसिंह जी की, फिर डागा जी की।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब सभी को समय नहीं मिल सकता।

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद। माननीय सदस्य, आप का नाम पुकार रहा हूं और आप इधर से उधर सीट बदल रहे हैं। अगर आप नहीं बोलना चाहें तो अत्यधिक आभारी होऊंगा।

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम नहीं दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महापुरुषों ने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन है। लेकिन जब गांवों में जाते हैं तो गांवों में देखते हैं कि न जीवन मिलता है और न स्वास्थ्य ही, न दवाइयां मिलती हैं और न डाक्टर मिलते हैं। सरकार ने इस बजट में घोषणा की, उसके लिए तो सरकार को बधाई है। बजट में कहा गया कि 2 डिस्पेन्सरीज और 8 सब सैन्टर्स का प्रावधान रखा गया है। परन्तु सरकार ने जो इसके लिए फण्ड रखा है उसके अन्दर यह शर्त लगाई है कि जन सहयोग पचास हजार का लेंगे। जहां पर पचास हजार का जन सहयोग होगा, वहां पर सरकार की तरफ से पचास हजार दिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन

(श्री गोविन्दसिंह)

करना चाहूंगा कि जो जनता, 70 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रही हो, जिसके पैर में जूता और तन पर कपड़ा नहीं हो, हम उससे किस प्रकार से जन सहयोग की कामना करते हैं। जहां एक ओर दूसरे कामों में जन सहयोग देना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से गांव के लोग डिस्पेन्सरीज के लिए रुपया ला सकते हैं। उनके सामने और भी दूसरी समस्यायें बहुत हैं। वहां पर जो मरीज डाक्टर के पास जाता है दवाई के लिए तो उसको डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है वह दवाई नहीं मिलती है। गांवों में दवाई बेचने के लिए भी इस प्रकार की पाबन्दी है कि कोई बी. एससी. या इस तरह की डिग्री वाला होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि लोगों ने डिस्पेन्सरी खोली है और गांवों में दवाइयों की सुविधा नहीं है तो जो साइन्स मैट्रिक पास हो, कोई भी केमिस्ट दवाई की दुकान खोलना चाहता है और उसके पास में मैट्रिक साइन्स पास आदमी है और थोड़ी सी-पूंजी लगा कर दवाई की दुकान खोलना चाहता है तो उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आपके सामने ही किस तरह की दुर्घटना हुई थी? आपके सामने ही ट्रक एक्सीडेन्ट में लोग मर रहे थे। यदि आपकी कार नहीं होती तो लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। सात आठ आदमी उसके अन्दर मरे थे। उनको पन्द्रह बीस किलोमीटर तक कोई भी चिकित्सा की सुविधा नहीं मिली थी। मैं निवेदन करूंगा कि यह कहा जाता है कि गांवों के अन्दर जन सहयोग बढ़ाया जावे तो हम लोग डाक्टर भेजेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। साहरा गांव में, डाक्टर के रहने के लिए मकान है लेकिन डाक्टर नहीं है, जिससे दुर्घटनाओं में लोगों का इलाज नहीं होता हैं। न तो नाथद्वारा में अस्पताल का बड़ा भवन बना है और न ही दूसरी जगह पर। इस प्रकार की दक्षिणी राजस्थान की स्थिति है जहां पर आदिवासी बस्ती ज्यादा है, इस प्रकार से वे परिश्रम करते हैं लेकिन उन लोगों को चिकित्सा की आवश्यक सुविधा नहीं मिल पाती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आज हिन्दुस्तान की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, देश में खाने के लिए अनाज पैदा करती है लेकिन अपने बाल बच्चों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधा नहीं जुटा पाती है। यह आश्चर्य की बात है कि राजस्थान की आबादी तीन करोड़ है और उसमें सरकारी कर्मचारी एक पर्सेन्ट हैं उन एक पर्सेन्ट कर्मचारियों के लिए दवाइयों की अलग से व्यवस्था है, उनके लिए रिएम्बर्समेन्ट किया जाता है, उनको सारी दवाइयों का पैसा मिलता है परन्तु जो हमारे गरीब मजदूर, किसान लोग हैं, उनके लिए दवाइयों का कोई इन्तजाम नहीं है। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि जो आयुर्वेदिक औषधियां कम्पनी बनाती है वे औषधियां सरकारी अधिकृत दुकानों द्वारा नहीं बेची जाती हैं। सरकार को अधिकृत दुकानों पर औषधियां नहीं मिलती है। जो दूसरी दुकाने होती हैं उन पर मिलती है। मैं यहां पर, अध्यक्ष महोदय, अपने अनुभव से एक बात निवेदन करना

(210)

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत)

चाहता हूं । गांव वाले अपने ढंग से डिस्पेन्सरी बनाना चाहते हैं। परन्तु वहां पर डाक्टर की सुविधा नहीं है। कई बार मैंने मन्त्री महोदय को निवेदन किया है। वे हमारे यहां आमेट पधारें। वहां के लोग जन सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारा स्वास्थ्य तो ठीक है, परन्तु मन्त्री महोदय के निवास पर जाते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमारा स्वास्थ्य तो इसलिए ठीक रहता है कि 51 रुपये प्रति दिन का अल.उन्स मिल जाता है परन्तु मन्त्री महोदय के यहां पर जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मेडिकल विभाग का भगवान ही मालिक है। दवाइयों के लिए इसके पास लाखों रुपयों का बजट है परन्तु वह बजट लैप्स हो जाता है और जनता को, डिस्पेन्सरियों को समय पर दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। मैं अपना एक निजी उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी पत्नी को मैंने यहां के बड़े से बड़े डाक्टर को दिखला दिया। उन्होंने जवाब दे दिया। मेडिकल इन्स्टीट्यूट दिल्ली में दिखाया, वहां भी जवाब मिला। परन्तु एक आयुर्वेदिक मेडिसन है, जिसको आयुर्वेद में अमृत कहते हैं, उसके प्रयोग से वह जिन्दा है। इस आयुर्वेद विभाग के साथ कितना सौतेला व्यवहार हमारी सरकार कर रही है। आयुर्वेद के अन्दर जो वैद्य होते हैं उन्होंने अपने वेतनमान के प्रश्न को लेकर कई बार हड़ताल की थी। राज्य सरकार ने उनके वेतनमान को सुधारने के लिए आश्वासन दिया था। ये विद्यार्थी साढ़े छः वर्ष तक पढ़ते हैं उसके बाद उनको एक क्लर्क का वेतन मिलता है। इस ओर भी मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि इस आयुर्वेद विभाग का एक आदमी गायब हो गया, उसका आज तक पता नहीं है। यह एक सरकारी आदेश है। एक केसूलाल श्रमिक है, जो रसायन शाला डिपो, कोटा पर कार्यरत था। वहां से उसका स्थानान्तरण जोधपुर हुआ और जोधपुर के बाद कोटा हुआ। कोटा के बाद से वह गायब है। आज तक उसका पता नहीं लगा है। इस सम्बन्ध में आयुर्वेद विभाग द्वारा जो पत्र व्यवहार किया गया है, उसमें जिस प्रकार की रिपोर्ट लिखी है, वह मैं संक्षेप में, अध्यक्ष महोदय, यहां पर पढ़ना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह पत्र राजकीय आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर द्वारा व्यवस्थापक, आयुर्वेदिक रसायन शाला, अजमेर को लिखा गया है।

"प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री केशूलाल, भूतपूर्व श्रमिक डिपो, कोटा, दिनांक 14-5-70 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश उपभोग करने हेतु आवेदन पत्र देकर उक्त दिनांक के पश्चात वितरण केन्द्र, कोटा से अनुपस्थित होने से व एक लम्बे काल तक वितरण केन्द्र, कोटा अथवा इस कार्यालय में कहीं भी सेवा में उपस्थित नहीं होने से नियमानुसार पुलिस थाना कोटा को उनके विषय में जानकारी करने हेतु लिखे जाने पर कोई जानकारी न मिलने पर, राजस्थान सेवा वर्गीकरण

(श्री गोविन्दसिंह)

नियम 16 (2) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर के उन्हें दिनांक 6-8-70 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 38··9-70 द्वारा सेवा से स्वेच्छागत अनुपस्थिति के कारण दिनांक 19-4-70 से सेवा से मुक्त कर दिया गया है।"

अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि उसको 19-4-70 से सेवा मुक्त कर दिया गया, वहीं दूसरी ओर वही व्यक्ति 1:-5-70 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेता है। यानी वह सेवा मुक्त करने के बाद कैसे आकस्मिक अवकाश लेता है। एक महीने पहले वह कैसे मर गया और बाद में कैसे पुनर्जीवित हो गया ? यही नहीं, इस कर्मचारी के बारे में पुलिस थाने में भी रिपोर्ट की गई है। अध्यक्ष महोदय, आज तक पता नहीं है कि यह कर्मचारी कैसे मर गया ? तो किस प्रकार से आपके विभाग में काम करने वाले कर्मचारी है, इसके बारे में जवाब हम माननीय सदस्य उत्सुक रहते हैं लेकिन कोई जवाब समय पर नहीं मिल पाता है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस कर्मचारी का पुत्र, जो बी० ए० पास है, के एक चपरासी के स्थान पर लगाया गया है जब कि वह क्लर्क बनाया जा सकता है। इसकी पूरी फाइल बनी हुई है। कृपा करके मन्त्री महोदय इस केस को देखें और इन लोगों की ओर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : श्री बत्तीलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय, मन्त्री महोदय का उत्तर और चिकित्सा विभाग की मांग पास होने के लिए 9 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि सदन की कार्यवाही का समय रात्रि 9.00 बजे तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय 9 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष, विभाग का बहुत बड़ा बजट और यह छोटा प्रतिवेदन हमें मिला है। मैं इस विभाग की सफलता की कुछ आधारों पर जांच करूंगा। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दो साल के अन्दर मृत्यु दर कितनी कम हुई और कितनी इन्फेन्ट मोरटेलिटी कम हुई है ? मन्त्री महोदय, क्या आप यह बताएंगे। आप कहते हैं ग्रामोन्मुख हो रहे हैं। गांवों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो आपका यह बजट शहरों की अपेक्षा गांवों के लिए कितना बढ़ गया है ? आप महरबानी करके यह बताइये। मैंने इस सारी रिपोर्ट के अन्दर ये चीजें नहीं पाई है। मुझे इस को, इस चीज से जांचना है कि कितनी मृत्यु

(श्री मूलचन्द डागा)

दर कम हो गई, इन्फेन्ट मोरटेलिटी कितनी कम हुई, किन किन रोगों की रोकथाम करने में आप सफल रहे हैं ? मलेरिया, स्माल पाक्स के इन्सीडेन्स में कितनी कमी हुई है ? यह मैं जानना चाहता हूं। मैं इस बात के लिए संकेत नहीं करूंगा कि आप 50 करोड़ रुपया खर्च करके कोई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। मैं तो आपके विभाग की उपलब्धि इस बात से जांचूंगा। मेरे जांचने का यह मापदण्ड है और यह मुझे इस प्रतिवेदन में देखने को नहीं मिलता है।

मेडिकल कालेज के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मेडिकल एजूकेशन की पालिसी आपकी क्या है ? एम. बी. बी. एस. के पांच कालेज है। मैं यह चाहता हूं कि एक-एक कालेज में एक सब्जेक्ट में स्पेशिलाइजेशन हो। जयपुर में एक सब्जेक्ट का स्पेशिलाइजेशन हो, उदयपुर में एक सब्जेक्ट और बीकानेर, अजमेर में भी एक सब्जेक्ट के स्पेशिलाइजेशन के कालेजेज हों। इसी प्रकार से गर्ल्स का अलग से मेडिकल कालेज होना चाहिए। जब तक लड़कियों के लिए अलग से मेडिकल कालेज नहीं होगा और ज्यादा लड़कियां पढ़ कर बाहर नहीं आएंगी, तब तक हम गांवों की सेवा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरा यह बड़ा प्रश्न है। इस प्रकार से आप इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। रि-ओरिएन्टेशन आफ एजूकेशन आपको करना पड़ेगा। मैंने देखा है सी.ए.एस. एक डाक्टर बन जाता है एक डाक्टर को 15-20 साल के बाद लेटेस्ट साइंस से विज्ञ कराने के लिए री-ओरियेन्टेशन आफ एजूकेशन होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है गांव में जो डाक्टर है उसको जो नालेज डवलप हुई है, उसका ज्ञान कराने के लिए। सौ-सौ, दो-दो सौ की संख्या में वापस लेटेस्ट नालेज से उनको परिचित कराया जाय, तो मैं समझता हूं आपके डाक्टर उपयोगी सिद्ध होंगे। लड़कों को चार साल पढ़ाने के बाद जो आप डिग्री देते हैं, यह बेकार है, यह पूंजी की बरबादी है क्योंकि उसके ऊपर कोई रेस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। हाउस सर्जन का जाब है उसको परिवर्तित करना होगा। बिना इसके अगर आप डाक्टर लगा देंगे तो एक साल इस पर्पज के लिए आप देते हैं उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहता था। गांवों के लिये आपका 50 करोड़ का बजट है, आपके सारे डाक्टर्स का, हास्पिटल का सरप्राइज चेकिंग होना चाहिये। कभी-कभी अखबार में पढ़ते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने एक हास्पिटल को देखा। इससे कुछ नहीं होगा। मिशनरी होस्पिटल की तरह न हमारी भावना है, न वहां डाक्टर सेवा भावना से जाते हैं। धनी लोगों के लिये, एम एल एज. के लिए, कुछ राजनीतिज्ञों के लिए डाक्टर होते हैं। गरीब का कहीं इलाज नहीं है। गरीब का इलाज मौत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

50 करोड़ का बजट बनाने के बाद मैंने जो बात आपसे पूछी थी, और जो मैं जानना चाहता था।

(7.52 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री मूलचन्द डागा)

आपके एस. एम. एस. में कल भी चर्चा हुई थी डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में। आज 712 डाक्टर सी. ए. एस के पद पर एडहाक बेसिस पर हैं और जिनकी 5-5, 6-6 साल की सेवाएं हैं उनकी संख्या 200 से ऊपर है, उनका क्या होगा? आपने वायदा किया था कि 31 तारीख को इसका निर्णय किया जायेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि 31 मार्च तक मैं रिपोर्ट दूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक इस सम्बन्ध में एक भी मीटिंग आपने नहीं बुलाई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अनुशासन से डरता हूं। आज विधायकों के लिए एक सी. ए. एस. है, रात के समय उसके घर पर फोन की व्यवस्था नहीं, आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं। एम. एल. एज. को समय, बेसमय कांटेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए क्या सुविधा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, कोई सुन ही नहीं रहा है। कृपया विराजें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरा फर्ज अदा करना है। मैं जानता हूं यह सरकार बहरी हो गई है, यह नहीं सुनेगी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कोई सुने या न सुने।

श्री नवलराय बच्चाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में दो औषधालय खोले गये हैं। स्वीकृति 3 एलोपैथिक चिकित्सालयों की थी। एक और चिकित्सालय अविलम्ब खोला जाए। अजमेर नगर में जहां नगर सुधार न्यास एवं हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां बनी हैं और कुछ गांव नगर परिषद से जुड़े हैं उन क्षेत्रों में

(व्यवधान)

तीन और खोले जाने आवश्यक है— वैशाली नगर, अजय नगर और शास्त्री नगर में। मैं आयुर्वेद के विषय में कहूंगा। आयुर्वेद, जब से मानव पैदा हुआ, मेरे खयाल में तभी से पैदा हुआ। यह साइंस आफ लाइफ है। इसके विषय में कितना ही कहें, थोड़ा है। समय थोड़ा है, जल्दी ही समाप्त करूंगा। मेरा सुझाव है कि इसके लिये जैसे राजस्थान में, पूरे भारत में स्वतंत्र मन्त्री हैं, वैसे इसके लिये सचिव अलग से होना चाहिये और मन्त्री महोदय के पास आयुर्वेद का अलग वैद्य सलाहकार होना चाहिए ताकि समय-समय पर आयुर्वेद का उत्थान किया जा सके। दूसरे, अजमेर में, जैसे निदेशालय है उसी प्रकार वहां आयुर्वेदिक कालेज खोला जाय, जिसमें उप वैद्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, पंच कर्म और विशेष आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान की व्यवस्था हो। जैसे बिना दर्द के दांत निकालते हैं ऐसी कई चीजें भारत में, राजस्थान में मिलेगी। उन सब का उप नगर में शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिये। उप वैद्य और वैद्य आदि पूरे नहीं बन रहे हैं। राजस्थान में 2396 औषधालय हैं लेकिन वहां पूरा स्टाफ नहीं है। भरतपुर में मुझे बताया गया है कि एक होम्योपैथी की डिस्पेन्सरी है, वहां स्टाफ के तीन लोग हैं और दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक, वैद्यों का वेतनमान बहुत कम है, उनको दूसरी सुवि-

(श्री नवलराय बच्चाणी)

धाएं भी प्रशासन की ओर से नहीं मिलतीं। सत्ता में आने के बाद समय-समय पर मुख्य मन्त्री जी ने आयुर्वेद के सम्बन्ध में घोषणाएं की हैं, उनसे बात भी की लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं। वैद्यों के वेतन-मानों के लिये 5 मार्च को प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन मुझे दुःख होता है इसके लिये भी आज भी घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे, कहा नहीं जा सकता। यह कहते बड़ा दुःख होता है कि आयुर्वेद के लिए क्या और बलिदान दें, और आन्दोलन करें? जाम-नगर में 46 लाख का खर्चा करके भवन बनाया गया है। वहाँ यूनिवर्सिटी चालू है और अच्छी तरह से चल रही है। इसी तरह मैं कहता हूं अजमेर में भी आयुर्वेद कालेज खोलना चाहिए। बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन्स जयपुर के 26 हजार के अनुदान में से कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है। कम से कम एक लाख अनुदान दिया जाय, यह निर्णय लिया जाना चाहिए। यूनानी के आपने कई औषधालय चलाये, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। राजपूताना आयुर्वेद यूनानी एवं तिब्बी कालेज, जयपुर को मान्यता नहीं दे रखी है, न अनुदान देते है। तिब्बिया कालेज को जो मान्यता थी वह भी खतम कर दी। मैं चाहूंगा कि यूनानी के लिये भी व्यवस्था करें और यूनानी कालेज ठीक तरह से चलाया जाय। इसके बाद चार रसायन शालाएं हैं उनके टेण्डर कई समितियां पास करती हैं। 80 दवाइयां बनती हैं, इसके लिये भी डी. एम. को लिखा था लेकिन अभी तक मामला खटाई में पड़ा हुआ है। रसायनशालाओं को ठीक चलाने के लिए एक निगम बनाया जाना चाहिए।

उसके बाद स्वास्थ्य केन्द्रों और आयुर्वेद केन्द्रों के लिए राशि दी जानी चाहिए। जिलों पर आयुर्वेद केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए।

दूसरा, मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय आयु-र्वेदिक संस्थान की दुर्दशा ऐसी है। एक सोसाइटी के हाथ में एक ऐसी संस्था है और उसका जैसा नाम है उसके हिसाब से राशि बढ़ानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को अवगत कराना चाहिये।

एक सुझाव है कि आयुर्वेद की परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी इन्टर्नशिप में रहते हैं उनको स्टाइपण्ड नहीं मिलता है, जैसा एलोपैथिक वालों को मिलता है। कई बार मन्त्री जी से मिलने पर भी उनके लिए 250 रुपये नहीं किये हैं और आज तक उन विद्यार्थियों को देने की घोषणा नहीं की है। तो ऐसे विषय पर मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे घोषणा करें।

आयुर्वेद के लिए जो 6 करोड़ 73 लाख की राशि मिली है वह बहुत कम है। आशा है, यह राशि बढ़ा कर आयुर्वेद को और उन्नत करेंगे। भारत के पुरातन समय से स्वतन्त्र चिकित्सकों ने आयुर्वेद को बचा कर रखा है। तीन करोड़ के आयुर्वेद भवन जनता ने पैसा इकट्ठा करके अपने अपने क्षेत्र में खोले हैं, लेकिन उनकी मरम्मत तक राज्य सरकार नहीं करा सकती है। ऐसी दशा आयुर्वेद की है तो उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर ध्यान देकर उनको क्रियान्वित किया जाय। जय आयुर्वेद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष, समय कम है इसलिए मैं अपने विचार संक्षेप में रखना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट की जो अवस्था है और स्थिति है, उस ओर मन्त्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेडिकल डिपार्टमेंट का डाइरेक्टोरेट एडहाक डाइरेक्टोरेट है। मुझे दु:ख के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में कहना पड़ता है कि मेडिकल डाइरेक्टर से लगा कर असिस्टेन्ट डाइरेक्टर तक सारी व्यवस्था एडहाक है। कांग्रेस शासन ने एडहाक व्यवस्था इसलिए की हुई थी कि डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर है वह अगर मन्त्री महोदय का कहना नहीं मानता तो उस एडहाक व्यक्ति का मन्त्री महोदय ट्रान्सफर कर दिया करते थे, उनको हटा देते थे। इस जनता सरकार के दो वर्ष बाद भी आज भी डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज एडहाक के पद पर हैं। इसका परिणाम यह है कि कोई भी अधिकारी उस डिपार्टमेंट को सीरियसली ठीक करने के लिए, सुधार लाने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, या नई स्कीम लागू करने के लिए कोई भी कार्यवाही नही करता है। मन्त्री महोदय तो एडहाक हैं ही। इनकी रुचि प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा, उसके बाद आयुर्वेदिक, उसके बाद यूनानी में है, तो कम से कम इस डिपाटमेंट की गति तो ठीक करें।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा कहना यह है कि मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज का तब तक सुधार नहीं हो सकता, जब तक कि सचिवालय में कोई मेडिकल डाक्टर को, जैसे कि पी. डब्ल्यू. डी. के चीफ इन्जीनियर को एडिशनल सेक्रेटरी का पद दिया गया है वैसे न दिया जाय। आई. ए. एस. अधिकारी कितना ही काम्पीटेन्ट हो, कितना ही एबल हो लेकिन इसकी टेक्निकलिटी के बारे में ए, बी, सी, डी नहीं जानता है। उनके लिए मेडिकल डिपार्टमेंट में जो मोस्ट जूनियर डाक्टर हैं, जो कि असिस्टेन्ट डाइरेक्टर के पद के लायक भी नहीं है, उनको ओ. एस. डी. बनाया है आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी, और उनकी सलाह से मेडिकल एण्ड हैल्थ सेक्रेटरी को कार्य करना पड़ रहा है। वह ओ. एस. डी. प्रिन्सीपल्स, सीनियर डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और सीनियर आफिसर्स की रिपोर्ट के ऊपर अपनी टिप्पणी लगाकर आपको आगे भेजता है और हैल्थ कमिश्नर साहब उस पर कार्यवाही करते हैं। मन्त्री महोदय, इनकी पहुंच तो कहां तक है और जहां तक है वह उतनी ही रहे और उतनी ही रहनी चाहिए। जब तक उस ओ. एस. डी. के पद को हटा कर और डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हेल्थ सर्विसेज को एडिशनल सेक्रेटरी का पद नहीं देंगे तब तक डिपार्टमेंट का कोई भी सुधार नहीं हो सकता है और डाक्टर्स और ट्रेण्ड नर्सों के बिना यह महकमा रह जायगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा मन्त्री महोदय से, वह यह है कि राजस्थान के अन्दर डाक्टर्स की एवेलेबल जो टेलेन्ट है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज भी राजस्थान के 5 मेडिकल कालेजेज में आथोरिटीज मेडिसन्स और सर्जरी की डिमाण्ड हो रही है। लेकिन इन 5 मेडिकल कालेजेज में जो आलरेडी एवेलबल डाक्टर्स हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम मेडिकल साइन्स में तरक्की नहीं कर सकते हैं।

216

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

इसके अलावा, श्रीमान्, इस हाउस में अनेकों माननीय सदस्यों ने डाक्टर्स के ट्रान्सफर्स का मुद्दा उठाया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय पर आरोप लगाना चाहूंगा कि आप या तो ट्रांसफर्स करते ही नहीं या करते हैं तो छोटे डाक्टर्स का करते हैं। क्या आज राजस्थान में किसी की इतनी हिम्मत है, किसी की इतनी ताकत है कि वह बड़े डाक्टरों को ट्रान्सफर कर सके? मैं आपको कहना चाहूंगा कि बीकानेर मेडिकल कालेज में एक प्रोफेसर आफ मेडिसिन्स का ट्रान्सफर जयपुर से हुआ था। उसको हुए आज सवा-डेढ़ साल हो गया, डाक्टर महोदय अच्छे होंगे, मैं नहीं कहता कि खराब हैं मगर उन प्रोफेसर साहब ने आज तक सवा साल में बीकानेर जाकर ड्यूटी जोइन नहीं की। तीन दिन के लिए ड्यूटी जोइन की। रोगी तो सफर कर रहे हैं लेकिन वहां के एम०बी० बी० एस० के स्टूडेन्ट्स भी सफर कर रहे हैं, एम० डी० के स्टूडेन्ट्स सफर कर रहे हैं। इस मुद्दे को मुख्य मन्त्री से लेकर स्वास्थ्य मन्त्री जी तक जानते हैं। यह क्या कर रहे हैं? आपकी इतनी ताकत नहीं, आपके हाथ में इतनी पावर नहीं? यह इम्पोटेन्सी क्यों? क्या आप अपने जवाब में इस बात का उत्तर देंगे? उन डाक्टर साहब से मुझे कोई प्रिजुडिस नहीं है, उनसे वैर भावना नहीं है, लेकिन सारे मेडिकल डिपार्टमेंट के मुंह पर यह कालिख पुता हुआ है कि छोटे डाक्टर्स का तो किसी एम० एल० ए० के कहने से, किसी नेता के कहने से, उनका दबाव ले आयेगा तो ट्रांसफर हो जायगा या रुक जायगा। जब तक आप इस घटना को ठीक नहीं करेंगे आप मेडिकल व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे सारा मालूम है कि मेडिकल एजूकेशन का आप क्या हाल कर रहे हैं। जो डाक्टर्स 15-20 साल से मेडिकल कालेज में बैठे हुए हैं वह वहीं पर बैठे हुए हैं और वहीं से वह रिटायर होना चाहते हैं। उनके वहां पर वेस्टेड इन्स्ट्रेस्ट पैदा हो गये हैं। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, आप में हिम्मत नहीं है कि आप जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर के मेडिकल कालेज के बड़े-बड़े डाक्टरों का ट्रान्सफर कर सकें। सबकी प्राइवेट प्रैक्टिस चली हुई है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सारों की चली हुई है, मगर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में ज्यादा रुचि है। जब तक राजस्थान में मेडिकल एजूकेशन का डाइरेक्टोरेट अलग नहीं बनेगा, तब तक इन 5 मेडिकल कालेजेज को कन्ट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिये, गाइड करने के लिए आपके पास में कोई आथोरिटी नहीं होगी। उनके प्रिन्सीपल्स की मीटिंग होती है मेडिकल सेक्रेटरी और मन्त्री के साथ तो उसमें कौन प्रिन्सीपल क्या कहना चाहता है, किस की बात ठीक है, इनको कौन क्या गाइड कर सकता है? यह कोई नई चीज नहीं है। डाइरेक्टोरेट आफ कालेज एजूकेशन अलग से फार्म किया गया है, इसी प्रकार से डाइरेक्टोरेट आफ मेडिकल एजूकेशन जब तक नहीं बनेगा हमारे यहां पर, मेडिकल की शिक्षा का विकास नहीं होगा। आज मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि आने वाले 15–20 सालों में अगर इन मेडिकल कालेजेज की यही हालत रही तो भयंकर स्थिति हो जायगी। जो विद्यार्थी

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)
वहां से एम० बी० बी० एस० पास कर रहे हैं वह क्या कर रहे हैं ? उनको अपनी पढ़ाई के बारे में कितना ज्ञान है, उनकी कितनी काम्पीटेन्सी होती है ? उसका सिर्फ कारण यह है कि वहां पर कन्ट्रोल नहीं है। स्टाफ के अन्दर काम्पीटेन्ट स्टाफ नहीं है। काम्पीटेन्ट स्टाफ आपके यहां क्यों रहेगा ? काम्पीटेन्ट स्टाफ तो था वह जो ईरान गया, कोई लीबिया गया। आज मेडिकल कालेज में कई पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। कोई काम्पीटेंट डाक्टर नहीं है। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? कोई इलाज है आपके पास ? यह मेडिकल कालेजेज आपकी पार्टी पोलिटिक्स में फंसे हुए हैं। जितना भ्रष्टाचार आपके महकमे में किया जा रहा है वह बड़े डाक्टरों द्वारा किया जा रहा है........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उतना छोटे डाक्टरों द्वारा नहीं किया जाता हैं। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि एक डाक्टर पर सरकार का एक लाख, सवा लाख रुपया खर्च होता है। राजस्थान में 5 करोड़ रुपया उनके ऊपर खर्च हो रहा है। राजस्थान के टैक्स पेयर से रुपया लेकर आपने मेडिकल कालेज खोल दिये हैं। दूसरी स्टेट के लोग उनसे लाभ उठाते हैं। यहां पर डाक्टर बेकार हैं। आप अनुदान देने को तैयार है। राजस्थान में 638 डाक्टर अनएम्प्लायड हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में कहना चाहूंगा कि आपने एडहॉक बना रखे हैं वह राजस्थान की एक युनिवर्सिटी से निकलते हैं। इण्डियन मेडिकल कौंसिल ने उनको अधिकृत किया है लेकिन आपने उनको पी०एस०सी० के सामने भिखारी बना रखा है। क्यों आपने उन डाक्टरों को पी० एस० सी० को घूंस देने के लिये वाध्य किया है ? 26 तारीख को इण्टरव्यू होंगे। मगर वह 6 साल से एडहॉक के रूप में काम कर रहे हैं। पी० एस० सी० के वह मेम्बर, जिनको मेडिकल का कुछ ज्ञान नहीं है, क्या करेंगे ? आपने क्या मजाक बना रखा है ? आप खुद उनको परमानेण्ट कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार टेक्निकल व्यक्तियों को, चाहे वह इन्जीनियर हो, चाहे वह डाक्टर हो, चाहे टैक्निकल कालेज का लेक्चरार हो, पूरा वेतन नहीं दे तो वह चोरी करेगा या घूंसखोरी करेगा या राजस्थान सरकार की सेवा छोड़कर मिडिल ईस्ट कण्ट्रीज में जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

आपके सामने यह खतरा है। राजस्थान सरकार तनख्वाह नहीं दे सकती है। फिर हमको यह कहने का क्या अधिकार है कि वह चोरी नहीं करें ? कितने सालों में जाकर एक आदमी डाक्टर बनता है। गवर्नमेंट का का सवा लाख रुपया खर्च होता है। जितना रुपया आप देते हैं उतना तो वैंकों में चपरासियों को मिलता है। हमने डाक्टरों के लिये मांग कर रखी है कि उनको ईमानदार होना

218

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

चाहिये, सेवाभावी होना चाहिये। परन्तु डाक्टरों की भी जरूरतें हो सकती हैं। उसके भी बीबी-बच्चों को आवश्यकताएं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, कृपया।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : अभी तो नहीं लेकिन कुछ ही दिनों में डाक्टर स्ट्राइक करेंगे। आपको बाध्य होकर उनकी मांग को मानना पड़ेगा। इस सदन में मैं मांग करता हूं, जी एफ. वसूली नहीं करें, एडहॉक सिस्टम को खतम करें और उनको इज्जत दें।

(व्यवधान)

आज जयपुर से किसी भी डाक्टर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आप सरकार के लिये कहते हैं कि बहरी है। तो आप भी कम बहरे नहीं हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उन डाक्टरों की सुनिये, जिनके पीछे कोई नेता या एम० एल० ए० नहीं है, कोई एजेन्सी नहीं है, तभी आपका विभाग सही काम करेगा। वरना मेडिकल डिपार्टमेंट से सही काम की आशा करें तो यह नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी।

(व्यवधान)

कृपया विराजें।

(व्यवधान)

आप तो मरीज हैं। आप विराजें। मन्त्री महोदय को उत्तर देना है।

श्री टीकमचन्द कांत : मरीज को भी कुछ कह लेने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा मंत्री)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांग पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं, जो स्थिति का दिग्दर्शन कराया है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, मेरी मान्यता है कि सुझावों का विश्लेषण करके, काम में लेते हुए चिकित्सा सेवाओं को विकासोन्मुखी बनाया जा सकेगा, और भी उपयोगी बनाया जा सकेगा। कुछ इस प्रकार की कोशिश की है। इस प्रकार की भावना माननीय सदस्यों ने प्रकट की है। यह सही है कि राज्य में चिकित्सा सेवाओं से जिस प्रकार की अपेक्षा है माननीय सदस्यों की, उस प्रकार से पूर्ण रूपेण करने के लिये, चिकित्सा सुविधाओं को जुटाने के लिए काफी रास्ता तय करना है। अभी हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, अभी तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 की जनसंख्या पर एक डाक्टर है। अब हम 6000 की जनसंख्या पर लाना चाहते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति 6,000 पर यह है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि चिकित्सा सुविधाओं को जनता की सेवा तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत रास्ता तय करना है। किन्तु जो रास्ता

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

तय करना है, वह योजना बद्ध और नियोजित रूप से हो सकेगा। जो आर्थिक साधन उपलब्ध हैं, उनके साथ सन्तुलन बैठा कर ही कर सकेंगे। इसलिए योजना तैयार की है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि जो अस्पताल खोले गये, या जो चिकित्सा केन्द्र खोले गये, वह किसी पक्षपात के तरीके से खोले गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी चिकित्सालय खोले गये हैं, वह इसी आधार पर खोले गये हैं। पंचायत समिति के क्षेत्र में इस समय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के अलावा जो सुविधा उपलब्ध है, 77-78 और 78-79 के वर्ष में उसका लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और उसके आधार पर अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसलिए यह जनसंख्या की बात नहीं है। जहां यह आबादी नहीं है, वहां भी सैण्टर खोले गये हैं। इस प्रकार से 40 हजार की आबादी जहां है, वहां भी अस्पताल खोलने की बात की गई है। यह निर्धारित करके चिकित्सा सुविधाएं दी गई हैं। अस्पताल की सुविधाएं जहां तक ले जाना चाहते हैं, वहां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था है, छठी पंचवर्षीय योजना में, जिसके आधार पर चिकित्सा सेवाओं को, जो अभी प्रति 6000 व्यक्तियों पर एक शैय्या है, हम उसे 200 व्यक्तियों पर एक शैय्या पर लाना चाहते हैं, एक हजार की आबादी से लेकर 5000 की आबादी पर एक मल्टी पर्पज वर्कर और 20 हजार की आबादी पर एक सब्सीडियरी सैण्टर ले जायेंगे। हर जिला अस्पताल 100 बैड के होंगे, 50 बैड के होंगे, यह छठी पंचवर्षीय योजना में कर सकेंगे। पी० एच० सी० जो है, 25 पर्सेन्ट हमारा एड प्रोग्राम है उसके अनुसार रेफरल अस्पताल में परिवर्तित होगा। 13 पी० एच० सी० को अपग्रेड करके रेफरल अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार से हर जिले में एक पी० एच० सी० को रेफरल अस्पताल में बदल दिया जायगा। पहला चरण हमारा इस प्रकार हुआ है और दूसरा चरण बाद में लिया जायगा। उस दृष्टि से 13 जिले रह गये हैं, जिनमें आगामी वर्ष में भवन निर्माण का कार्य शुरू हो जायगा और पांच जिलों में रेफरल हास्पिटल स्थापित कर दिये जायेंगे। इसके साथ ही साथ 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपरेशन थियेटर बनाने का काम आगामी वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायगा। सब-सैन्टर का लक्ष्य पहले 10 हजार की आबादी पर था जिसको 5 हजार तक ले आए हैं। आगामी वर्ष में 200 सब-सैन्टर्स के भवन निर्माण का काम प्रारंभ हो जायगा और वहां पर भवन बनने के बाद सब-सैन्टर्स की प्रस्थापना कर दी जायगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि हर पंचायत समिति में चार चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और छठी योजना में हर बीस हजार की आबादी पर पहुंच जायगा। 25 हजार की आबादी तक ग्रामीण क्षेत्रों में और 40 हजार की आबादी तक शहरी क्षेत्रों में अभी है। पी० एच० सी० हैं और जो नगर पालिका क्षेत्र है जहां दस हजार अथवा इससे अधिक आबादी है वहां पर एक महिला चिकित्सक का पद स्थापित किया जायगा,

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

यह सुविधा गत वर्ष थी और आगामी वर्ष में हर नगरपालिका के चिकित्सा केन्द्र में महिला चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध कराई जायंगी। कुछ स्थानों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करने के बाद भी वे नहीं पहुंच पाई हैं, इस पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि उनको क्या और सुविधायें उपलब्ध कराई जायं, जिससे परिवार कल्याण की दृष्टि से और हर पी० एच० सी० में महिला चिकित्सक हो जाय इस दृष्टि से सोचा जा रहा है। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर जिला अस्पताल को 100 रोगी शय्याओं में क्रमोन्नत किया जायगा और जहां पर जिन जिलों में नहीं हैं वहां पर आगामी वर्षों से 100 रोगी शय्याएं उपलब्ध करा दी जायंगी। उप जिला अस्पतालों में जहां 50 रोगी शय्याओं की सुविधा नहीं है उनको भी क्रमोन्नत करके वहां पर 50 रोगी शय्याओं की सुविधा दी जायगी। इस वर्ष चूंकि बाल वर्ष है, हर जिला अस्पताल में दस रोगी शय्याओं की व्यवस्था की जायगी। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य भार्गव साहब ने कहा था और जो यहां पर बाल चिकित्सालय की बात कही गई है, तो मेरा निवेदन है कि आगामी वर्षों में यह बाल चिकित्सालय कायम हो जायगा। इसका भवन बन कर तैयार हो गया है और जल्दी ही इसको सरकार प्रारम्भ कर देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण की दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार को कोई पैसा मिलने वाला नहीं है और जो पैसा मिलता है उसमें शर्तें लगाते हैं इसलिए कोई भी भवन बनाने वाला नहीं है और न ही कोई अस्पताल खोले गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में रखना चाहूंगा कि इस वर्ष करीब एक करोड़ रुपये के जन सहयोग से माननीय मुख्य मन्त्री कोष से और सरकार की सहायता से अस्पताल के भवनों का निर्माण हुआ है और आगामी वर्ष में 100 चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना है। जो माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जिन क्षेत्रों में जन सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते उसका भी प्रावधान राज्य सरकार के पास है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी सुविधा बड़े शहरों को नहीं दी गई है जिसका बड़े शहरों में राजकीय कोष से निर्माण किया गया हो और ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहयोग से किया हो। मैं यह निवेदन कर देना उचित समझता हूं कि काफी लोग प्रस्ताव लेकर हमारे पास आ रहे हैं, राज्य सरकार इस दृष्टि से कि कहीं असन्तुलन नहीं हो जाय चिकित्सा सेवाओं में, इसलिए रोके हुए हैं। लोग पैसा भी देना चाहते हैं और सुविधा भी, और हम जो शर्तें लगाते हैं वे भी मानने को तैयार हैं, धर्मशालाएं भी बनवाने को तैयार हैं, डाक्टरों के लिए निवास स्थान भी बनाना चाहते हैं। कुछ जिलों में राज्य सरकार खोलती है, वहां पर जहां सुविधा नहीं है, सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, कहीं सारा का सारा बजट जहां पहले से ही सुविधायें उपलब्ध हैं वहां पर खर्च न हो जाय, इसलिए यह सोचना गलत है कि जन सहयोग के प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं। आज भी राज्य सरकार के पास 45

(श्री त्रिलोक चन्द जैन)

लाख के प्रस्ताव विचाराधीन है और आगामी वर्षों में, उपाध्यक्ष महोदय, उनको पूरा किया जायगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पचास लाख तो अकेले हनुमानगढ़ से लगाया जा रहा है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : औषधियों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी अस्पताल में इस वक्त औषधियों की कमी नहीं है, औषधियां पूरी तरह से हैं। सभी सी. एम. एच. ओ. को निर्देश दिये हुये हैं कि निर्धारित बजट समाप्त हो जाने के बावजूद भी अगर आवश्यकता पड़े तो औषधियों की कमी नहीं आने दी जाय। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 76-77 में तीन करोड़ रुपया औषधियों पर खर्च किया जाता था वहां 78-79 में 6 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसलिये औषधियों की और बैन्डेज की कमी नहीं है। यह बात अवश्य है कि कुछ स्थानों पर बैन्डेज पहुंचाने में देरी अवश्य हुई है। इसका कारण यह है कि यह हैण्डलूम बोर्ड के मार्फत बनवाई जाती हैं और इनको ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार करवाया जाता है जिससे कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। वहां से आने में देरी हुई इसलिये अस्पतालों में कुछ स्थानों पर देरी से पहुंच पाई। इसलिये न तो बैण्डेज की और न गोज की और न औषधियों की कमी है। इस वर्ष 6 करोड़ रुपया औषधियों पर खर्च किया गया है और आप देखेंगे कि सन् 76 में जहां प्रति रोगी शैय्या पर 1250 रु. खर्च हुआ वहां 78-79 में 1565 रुपया प्रति रोगी शैय्या खर्च किया गया।

जनस्वास्थ्य रक्षक का कार्यक्रम इस प्रकार का कार्यक्रम है जिससे समीक्षा भी हुई है लेकिन यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम बहुत कम खर्च में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधायें पहुंचाना चाहते हैं। इस वक्त करीब 4300 जनस्वास्थ्य रक्षकों का प्रशिक्षण हो चुका है। 78-79 में 1/3 जनसंख्या कवर कर ली गई है और इसके बाद 1/5 जनसंख्या कवर हो जायेगी। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 7000 से अधिक की औषधियां वितरित की जायगी।

इसी के साथ मल्टी पर्पज वर्कर्स का तीन पंचायत समितियों में काम प्रारम्भ हो चुका है और करीब 3015 कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। 7 जिलों में यह कार्य समाप्त हो चुका है, उन 7 जिलों में इस काम की क्रियान्विति हो जायेगी और फिर 8 जिलों को और शामिल किया जायेगा। मल्टी पर्पज वर्कर्स की स्कीम के बारे में माननीय सदस्यों को गलतफहमी रही कि वे उप केन्द्रों पर रहेंगे। उप केन्द्रों पर कोई चिकित्सालय नहीं है। वहां दो हजार रुपए की दवाइयों की व्यवस्था रहती है, एक ए० एन० एम० और एक वर्कर रहता है। ए० एन० एम० मात्र शिशु कल्याण की दृष्टि से मैटरनिटी सेवाओं के लिए और दूसरा वर्कर स्वास्थ्य की दृष्टि से घूम घूमकर सेवा करते हैं। कोई चिकित्सा केन्द्र नहीं है, न कम्पाउडर होता है बल्कि हैल्थ

222

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

सर्विसेज, मैटरनिटी सर्विसेज चाइल्ड वेल्फेयर की दृष्टि से उपकेन्द्र है। इसलिए यह आशा करना कि वहां डाक्टर रहता है, वह सही नहीं है, डाक्टर की सुविधा नहीं है। इसी तरह मल्टी पर्पज वर्कर्स की स्कीम में आने वाले वर्ष में 8 जिले और सम्मिलित किये जायेंगे। अभी 30 हजार की आबादी पर एक चिकित्सा केन्द्र होगा, काफी गैप रह जाता है, जिससे जनता को सेवा पहुंचाने में देर लगेगी और जनता इतनी देर तक इन्तजार नहीं कर सकती। आगामी साल में सेवा पहुंच सके, इसलिए सरकार की योजना मोबाइल सर्जीकल यूनिट द्वारा कैम्प लगाने की है। सदन को जानकर खुशी होगी कि गत वर्ष 27 शिविर मोबाइल सर्जीकल यूनिट ने लगाये हैं, करीब 66 हजार बीमारों को उन्होंने देखा है और करीब 13 हजार आपरेशन्स मोबाइल सर्जीकल यूनिट ने किये हैं।

इतना ही नहीं, ये जो कैम्प्स हैं जिनके लिये गत वर्ष निर्णय लिया गया था, उनके अच्छे परिणाम आये हैं। जन सहयोग, जिला चिकित्सा केन्द्र, पी० एच० सी० सब का सहयोग लेकर जो डाक्टरों की सेवा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकी थी, उनको राहत पहुंचाई गई। डाक्टरों ने कैम्प लगाये और कैम्प्स के द्वारा चिकित्सा सुविधा उनको पहुंचाई। आप आश्चर्य करेंगे कि इस साल सब का सहयोग लेकर लगभग 402 इस प्रकार के शिविर सारे राजस्थान में लगाये गये और सब महीनों में एक तरह से शिविरों का तांता चलता रहा।

हमारे मोबाइल यूनिट्स की स्थिति के बारे में कहा गया। उसके विकेन्द्रीकरण करने की चर्चा चल रही है, साधन देने की बात चल रही है और अलग अलग जो हमारे मेडिकल कालेज से एफीलिएटेड हैं, सब पी० एच० सी० के चार्ज में चाले जायेंगे। चाहे कोई पैथोलोजी में जाय या और किसी में जाए। इस तरह इनको रीआर्गेनाइज किया जाएगा।

इस प्रकार पहले गांव वालों को अस्पताल जाना पड़ता था, अब शिविरों के मार्फत हम बीमार के घर पर चिकित्सा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो मल्टी पर्पज वर्कर्स हैं उनके और शिविरों के माध्यम से सारी दिशा को मोड़ दिया है। बजाय इसके मरीज सेवा के लिए अस्पताल जाय, सेवा मरीज के पास चली जाए, यह हमारा उद्देश्य है। जैसा श्री नूरा व श्री श्योपतसिंह ने कहा कि कौन एस. एम. एस. में जा सकता है। अब आवश्यकता नहीं कि वे लोग एस. एम. एस. में जाय, चिकित्सा सेवायें खुद ही पहुंच रही हैं। मैं इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि जिन अन्त्योदय परिवारों का चयन किया गया है, चिकित्सा विभाग ने उनके स्वास्थ्य की जांच करने, उनकी निःशुल्क सेवा करने का जिम्मा लिया है। सदन को जान कर खुशी होगी कि करीब 60 हजार परिवारों की जांच कर चुके हैं और उनको एक कार्ड दे दिया गया है। यदि उनको कोई बीमारी है, वे जब किसी चिकित्सालय पहुंचेंगे तो उनको निःशुल्क सेवा प्राप्त हो सकेगी। इस व्यवस्था से गरीब लोगों के पास चिकित्सा सेवायें पहुंच रही हैं जो भी हमारे पास साधन हैं

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

उनके आधार पर गरीबों के बिना किसी खर्च के इलाज के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं।

ट्रेनिंग प्रोग्राम को वास्तविक रूप दिया जा रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो नर्सेज व कम्पाउन्डर्स की कमी है उसकी पूर्ति हो सकेगी। रेडियोग्राफर, पब्लिक हैल्थ नर्सेज, सिस्टर ट्यूटर्स, डिप्लोमा कोर्स इन फार्माकालोजी, एक ए. एन. एम. ट्रेनिंग सैंटर-बांसवाड़ा मे दो नए आर. एन. आर. सी. खोले जायेंगे। महिला नर्सेज के लिए ट्रेनिंग प्रारम्भ होगी और जिन एरियाज में, ट्राइवल एरियाज में हमको कार्यकर्त्ता नहीं मिलते हैं उन क्षेत्रों में लोगों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वहां की समस्यायें वहीं वे दूर कर सकें, इसके लिए महिला नर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा। इस तरह हैल्थ के क्षेत्र में काफी सेवाओं को रिआर्गेनाइज किया गया है।

यहां मलेरिया के बारे में काफी चिन्ता प्रकट की गई....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मच्छर सोने नहीं देते।

श्री त्रिलोक चन्द जैन : मलेरिया में 30.6 प्रतिशत कमी रही। मलेरिया एक वार जा चुका था, वह वापस आया है, यह चिंता का विषय है। सारी चिकित्सा सेवायें इसके प्रति काफी सजग हैं। सदन को जान कर खुशी होगी कि ट्राइवल व डैजर्ट एरियाज में मलेरिया की रोकथाम के लिए 500 नए केन्द्र खोले जायेंगे, दवाइयां वितरित की जायेंगी और 100 उपचार केन्द्र खोले जायेंगे।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में काफी समालोचना हुई है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राज्य सरकार भी इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम मानती है लेकिन इसका केवल आपरेशन ही साधन नहीं है। यह कई साधनों में से एक है। इसलिए इस कार्यक्रम को जनोपयोगी बनाने की दृष्टि से और जनता का मानस इसके अनुकूल करने की दृष्टि से भय निवारण और जन सहयोग की आवश्यकता है। उसके लिए पीपुल्स कमेटियां बनाने का कार्यक्रम लिया है। एक हजार पीपुल्स कमेटियां पंचायत क्षेत्रों में बनाई गई हैं। 5000 दाइयों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चिकित्सकों के लिए गंगानगर में प्रोग्राम शुरू किया गया है....

श्री रघुनन्दन व्यास : हनुमानगढ़ में नहीं किया ?

श्री त्रिलोक चन्द जैन : डैजर्ट एरिया में तो भाटी जी के भाषण से मैं डर गया था कि उन्हें-शिकायत ही नहीं है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे जो कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों के द्वारा जनसंख्या में कमी आनी चाहिए। इसमें डागा जी और वृद्धिचन्द जी जैन का बड़ा जोश था। मैं इतना ही कहूंगा कि हम स्वेच्छा के और दूसरे इसी प्रकार के कार्यक्रम हाथ में ले रहे हैं उनके द्वारा जनसंख्या की दर पर काफी प्रतिबन्ध लग सकेगा।

(224)

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

जो अगले वर्ष में कार्यक्रम लिये जायेंगे उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूं। नगर-पालिका क्षेत्र में महिला चिकित्सकों की व्यवस्था होगी। कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां कि अस्पताल नहीं हो। हर जिला अस्पताल में शोध पुस्तकालय की व्यवस्था होगी ताकि वहां पर काम कर रहे डाक्टर लोग अध्ययन कर सकें। जयपुर में बाल वर्ष के अवसर पर जो बाल चिकित्सालय बना है, वह अगले वर्ष अपना कार्य प्रारम्भ कर देगा। उसमें 200 बैड्स की व्यवस्था होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सी. ए. एस. डाक्टरों की ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : जोधपुर में जो कोपेक्स प्लान्ट है वह अगले वर्ष बन कर तैयार हो जायेगा। जो नये अस्पताल बन रहे हैं वह भी आगामी वर्ष में प्रारम्भ हो जायेंगे। चिकित्सा सुविधाओं को पुनर्गठित करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है चिकित्सा आयुक्त की अध्यक्षता में, जिसके लिए माननीय सदस्य बहुत चिन्ता प्रकट कर रहे थे और जिसके लिए मैंने भी वायदा किया हुआ है। यह सारी कठिनाइयों को सुनेगी। परिवार कल्याण कार्यक्रम को इन्सेन्टिव देने के लिए 50 लाख रुपये का एक कोष बनाया गया है, जिससे पंचायत समिति क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकेगा।

इसके अलावा सैन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स-ट्रुमेन्ट्स आर्गेनाइजेशन ने जयपुर में एक मेन्टीनेन्स सेन्टर खोलने की बात को स्वीकार कर लिया है ताकि हमारे यहां जो उपकरण हैं और मशीनें हैं उनको दुरुस्त हम उससे करवा सकें। इसके साथ ही साथ यहां कई माननीय सदस्यों ने सलाहकार समितियों की बात कही है। जिला मुख्यालयों और उप-जिला मुख्यालयों में आगामी वर्ष सलाहकार समितियां गठित कर दी जायेंगी।

दवाइयों के बारे में माननीय बजरंग लाल जी ने कहा था। मैं आपको जानकारी दूं कि दो कम्पनियां आगामी वर्ष विश्वकर्मा इन्डस्ट्रियल एरिया में फंक्शन करना शुरू कर देंगी और एसेन्शल मेडिसन्स वह बनायेंगी ताकि हमारे राजस्थान में दवाइयों की कमी पूरी हो जाये....

श्री बजरंग लाल शर्मा : एस. एम. एस. हास्पिटल की डी. पी. सी. के लिए क्या कहना है ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : डी. पी. सी. का कार्यक्रम चालू हो गया है। मेडिकल कालेज के अलावा सारे पदों की डी. पी. सी. हो चुकी है। जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट और सी. एम. एच. ओ. की डी. पी. सी. हो चुकी है। डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर की डी. पी. सी. अब होगी। सी. ए. एस. की चल रही है। जनाना हास्पिटल के लिए श्री श्रवणलाल जी ने प्रश्न उठाया था। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा मुख्य लेखाधिकारी के द्वारा जांच कराई गई है। उसकी रिपोर्ट आ गयी है और वह परीक्षण में है। जो भी रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार उस पर कार्यवाही

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
होगी । चित्तौड़ के डाक्टरों के एकदम जो ट्रांसफर हुए हैं, उनके लिए कहा गया। स्थानान्तरण एकदम नहीं किये गये हैं। वहां हमारे माननीय सहकारिता मन्त्री गये थे । उनको शिकायत की गयी थी और कैटेगरीकली शिकायत की थी । वहां के कलेक्टर से शिकायत ग्राई । उसकी जांच की गयी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले को कर्टसी के तौर पर पूछना चाहिए था।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : तो इस तरह से आगामी वर्ष के लिए कई कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं और वह पूरे होंगे ....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मरीजों के खाने के बारे में जरा मरीजों से पूछें कि क्या हालत है । हास्पिटल में खटमल हैं। बहुत बड़ी प्राब्लम है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : खटमल मारने के अभियान का मुखिया माननीय श्योपत सिंह जी को बना दिया जाये ।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजरंगलाल जी ने एप्रूव्ड लिस्ट की बात की । दूसरे लीजों ने भी माइक्रोस्कोप खरीदे हैं। इसके अलावा श्री ईश्वरचन्द्र जी भटनागर के पास झुंझुनूं से कोई तार आया है उसके लिए कहा कि वहां पर 8 आदमी एन्टीरैबिक वैक्सीन के बिना मर गए । उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है....

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने माना है कि एन्टीरैबिक वैक्सीन राजस्थान में नहीं है ।

श्री रतनलाल वर्मा : यह शादी कर सकें, इनका भी इलाज होना चाहिए।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : श्री दाऊ दयाल जी जोशी ने डाक्टर थानवी के लिए कहा था। 25–8–78 से वह ड्यूटी पर नहीं है उनको नोटिस दिया गया है और उसको कोई वेतन नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुझाव दिये गये हैं, वह बहुत अच्छे हैं....

श्री मूलचन्द डागा : गर्ल्स कालेज खोलने के बारे में सुझाव दिया, उसका क्या हुआ ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मरीजों के भोजन की व्यवस्था के बारे में ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : भोजन की व्यवस्था के बारे में आपसे कहा है। भोजन की व्यवस्था को मैं कई अस्पतालों में जाकर देख कर आया हूं। उसको हम ठीक कर रहे हैं। जहां बर्तन वगैरह नहीं हैं वहां बर्तन भिजवा रहे हैं।....

श्री वृद्धिचन्द जैन : 100 से 150 बैड का क्या कर रहे हैं ?

श्री त्रिलोकचन्द जैन : उस बारे में मैनुअल तैयार हो जायेगा उसके बाद इस बारे में विचार किया जायेगा। कमेटी बैठायी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि जो चिकित्सा की मांग यहां पर प्रस्तुत की गई है उस मांग को पारित करें।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति जानना चाहता हूं।

क्या सदन की सहमति है कि प्रस्तुत मांग के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की सहमति से जब तक कि प्रस्तुत मांग पारित न हो जाय सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री टीकमचन्द कांत।

मांग संख्या 26 पर विचार

श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर) : मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जालौर का अस्पताल, जिला चिकित्सालय, जिसके अन्दर लगभग 150 बैड की व्यवस्था है, में एक दो बैड और बढ़ायेंगे ताकि सीनियर स्पेशलिस्ट वहां पर जा सकें ? क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे ? सात लाख जनसंख्या है जालौर जिले की।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जिन अस्पतालों में ई. सी. जी. की मशीन है, जान बूझकर खराब की जाती है। एक डाक्टर ई. सी. जी. मशीन खरीद कर अलग से प्रैक्टिस करता है। वास्तव में कुछ चिकित्सालयों में जानबूझ कर मशीनें खराब की गई हैं, उनके लिये कोई टैक्निशियन है या नहीं, यह आप देखेंगे ?

तीसरा, दवाइयां खरीदने के बारे में और दवाइयां लिखने के बारे में एक प्रक्रिया डाक्टरों द्वारा अपनाई गई है। जो दवा 5 रुपये की भी नहीं है उस प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये लिया जाता है जिसका 25 प्रतिशत डाक्टर को और 25 प्रतिशत केमिस्ट को देते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को जानबूझ कर चलाया जाता है। इस बारे में क्या सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकम चन्द जी, कृपया विराजें आप।

श्री मूलचन्द डागा : विधायकों के लिए कार्डियोग्राम मशीन हमारे डाक्टर के पास होगी या नहीं। हमारे हार्ट पेशेन्ट्स को अस्पताल जाना पड़ता है ? एक कार्डियोग्राम मशीन होनी चाहिये।

श्री टीकम चन्द कांत : डाक्टरों के आर. पी. एस. सी. द्वारा इन्टरव्यू लिये जा रहे हैं। आपने सदन में कहा है कि यह जरूरी नहीं है। तो इन्टरव्यू रुकवाने की व्यवस्था की जा रही है या नहीं ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि

(श्री रामनारायण चौधरी)

शहर में रहने वालों के लिये नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो अस्पताल है, उनमें एक लेडी डाक्टर की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। बहुत से नगरपालिका क्षेत्र में लेडी डाक्टर्स पहले से हैं। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां नगरपालिका है और लेडी डाक्टर नहीं है। गांव के अन्दर, देहाती क्षेत्र के अन्दर जो अस्पताल है उसमें लेडी डाक्टर क्यों नहीं दे रहे हैं ? रूरल ओरियेन्टेड बजट आप कहते हैं। जगह जगह आपने नगरपालिका का नाम लिया। मैं चाहूंगा कि गांवों के अन्दर जहां कोई व्यवस्था नहीं है वहां एक-एक लेडी डाक्टर रखने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स काम करती है उन पर सरकार हजारों रु. खर्च कर रही है। उनकी हालत खराब है। माननीय मन्त्री महोदय को प्रेक्टिकल भी बताया, उनको ले जाकर बताया कि कैम्प के प्रचार के लिये कोई भी साधन नहीं न मोबाइल यूनिट की तरफ से, न अस्पताल की तरफ से। मेहरबानी करके प्रचार के साधन सरकार की तरफ से उपलब्ध किये जावें ताकि अधिक लाभ मिल सके।····

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषणबाजी बन्द करवाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : आप बोल रहे थे तब हम कुछ नहीं बोले। जो सर्जिकल काम करने वाले·······

(व्यवधान)

आपने कभी कैम्प लगाये नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह जनता आपको दुबारा कभी नहीं भेजेगी। जनता सब देख रही है।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहता हूं। परिवार कल्याण ने हर पंचायत समिति में एक वर्कर लगा रहे हैं। हैड आफिस में जो है उसको ज्यादा तन्ख्वाह मिलती है और जो पंचायत समिति में लगा रहे हैं उसको कम तन्ख्वाह मिलती है, इसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री गुरुशरण छाबड़ा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति नहीं दूंगा। कृपया विराज जायें।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप चर्चा में भाग ले चुके हैं, आपको अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय श्योपतसिंह जी, आप दूसरों को उपदेश देते हैं, आप विराजें। माननीय आयुर्वेद मन्त्री कृपया उत्तर दें।

श्री मूलचन्द डागा : विधायकों की बात कर रहा हूं, विधायक बीमार हो जायं तो डाक्टर के घर पर फोन नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप, उस डाक्टर के पास टेलीफोन नहीं है.........

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराज जायें आप।

श्री श्योपतसिंह मकासर : विधायकों के लिये जो डाक्टर हैं उस डाक्टर के घर पर टेलीफोन होना चाहिये। जरूरी है।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : कार्डियोग्राम की मशीन होनी चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : अस्पतालों में 5,5 वर्षों से गाड़ियां खराब पड़ी हैं, उनको रिप्लेस करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल (राज्य मन्त्री, आयुर्वेद) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं हाउस के माननीय सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आयुर्वेद पर पहली बार अपने विचार व्यक्त किये। साथ ही जनता सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि जिसने.........

श्री मूलचन्द डागा : आपको मन्त्री बनाया।

श्री भैरवलाल कालाबादल : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करूंगा कि मैं जो कुछ बोलूं, बीच में बाधा नहीं डालें। इसीलिये मैं आप सबको चूरन की गोलियां देता आया हूं और वह भी नमकीन। आयुर्वेद के बारे में आपके सब कट मोशन्स के जवाब दूंगा। आप तसल्ली से सुनें।

यह आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, मानव का जन्म हुआ तभी से आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति चली आ रही है। यह चिकित्सा पद्धति बहुत प्राचीन है। मैं सभी चिकित्सा पद्धतियों की कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं। सभी चिकित्सा पद्धतियां मानव के कल्याण के लिये हैं मगर यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति मानव के लिये ही नहीं समस्त प्राणी मात्र के लाभ के लिये है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति बड़े-बड़े लोगों के इलाज के लिये है और यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति साधारण से साधारण गरीब के लिये भी है। हमारे भारत में अधिकतर 80 फीसदी गरीब हैं। दूसरी तरफ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति 20 फीसदी लोगों का इलाज करती है और हमारी चिकित्सा पद्धति 80 फीसदी का इलाज करती है। इसके ऊपर पहली बार आपने इस सदन में विचार किया है। मैं इस सदन में कई साल रहा हूं लेकिन आयुर्वेद पर कभी किसी के कट मोशन पर विचार नहीं हुआ। आज पहली बार हो रहा है और वह भी मेरे आने पर.........

श्री मूलचन्द डागा : और जितना सही उत्तर आप दे रहे हैं, उतना सही उत्तर किसी ने नहीं दिया।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जिस समय हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ उस समय हमारे यहां 386 आयुर्वेद औष-

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

धालय थे । 78–79 तक यह संख्या वढ़ कर 2396 हो गई । छठी योजना के अन्तर्गत हमारी यह संख्या 2860 हो जायगी ।

श्री मूलचन्द डागा : कमी रहेगी थोड़ी सी ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हमारा लक्ष्य तो वहुत कुछ था मगर चूंकि जनता सरकार के पास आर्थिक साधनों का अभाव है, इस कारण हम अभी कुछ अधिक नहीं कर पाये........

(व्यवधान)

आयुर्वेद में कुछ कमियां हैं, इसको मैं मानता हूं

(व्यवधान)

मावली से आने वाले माननीय सदस्य का जवाब मैं पहले दे दूं क्योंकि जब से आयुर्वेद की डिमान्ड शुरू हुई तभी से ये मेरे अगल बगल घूमते रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिला रहा हूं, इस अप्रेल माह में आपका औषधालय अ श्रेणी का घोषित कर दिया जायगा ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या श्रीमान, आप के इर्द गिर्द जो घूमते हैं उनके यहां औषधालय खोल देते हैं ?

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : मेरी मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। वह मांग अब पूरी की है। दवाओं के लिये आपको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय को इन्ट्रप्ट न करें।

श्री भैरवलाल काला बादल : माननीय सदस्य, आदेश जारी कर दिये हैं। स्टाफ चला जायगा और दवायें भी उसी स्टाफ के साथ चली जायंगी। हमारे यहां आयुर्वेद विभाग के पास यूनानी, होमियोपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा है, इस तरह चार प्रकार की चिकित्सायें हमारे पास हैं। यूनानी के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता की है। पुरानी सरकार ने 68 तक मान्यता दी लेकिन उसके बाद उठा ली। यह जनता सरकार दो माह में अब उसको वापस मान्यता दे देगी।

हमारे यहां होमियोपैथिक चिकित्सालय में कालेज के छात्रों की परीक्षायें नहीं हो रही थीं। हमारे अजमेर के माननीय सदस्य बच्चानी जी ने यह कहा और दूसरे, हमारे माननीय सदस्य गंगासहाय जी, होमियोपैथिक डाक्टर साहब ने भी यह कहा तो मैंने होमियोपैथिक बोर्ड के मेम्बरों को रिजेक्ट कर दिया। उनकी अवधि समाप्त हो गई थी। मुझे कालेज के लड़कों ने यह कह कर बुलाया कि माननीय आयुर्वेद मन्त्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं चला गया। कालेज के लड़के किस प्रकार बहका कर ले जाते हैं यह तो सभी मन्त्री अनुभव करते होंगे। मैं भोला भाला आदमी....

श्री मूलचन्द डागा : आप ऊपर से ही भोले हो, अन्दर से तो समझदार हो।

230

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं कालेज में चला गया। मैंने भाषण दे दिया। लड़कों ने अपनी मांग शुरू कर दी और कहा कि हमारी सप्लीमेंट्री परीक्षा भी खटाई में पड़ी हुई है। मन्त्री महोदय, हम आशा करते हैं हमारी सप्लीमेंट्री परीक्षा तो करा दो। चाहे नया बोर्ड बनवा दो। मैं वायदा कर आया कि मार्च-मार्च में तुम्हारी परीक्षा करा दूंगा। अब मुझे चिन्ता हो गई कि वायदा तो कर लिया, परीक्षा भी होगी या नहीं होगी। तो मैंने बोर्ड के मैम्बरों को रिजेक्ट कर दिया। मेरे फैसले के विरुद्ध वे हाई कोर्ट में चले गये। वे वहां से भी रिजेक्ट होकर आ गये। अब वे अपील में गये हैं तो अपील नामंजूर की गई है। आयुर्वेद मंत्री का फैसला हाई कोर्ट ने भी बहाल रखा।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसा कोई मन्त्री नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इतना कुछ होते हुए भी पुरानी सरकार ने हमारी पंचायत समितियों के साथ पक्षपात जरूर किया। मैं कहना नहीं चाहता था, सदन का मैम्बर मैं भी रहा हूं लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी कभी सरकार की हां में हां नहीं मिलाई। यहां तक कि मुख्य मन्त्री का चुनाव हुआ तो नेता का चुनाव लड़ा। उपनेता का चुनाव लड़ा, सत्ता में रहते हुए और अन्त में सबसे पहले जब मेरे आदर्श ने पुकारा तो मैं 66 में त्याग पत्र देकर चला आया और हमने जनता पार्टी बनाई। मैं 12 वर्ष तक मौन साधना में बैठा रहा। पुराने लोग कहते हैं कि बारह वर्ष के बाद तो एक रेबाड़ी की भी चेतनी है। तो बारह वर्ष के बाद कांग्रेस गई और जनता पार्टी आई। अब जनता पार्टी शासन करती है। आयुर्वेद में इससे पहले जो भी कमियां थी, दवाइयां नहीं थीं, वैद्य नहीं थे, फर्नीचर नहीं था, दवा की भी कमी रही होगी। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 54 लाख का बजट लैप्स होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लैप्स एक पाई भी नहीं होगी।

(व्यवधान)

आप चिंतित थे तो मैं भी चिंतित था। 54 लाख की कच्ची औषधियों के लिए हमारे बजट में मन्जूरी थी, जिसमें से 32 लाख की औषधि तो खरीद ली गई और 22 लाख का आर्डर दे दिया गया है एक दो दिन में दवाई आ जाएगी। इसलिए लैप्स होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होगा।

तिब्बिया कालेज के लिए मैंने कह दिया था कि जल्दी से जल्दी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। उनको अधिकार दे करके चालू कर देंगे। सात सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। पहले लोगों ने यह रिपोर्ट दी कि यूनानी कालेज केवल बोगस है। मैंने उस सम्बन्ध में सुना, तो मैं तीन बार कालेज में गया हूं। देवीशंकर जी तिवाड़ी गए। मैंने देखा तो मुझे विश्वास हुआ। यूनानी चिकित्सा पद्धति राजस्थान से उठ न जाय इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको अनुदान देना चाहिए। मगर अनुदान की फाइलें तो चलती रहती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मन्त्री जो हैं वे तो भावुक जीव हैं इसलिए बोल दिया होगा और भावुकता में

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

फैसला कर दिया होगा। इसलिए फिर एक सात सदस्यों की कमेटी बनाई और अब कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार है। वह रिपोर्ट राज्य सरकार के पास जायेगी। राज्य सरकार से पास हो जाएगी तो इसका अनुदान मन्जूर कर देंगे।

यूनानी हकीमों की कमी है। 68 तक उनको मान्यता दे रखी थी। उसके बाद हमको योग्य हकीम नहीं मिले। अब हमने इलाज कर लिया है और दो माह के अन्दर यूनानी हकीमों की पूर्ति कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : अब रहने दो साहब, सवा नौ बज गए।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आज आयुर्वेद के बारे में पहली बार ही तो बोल रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : बोलिये साहब, बारह बजे तक।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हमारे यहाँ पर जो पहले बजट था वह कम था। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि हमारा बजट जो पहले 6,12,39,000 का था, वह बढ़ा कर अब 8 करोड़ 20 लाख 58 हजार का छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए बढ़ा है। इन्होंने धोखा दिया है आपको।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अब साहब बीच में टोकाटाकी मत करो।

(व्यवधान)

इसमें मन्त्री होने की कोई बात नहीं है। मन्त्री पद का कुछ भी लोभ नहीं है। यह हमारा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बजट है। अब दवाओं के लिए हमारे यहां पर रसायन शालायें भी हैं। मगर कुछ औषधियों की कमी आती थी इसलिए दवा तैयार होने में बाधायें थीं। अब की बार हमने उस पद्धति को बदल कर दवाओं का स्टोरों से और दूसरे तरीके से प्रबन्ध किया है। हम कुछ औषधियों को प्राप्त करने के लिए, पांच औषधियां तैयार करने के लिए पांच फर्मों की व्यवस्था कर रहे हैं। हम कुछ औषधियां भी तैयार करेंगे। हम यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जहां-जहां पर भी पहाड़ों में, जंगलों में कच्ची औषधियां उपलब्ध होती हैं हम उनका संग्रह करायें ताकि हमारी रसायन शालाओं को ठीक तरह से दवाइयां मिल सकें।

(व्यवधान)

और इसके बाद में यदि हमारे पास दवाओं की कमी रहेगी तो निगमों से और खरीद करेंगे। इस वर्ष निगमों और ट्रस्टों से बीस लाख रुपयों की कच्ची औषधियां हम खरीद रहे हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इनका जवाब कल के शिक्षा मंत्री जी के जवाब से कई गुना अच्छा है।

श्री कौशल किशोर जैन : आप गुप्ता जी का इलाज भी जरूर करिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वेतनमानों की बात भी करिये ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : वर्तमान में 580 रोगी शैय्यायें हैं । 79–80 में शैय्याओं की ओर बढ़ोतरी कर रहे हैं । हमारे यहां पर कमी भी महसूस करते हैं, फर्नीचर की कमी है, शल्य यंत्रों की कमी है, अतिरिक्त स्टाफ आदि की भी व्यवस्था में कमी है । हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं । इसके लिए चार लाख का प्रावधान इस वर्ष रखा गया है । राजकीय रसायन शालाओं का विकास, लेबर, स्टोर, नवीन औषधालयों, केन्द्रों की भी स्थापना करेंगे । औषधि निर्माण में गति लाने को भी क्रियेट की जा रही है ।

अब हमारे विभाग के वेतनमानों का सवाल है । यह पुरानी सरकार के जमाने से विचाराधीन चला आ रहा है । कांग्रेस सरकार तो विचार करती रही मगर विचार का निर्णय किया ही नहीं । हमारी जनता सरकार जल्दी ही विचार करके अपना निर्णय आपके सामने पेश कर देगी ।

श्री मूलचन्द डागा : आप कब निर्णय करेंगे ? आप दो साल तक भी निर्णय नहीं मशीनरी करेंगे । आज कर दो घोषणा ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय मन्त्री जी, कल शिक्षा मन्त्री ने शिक्षकों के नए वेतनमानों की घोषणा की है, आप भी घोषणा कर दें ।

वैद्य गोविन्द सहाय : आपको आज ही घोषणा करनी चाहिए ।

श्री नूरा : आर. एस. एस. के लोग आपको यों ही तंग कर रहे हैं ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं भी माननीय सदस्यों से अधिक चिंतित हूं वैद्यों के बारे में । शुरू से ही मैं उनको अपने परिवार का मानता रहा हूं । परिवार का सदस्य अगर दुखी रहे तो मैं उसको बरदाश्त नहीं करूंगा । इस लिए मैं प्रयत्न में हूं । हमारे मुख्य मन्त्री महोदय को समय नहीं मिलता है और मेरी बात हो नहीं पाती है ।

वैद्य गंगा सहाय : कल शिक्षा मन्त्री जी ने घोषणा की थी. आज माननीय मन्त्री महोदय, आपको भी घोषणा करनी चाहिए । पशु चिकित्सा तक के लिए विचार कर सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए विचार कर सकते हैं लेकिन वैद्यों के लिए विचार नहीं कर सकते ? मन्त्री महोदय कल ही केबिनेट मीटिंग हो रही है, आपको मुख्य मन्त्री से बात करके घोषणा करनी चाहिए ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : माननीय सदस्य श्री गोविन्द सहाय जी को चिन्ता होना स्वाभाविक है । जो हमारे वैद्य हैं, वे जंगलों में जाकर, दूर बसे गांव में जाकर काम करते हैं वहां उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं होती है । दूसरे और जो डाक्टर्स होते हैं वे अधिकतर शहरों और कस्बों में रहना पसन्द करते हैं और दूर-दूर गांव में नहीं जाते हैं, जहां पर कि हमारे वैद्य जा रहे हैं । परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, इनके पीछे भी माननीय सदस्य पड़े हुए हैं । चार, पांच वैद्य प्रतिदिन मेरे घर पर आते हैं । पूछते हैं, मेरा स्थानान्तरण कैसे कर दिया ? मैं

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

कहता हूं माननीय सदस्य झगड़ा करते हैं, इसलिए ट्रांसफर कर दिया। मेरा निवेदन है, कोई शिकायत हो तो ग्राप मुझ से कहिए मैं जांच करवा दूंगा। मगर माननीय सदस्य इस बात को नहीं मानते हैं। वैद्य यहां पर रहेगा तो हमारी इज्जत घटेगी। ग्राप जन प्रतिनिधि हैं। वैद्य के जाने पर क्यों तूल देते हैं। बड़े हमारे जन प्रतिनिधि बने हो। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि बहुत गलतियां हुई हैं। पहले भी शिक्षा विभाग के डाक्टरों ने ललित जी से शिक्षा विभाग छिनवाया....

(व्यवधान)

कन्डक्टर ग्रौर ड्राइवरों ने प्रोफेसर केदार को भगाया। इन्हीं वैद्यों ने श्रीमती विद्या पाठक ग्रौर श्री त्रिलोक जी को भगाया है। ग्रब पांचवा नम्बर मेरा ग्रा रहा है....

श्री गोविन्द सहाय : ग्राप तो घोषणा करिए। हम वेतनमान के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य, ग्राप धमकी मत दीजिए।

श्री भैरवलाल कालाबादल : ग्रब मैं ग्रधिक नहीं बोलूंगा। पांचवा नम्बर मेरा ग्रा रहा है। ग्रगर ग्राप मुझे मन्त्री बनाये रखना चाहते हैं तो कम से कम इन तबादलों की राजनीति में मुझे मत घसीटना। विधायक ग्राते हैं, कहते हैं कैसे नहीं करोगे? तो यह सारा मैंने इनसे डर कर किया। एक-एक वैद्य के लिए पांच-पांच बार मुझ से ग्रादेश करवाए। एक बार एक वैद्य का स्थानान्तरण कर दिया। जहां भेजा वहां से विधायक ग्राता है, फिर उसको ग्रागे टरकाता हूं। वह बेचारा मारा-मारा फिरता है।

हमारे वैद्यों के वेतनमान के बारे में यहां पर कहा गया कि इनको वेतन पशु चिकित्सकों के बराबर मिलना चाहिए। मैं तो यह चाहता हूं कि इनको मानवों के डाक्टरों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, उनके बराबर इनका वेतन होना चाहिए।

वैद्य गोविन्द सहाय : यह कहा है कि इनको पशु चिकित्सकों से कम वेतन मिल रहा है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उन से ज्यादा दिलवायेंगे। जल्दी ही फैसला हो जाएगा। इसके ग्रलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे छात्र, छात्राग्रों को जो छात्रवृत्ति 85/– रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा कर हमने 100/– रुपये मासिक कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारे विभाग की डिमाण्ड को पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्राप माननीय सदस्यों को नमकीन चूर्ण ही देते रहेंगे या कोई नयी चीज भी देंगे?

श्री भैरवलाल कालाबादल : रसायन शाला को चलने दीजिए उसमें च्यवनप्राश बनने लगेगा तो वह भी पहुंचवा दूंगा।

श्री करतार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर में माननीय सदस्यों पर आरोप लगाये हैं....

श्री मूलचन्द डागा : कोई आरोप नहीं है....

(व्यवधान)

यह जनता पार्टी तबादलों की राजनीति पर ही जिन्दा है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : चोर की दाढ़ी में तिनका....

(व्यवधान)

श्री पदम सिंह राठौड़ : यह तो मन्त्री महोदय के शुद्ध हृदय से निकली हुई बात है। कोई आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

मांग पर मतदान।

मांग संख्या 26 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,10,89,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च, 1979 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.20 बजे मंगलवार दिनांक 22 मार्च, 1979 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न सं० 424 की सूची

सूची

क्र० सं०	पंचायत का नाम	जिला	चुनाव नहीं कराने के कारण
1.	माडा	डूंगरपुर	मतदाता सूची में ग्रामदानी गांव के मतदाताओं के नाम सम्मिलित होने के कारण।
2.	महुआ खुर्द	भीलवाडा	,, ,,
3.	शालवासखुर्द	जयपुर	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश।
4.	पावनामंडी	झुंझुनूं	कोई भी मतदाता मतदान में सम्मिलित नहीं हुये।
5.	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	अधिघोषित क्षेत्र घोषित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण।
6.	मारवाड़ जंक्शन	पाली	ग्राम मारवाड़ जंक्शन नाम का नया राजस्व गांव, राजस्व विभाग द्वारा घोषित किये जाने से पंचायतों का पुनर्गठन करने के कारण।
7.	हेमलियावास	पाली	,, ,,
8.	राडावास	,,	ग्राम चुनाव के समय सरपंच उम्मीदवार की मृत्यु के कारण।
9.	टेपू	जोधपुर	पंचायतों के पुनर्गठन के कारण।
10.	कानासर	,,	,, ,,
11.	शिवबाड़ी	बीकानेर	नगर परिषद बीकानेर की सीमा कम किये जाने के कारण पंचायतों का पुनर्गठन।

236

1	2	3	4
12.	रिडमलसर पुरोहितान	बीकानेर	नगर परिषद की सीमा कम किये जाने के कारण पंचायतों का पुनर्गठन ।
13.	करनीसर	,,	,, ,,
14.	सुजानदेसर	,,	,, ,,
15.	उदासर	,,	,, ,,
16.	नालबाड़ी	,,	,, ,,
17.	कोलासर	,,	,, ,,
18.	मांडलगढ़	भीलवाड़ा	स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 15–2–78 को नगरपालिका मांडलगढ़ लोपित करने के कारण ।
19.	बलदरखा	,,	,, ,,
20.	गेनोली	,,	,, ,,

नोट : ग्राम पंचायत माडा के ग्राम चुनाव दिनांक 19–11–78 को सम्पन्न करवा दिये गये हैं । ग्राम पंचायत राडावास में दिनांक 15–1–79 को चुनाव करवाये जा चुके हैं तथा ग्राम पंचायत टेपू, कानासर, हेमलियावास में ग्राम चुनाव दिनांक 4–2–79 को कराये जा चुके हैं ।

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 433 की सूची

वर्ष 1978–79 में झालावाड़ जिले में क्रमोन्नत हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक)

1. प्राथमिक विद्यालय, खानपुरिया–पं. स.–झालरापाटन
2. प्राथमिक विद्यालय, सिघानिया–पं. स.–झालरापाटन
3. प्राथमिक विद्यालय, नन्दपुरा–पं. स.–पिड़ावा
4. प्राथमिक विद्यालय, बना–पं. स.–डग
5. प्राथमिक विद्यालय, खानपुर–पं. स.–खानपुर
6. प्राथमिक विद्यालय, ठण्डी–पं. स.–खानपुर।

मनोहर थाना–पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले मिडिल स्कूलों की छात्र संख्या एवं अध्यापक संख्या की सूचना

क्र० सं०	नाम विद्यालय			वर्तमान छात्र संख्या	प्रधानाध्यापक सहित अध्यापकों की संख्या
1.	उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, अकलेरा			742	18
2.	,,	,,	कमैठ	135	6
3.	,,	,,	बांसखेड़ी	123	5
4.	,,	,,	धुरैलिया	185	8
5.	,,	,,	घनश्तीपुर	170	6
6.	,,	,,	देवरीकलां	134	6
7.	,,	,,	वावर	145	6
8.	,,	,,	कोल्हूखेड़ी	116	5
9.	,,	,,	लाख	189	7
10.	,,	,,	मनोहरथाना	575	10
11.	,,	,,	खेरेड़ी	111	6
12.	,,	,,	थरोल	175	7
13.	,,	,,	आंवलहेड़ा	144	6

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची

निगमों से सम्बन्धित सूचना

क्रम संख्या	नाम निगम	नाम अध्यक्ष
1	2	3
1.	राजस्थान स्टेट होटल कारपोरेशन	रिक्त
2.	राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स कारपोरेशन	श्री जी० के० भनोत
3.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	श्रीमती गायत्री देवी
4.	जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम	श्री वी० एस० वर्मा
5.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	श्री बी० एस० ढोंडियाल
6.	राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम	श्री मोहिन्दर सिंह
7.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम	श्री आर० जे० मजीठिया
8.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	श्री डी० आर० मेहता
9.	राजस्थान वित्त निगम	श्री आर० डी० थापर
10.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	श्री निरंजन सिंह
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम	श्री अजीत सिंह मेहता
12.	राजस्थान राज्य बीज निगम	श्री आर० एस० कुमट
13.	राजस्थान राज्य भूमि विकास निगम	श्री बी० हूजा

निकायों से सम्बन्धित सूचना

क्रम संख्या	निकाय	अध्यक्ष
1	2	3
1.	राजस्थान आवासन मण्डल	श्री गोविन्दराम हुकमानी
2.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	श्री पृथ्वीसिंह
3.	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	श्री सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी
4.	राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल	
	1. शाषी परिषद्	श्री भंवर लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री
	2. निष्पादन परिषद	निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा-श्री अनिल वैश्य
5.	राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल	श्री रामशरण अन्त्यानुप्राशी
6.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	श्री पृथ्वीसिंह
7.	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	श्री गोकुल भाई भट्ट
8.	राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ	श्री अब्दुल कइयूम अख्तर
9.	बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिम	श्री भागीरथ जोशी
10.	राजस्थान बोर्ड आफ होम्योपैथिक मेडिसिन	श्री ताराप्रकाश जोशी
11.	राजस्थान राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल	श्री गोविन्दलाल माथुर

न्यासों से सम्बन्धित सूचना

क्रम संख्या	नाम न्यास	नाम अध्यक्ष
1	2	3
1.	नगर विकास न्यास, अजमेर	श्री बालमुकुन्द शर्मा
2.	नगर विकास न्यास, कोटा	श्री हरिकुमार औदिच्य
3.	नगर विकास न्यास, बीकानेर	श्री मक्खन लाल जोशी
4.	नगर विकास न्यास, जोधपुर	श्री रेवाचन्द
5.	नगर विकास न्यास, उदयपुर	श्री मदन लाल घुप्पड़
6.	नगर विकास न्यास, जयपुर	श्री गिरधारीलाल भार्गव
7.	नगर विकास न्यास, अलवर	जिलाधीश, अलवर

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विद्युत विभाग के सप्लाइ साइड में पोस्टेड सहायक एवं कनिष्ट अभियन्ता

435. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता जिन्हें सप्लाई साइड में रखा जाता है उनका मुख्य काम, जन संपर्क में प्रवीण होना, अनपढ़ जनता के प्रति सद्व्यवहार रखना हो गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण इन लोगों को नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस तरह की ट्रेनिंग देना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) जी हां, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य–कलाप में जनता के प्रति सद्व्यवहार करते। यह सही है कि विद्युत मण्डल ने अपने सहायक व कनिष्ठ अभियन्ताओं को हिदायत दे रखी है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में कमी न होने पाये।

(2) जी हां। सहायक अभियन्ता तथा कनिष्ठ अभियन्ता स्नातक या डिप्लोमाधारी होते हैं, जो कि स्वयं शिक्षित एवं सद्भावी होते हैं। अतः जनता के प्रति सद्व्यवहार रखने के लिये उनको अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

चालू वित्तीय वर्ष में खोले गये पर्यटक केन्द्र

436. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में चालू वित्तीय वर्ष में कितने पर्यटन केन्द्र खोले जाकर विकसित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सामोद, जिला जयपुर में ऐतिहासिक दर्शनीय महलों में पर्यटन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक खोला जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त महलों को पर्यटन केन्द्र के लिए उपयुक्त मानकर राजस्थान सरकार को केन्द्र खोलने का प्रस्ताव भेजा है ? अगर हां, तो उस पर अब तक क्या हुआ ?

उत्तर

(1) राजस्थान में चालू वित्तीय वर्ष में नागौर का पशु मेला पर्यटकों के लिये लोक प्रिय किया गया। इसी वर्ष में रिखब-देव पर्यटक आवास गृह पर्यटकों के लिये खोला जा रहा है।

(2) ये महल सामोद के श्री राजेश्वर सिंह की निजी सम्पत्ति है, अतः फिलहाल राज्य सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है और न ही ऐसा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

पंचायत समिति इटावा का विद्युतीकरण

437. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा विद्युत की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है ?

(2) नायब तहसील इन्द्रगढ़ में कुओं से सिंचाई होने तथा क्षेत्र का अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित होते हुए भी, घोषणा के बाद भी इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अभी तक स्वीकार नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए इस क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो सरकार के विचाराधीन है, को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस पंचायत समिति में केवल पांच ग्राम एवं एक कस्बा इन्द्रगढ़ विद्युतीकृत है।

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाने के लिए इस क्षेत्र के ग्रामों का सर्वेक्षण करवा लिया गया है। योजना का प्रारूप बनाने का कार्य चल रहा है।

(3) प्रयास किया जा रहा है। अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

बाड़मेर जिले के आयुर्वेद औषधालयों के लिये दवाई का प्रावधान

438. श्रीमती मदन कौर (पचपदारा):

क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के कई गांवों में कार्यरत आयुर्वेद औषधालयों के प्रति वर्ष कितने रुपयों की दवाइयां उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के आयुर्वेद औषधालयों में प्रति वर्ष बजट प्रावधानों के अनुपात में बहुत ही कम दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां तो क्या, वहां दवाइयों की खपत नहीं है।

(3) बाड़मेर जिले के कालेवा, कृपालिया, परेड़, साजियाली, टापरा, कोनरा के आयुर्वेदिक औषधालयों में पिछले दो बर्षों में दवाइयों का क्या प्रावधान था और कितनी धनराशि की दवाइयां सालाना इन औषधालयों को कब-कब उपलब्ध कराई गई ?

(4) क्या गांवों में कार्यरत औषधालयों में रुई, गोज, पट्टी आदि भी उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं ? यदि हां, तो कितना और नहीं तो क्यों, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है।

उत्तर

(1) कच्ची औषधियों के क्रय हेतु वर्ष 1978-79 में 54-66 लाख रुपये का प्रावधान बजट में रखा हुआ है।

(2) औषधालयों को स्वीकृत बजट की साठ प्रतिशत दवाइयां फरवरी, 79 तक भेजी जा चुकी हैं। शेष मांग के अनुसार वितरण करने हेतु रसायनशाला को आदेश दिया जा चुका है।

(3) औषधालय कालेवा, टापरा, साजियाली व कोनारा के लिये वर्ष 1977-78 में स्वीकृत औषधि बजट क्रमशः 1100, 3300, 1200 व 1000 रु० तथा वर्ष 1978-79 के लिए क्रमशः 2000, 2500, 2000 व 2000 रुपयों का था। औषध वितरण वर्षवार निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1977-78

		रु० पैसे
1)	औषधालय कालेवा	488-50
2)	,, टापरा	1198-00
3)	,, साजियाली	757-15
4)	,, कोनारा	455-60

(4) जी हां। वर्ष 1977-78 में 327000 रुपये तथा 1978-79 में 603895 रुपये की गोंज, बैंडेज व रुई उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

नगरपालिका सरदारशहर में आवासीय भूमि के नियमन के मामले

439. श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सरदार शहर नगर पालिका में आवासीय भूमि नियमन के कुल कितने मामले सन् 77-78 व 78-79 में पेश हुए? नाम व पिता के नाम तथा वार्ड दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भूमि नियमन सम्बन्धी मामलों में अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने मामले थे तथा उनमें से कितनों का नियमन कर दिया गया व कितने विचाराधीन हैं?

(3) नियमन के लिए प्राप्त कुल प्रार्थना पत्रों में से कितने खारिज किये गये? कितने नियमन किये गये व कितने विचाराधीन हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) विचाराधीन मामलों का निपटारा कब तक कर दिया जायेगा?

वर्ष 1977-78

1)	औषधालय कालेवा	566-60
2)	,, टापरा	791-60
3)	,, साजियाली	787-50
4)	,, कोनारा	772-50

ग्राम कुपलिया व परेउ में औषधालय संचालित नहीं है।

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 व 78-79 में कुल 791 मामले पेश हुये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 77-78 व 78-79 में अनुसूचित जाति व जन जाति के कुल 46 मामले थे। 25 का नियमन कर दिया गया व 21 विचाराधीन हैं।

(3) उपरोक्त दोनों वर्षों में 346 खारिज किये गये। 282 का नियमन किया गया व 163 विचाराधीन हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विचाराधीन मामलों में कमियों की पूर्ति करवाई जाकर शीघ्र निपटाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर संभाग के खनिज क्षेत्र की सड़कों हेतु स्वीकृत धनराशि

440. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 78-79 में खनिज क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिये जोधपुर संभाग में सबसे कम धनराशि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर को क्रमानुसार कितने लाख राशि स्वीकृत की गई और जोधपुर को सबसे कम धनराशि किन बिंदुओं के आधार पर स्वीकृत की गई ?

(2) जोधपुर संभाग क्षेत्र में कितनी तरह के खनिज क्षेत्र हैं ? वित्तीय वर्ष 1979-80 में खनिज क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की जायेगी ? क्या धनराशि 50 लाख से अधिक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नहीं, सबसे कम राशि बीकानेर, संभाग की है। वर्ष 1978-79 के लिये कुल 100 लाख रु० की राशि सड़क निर्माण के लिये स्वीकृत की गई, जिसमें बीकानेर संभाग को 3.50 लाख, जोधपुर संभाग को 10.00 लाख, कोटा को 21·45 लाख, जयपुर को 20·07 लाख एवं उदयपुर को 44·98 लाख आवंटित की गई। उदयपुर संभाग में झामरकोटडा परियोजना के लिये 10·90 रु० लाख भी सम्मिलित है।

(2) जोधपुर संभाग में मुख्य मुख्य खनिज निम्न प्रकार के पाये जाते हैं:—

नाम जिला	खनिज का नाम
1. जोधपुर	बलुवा पत्थर
2. पाली	चूना पत्थर, जिप्सम
3. नागौर	चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, टंगस्टन, खनिज एवं क्ले।
4. जैसलमेर	पीला संगमरमर, जिप्सम
5. बाड़मेर	जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, जैन्टोनाईट, सिलिसियस अर्थ।
6. जालौर	फ्लोराइट एवं ग्रेनाइट।

राजस्थान के खनिज क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 1979-80 में 115·24 लाख रुपया व्यय करने का प्रस्ताव है जो कि 50 लाख से अधिक है, इसमें से जोधपुर संभाग के लिये स्वीकृत सड़कों को पूर्ण करने के लिये 3·28 लाख रुपयों का प्रावधान प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पतालों में बदलो

441. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने 25% स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पतालों में बदलने का निर्णय लिया है ?

(2) क्या चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों को भी क्रमोन्नत कर प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिणित किया जावेगा ?

(3) अगर इस प्रकार का निर्णय हुआ है, तो इसकी क्रियान्विति किस तिथि तक पूर्ण होगी ?

(4) क्या राज्य सरकार रेफरल या बड़े अस्पतालों के साथ मरीजों की सुविधा के लिये धर्मशालायें बनाने का भी विचार रखती है ?

(5) क्या राज्य सरकार 1979-80 तक प्रत्येक पंचायत तक कोई न कोई स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने को परिणिती की योजनाबद्ध में संसुचित वित्तीय प्रावधान होने पर छठी योजना काल तक क्रियान्वित किया जाना सम्भव होगा।

(4) जी नहीं।

यह कार्य पूर्णरूपेण जन सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है।

(5) जी नहीं।

राज्य के जिला आयुर्वेद चिकित्सा निरीक्षक के रिक्त पद

442. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में जिला आयुर्वेद चिकित्सा निरीक्षक के स्थान काफी दिनों से रिक्त है ? यदि हां, तो कितने स्थान रिक्त हैं तथा अब तक नियुक्तियां न करने का क्या कारण है ? भविष्य में कब तक नियुक्ति कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में निदेशक का स्थान 20 माह से रिक्त है ? क्या यह सही है कि निदेशक के अभाव में विभाग की व्यवस्था समुचित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो अब तक निदेशक नियुक्त न करने का क्या कारण है तथा राज्य सरकार कब तक नियुक्ति करने जा रही है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। निदेशक का स्थान करीब 20 माह से रिक्त है।

निदेशक के अभाव में भी विभाग की व्यवस्था चलाई जा रही है।

132 के. वी. विद्युत लाइन रहित जिला मुख्यालय

443. श्री बन्सीलाल सारस्वत (नागौर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने जिला मुख्यालय हैं जिनमें 132 के०वी० की विद्युत लाइन नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार इन स्थानों को 132 के. वी. की लाइनों से जोड़ने का विचार रखती है।

(3) क्या नागौर को भी 132 के. वी. से जोड़ने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में 132 के. वी. ग्रिड उप-चौकी नहीं है।

1. बूंदी, 2. बाड़मेर, 3. चित्तौड़गढ़, 4. चूरू, 5. डूंगरपुर, 6. श्री गंगानगर 7. झालावाड़ 8. जैसलमेर, 9. टौंक, 10. नागौर।

(2) 132 के. वी. उप-चौकी विद्युत भारत एवं अन्य तकनीकी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए धन की उपलब्धि के अनुसार स्थापित की जाती है। इसमें जिला मुख्यालय नहीं अपितु भार केन्द्र को दृष्टिगत रखा जाता है। इस आधार पर जिन जिन मुख्यालयों में ऐसी उप-चौकी स्थापित करने की जब-जब आवश्यकता होगी तब-तब इस पर विचार किया जावेगा।

(3) नागौर को रतनगढ़ से 132 के. वी. लाइन द्वारा जोड़ने की योजना मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति से पूर्व ग्रिड सब स्टेशन बनाने के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जाना सम्भव नहीं है।

मद्य निषेधान्तर्गत लिये गये क्षेत्र

444. श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) :— क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में कुल कितने जिले हैं और उनमें से कितने जिले एवं तहसील शराबबंदी क्षेत्र में ली गई है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने फाइनेन्स कमीशन को एक अप्रेल, 79 से शराब की आय में शून्य बताया है ? यदि हां, तो फिर क्या यही मानना चाहिये कि एक अप्रेल, सन् 79 से पूरे राज्य में शराबबन्दी की घोषणा हो जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 26 जिले हैं जिनमें से 13 राजस्व जिलों और अन्य जिलों की 12 तहसीलों में शराबबन्दी लागू की जा चुकी है।

(2) जी हां। राज्य में पूर्ण नशाबन्दी की तिथि का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सहकारिता विभाग भरतपुर के अधिकारी/ कर्मचारियों के निलम्बन का मामला

445. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग जिला भरतपुर में माह जनवरी, 1979 में किन्हीं कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के आरोपों में निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो किन किन कर्मचारियों/अधिकारियों को, किस किस दोष में एवं किन किन नियमों के तहत एवं कौनसी तारीख को निलम्बित किया तथा किस किस के खिलाफ एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उपरोक्त निलम्बित कर्मचारियों में कुछ निर्दोष कर्मचारी या अधिकारी भी हैं ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त निलम्बित उन कर्मचारियों/अधिकारियों के बारे में जो कि गलती से निर्दोष होते हुए भी सफर कर रहे हैं, शीघ्र जांच कराएगी ? यदि वे दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें दण्ड देगी और यदि निर्दोष हैं, तो उन्हें शीघ्र बहाल करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। माह जनवरी, 1979 में दो विभागीय निरीक्षक (कार्यकारी) निलम्बित किये गये हैं। विवरण सहित सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) शीघ्रता से जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

भरतपुर जिले में माह जनवरी 1979 में निलम्बित किये गये कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद	निलम्बन	निलम्बनकर्ता अधिकारी	निलम्बन का कारण	नियम जिसके अन्तर्गत निलम्बित किया गया	क्या विभाग द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई
1.	श्री मुक्तेश्वर लाल मिश्रा	निरीक्षक (कार्यकारी)	20–1–79	संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर	अनुशासनहीनता एवं अभद्र व्यवहार	राजस्थान सिविल (कलासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स 1958	नहीं
2.	श्री महताब सिंह	„	20–1–79	„	„	„	„

(250)

विश्वविद्यालय के छात्रसंघ के अध्यक्षों को विशेष सुविधा

446. श्री राम रघुनाथ चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्षों को चुनाव द्वारा अध्यक्ष बन जाने पर कुछ सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ? अगर हां, तो किस किस विश्वविद्यालय में क्या क्या व कब से ?

(2) क्या यह सही है कि तीनों विश्वविद्यालयों के तीनों छात्र संघ के अध्यक्षों को टेलीफोन व वाहन की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कब से तथा किस प्रकार के कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह सुविधायें दी गई हैं ?

(3) इन अध्यक्षों के टेलीफोनों व वाहनों के खर्चे का विवरण माहवार पिछले तीन वर्ष के कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्राध्यक्ष को केवल टेलीफोन की सुविधा फरवरी, 79 से तथा जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्राध्यक्ष को यह सुविधा सत्र 1972-73 से दी गई है। उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्राध्यक्ष को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) केवल राजस्थान एवं जोधपुर विश्वविद्यालयों के छात्राध्यक्षों को टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, वाहन की सुविधा किसी विश्वविद्यालय में छात्राध्यक्ष को उपलब्ध नहीं है।

(3) उपलब्ध व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विश्वविद्यालयों में टेलीफोन व्यय का वर्षवार विवरण

वर्ष	राजस्थान वि० वि०	जोधपुर वि० वि०	उदयपुर वि०वि०
1976-77	शून्य	497 रु. 10 पैसे	शून्य
1977-78	शून्य	676 रु. 20 पैसे	शून्य
1978-79	शून्य	1528 रु. 20 पैसे	शून्य
योग	शून्य	2701 रु. 50 पैसे	शून्य

आबकारी विभाग का वार्षिक खर्चा

447. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के आबकारी विभाग पर कुल कितना रुपया वार्षिक खर्च होता है ? पिछले तीन वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि आबकारी बजट में से राजस्थान नशाबन्दी मण्डल को अनुदान स्वरूप कुछ धनराशि आवंटित की जाती रही है ? यदि हां, तो पिछले 10 साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार शराब पीने को अपराध मानती है ? यदि हां, तो इसके पीने वालों के विरुद्ध राज्य सरकार भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही क्यों नहीं करती ?

(4) क्या सरकार शराब के अवैध बनाने पीने, आदि के विरुद्ध कार्यवाही करने के अधिकार पुलिस विभाग को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(4) राज्य के आबकारी विभाग पर पिछले तीन वर्षों में कुल व्यय निम्न हुआ :—

वर्ष	1975-76	रु. 2,99,39,000
,,	1976-77	रु. 3,82,13,000
,,	1977-78	रु. 3,20,47,700

(2) राजस्थान नशाबन्दी मण्डल, जयपुर को केवल निम्न राशि अनुदान स्वरूप दी गई है :—

वर्ष	आवंटित राशि
1977-78	1,00,000
1978-79	9,44,000

(3) मद्य निषेध क्षेत्र में परमिट के अलावा शराब पीना अपराध है, एवम् राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम, 1969 की धारा 4 (1) (एच) के अन्तर्गत दण्डनीय है।

(4) यह अधिकार पुलिस को पहले से ही प्राप्त है।

गंगानगर जिले में कृषि भूमि में ईंट-भट्टे

448. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले की कृषि भूमियों में कितने ईंट भट्टे स्वीकृत हैं ?

(2) क्या भट्टों की स्वीकृति लेने वाले कृषि मालिकों को ही स्वयं के नाम से खनिज पट्टे दिये गये हैं ? कितने अन्य लोगों को खनन पट्टे दिये गये हैं उनके नाम बताये जायें ?

(3) क्या ईंट भट्टों के लिये स्वीकृत समस्त भूमि का खनन पट्टा दिया गया है ? यदि कम दिया गया है, तो किस आधार व कानून के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर जिले में कृषि भूमि में 166 खनन पट्टे ईंट मिट्टी के स्वीकृत है।

(2) हां, उन व्यक्तियों को या उनके द्वारा बनाई गई फर्म्स के नाम खनन पट्टे दिये गये हैं।

(3) पूर्व में खनन पट्टा आवेदकों के आवेदन अनुसार जिलाधीश द्वारा स्वीकृत भूमि से कम क्षेत्र के खनन पट्टे भी दिये जाते थे। वर्तमान में जिलाधीश द्वारा ईंट भट्टों के लिये स्वीकृत सम्पूर्ण भूमि के लिये खनन पट्टे दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग के एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर्स व आफीसर्स की गृह जिले में नियुक्ति

449. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि खाद्य विभाग में एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर व एन्फोर्समेंट आफिसर को उनके गृह जिलों में नहीं रखा जावेगा ? यदि हां, तो कब तथा क्यों ?

(2) इस निर्णय की अनुपालना कहां तक हुई तथा वर्तमान में कौन कौन व्यक्ति अपने अपने गृह जिलों में हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण नीति बरतने का क्या कारण है ?

(4) पूर्ण रूप से निर्णय की अनुपालना कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, मास जुलाई, 1978 में प्रशासन को स्वच्छ रखने की दृष्टि से प्रवर्तन अधिकारियों को साधारणतया उनके गृह-जिलों में नहीं रखने की नीति अपनाई गई।

(2) इस नीति की अधिकांशतः पालना की गई है। मगर प्रशासनिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं था कि सभी पदस्थापित प्रवर्तन निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को एक साथ उनके गृह जिलों से हटा दिया जाता। अतः स्थानान्तरण निम्नांकित आधार पर किये गये :—

1. जो प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अधिकारी वर्ष 1973 से या इसके पूर्व के कुछ जिलों में पदस्थापित थे उनका स्थानान्तरण कर दिया गया।

2. प्रशासनिक दृष्टि से जिन प्रवर्तन निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अधिकारियों का स्थानान्तरण आवश्यक था, का स्थानान्तरण किया गया।

3. वर्ष 1973 से पूर्व से रह रहे केवल एक प्रवर्तन निरीक्षक को उनकी सेवा नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से कम रह जाने से, स्थानान्तरण नहीं किया गया। गृह जिलों में रह रहे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

(4) स्थानान्तरण की नीति प्रशासन की सुविधा के अनुरूप बनाई जाती है। अतः प्रशासन की सुविधा के अनुसार ही इस नीति की पालना की जायेगी। निश्चित अवधि का बतलाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रवर्तन स्टाफ जो अभी तक अपने निवास जिलों में कार्यरत है।

क. सं.	नाम अधिकारी/निरीक्षक		निवास जिला	पद स्थापन तारीख
1	2		3	4
		(जिला अजमेर)		
1.	श्री आर० एन० कपूर	प्रवर्तन निरीक्षक	अजमेर	10-1-75
2.	श्री कमल प्रकाश कवरियां	,,	अजमेर	23-4-77
		(जिला अलवर)		
1.	श्री तेजपाल शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी	अलवर	28-1-78
		(जिला बूंदी)		
1.	श्री त्रिलोक चन्द विजय	प्रवर्तन निरीक्षक	बूंदी	अगस्त, 73
		(जिला बांसवाड़ा)		
1.	श्री सत्यनारायण दोषी	प्रवर्तन निरीक्षक	बांसवाड़ा	फरवरी, 74

1	2		3	4
		(जिला भरतपुर)		
1.	श्री भगवान सिंह मीना	प्रवतन निरीक्षक	भरतपुर	27-11-75
		(जिला भीलवाड़ा)		
1.	श्री मधू सूदन त्रिपाठी	प्रवर्तन निरीक्षक	भीलवाड़ा	अक्टूबर, 76
		(जिला चूरू)		
1.	श्री तुलसी राम बाकोलिया	प्रवर्तन अधिकारी	चूरू	18-2-78
		(जिला चित्तोड़गढ़)		
1.	श्री बृज मोहन त्रिपाठी	प्रवर्तन निरीक्षक	चित्तौडगढ़	फरवरी, 75
		(जिला गंगानगर)		
1.	श्री कुलदीप शर्मा	प्रवर्तन अधिकारी	गंगानगर	18-2-77
2.	श्री दयानन्द सैनी	प्रवर्तन निरीक्षक	गंगानगर	मार्च, 74
3.	श्री मनीराम डूडवाल	प्रवर्तन निरीक्षक	गंगानगर	अक्टूबर, 74
4.	श्री धर्मवीर	प्रवर्तन निरीक्षक	गंगानगर	10-1-75
5.	श्री सुखदेव सिंह	प्रवर्तन निरीक्षक	गंगानगर	10-1:75
6.	श्री नोमेश चन्द त्यागी	प्रवर्तन निरीक्षक	गंगानगर	4-2-75
7.	श्री ख्याली राम	प्रवर्तन निरीक्षक	गंगानगर	अक्टूबर, 76

1	2		3	4
		(जिला जयपुर)		
1.	श्री भंवरलाल जाट	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	जुलाई, 74
2.	श्री मुरलीधर व्यास	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	मई, 74
3.	श्री श्रोंकार नाथ सक्सेना	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	जनवरी, 75
4.	श्री उमराव सिंह	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	जनवरी, 75
5.	श्री वनेसिंह	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	मई, 74
6.	श्री श्यामेन्द्र कुमार अत्रे	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	जुलाई, 76
7.	श्री विजेन्द्र कुमार शर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	अक्टूबर, 76
8.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	23-4-77
9.	श्री योगेश चतुर्वेदी	प्रवर्तन निरीक्षक	जयपुर	28-1-78
		(जिला जोधपुर)		
1.	श्री हरिराम चौधरी	प्रवर्तन निरीक्षक	जोधपुर	23-4-77
		(जिला झूंझूनू)		
1.	श्री प्रहलाद सिंह मीना	प्रवर्तन निरीक्षक	झून्झूनू	नवम्बर, 75
2.	श्री श्रीराम वर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	झून्झूनू	अक्टूबर, 76
3.	श्री रामचन्द्र वर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	झून्झूनू	25-4-77

255

1	2		3	4
		(जिला कोटा)		
1.	श्री हरनाथ सिंह	प्रवर्तन अधिकारी	कोटा	अगस्त, 75
2.	श्री बृजराज सिंह	प्रवर्तन निरीक्षक	कोटा	जनवरी, 75
3.	श्री कृष्ण चन्द्र माहेश्वरी	प्रवर्तन निरीक्षक	कोटा	जनवरी, 75
		(जिला नागौर)		
1.	श्री पूनाराम पोटर	प्रवर्तन निरीक्षक	नागौर	अक्टूबर, 76
		(जिला पाली)		
1.	श्री राजेन्द्र सिंह मेडेतिया	प्रवर्तन निरीक्षक	पाली	11-4-78
		(जिला सीकर)		
1.	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	प्रवर्तन निरीक्षक	सीकर	10-12-76
		(जिला टोंक)		
1.	श्री गोविन्द नारायण मीणा	प्रवर्तन निरीक्षक	टोंक	अक्टूबर, 76
2.	श्री मोहन लाल बैरवा	प्रवर्तन निरीक्षक	टोंक	अक्टूबर, 76

1	2		3	4
		(जिला उदयपुर)		
1.	श्री हिस्सामुद्दीन	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	फरवरी, 74
2.	श्री चम्पालाल बीरवाल	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	अक्टूबर, 74
3.	श्री महेन्द्रसिंह राजपूत	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	अक्टूबर, 74
4.	श्री प्रहलाद सिंह दधीवाडिया	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	जनवरी, 75
5.	श्री शंकरसिंह शक्तावत	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	जनवरी, 75
6.	श्री करणसिंह सामावत	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	फरवरी, 75
7.	श्री महेन्द्र राज भण्डारी	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	अगस्त, 75
8.	श्री रामेश्वर लाल सैनी	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	22-11-75
9.	श्री सोराज कुमावत	प्रवर्तन निरीक्षक	उदयपुर	18-2-78

पिड़ावा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट

450. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एस. डी. एम. कोर्ट झालावाड़, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट झालावाड़, मुन्सिफ मस्ट्रिेट झालावाड़ व सी. जे. एम. तथा सत्र न्यायाधीश झालावाड़ा के समक्ष थाना पिड़ावा सुनेल व रायपुर के कितने प्रकरण किन-किन धाराओं के अंतर्गत विचाराधीन हैं ? मुकदमों का विवरण न्यायालयवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त न्यायालयों में थाना रायपुर, पिड़ावा व सुनेल के प्राइवेट विचाराधीन इस्तगासों का भी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार का उक्त संख्या को देखते हुये पिड़ावा में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का इरादा है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ न्यायालय कोर्ट थाना पिड़ावा सुनेल एवं राजपुर में विचाराधीन प्रकरणों की सूची अपराधों के विवरण सहित न्यायालयवार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) झालावाड़ न्यायालयों में थाना रायपुर, पिड़ावा व सुनेल के विचाराधीन प्राइवेट इस्तगासों का विवरण भी सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) किसी स्थान पर नये न्यायालय खोलने के लिये अन्य बातों के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय से धारा 11 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुपालना में परामर्श करना आवश्यक होता है। उच्च न्यायालय ने पिड़ावा क्षेत्र में उत्पन्न प्रकरणों की औसत डायरी को दृष्टिगत रखते हुए वहां न्यायालय खोलने के औचित्य को नहीं माना है।

259

Statement showing the pending cases in the executive courts (A. C. M. & S. D. M.)

Name of thana	U/S 107 Cr.P.C.				U/S 109 Cr.P.C.				U/S 110 Cr.P.C.				U/S 133 Cr.P.C.				U/S 145 Cr.P.C.				U/S 147 Cr.P.C.
	State		Private		State		Private		State		Private		State		Private		State		Private		State | Private
	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Less than six months.	More than six months.	Private
P. S. Raipur	3	2	10	2	nil	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Only one
P. S. Pirawa	14	10	20	12	2	—	—	—	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
P. S. Sunel	13	6	12	11	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	

Statement Showing the Pending Cases Under Various Offences in Session's Judge Jhalawar.

	U/S 302 IPC	307 IPC	376 IPC	366 IPC	Cr. Appeals	Cr. Revisions.	Misc.
P. S. Raipur	1	1	1	—	5	1	—
P. S. Pirawa	—	4	5	1	8	2	—
P. S. Sunel	2	3	5	2	9	1	—

(280)

Statement showing the pending cases under various offences in the Court of Chief Judicial Magistrate, Jhalawar
as on 20–3–79

Name of Thane.	Police Challan	Private Cases/ Complaints	Revisions	Cr. Misc.	Remarks
1	2	3	4	5	6
P. S. Sunel					
U/s 325 IPC	7	9		2	
U/s 452	1				
U/s 341	1				
	9				
P. S. Pidawa					
U/s 447/427	4				
U/s 325	4	6			
U/s 379	4				
U/s 435	1				
U/s 341/453	1				
U/s 332	1				
U/s 406	1				
U/s 3/4 B.C. Act.	2				
Arms Act.	2				
	20				
P. S. Raipur					
U/s 325 IPC	6				
U/s 504	1	6		5	
U/s 447	3				
U/s 457/380	2				
U/s 353	1				
	13				

(261)

Statement showing pending cases under various offences in the Judicial Magistrate, Jhalawar.

1	2	3	4	5	6
P. S. Raipur					
U/s 147 IPC	15				
148	1				
279	1				
304/A	1				
307	1				
324	4				
325	8				
341	4				
342	1				
352	1				
353	1				
354	2				
379	8				
427	1				
435	1				
447	4				
448	2				
451	1				
456	1				
457	3				
494	1				
4/Op. Act.	2				
34/P. Act.	1	41	2	12	
	65				
P. S. Pidawa					
U/s 147 IPC	2	36	10	1	
148	2				
176	1				
186	1				

282

1	2	3	4	5	6
279	1				
323	5				
324	7				
325	7				
332	1				
341	4				
342	2				
345	1				
352	4				
353	4				
354	4				
379	21				
380	8				
392	4				
411	1				
427	1				
435	3				
447	22				
448	3				
451	4				
457	2				
Excise Act.	9				
3/25 Arms Act.	10				
	2				
	136				

Statement showing pending cases under various offences in the Munsif & Judicial Magistrate, Bhawanimandi

P. S. Sunal

U/s 143/166IPC	20
269/294	17
323/336	15
341/348	8
353/358	7

1	2	3	4	5	6
379/382	19				
392/402	9				
405/409	10				
417/420	2				
426/440	15				
447/462	18				
504	12				
Excise Act.	9				
4 Off. Act.	1				
3/25 Arms Act.	13	42	6	23	
	175				
P.S. Raipur	Nil	Nil			
P.S. Pidawa	Nil	Nil			

Statement showing pending cases under various offences in the Court of Munsif & Jud. Magistrate, Jhalawar.

P.S. Sunel	Nil	Nil	Nil	Nil	
P. S. Raipur	—	—	1	—	
P. S. Pidawa	—	—	1	—	

काम के बदले ग्रनाज योजनान्तर्गत पंचायतों द्वारा शुरू किये गए कार्य

452. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) काम के बदले ग्रनाज योजना के तहत राजस्थान की कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में कब से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका हें ? इन कामों पर कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? इन व्यक्तियों में कितने हरिजन ग्रौर कितने ग्रादिवासी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि झूंझनू जिले में जनवरी, 1979 का ग्रलाटमेन्ट समय पर नहीं मिला जिससे मजदूरों को गेहूं वितरित नहीं किया जा सका ? क्या इस सम्बन्ध में जिले से भी कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) काम के बदले ग्रनाज योजना ग्राम पंचायतों में माह सितम्बर, 1978 के ग्रन्तिम सप्ताह से ग्रारम्भ की गई। इस योजना के ग्रन्तर्गत विभिन्न पंचायतों में कार्य माह ग्रक्टूबर एवं नवम्बर, 1978 में ग्रारम्भ किये गये। राज्य की कुल 7292 ग्राम पंचायतों से प्रत्येक से कब कब से कार्य प्रारम्भ हुये यह सूचना एकत्रित करने में बहुत ग्रधिक समय लगने की संभावना हैं। इस योजना के ग्रन्तर्गत कार्यों पर कार्यरत मजदूरों की संख्या प्रतिदिन परिवर्तनशील है। ग्रौसतन माह जनवरी में लगभग साढ़े तीन लाख एवं माह फरवरी में लगभग चार लाख मजदूर प्रतिदिन कार्यरत रहे। इन मजदूरों में हरिजनों एवं ग्रादिवासियों की पृथक पृथक सही रूप से संख्या बताया जाना संभव प्रतीत नहीं होता।

(2) जी नहीं। भारत सरकार से ग्रनाज का ग्रावंटन प्राप्त होने पर उसका ग्रावंटन विभिन्न जिलों में तत्काल कर दिया जाता है।

डाक्टरों के गांवों में भेजे जाने सम्बन्धी योजना

453. श्री हरसहाय (लालसोट) :

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की ग्रामों में डाक्टर भेजने की योजना के सम्बन्ध में क्या नीति रही है ?

(2) क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम रामगढ़, पचवारा, तहसील लालसोट जिला जयपुर में विगत 6 माह में पांच डाक्टर की नियुक्ति एवं पुनः नियुक्ति के ग्रादेश निरस्त फरमाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ग्रामों में खोले गये ग्रस्पतालों के लिये भवन निर्माण हेतु भी कोई ग्रार्थिक सहायता देना चाहती है ? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामों में डाक्टरों को भेजने के लिए डिस्पेन्सरी खोली जाती है व डाक्टरों के पद सृजित किये जाते हैं। 5000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में नियुक्त डाक्टरों को ग्रामीण भत्ता दिया जाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सी०ए०एस० में से चयन करते समय निर्धारित योग्यता में ग्रामीण सेवा को आवश्यक माना है।

(2) जी हां, एक चिकित्सक के अलावा शेष ने वहां ड्यूटी ही ज्वाईन नहीं की।

(3) जी हां। मुख्य मन्त्री चिकित्सालय विकास कोष से कुल लागत का 50 प्रतिशत जन सहयोग द्वारा प्राप्त होने पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की योजना है।

उदयपुर से फलासिया सोम बस सेवा

454. **श्री लालुदास** (फलासिया) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या उदयपुर से फलासिया सोम में राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसें लगाने का विचार था ? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही इस ओर क्यों नहीं की गई है ? यदि राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसें नहीं लगाई जाती तो क्या राज्य सरकार वहां पर निजी वाहन सेवा को प्रारम्भ कर जनता को राहत देने के बारे में सोच रही है ?

उत्तर

जी हां। उदयपुर कोठड़ा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की अनुमोदित योजना दिनांक 10-1-77 को राज पत्र में प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु निगम द्वारा इस मार्ग पर अभी वाहन संचालन मार्ग खराब होने से नहीं किया जा सका है। मार्ग ठीक होने पर ही निगम द्वारा वाहन संचालन प्रारम्भ करना संभव हो सकेगा।

परिशिष्ट–5

(तारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची)

वाहन विवरण पत्र

क्र० सं०	आगार का नाम	आवन्टित वाहनें	आफ रोड़ वाहनों की संख्या
1	2	3	4
1.	अलवर आगार	122	8
2.	भरतपुर आगार	74	12
3.	हिण्डौन आगार	40	7
4.	धौलपुर आगार	29	6
5.	जयपुर आगार	64	8
6.	द्रुतगामी आगार	55	9
7.	कोटपुतली आगार	62	7
8.	झुन्झुनू आगार	63	11
9.	सीकर आगार	69	18
10.	खेतड़ी आगार	39	14
11.	कोटा आगार	66	9
12.	झालावाड़ आगार	70	17
13.	बून्दी आगार	56	11
14.	टौंक आगार	42	6
15.	अजमेर आगार	103	14
16.	ब्यावर आगार	46	5
17.	भीलवाड़ा आगार	55	5
18.	नागौर आगार	51	4
19.	जोधपुर आगार	75	8
20.	सिरोही आगार	41	6
21.	आबूरोड़ आगार	46	4

267

1	2	3	4
22.	जालोर आगार	45	6
23.	फलौदी आगार	34	5
24.	बाड़मेर आगार	38	2
25.	उदयपुर आगार	67	11
26.	डूंगरपुर आगार	49	4
27.	चित्तौड़ आगार	49	7
28.	बांसवाड़ा आगार	44	5
29.	बीकानेर आगार	63	13
30.	श्री गंगानगर आगार	80	27
31.	हनुमानगढ़ आगार	61	29
32.	सरदारशहर आगार	59	15
33.	नगर वाहन सेवा आगार	105	12
		1962	325

268

परिशिष्ट–6

(तारांकित प्रश्न सं० 426 की सूची)

वर्ष 1974–75 में नागौर जिले के देशी मदिरा दुकानात के अनुज्ञाधारियों की सूची 'क'

क्रम सं० 1	नाम सर्कल 2	नाम दुकान 3	नाम अनुज्ञाधारी 4	विशेष विवरण 5
1.	मेड़ता रोड	मेड़ता रोड़	श्री लनेखां, निजामखां व करीमवक्ष	
2.	,,	डंगाना	,, कन्हैयालाल कालूराम	
3.	,,	मेड़ता सिटी	,, प्यारेलाल, गेहरालाल व हीरालाल	
4.	,,	लाम्पोलाई	,, ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल	
5.	,,	पादुकड़ी	,, अम्बालाल	
6.	,,	भेरुदा	,, अमरसिंह पुत्र खींवसिंह राजपूत	
7.	,,	ईडवा	,, पूर्णाराम इड़वा	
8.	,,	हसीर	,, विशालसिंह पुत्र जसवन्तसिंह राजपूत	
9.	,,	साजू	,, मोहनलाल पुत्र भंवरलाल	
10.	,,	बान्दारुन	,, हीरालाल पुत्र भंवरलाल	
11.	,,	रीयावड़ी	,, गंगाराम पुत्र भैरुवक्ष	
12.	,,	रोहीसा	,, सवाईसिंह पुत्र हरीसिंह राजपूत	
13.	,,	जसनगर	,, मती बदाम जसनगर	
14.	,,	धावला	,, दीपचन्द पुत्र धन्नालाल टांक	

1	2	3	4	5
15.	मेड़ता रोड	रैन	श्री मंवरखां पुत्र सुलेमानखां रेन	
16.	,,	जालसू	,, सुगनसिंह नाथूसिंह जालसू	
17.	,,	अलनियावास	,, सवाईसिंह हरीसिंह राजपूत	
18.	,,	पालडीबंदा	,, छोटूसिंह	
19.	,,	गगराना	,, श्यामबक्ष पुत्र मांगूखां	
20.	,,	गौटन	,, करीमबक्श पुत्र कमरुद्दीन	
21.	नागौर	नागौर	,, गेहरालाल पुत्र पूनमचन्द	
22.	,,	कुचेरा	,, हुसैनखां पुत्र उसमानखां	
23.	,,	खटूबडी	,, यासीनखां	
24.	,,	मुण्डवा	,, मुस्ताक अहमद पुत्र मुनीरखां	
25.	,,	रौल	,, कन्हैयालाल पुत्र पुनमचन्द	
26.	,,	तरनाउ	,, ,, ,, ,,	
27.	,,	डेह	,, बलदेवराय पुत्र रोराय	
28.	,,	जायल	,, भैरुबक्ष पुत्र शिवनारायण	
29.	,,	खींवसर	,, नैनूराम	
30.	डीडवाना	खुनखुना	,, मदनखां पुत्र चुनेखां	
31.	,,	तोसीना	,, मदनखां पुत्र चुनेखां	
32.	,,	धनकोली	,, भंवरखां एण्ड पार्टी	
33.	,,	मीटड़ी	,, अनूपसिंह व श्री सलाउद्दीद	
34.	,,	नांवा	,, यासीनखां व गनीखां	

1	2	3	4	5
35.	डीडवाना	कुचामनसिटी	श्री सलाउद्दीन एण्ड पार्टी	
36.	,,	मकराना	,, हुसैनखां एण्ड पार्टी व प्रेमसिंह	
37.	,,	परतबतसर	,, सवाईसिंह	
38.	,,	नारायणपुरा	,, लालमोहम्मद	
39.	,,	मीठडी (नावा)	,, ईशाक	
40.	,,	जिलीया	,, रमजान	
41.	,,	मारोठ	,, गनीखां	
42.	,,	घाटवा	,, सुवालाल	
43.	,,	मीण्ढा	,, छीतरखां	
44.	,,	देवली	,, गन्नीखां चुन्नीखां	
45.	,,	गुढ़ा	,, मदारबक्ष	
46.	,,	लुणवा	,, हाजरखां	
47.	,,	लिचाणा	,, अकबरखां व सलाउद्दीन	
48.	,,	पांचवा	,, सहाबुद्दीन	
49.	,,	चितावा	,, बाबूलाल, सुगनसिंह व केसूराम	
50.	,,	वड़ा	,, हुसैनखां	
51.	,,	बैसरोली	,, रोशनवली	
52.	,,	बुडस	,, सुलेमान	
53.	,,	बोरावड	,, रामस्वरूप	
54.	,,	गच्छीपुरा	,, नत्थूखां	

270

1	2	3	4	5
55.	डीडवाना	भवरी	श्री सुवालाल	-
56.	,,	बस्सी	,, इमामुदीन	
57.	,,	मीठडी (डीडवाना)	,, अनुमसिंह व श्री सलाउद्दीन	
58.	,,	लाडनूं	,, सराजुदीन	
59.	,,	डीडवाना	,, मंवरखां एण्ड पार्टी	
60.	नाव	पीलवा	पड़त	
61.	नाव	रीड	त	

(272)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 440 का विवरण

प्रतिलिपि—जांच प्रतिवेदन ग्राम पंचायत बेगूं द्वारा अति० जिला-विकास अधिकारी चित्तौड़गढ़ ।

आज दिनांक 12–2–79 को पंचायत समिति बेगूं कार्यालय में पहुचकर ग्राम पंचायत बेगूं द्वारा श्री रमेशचन्द्र को 49 क्विन्टल गेहूं के अग्रिम भुगतान के रूप में दिये गये के बारे में जांच की गई ।

ता० 6–2–79 को विकास अधिकारी ने मैसर्स जमनालाल रघुनाथ की दुकान पर 49 क्विन्टल गेहूं जो कार्य के बदले अनाज योजना में दिये गये थे को अधिग्रहित कर लिये थे—द्वारा आदेश दिनांक 6–2–1979 ।

मैंने पंचायत समिति कार्यालय में सरपंच श्री संग्रामसिंह तथा विकास अधिकारी श्री प्रेमनाथ सक्सेना से जांच करी तथा सम्बन्धित रेकार्ड का अवलोकन किया । ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 26–10–78 द्वारा पंचायत समिति को अवगत कराया था कि सरपंच श्री संग्रामसिंह को अग्रिम भुगतान करने के अधिकार दिये जाते हैं । इस प्रस्ताव पर पंचायत समिति कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई । ग्राम पंचायत ने यह समझा कि उन्हें अग्रिम भुगतान करने के अधिकार हैं और उन्होंने श्री रमेशचन्द्र को जिसका ट्रेक्टर नम्बर आर. जे. एच. 925 काम के बदले अनाज योजना में लगा हुआ है को 51 क्विन्टल गेहूं भुगतान के रूप में तथा 49 क्विन्टल अग्रिम भुगतान हेतु दे दिया ।

श्री रमेशचन्द्र ने इन गेहूं को मैसर्स जमनालाल रघुनाथ की दुकान पर बेचने हेतु भिजवा दिया था । यह तथ्य सरपंच ने लिखित में भी विकास अधिकारी को अपने पत्र संख्या निल 6-2-79 को बता दिया था ।

मुझसे विकास अधिकारी ने दूरभाष द्वारा परामर्श मांगा था और मैंने उन्हें राय दी थी कि गेहूं इस स्थिति में जब्त नहीं किये जावे परन्तु उन्होंने अपने आदेश दिनांक 6-2-79 द्वारा उक्त 49 क्विन्टल गेहूं जो अग्रिम भुगतान किये गये को जब्त कर लिया ।

ग्राम पंचायत का रेकार्ड तथा पंचायत समिति के रेकार्ड के अवलोकन तथा पूछताछ से मालूम करने पर यह साबित होता है कि सरपंच ने 49 क्विन्टल गेहूं श्री रमेशचन्द्र को अग्रिम भुगतान देने में किसी बदयान्ति (मेलाफाइड) से काम नहीं

किया है। हालांकि उन्हें अग्रिम भुगतान करने के नियम में कोई अधिकार नहीं थे। यदि पंचायत समिति कार्यालय वक्त पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव पर अपनी राय दे देती तो शायद अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों द्वारा मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरपंच श्री संग्राम सिंह पंचायत बेगूं ने बदयान्ति (मेलाफाइड) से अग्रिम भुगतान गेहूं के रूप में श्री रमेशचन्द्र को नहीं किया है। अत: विकास अधिकारी को लिखा जावे कि जब्त सुदा गेहूं छोड़ दिये जावे तथा ग्राम पंचायत के हिसाब कीताब की पूरी जांच कर रिपोर्ट इस कार्यालय को तुरन्त भिजवावें।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 448 की सूची

परिशिष्ट संख्या 1

तारांकित प्रश्न संख्या 100 द्वारा श्री खंगारसिंह चौधरी विधानसभा सदस्य

क. सं.	लाइमस्टोन खनन पट्टे का क्षेत्र तहसील सोजत जिला पाली	खननपट्टे धारी का नाम	खननपट्टे का क्षेत्रफल	खननपट्टे की अवधि	क्षेत्र का कब्जा लेने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	निकटग्राम अटबड़ा जिला पाली	1. श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री बोरीदास	10 वर्गमील	मूल अवधि 1/1/55 से पांच वर्ष समयावधि 6/6/61 तक बढ़ाई गयी।	6-6-1961 अभी चालू नहीं है।
		2. श्री केशवसिंह शिवजीसिंह वर्तमान में खननपट्टा शासन के आदेश क्रमांक 17(51)खान/72 दि० 4-8-73 द्वारा सर्वश्री सोजत लाइम के नाम परिवर्तित किया गया।	10 वर्गमील (×)	मूल अवधि 1/9/62 से पांच वर्ष प्रथम नवीनीकरण 1/9/77 से पांच वर्ष। द्वितीय नवीनीकरण 1/9/72 से 10 वर्ष।	

1	2	3	4	5	6
2.	निकटग्राम मन्डला जिला पाली	सर्वश्री केशवसिंह शिवजी-सिंह सोजत रोड़ ।	10 वर्गमील	मूल अवधि 1/4/55 से पांच वर्ष । प्रथम नवीनीकरण 1/4/60 से पांच वर्ष द्वितीय नवीनीकरण 1/4/65 से पांच वर्ष पार्टी ने क्षेत्र का अभ्यर्पण किया जो दिनांक 1/6/68 से स्वीकार किया ।	4-6-68 अभी चालू नहीं है ।
		1. श्री राजेन्द्रसिंह कछवाह	10 वर्गमील (×)	मूल अवधि 1/3/74 से 10 वर्ष	

नोट :—राज्य सरकार द्वारा दि० 9/11/79 के निर्णय एवं नई नीति के अनुसार खनन पट्टों का अधिकतम क्षेत्र 15 वर्ग कि० मी० करने के प्रस्ताव उपरोक्त पट्टाधारी से 25 वर्ग कि० मी० से अधिक का क्षेत्र छुड़वाया गया है और वर्तमान में उनके पास 15 वर्ग कि० मी० क्षेत्र रखा गया है ।

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 449 की सूची

परिशिष्ट 'क'

क्रम संख्या	नाम ठेकेदार	नाम क्षेत्र	किस्म खनिज	अवधि	कार्य चालू है या नहीं	रायल्टी जनवरी 72 से दिसम्बर 78 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री दुर्गा प्रसाद (स्वयं)	निकटग्राम टटवाज तहसील गुंगापुर	बाईट को	4-11-65 से 20 वर्ष	नहीं	10198.18
2. ,,	,,	निकटग्राम नारोली तहसील गंगापुर	,,	4-12-69 से 20 वर्ष	चालू	24133.25
3. ,,	,,	निकटग्राम जोन तहसील सपोटरा	सिलिकासैंड	7-10-72 से 20 वर्ष	चालू	4000.00
4. ,,	,,	निकटग्राम मंझोरा तहसील सपोटरा	,,	6-11-71 से 20 वर्ष	चालू	27312.82

(276)

1	2	3	4	5	6	7
5.	श्री दुर्गा प्रसाद (स्वयं)	निकटग्राम मंझोरा तहसील सपोटरा	सिलिकासैंड	18-2-74 से 20 वर्ष	चालू	9397.23
6.	,, ,,	निकटग्राम बाजना तहसील-सपोटरा	लेटराइट	6-6-68 से 20 वर्ष	चालू	27582.34
7,	,, ,,	निकटग्राम तारोली तहसील सपोटरा	चायना को	16-1-71 से 20 वर्ष	चालू	7445.84
8.	,, ,,	निकटग्राम बोरी तहसील सपोटरा	सिलिकासैंड	14-3-74 से 20 वर्ष	चालू	2103.50
9.	,, ,,	निकटग्राम शेखपुरा तहसील सपोटरा	लेटराइट	24-9-77 से 20 वर्ष	4-5-70 से अभ्यर्पण स्वीकृत	531.38
10.	श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल (पत्नी) श्री दुर्गा प्रसाद	निकटग्राम ओरेच तहसील सपोटरा	सिलिकासैंड	31-1-77 से 20 वर्ष	चालू	—
11.	,, ,,	निकटग्राम सलेमपुरा तहसील सपोटरा	,,	31-1-77 से 20 वर्ष	चालू	—
12.	,, ,,	निकटग्राम सपोटरा तहसील सपोटरा	,,	6-7-77 से 20 वर्ष	चालू	—

1	2	3	4	5	6	7
13.	श्रीमती इन्द्रा अग्रवाल (पत्नी) श्री दुर्गा प्रसाद	निकटग्राम बारोड तहसील करोली	सिलिकासैंड	15-10-77 से 20 वर्ष 15-2-79 से पार्टी ने तत्काल अध्यादेश का नोटिस प्रस्तुत किया है।	चालू	—
14.	" "	निकटग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा	"	16-12-78 को संविदा निष्पादन हुआ। परन्तु पंजीयन नहीं हुआ।	—	—
15.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मुरलीधर अग्रवाल (राई)	निकटग्राम राई तहसील सपोटरा	"	20-5-75 से 20 वर्ष	चालू	1582·76
16.	" "	निकटग्राम गुनेशरी तहसील सपोटरा	"	17-7-75 से 20 वर्ष खनन कार्य बन्द होने के कारण पार्टी को 18-12-78 को नोटिस दिया गया।	बन्द	1935.25
17.	" "	निकटग्राम पाटोड तहसील करोली	"	4-9-75 से 20 वर्ष	बन्द	303.60
18.	श्री राम प्रकाश पुत्र श्री मुरलीधर अग्रवाल (कानूनन उत्तराधिकारी) (राई)	निकटग्राम नारायणपुर टटवाडा तहसील गंगापुर	"	14-12-59 से 20 वर्ष	चालू	46817.36

1	2	3	4	5	6	7
19.	श्री राम प्रकाश पुत्र श्री मुरलीधर अग्रवाल (कानूनन उत्तराधिकारी) (राई)	निटग्राम सहलपुर	कोलाइडससिलिका	1-9-76 से 20 वर्ष	चालू	16000.00
20.	स्वर्गीय श्री मुरलीधर अग्रवाल कानूनी हकदार श्री ज्ञानप्रकाश (राई)	निकटग्राम नारोली	,,	16-4-69 से 20 वर्ष	वन विभाग द्वारा खनन कार्य नहीं करने दिया अब खनन कार्य चालू है।	
21.	श्री दुर्गा प्रसाद (स्वयं)	निकटग्राम मसंघीरामपुर तहलील सपोटरा	लाईमस्टोन	10-1-80 से 15-1-88 तक	चालू	10200.00

280

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या नं० 452 की सूची

सन् 1962 से 1978 तक सोजत-बिलाड़ा क्षेत्र में लाईमस्टोन के खनन पट्टाधारियों की सूची

क्र. सं.	नाम पार्टी	क्षेत्र का विवरण	अवधि पट्टा
1	2	3	4
1.	सर्वश्री केशव सिंह शिवजी सिंह	निकट ग्राम मण्डल तहसील सोजत जिला पाली	1-4-60 से 31-3-65 (वर्तमान में चालू नहीं है) 1-4-65 से 31-5-68 (पट्टा दिनांक 1-6-68 से अभ्यर्पित कर दिया गया)
2.	श्री सत्यनारायण शाह	प्लाट नं. 6 रक्सी गांव तह. बिलाडा जिला जोधपुर	18-12-72 से 9-7-76 (वर्तमान में चालू नहीं है)
3.	सर्वश्री केशवसिंह शिवजीसिंह (जिसे 1-9-72 से सर्वश्री सोजत	निकटग्राम अटबडा जिला पाली	1-9-62 से 31-8-67 1-9-67 से 31-8-72 (नवीनीकरण)

1	2	3	4
	लाइम कम्पनी के नाम हस्तान्तरित किया गया)।		1–9–72 से 31–8–82
4.	केशव चन्द माण्डोत	निकटग्राम खारीया जिला पाली	15–12–70 से पांच वर्ष 15–12–76 से 14–12–80 (नवीनीकरण)
5.	श्री राजेन्द्र सिंह	निकट ग्राम मण्डला तहसील सोजत जिला पाली (पूर्व में यह क्षेत्र श्री केशव सिंह शिवजो सिंह के नाम स्वीकृत था)	1—3–74 से 28–2–74
6.	श्री मोहनलाल मोदी	निकटग्राम घरना हर्ष प्लाट नं. 2 तहसील विस्टडा जिला जोधपुर	3–1–68 से 2–1–75 (नवीनीकरण) 3–1–75 से 2–1–78 द्वितीय नवीनी- 3–1–78 से 2–1–80 करण का मामला शासन के विचाराधीन है)
7.	श्री रशीद खां	निकटग्राम बेरून्दा प्लाट नं 11 ग्राम बिलाड़ा जिला जोधपुर	24–6–74 से 23–6–79
8.	श्री रविप्रकाश मिश्रा	प्लाट नं. 5 निकट ग्राम बेरून्दा तह. बिलाड़ा जिला जोधपुर।	8–7–76 से 7–7–81

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 454 का प्रतिवेदन)

सहायक रजिस्ट्रार महोदय,
सहकारी समितियां
भरतपुर।

विषय :—रमेशचन्द्र तकनीकी सहायक द्वारा स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार।

महोदय,

श्री रमेशचन्द तकनीकी सहायक के विरुद्ध यह आम शिकायत है कि यह स्टाफ से गाली गलोज से पेश आते हैं, यह अभद्र व्यवहार करते हैं, जिले की राजनीति में लिप्त हैं, अधिकारियों के नाम से आदेश देकर अपने स्वार्थ के कार्यों को पूरा करते हैं व कार्यालय तथा जिले के सहकारी क्षेत्र में इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है एवं क्षेत्र के गलत तत्वों को प्रोत्साहन देते हैं। स्वयं आफिस समय में कोई कार्य न कर कार्यालय में सिर्फ ग्राहक बटोरते हैं तथा कार्यालय के समय के बाद बैठकर फाइलों को अपने दिन भर के किए सोदों के अनुसार रात्रि में फाइलें निकालते है। इसी जिले व इसी स्थान का होने से यहां की राजनीति व स्वार्थी तत्वों से मिले हुए हैं। राजनैतिक नेताओं के साथ और इसी प्रकार ऊपर तक के नेताओं के साथ मिलकर राजनीति में सहकारिता के माध्यम से खेल खेल रहे हैं। और इसी प्रकार ऊपर तक के नेताओं तथा कर्मचारियों को अधिकारियों के नाम से मौखिक आदेश देकर उन कार्यों को कराते हैं जिनमें कि ये लिप्त है तथा आर्थिक व राजनैतिक स्वार्थ में निहित हैं। यह एक व्यक्ति या कर्मचारी को ही नहीं अपितु समस्त कर्मचारियों को आम गाली देते हैं तथा जिले के सहकारी क्षेत्र में इन्होंने जो वातावरण बना दिया है इससे हम सब कर्मचारियों को बदनाम होना पड़ता है। अतः हम सब कर्मचारियों का यह अनुरोध है कि इन्हें कार्यालय के तकनीकी सहायक के पोस्ट पर न रखकर व इन्हें कार्यालय से हटाकर भूमि विकास बैंक में लगा दिया जावे। तकनीकी सहायक के पद के लिए कार्यालय में दो निरीक्षक प्रथम ग्रेड जोइन से वरिष्ठ हैं, मौजूद हैं।

283

आशा है, आप हमारी प्रार्थना पर सहृदयता पूर्वक विचार कर आवश्यक आदेश देने की कृपा करेंगे एवं रजिस्ट्रार महोदय को अवगत कराकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

हम कर्मचारीगण

1. श्री वेदप्रकाश निरीक्षक
2. श्री शिवचरणसिंह निरीक्षक
3. श्री ईश्वरीसिंह चौहान निरीक्षक
4. श्री छिद्दासिंह चौधरी स० नि०
5. श्री महताबसिंह निरीक्षक
6. श्री लक्ष्मणसिंह सहा० नि०
7. श्री रामप्रसाद मीना निरीक्षक
8. श्री लक्ष्मीधर निरीक्षक
9. श्री भारत भूषण गोवर
10. श्री अर्जुन सिंह स० नि०
11. श्री शान्ती स्वरूप नि० उद्योग
12. श्री वृजकिशोर शर्मा नि०

परिशिष्ट –12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 455 का विवरण)

क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना दादल लूमदिया वर्ष 77–78 में स्वीकृत की गई थी, इसकी लागत 16·36 लाख रुपये है व इसके अन्तर्गत ग्राम लूमरिया, बरसांणा एवम् राह लिये गये हैं।

लूमाडिया एवम् बरसांणा ग्रामों में जल्दी ही जल वितरण किये जाने की सम्भावना है एवम् ग्राम राह को भी वर्ष 79–80 में जल वितरण किये जाने की सम्भावना है।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 456 की सूची)

वाहन विवरण पत्र

क्र० सं०	नाम आगार	निर्धारित सेवायें	आवंटित वाहनें
1	2	3	4
1.	अलवर आगार	114	132
2.	भरतपुर आगार	72	76
3.	हिण्डौन आगार	34	40
4.	धौलपुर आगार	24	29
5.	जयपुर आगार	63	78
6.	एक्सप्रेस आगार	49	59
7.	कोटपूतली आगार	55	62
8.	झुन्झुनू आगार	46	63
9.	सीकर आगार	62	73
10.	खेतड़ी आगार	30	39
11.	कोटा आगार	57	66
12.	झालावाड़ आगार	62	70
13.	बून्दी आगार	53	56
14.	टौंक आगार	40	49
15.	अजमेर आगार	92	104
16.	ब्यावर आगार	42	46
17.	भीलवाड़ा आगार	51	55
18.	नागौर आगार	47	51
19.	जोधपुर आगार	70	80
20.	सिरोही आगार	36	41
21.	आबूरोड़ आगार	39	46
22.	जालौर आगार	36	45
23.	बाड़मेर आगार	32	38

1	2	3	4
24.	फलौदी आगार	31	34
25.	उदयपुर आगार	57	67
26.	डूंगरपुर आगार	43	49
27.	चित्तौड़ आगार	43	49
28.	बांसवाड़ा आगार	39	46
29.	बीकानेर आगार	54	64
30.	श्री गंगानगर आगार	73	85
31.	हनुमानगढ आगार	54	61
32.	सरदार शहर आगार	49	59
33.	उपनगरीय आगार	53	53
34.	नगर वाहन सेवा आगार	89	105
		1791	2070

(287)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न सं०–458 की सूची

क्र. सं.	आदेश सं. सु. ई. द्वारा	दिनांक	कर्मचारी का नाम मय पद और सब डि.	स्थानान्तरण से पूर्व की तिथि (स्थान)	स्थानान्तरण पश्चात की स्थिति (स्थान)
1	2	3	4	5	6
1.	8261–74	22/1/77	श्री नरेन्द्र मल पारीक क. लि. उपखण्ड फ़लोदी	फलोदी	जोधपुर
2.	8261–74	22/1/77	श्री आनन्दीलाल माथुर, क. लि. वृत्त, कार्यालय जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
3.	8261–74	22/1/77	श्री मोहम्मद रमजान, क. लि. नगर उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर

1	2	3	4	5	6
4.	8261–74	22/1/77	श्री मूलचन्द व्यास व. लि. वृत, कार्यालय जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
5.	,,	,,	श्री मांगी लाल मालु व. लि. नगर उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
6.	8456–62	29/1/77	श्री त्रिलोक चन्द व.लि. वृत, कार्यालय जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
7.	8764–75	5/2/77	श्री मोपालसिंह व. लि. डी. पी. ए. पी. उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
8.	,,	,,	श्री बालकिशन वरिष्ठ लिपिक जिला खण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
9.	330–47	11/4/77	श्री गोपाल किशन व. लि. नगर खण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
10.	,,	,,	श्री रामकुमार व. लि. जिला खण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर

289

1	2	3	4	5	6
11.	1127–39	2/5/77	श्री पी. सी. चौहान उप अभियन्ता परियोजना उपखण्ड पीपाड शहर	बिलाडा	निम्बाज
12.	1242–47	4/5/77	श्री राजेन्द्र प्रसाद क. लि. उपखण्ड फालना	फालना	फलोदी
13.	8021–28	6/6/77	श्री गोपालराम उप अभियन्ता जिला खण्ड	जोधपुर	जोधपुर
14.	9107–12	24/6/77	श्री एम. एम. कुल श्रेष्ट क. अभियन्ता उपखण्ड आबू पर्वत	आबू पर्वत	आबू रोड़
15.	10512–18	26/7/77	श्री वीरसिंह टांक उप अभियन्ता उप-खण्ड आबू	आबू पर्वत	पिंडवाडा
16.	10512–18	26/7/77	श्री वी. एस. गर्ग उप अभियन्ता उपखण्ड सिरोही	पिंडाला	आबू पर्वत
17.	13728–40	14/10/77	श्री पी. आर. सोनी क. अभियन्ता कर्मशाला उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	सोजत नगर

1	2	3	4	5	6
18.	14374–82	28/10/77	श्री एम. जी. व्यास क. अ. उपखण्ड शिवगंज	पोसालिया	नोखरा चारणा
19.	14374–82	28/10/77	श्री प्रेमराज माथुर क. अ. उपखण्ड फलोदी	नोखाराचारण	पोसालिया
20.	14374–82	20/10/77	श्री सी. पी. सोनी क. अ. उपखण्ड सोजत नगर	सोजतनगर	जोधपुर
21.	19308–36	27/1/78	श्री आर. पी. शर्मा व. लि. नगर उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
22.	19308–36	27/1/78	श्री बाल किशन शर्मा व. लि. डी. पी. ए. पी. उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
23.	”	”	श्री शान्तीचन्द जैन क. लि. वृत कार्यालय जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
24.	210–15	5/4/78	श्री नारायण सिंह क. लि. डी. पी. ए. पी. उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर

1	2	3	4	5	6
25.	210–15	5/4/78	कुमारी जमना भाटी क. लि. वृत्त, कार्यालय जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
26.	751–57	18/4/78	श्री जयसिंह परिहार क. प्र. नगर खण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
27.	,,	,,	श्री ग्रार. एम. अग्रवाल क. प्र. नगर उपखण्ड 111 जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
28.	1438–43	22/4/78	श्री पुखराज फिटर नगर उपखण्ड 111 जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
29.	,,	,,	श्री जेठसिंह फिटर नगर उपखण्ड 111 जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
30.	1339–76	22/4/78	श्री शान्तीलाल पम्प चालक 11 नगर उपखण्ड 111 जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
31.	,,	,,	श्री अब्दुल गफूर प. चा. 111 नगर उपखण्ड 111 जोधपुर	,,	,,
32.	,,	,,	श्री अब्बास प. चा. 11 नगर उपखण्ड विभीय जोधपुर	,,	,,

1	2	3	4	5	6
33.	1339–76	22/4/77	श्री घनश्याम व्यास प. चा. 11 नगर उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
34.	4–7	14/3/78	श्री राजेन्द्रसिंह फोरमैन नगर उपखण्ड जोधपुर	"	मानकलाव
35.	2500–25	15/5/78	श्री बाबू लाल वर्मा क. श्र. उपखण्ड सिरोही	सिरोही	जोधपुर
36.	"	"	श्री श्यामलाल गहलोत क. श्र. खण्ड पाली	पाली	शिवगंज
37.	"	"	श्री जी. के. सोनी क. श्र. शिवगंज	शिवगंज	सिरोही
38.	3236–42	20/5/78	श्री प्रेमचन्द क. लि. उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
39.	"	"	श्री लक्ष्मणदास व. लि. डी. पी. ए. पी. उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
40.	10428–43	2/8/78	श्री रामदास च. श्रे. क. जोधपुर वृत. कार्यालय जोधपुर	जोधपुर	"

292

1	2	3	4	5	6
41.	10428--43	2/8/78	श्री गोविन्दसिंह च.श्रे.क. नगर, उपखण्ड प्रथम जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
42.	4280-89	5/6/78	श्री नथराज लौहार क.लि. उपखण्ड जोधपुर	,,	फलोदी
43.	,,	,,	श्री नारायणसिंह क.लि. वृत, कार्यालय जोधपुर	,,	जोधपुर
44.	,,	,,	श्री मदनलाल व्यास क.लि. नगर उपखण्ड प्रथम जोधपुर	,,	,,
45.	8440-46	15/7/78	श्री केदार सा.क.अ. उपखण्ड फलोदी	फलोदी	सिरोही
46.	1216-36	25/8/78	श्री मगनाराम विश्नोई क.अ. डी.पी.ए.पी. उपखण्ड	जोधपुर	पिपाड शहर
47.	1216-36	25/8/78	श्री जे.सी. चौहान क.अ. परियोजना उपखण्ड	पिपाड शहर	पाली
48.	15466-76	29/9/78	श्री जी.पी. हर्स क.अ. कार्यशाला उपखण्ड	जोधपुर	शिवगंज

1	2	3	4	5	6
49.	13853-57	16/9/78	श्री अचल सिंह फोरमैन नगर उपखण्ड 11 जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
50.	18822-29	6/11/78	श्री गुमानसिंह क.अ. जिला उपखण्ड प्रथम बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर
51.	18822-29	6/11/78	श्री मेघसिंह क.अ. जिला उपखण्ड प्रथम बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर
52.	22200-7	20/12/78	श्री मंगलाराम मैशन उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	पाली
53.	"	"	श्री बुन्दू खां मैशन उपखण्ड जोधपुर	"	गुन्दोज
54.	"	"	श्री पांचाराम मैशन उपखन्ड जोधपुर	"	लूनी
55.	22659-10	23/10/78	श्री लक्ष्मणसिंह परिहार क.अ. उपखण्ड बाड़मेर	बाड़मेर	सिवाना
56.	"	"	श्री ज्ञानेन्द्रकुमार हर्स क.अ. उपखण्ड बालोतरा	सिवाना	शिवगंज

1	2	3	4	5	6
57.	22659–10	23/10/78	श्री कन्हैयालाल आरोडा क.अ. उपखण्ड शिवगंज	शिवगंज	जोधपुर
58.	24996–25002	15/1/79	श्री साबीर अहमद प.चा. 1 नगर उपखण्ड 11 जोधपुर	जोधपुर	लालसागर
59.	,,	,,	श्री अब्दुल जबार प.चा. 1 नगर उपखण्ड 11 जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
60.	26563–69	2/2/79	श्री वून्दू खां मैशन	गुन्दोज	जोधपुर
61.	,,	,,	श्री सम्मूर खां मैशन	जोधपुर	गुन्दोज
62.	27061–67	12/2/79	श्री अछमदेव ट्रेसर नगर उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
63.	27828–31	19/2/79	श्री सोहनलाल ट्रेसर जिला खण्ड जोधपुर	,,	,,
64.	1127–39	2/5/77	श्री अशोककुमार अ. अभियन्ता डी.पी.ए.पी. उपखण्ड	,,	बिलाडा

1	2	3	4	5	6
65.	1127--39	2/5/77	श्री बालकिशन वर्मा उप.प्र. उपखण्ड जैतारण	निम्बाज	सेतराव्
66.	,,	,,	श्री आर.सी. कल्ला उप.प्र. जिला उपखण्ड जोधपुर	सेतराव्	जोधपुर
67.	965–68	21/4/77	श्री विसालसिंह च.श्रे.क. खण्ड सिरोही	सिरोही	,,
68.	23025–25	25/5/77	श्री लूमसिंह कार्य प्र. वाहनचालक खण्ड पाली	पाली	,,
69.	2451–54	28/5/77	श्री चन्द्र प्रकाश व.लि. खण्ड सिरोही	सिरोही	जोधपुर
70.	8542–47	16/6/77	श्री शिव प्रकाश दवे क.लि. उपखण्ड सिरोही	सिरोही	फलोदी
71.	10538–43	26/7/77	श्री हनुमानसिंह मी.री. उपखण्ड शिवगंज	शिवगंज	,,
72.	12904–8	17/9/77	श्री कल्याण सहाय क.लि. डी.पी.ए.पी. उपखण्ड पिपाड शहर	पिपाड शहर	पाली

296

1	2	3	4	5	6
73.	14151–57	19/10/77	श्री जवाहर लाल लौहार क.लि. उपखण्ड पाली	पाली	पिपाड शहर
74.	18648–53	13/1/78	श्री महेन्द्र पारख मी. रीडर उपखण्ड पाली	,,	जोधपुर
75.	20277–	9/2/78	श्री जैठाराम क. लि. डी.पी.ए.पी. पिपाड शहर	पिपाड शहर	पाली —
76.	21823–27	15/3/78	श्री रूपसिंह सहायक उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	पाली
77.	314–71	6/4/78	श्री ब्रह्मसिंह प.चा. 111 उपखण्ड फलोदी	फलोदी	जोधपुर
78.	2285–90	10/5/78	श्री घनश्याम धानवी सहायक उपखण्ड पाली —	पाली	फलोदी—
79.	4224–30	3/6/77	श्री शंकरलाल प.चा. 111 उपखण्ड सिरोही	पिण्डवाडा	सोजत
80.	8270–73	13/7/78	श्री सेराराम कार्य प्र. फिटर 11 उपखण्ड प्रथम बाड़मेर—	लुहारवा भीमथालां	कवास

1	2	3	4	5	6
81.	4280-89	5/6/78	श्री शिवप्रकाश दवे क.लि. उपखण्ड, फलोदी	फलोदी	जोधपुर
82.	12283-89	10/8/78	श्री मोहम्मद सलीम प.चा. 11 उपखण्ड फलोदी	,,	,,
83.	10365-77	2/8/78	श्री हनुमान सिंह मी.री. उपखण्ड फलोदी	फलोदी	,,
84.	12116-36	25/8/78	श्री के.पी. व्यास क.प्र. उपखण्ड शिवगंज	,,	,,
85.	12384-95	28/8/78	श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा व.लि. खण्ड सिरोही	सिरोही	जोधपुर
86.	12385-95	,,	श्री नरपत सिंह क.लि. उपखण्ड प्रथम	जोधपुर	सिरोही
87.	14384-90	20/9/78	श्री बलवीरसिंह जी.एफ.ए. उपखण्ड पाली	पाली	जोधपुर
88.	14864-64	25/9/78	श्री मानदास प.चा. 11 उपखण्ड फलोदी	फलोदी	,,

1	2	3	4	5	6
89.	16612–18	18/10/78	श्री रसीद मोहम्मद क.लि. उपखण्ड पाली	पाली	जोधपुर
90.	18888–93	6/11/78	श्री चांदसिंह प.चा. 111 उपखण्ड फलोदी	फलोदी	,,
91.	25539–44	22/1/79	श्री परमानन्द क. फिटर चालक पाली	पाली	,,
92.	9321–26	22/2/77	श्री गणेशराम मी.री. उपखण्ड फलोदी	फलोदी	पाली
93.	19112–36	9/11/78	श्री घनश्याम शर्मा क.प्रा. लिलाखण्ड जोधपुर	जोधपुर	,,
94.	8182–88	19/1/77	श्री रामेश्वरलाल वा. चा. उपखण्ड शिवगंज	शिवगंज	जोधपुर
95.	1024–48	17/3/77	श्री मोहन एहसान प. चा. उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
96.	322–29	11/4/77	श्री नन्द राम सहायक डी. पी. ए. पी. जोधपुर	दुन्दाडा	पीलवा

1	2	3	4	5	6
97.	1612–16	10/5/77	श्री सुगनचन्द सहायक शिवगंज	सुमेरपुर	खेजडलीकंला
98.	9664–72	14/7/77	श्री गुदडाराम सहायक (जालोर)	सायला	रतकुडिया
99.	10182–88	21/9/77	श्री राजेन्द्रसिंह फलोदी	सिरडाटेकरा	खेजडली टेपू
100.	,,	,,	श्री मांगी लाल	खेजडली	सिरडाटेकरा टेपू
101.	10268–76	22/7/77	श्री भंवरसिंह सहायक फालना	वैडा	सुमेरपुर
102.	11132–44	5/8/77	श्री सुगनचन्द सहायक डी. पी. ए. पी.	खेजडली कला	सुमेरपुर
103.	12898–903	17/9/77	श्री कल्याण सहाय प. चा. 11 डी.पी.ए.पी. उपखण्ड जोधपुर	मथानिया	भावीबिलाड़ा
104.	13254–	28/9/77	श्री सुभाष चंद्र विद्युतकार	जैसलमेर	डी.पी.ए.पी. जोधपुर

300

1	2	3	4	5	6
105.	13474–80	3/10/77	श्री अब्दुल हमीद स. 11	बाडमेर	जोधपुर
106.	13818–25	17/10/77	श्री हिन्दूराम डूंड जिला उपखण्ड	सालोडी आगोलाई	बिलाडा
107.	13979–85	18/10/77	श्री एस. साची कुमार	बिलाडा	जोधपुर
108.	14368–73	24/10/77	श्री विजय किशन	खेजडली	"
109.	15755–61	1/12/77	श्री प्रेमकुमार शर्मा प. चा. 11	बाडमेर	"
110.	18364–68	11/1/78	श्री सुभाष चंद विद्युतकार	सालोडी आगोलाई	" "
111.	18504–10	12/1/78	श्री गोपी रामदेव स्टोर मुन्शी	खारची	"
112.	18565–570	13/1/78	श्री समेन्द्रसिंह सहायक 11 (लाडनू)	मिडठी फिरवासी	वावरा
113.	18652–77	16/1/78	श्री नेमीचंद सहायक डी.पी.ए.पी.	डोली धवा	नीमला जैतारण
114.	20634–41	14/2/78	श्री रंगराज सैन चौकीदार उपखण्ड फलोदी	सिहडाटेकराटेपू	कुशालपुरा

1	2	3	4	5	6
115.	20642-48	15/2/78	श्री प्रेम सिंह सहायक 11	सालोडी ग्रागोलाई	जोधपुर
116.	20828-57	16/2/78	श्री रमेशकुमार स्टोर मुन्शी उपखण्ड फालना	फालना	खारची
117.	,,	,,	श्री मोहनलाल स्टोर मुन्शी	गुन्दोज	फालना
118.	21071-80	18/2/78	श्री हेमराज चौकीदार जिला, उपखण्ड	इन्दरा का नारवा	पालडी मण्डलनाथ
119.	,,	,,	श्री मानसिंह चौकीदार	डोली न. उ. 11	जोधपुर
120.	21314-24	23/2/78	श्री सफीमोहम्मद डी.पी.ए.पी. खण्ड जोधपुर	सतलाना फीच	सेतरावा
121.	,,	,,	श्री सबीर ग्रहम्मद	सेतरावा	सतलाना फीच
122.	21869-76	15/3/78	श्री नरपतसिंह सहायक 11	फालना	दैणोक
123.	22593-98	27/3/78	श्री रोशनलाल स्टोर मुंशी	जवाई हेमावास	न. उ. ख.
124.	,,	,,	श्री रामचंद्र	डी.पी.ए.पी. स्टोर	जवाई हेमावास

302

1	2	3	4	5	6
125.	22927–32	30/3/78	श्री मूलसिंह वा. चा.	सिरोही	जोधपुर
126.	22832–37	29/3/78	श्री भंवरसिंह प. चा. 111	सॉंडेराव	खिमेल
127.	483–90	11/4/78	श्री शकुर मो०	बर	रायपुर
128.	,,	,,	श्री पूसाराम	रायपुर	बर
129.	1190–99	20/4/78	श्री-मांगी लाल सहायक 11	फलोदी	भंवर डोली पाल
130.	1206–12	20/4/78	श्री अशोक कुमार पारीख स. 11	खेजडली कला	जोधपुर
131.	1213–18	20/4/78	श्री हरिश कुमार टाक प. चा. 111	जवाई हेमावास	,,
132.	2568–76	16/5/78	श्री भागीरथसिंह प. चा. 11	चाडी चौतीना	बिलाड़ा
133.	3140–46	22/5/78	श्री गोरधन स. 11 उपखण्ड जिला	चामुंडा	जोधपुर
134.	5130–37	23/8/78	श्री राजेन्द्र कुमार	बिठडी	जोधपुर
135.	6142–49	21/6/78	श्री सुगनचन्द फिटर शिवगंज	जोहिलाकला	रुडकलीयावास
136.	6192–98	21/6/78	श्री मोहनलाल अग्रवाल स. 11	सतलाणा फीच	जोधपुर

1	2	3	4	5	6
137.	5337–49	15/6/78	श्री मांगीलाल सहायक	सैतानसिंह नगर	भावीपिलासनी
138.	,,	,,	श्री प्रतापदास प. चा. 111	रतकुडिया वासनी	भेडकुशलावा
139.	,,	,,	श्री नरसिंगाराम स. 11	पिचियाक	पीलवा
140.	7267–72	4/7/78	श्री श्रीकिशन प. चा. 11	भाडका	सालोडी ग्रागोलाई
141.	7289–95	4/7/78	श्री रामदयाल सहायक 11	भंवर डोली	लाम्बावाला
142.	,,	,,	श्री मुन्नीलाल	लाम्बावाडा	भंवर डोली
143.	7339–49	5/7/78	श्री चिरंजीलाल	डोली	पिण्डवाडा
144.	8501–8	17/7/78	श्री करणाराम सहायक 1	जोधपुर	देवालु
145.	9032–43	19/7/78	श्री गंगाप्रसाद बोहरा	नारवा इन्द्रोका	सूरजकुण्ड जोधपुर
146.	9572–77	25/7/78	श्री ब्रह्म दैव व्यास स० 11	जोधपुर	इन्द्रोका
147.	10269–76	1/8/78	श्री चन्द्र शेखर स्टोर मुंशी	सैतानसिंह	फालना
148.	10603–12	11/8/78	श्री सावतराम स. 11	सेतरावा	जोधपुर
149	11513–20	11/8/78	श्री विजय कुमार पिले प. चा. 111	सोमेसर सुवालिया	भंवर डोली पाली

1	2	3	4	5	6
150.	14453–57	21/9/78	श्री सफी मो० प. चा. 111	जवाई हेमावास (गुन्दोज)	जवाई हेमावास
151.	14248-55	20/9/78	श्री ओम प्रकाश स. 11 जिला उपखण्ड जोधपुर	चांवडा	जोधपुर
152.	15485–92	29/9/78	श्री जवरीलाल	समदडी	झंवर डोली
153.	16807–12	19/10/78	श्री सोहनसिंह राजपुरोहित स. 11	पाली	डावला
154.	17687–95	3/11/78	श्री हनुमान स. 11	मोजका (जैसलमेर)	जवाई हेमावास
155.	19391–98	11/11/78	श्री प्रेमसिंह प. चा. 11	डावला सोवर (जैसलमेर)	बिलाडा
156.	20532–48	25/11/78	श्री संतोषकुमार सिविल मिस्त्री	जालौर	जोधपुर
157.	24415–21	9/1/79	श्री अणंदाराम प. चा. 11 उपखण्ड फलोदी	याडीचोतीना	सालोडी आगोलाई
158.	26139–45	30/1/79	श्री रामजीराम प. चा. 111 जालौर	हरजी	झूठा

1	2	3	4	5	6
159.	26146–51	30/1/79	श्री सोहन सिह स्टोर मुन्शी.	शिवगंज	जोधपुर
160.	26152–62	30/1/79	श्री भंवर सिह स. 11	डोली धावा	बिलवा
161.	,,	,,	श्री सोधसिंह स. 11	बिलवा	डोली धावा
162.	26543–48	7/2/79	श्री खिमाराम प. चा. 111	मीवसुमेरपुर (शिवगंज)	गुन्दोज
163.	26328–35	30/1/79	श्री सोहन लाल स. 11	फिटकासनी का केला (डी.पी.ए.पी. जोधपुर)	मावी
164.	27154–60	13/2/79	श्री मनोहरलाल चौधरी प. चा. 11	भीसनयानी (जैसलमेर)	सेतरावा
165.	24902–13	15/1/79	श्री जगदीश का. प्र. मिस्त्री नगर उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	चापांसर
166.	,,	,,	श्री श्यामलाल कल्ला मिस्त्री उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	शेरगढ़
167.	,,	,,	श्री कैलाश चंद्र मिस्त्री उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	टापू

306

1	2	3	4	5	6
168.	24902–13	15/1/79	श्री पृथ्वीसिंह मिस्त्री उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	ब्रागोलाई
169.	8356–65	28/1/77	श्री गणपत सिंह स. 11 उपखण्ड फलोदी	फलोदी	खेजडली (जे.एच.सी.)
170.	,,	,,	श्री दयाराम स. 11 उपखण्ड फलोदी	फलोदी	डोली धवा
171.	80511–	1/2/77	श्री किशोरी लाल स. 11 उपखण्ड फलोदी	सिहडा	खींचन (फलोदी)
172.	8778–85	8/2/77	श्री नरोत्तमलाल प. चा. 11 उपखण्ड फलोदी	शैतानसिंहनगर	सोजतरोड
173.	8834–39	7/2/77	श्री कैलाशचंद्र स्टोर मुंशी खण्ड जोधपुर	जिला खण्ड जोधपुर	नगर खण्ड जोधपुर
174.	10823–28	28/3/77	श्री मोहन लाल स. 1 डी.पी.ए.पी. जोधपुर	झालरवा डी.पी.ए.पी.	कार्यशाला जोधपुर
175.	517–25	14/5/77	श्री बाबूलाल स्टोर मुन्शी	कार्यशाला उपखण्ड जोधपुर	पीपाड़

1	2	3	4	5	6
176.	517–25	14/5/77	श्री रतनकुमार टांक स्टोर मुंशी	पिपाड़	कार्यशाला उपखण्ड जोधपुर
177.	957–14	21/4/77	श्री मिश्री लाल स. डी.पी.ए.पी. उपखण्ड जोधपुर	ओसीया	जोधपुर
178.	7995–8003	4/6/77	श्री विजयकिशन शर्मा डी.पी.ए.पी. खण्ड	जालौर	खेजडली
179.	9620–26	12/7/77	श्री सीताराम सहायक उपखण्ड पिपाडा	बिलाड	फिटकासनी काकेला
180.	9596–602	13/7/77	श्री वासुदेव घनकानी स्टोर मुंशी	भोपालगढ़ से स्टोर	जि०ल० जोधपुर
181.	16397–402	13/12/77	श्री बस्तीराम प. चा. 11 उपखण्ड पिपाड	बिलाडा	कोकाना
182.	16425–32	14/12/77	श्री भूरसिंह जोधपुरी उपखण्ड फलोदी	सिरडा टेकरा	उम्मेद रतकुडिया
183.	16524–31	16/12/77	श्री बरसिंगाराम स. 11 उपखण्ड फलोदी	लोहावट	बिलाडा

1	2	3	4	5	6
184.	19703–18	31/1/78	श्री राधेश्याम पुरोहित विद्युतकार कार्यशाला उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
185.	19703–10	31/3/78	श्री चेतन राम स. 11 उपखण्ड फलोदी	नोखराचरणा	रतकुडिया
186.	9785–94	27/7/78	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान स्टोर मुन्शी उपखण्ड बालोतरा	बालोतरा	जोधपुर
187.	13087–91	8/9/78	श्री मो० इकबाल स. 11	जिला उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर
188.	13378–92	11/9/78	श्री पुराराम प. चा. 11 उपखण्ड बाडमेर	ऊंडू	धोरीमना
189.	,,	,,	श्री लालाराम प. चा. 11 उपखण्ड बाड़मेर	धोरीमना	ऊंडू
190.	,,	,,	श्री मोजीराम चौधरी स. 11 उपखण्ड बाडमेर	इन्डूपनावडा	लोहरवाभीमथला
191.	,,	,,	श्री भलाराम स. 11 उपखण्ड बाडमेर	लोहरवाभीमथला	उन्डूपनावड़ा

1	2	3	4	5	6
192.	13378–92	11/9/78	श्री लाबूराम स. 11 उपखण्ड बाड़मेर	उन्डूपनावड़ा	लोहरवामीमथला
193.	,,	,,	श्री लालाराम स. 11 उपखण्ड बाड़मेर	लोहरवामीमथला	उन्डूपनावड़ा
194.	,,	,,	श्री शैतानसिंह उपखण्ड बाड़मेर	भीमडावायतू	नीमल सराजाय
195.	13378–92	11/9/78	श्री जयराम उपखण्ड बाड़मेर	नीमल सराजाय	वताईबीमू
196.	15547–61	29/9/78	श्री दुर्गाराम प. चा. 11 उपखण्ड बाड़मेर	भीमडाबायतू	बाड़मेर
197.	,,	,,	श्री मोतीराम प. चा. 11 उपखण्ड बाड़मेर	,,	बामसीनखाडप
198.	,,	,,	श्री बालाराम स. 11 उपखण्ड बाड़मेर	,,	गडरारोड
199.	,,	,,	श्री ज्ञानराम स. 11 उपखण्ड बाड़मेर	,,	बाड़मेर

310

1	2	3	4	5	6
200.	15547–61	29/9/78	श्री टीलाराम स. 11 उपखण्ड बाड़मेर	बाड़मेर	भीमडाबायतू
201.	„	„	श्री शेराराम फिटर 11 उपखण्ड बाड़मेर 1	भीमडाबायतू	बामसीनखडप
202.	„	„	श्री मांगीलाल फिटर 11 उपखण्ड बाड़मेर	बामसीनखण्ड	भीमडाबायतू
203.	13181–88	8/9/78	श्री रावतराम उपखण्ड जोधपुर	भंवरडलीपाल	समदडी
204.	19078–82	8/11/78	श्री कैलाशकुमार सिंघल मुंशी उपखण्ड पाली	रायपुर	डी.पी.ए.पी. पाली
205.	22135–40	19/12/78	श्री मूलसिंह वा. चालक उपखण्ड जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर
206.	„	„	श्री रामेश्वर लाल वा. चा. उपखण्ड जोधपुर	„	„

1	2	3	4	5	6
207.	28847–53	3/3/79	श्री हरीश स. 11 जिला उपखण्ड	आगोलाई सालोडाई	जोधपुर
208.	28878–85	3/3/79	श्री नरपतराम स. 11 उपखण्ड पिपाड़शहर	रतकुडिया बासनी	शेरगढ चाबा

(313)

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न सं० 459 का विवरण

प्रश्न एक का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	अनुमानित लागत	संदर्भ जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्यालय को भेजे गये हैं।
1.	सरदारपुरा क्षेत्र	3.475 लाख रु०	एस० ई० एच/जे० वी०/कम्पूटर/218067 दि० 15/3/78
2.	हनुमान जी की बावड़ी	1.126 लाख रु०	
3.	गांधीपुरा पूंजीपुरा	1.878 लाख रु०	
4.	लक्ष्मीनगर क्षेत्र	3.314 लाख रु०	एस० ई० एच/जे० वी०/कम्पूटर/1904142 दि. 19/1/78

तखमीनों की तकनीकी जांच की जा रही है।

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 460 का विवरण

आदेश संख्या	दिनांक	अधिकारी का नाम पद जिनको आदेश जारी किया	कार्य का नाम (सिर्फ पानी की पाइप लाइन)	स्थान	कार्य हुआ या नहीं
1	2	3	4	5	6
11153	5-8-77	अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नगर खण्ड, जोधपुर	मसूरिया एव० आर० से रावरण छोड़नी का मन्दिर (12" व 10")	जोधपुर	हुआ
"	"	"	पाल रोड से मेडिकल कालेज 12" लाइन	"	"
"	"	"	8" लाइन बालसमन्द से लाल सागर	"	"

314

1	2	3	4	5	6
11153	5-8-77	अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नगर खण्ड, जोधपुर	जालोरी गेट से सांधी ब्रदर्स	जोधपुर	हुआ
10705	4-8-78	,,	हनुमान जी की माखडी क्षेत्र	,,	,,
12482	28-8-78	,,	मण्डलनाथ पालडी में पाईप लगाना	,,	,,
11927	23-8-77	,,	(1) लाला लाजपत राय कालोनी	,,	,,
			(2) सरगरा कालोनी	,,	,,
			(3) उमराव खां पैट्रोल पम्प के पीछे	,,	नहीं हुआ
			(4) महेश होस्टल के पीछे	,,	कार्य हुआ
			(5) जाकिर हुसैन कालोनी	,,	,,
			(6) प्रताप नगर भील एवं हरिजन बस्ती	,,	,,
			(7) मसूरियां लंगा कालोनी के पीछे	,,	,,

1	2	3	4	5	6
		अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नगर खण्ड, जोधपुर	(8) मसूरिया मरिया कालोनी के पीछे	जोधपुर	हुआ
			(9) मसूरिया बगरी कालोनी	"	नहीं हुआ
			(10) गवारिया कालोनी, भील बस्ती	"	कार्य हुआ
			(11) मसूरिया कालोनी, हरिजन बस्ती	"	"
			(12) कुमारिया कुआ, हनुमान जी मन्दिर	"	"
			(13) आडा बाजार शहर के भीतर	"	"
12967	17-9-77	"	1. गांधीपुरा 2. पृथ्वीपुरा	"	मुख्य लाइन 3" 4" 8" व 6" की डाल दी गई है।
12095	31-8-77	"	1. पंच मन्दिया	"	
			2. जिनेरा की गली, मियों की मस्जिद के पास	"	कार्य हुआ

1	2	3	4	5	6
13531	6-10-77	अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकविभाग नगर खण्ड, जोधपुर	1. कुचामन हाउस 2. पंचपदरिया 3. धिनडो का वास	जोधपुर	कार्य हुआ
14585	27-10-77	,,	रामबाग रामोला के पास	,,	,,
18679	16-1-78	,,	थालियां का बास	,,	,,
18880	18-1-78	,,	पचेरिया	,,	,,
19995	4-2-78	,,	1. खानिया वस्ती 2. फतेहसागर क्षेत्र	,,	,,
19627	31-1-78	,,	सरदारपुरा क्षेत्र में प्रेसर बढ़ाने हेतु लाइन	,,	अधिकांश क्षेत्रों में लाइन लगा दी गई है
20436	13-2-78	,,	हरिराम की बगीची उमराव पैट्रोल पम्प के पास	,,	कार्य हुआ

1	2	3	4	5	6
1964	6-5-78	अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नगर खण्ड, जोधपुर	शास्त्री नगर सर्किल से सैक्टर	जोधपुर	कार्य हुआ
7109	3-7-78	"	लक्ष्मीनगर की मुख्य लाईन का कार्य	"	नहीं हुआ
7103	3-7-78	"	विवेकानन्द नगर कालोनी	"	कार्य हुआ
10944	8-8-78	"	गौरिन्दा की बावड़ी त्रिपोलिया बाजार	"	नहीं हुआ
15032	25-9-78	"	औद्योगिक क्षेत्र के लिए पाईप लाइन	"	कार्य हुआ
23171	29-12-78	"	1. अशोक मेडिकल से मछली मार्केट तथा 10" लाईन बढ़ाना	"	"
			2. वोरिया मोहल्ला सोजती गेट	"	नहीं हुआ
			3. हिन्दू सन्देश से हैदर बिल्डिंग तक बढाना	"	नहीं हुआ

318

1	2	3	4	5	6
20438	13-2-78	अधिशासी अभियन्ता डी.पी. ए. पी. खण्ड पी. एच. ई. डी. जोधपुर	वडलिया से कालीजाल तक पाइप लाइन का कार्य	जोधपुर	कार्य हुआ
20031	4-2-78	,,	लूणावास चारण से धवा तक पाइप लाइन का कार्य	,,	कार्य हुआ
20042	4-2-78	,,	गेलावास से सिणली तक पाइप	,,	,,
13840-42	15-10-77	,,	जाटियासनी से वड़लिया तक पाइप लाइन का कार्य	,,	,,
13834-36	10-10-77	,,	खाटावास से लूणावास तक पाइप लाइन का कार्य	,,	नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6
13831-33	15-10-77	अधिशासी अभियन्ता डी.पी. ए. पी. खण्ड पी.एच.ई.डी. जोधपुर	खडाला में खाटावास तक पाइप लाइन का कार्य	जोधपुर	नहीं हुआ
13833-39	15-10-77	,,	खाराबेरा पोथे का बास से लालयी तथा निमला तक पाइप लाइन का कार्य	,,	,,

320

(321)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न सं० 463 की सूची

क्र० सं०	जिलावार गांवों के लक्ष्य वर्ष 77-78	गांवों की संख्या	गांवों में पेयजल उपलब्ध कराया गया
1	2	3	4
1.	झालावाड़	15	14
2.	कोटा	21	18
3.	डूंगरपुर	40	31
4.	बांसवाड़ा	37	19
5.	भीलवाड़ा	30	12
6.	उदयपुर	16	10
7.	चित्तौड़गढ़	15	3
8.	सिरोही	2	2
		176 गांव	109 गांव

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 464 का विवरण)

क्र. सं.	योजना	स्वीकृत ग्राम	ग्राम जिनमें पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।	ग्राम जिनके लिये पेय जल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।	विवरण
1	2	3	4	5	6
1. पाइप्ड	छतरगढ़	छतरगढ़	छतरगढ़	—	
2. ,,	सारुडा	सारुडा	सारुडा	—	
3. ,,	पांचू	पांचू	पांचू	—	
4. ,,	काकरा	काकरा	काकरा	—	
5. ,,	उडसर	उडसर	उडसर	—	
6. ,,	सुरपुरा	सूरपुरा	सूरपुरा	—	
7. ,,	जसरासर	जसरासर	जसरासर	—	
8. ,,	बरसिंहसर	बरसिंहसर	बरसिंहसर	—	
9. ,,	कालू	कालू	कालू	—	

1	2	3	4	5	6
10. पाइप्ड	देसलसर	1. देसलसर पुरोहितान	1. देसालसर पुरोहितान	—	
		2. देसलसर भाटिया	2. देसलसर भाटिया	—	
11. ,,	मनसीसर	रनसीसर	रनसीसर	—	
12. ,,	बरासर	बरासर	बरासर	—	
13. ,,	सोथल	सोथल	सोथल	—	
14. ,,	उदरामसर	उदरामसर	उदरामसर	—	
15. पंप एवं टैंक	लूनकरणसर	लूनकरणसर	लूनकरणसर	—	
16. पाइप्ड	महाजन	महाजन	महाजन	—	
17. पंप एवं टैंक	शेखसर	शेखसर	शेखसर	—	
18. ,,	बीकासर	बीकासर	बीकासर	—	
19. ट्यूब वैल	शिववारी	शिवबारी	शिववारी	—	
20. पंप एवं टैंक	रामसर	रामसर	रामसर	—	
21. ,,	कानहोलाई	कानहोलाई	कानहोलाई	—	
22. पाइप्ड	लालमदेसर	लालमदेसर	लालमदेसर	—	
23. ,,	सुजानदेसर	सुजानदेसर	सुजानदेसर	—	
24. पंप एवं टैंक	गरसीसर	गरसीसर	गरसीसर	—	
25. ,,	किसमीदेसर	किसमीदेसर	किसमीदेसर	—	
26. पाइप्ड	झज्झू	झज्झू	झज्झू	—	

1	2	3	4	5	6
27. डी.सी.बी.	गढवाल	गढवाल	गढ़वाल	—	
28. ,,	गडियाला	गडियाला	गडियाला	—	
29. ,,	भामतसर	भामतसर	भामतसर	—	
30. ,,	बाम्वलू	बाम्बलु	बाम्वलु	—	
31. ,,	नारंगदेसर	नारंगदेसर	नारंगदेसर	—	
32. ट्यूब वैल	डियातीरा	डियातीरा	डियातीरा	—	
33. ,,	बीकनपुर	बीकनपुर	बीकनपुर	—	
34. ,,	कालासर	कालासर	कालासर	—	
35. ,,	रणजीतपुरा	रणजीतपुरा	रणजीतपुरा	—	
36. पंप एवं टैंक	रोडा	रोडा	रोडा	—	
37. पाइप्ड	कोलायत	कोलायत	कोलायत	—	
38. पंप एवं टैंक	पलाना	रोडा	पलाना	—	
39. क्षेत्रीय	गजनेर	1. गजनेर	1. गजनेर	—	
		2. चांदसर	2. चांदसर	—	
		3. मेघासक	3. मेघासर	—	
40. पंप एवं टैंक	मूंडसर	मूंडसर	मूंडसर	—	
41. क्षेत्रीय	कुछोर आथूनी	1. कुछोर आथूनी	1. कुछोर आथूनी	—	
		2. कुछोर आगूणी	2. कुछोर आगूणी	—	
		3. कुकानिया	3. कुकानिया	—	

1	2	3	4	5	6
42.	क्षेत्रीय सोमलसर	1. खोमलसर	1. सोमलसर	—	
	अंकीसर	2. अंकीसर	2. अंकीसर	—	
		3. दासमू	3. दासमू	—	
43.	,, कुडूसूशेखसर	1. शेखसर	1. शेखसर	—	
		2. कुडसू	2. कुडसू	—	
		3. खेड़ा	3. खेड़ा	—	
44.	पंप एवं टैंक बधाना	बधाना	बधाना	—	
45.	,, पिथंरासर	पिथंरासर	पिथरासर	—	
46.	,, कंरणीसर	करणींसर	करणीसर	—	
47.	क्षेत्रीय झाडेली	1. झोंडेली	1. झोंडेली	—	
		2. गजासुखदेसर	2 गजासुखदेसर	—	
		3, थावरिंया	3. थावरिंया	—	
48.	,, सडांसर	1. सडासर	1. सडासर	—	
	लांलमदेसर	2. लालमदेसर बड़ा	2. लालमदेसर बड़ा	—	
		3. लालमदेसर छोटा	3. लालमदेसर छोटा	—	
		4. उटमानदेंसर	4. उटमानदेसर	—	
49.	क्षेत्रीय सिंजगुरु	1. कीरतसर	1. कीरतसर	—	
		2. सिंजगुरु	2. सिंजगुरु	—	
		3. सिन्धु	3. सिन्धु	—	

326

1	2	3	4	5	6
		4. नौरखाना आगूणा व	4. नौरखाना आगूणा व	—	
		नौरखाना आथूना	नौरखाना आथूना	—	
		5. नानकसर	5. नानकसर	—	
50. क्षेत्रीय	बाम्वलू गेरासर	1. बाम्वलू	1. बाम्वलू	—	
		2. पम्पलसर	2. पम्पलसर	—	
		3. गेरासर	3. गेरासर	—	
		4. नागासर	4. नागासर	—	
		सुगानी	सुगानी	—	
51. „	गडियाला	1. गिरजासर	1. गिरजासर	—	
		2. आंधी	2. आंधी	—	
		3. मिथारिया	3. मिथारिया	—	
		4. वज्जूकला	4. वज्जूकला	—	
		5. मालासर	5. मालासर	—	
		6. गोविंदसर	6. गोविंदसर	—	
		7. वेथनीक	7. वेथनीक	—	
		8. पीथरान की ढाणी	8. पीथरान की ढाणी	—	
		9. नोखरा	9. नोखरा	—	
52. „	राजेराआनन्दपुरा	1. आनन्दपुरा	1. आनन्दपुरा	—	
		2. रूपेरा	2. रूपेरा	—	
		3. राजेरा	3. राजेरा	—	

1	2	3	4	5	6
		4. होयडा	4. होयडा	—	
		5. सेरोरा	5. सेरोरा	—	
		6. श्रासेरा	6. श्रासेरा	—	
		7. भोजेरा	7. भोजेरा	—	
53. श्रेत्रीय	शेखसर कपूरिसार	1. शेखसर	1. शेखसर	—	
		2. दिरथान	2. दिरथान	—	
		3. गोपालन	3. गोपालन	—	
		4. मोनाकसार	4. मोनाकसार	—	
		5. श्रमरपुरा	5. श्रमरपुरा	—	
		6. कुडाला	6. कुडाला	—	
		7. पांडूसर	7. पांडुसर	—	
		8. कपूरीसर	8. कपूरीसर	—	
		9 किशनसर	9. किशनसर	—	
		10. नाथवाना	10. नाथवाना	—	
		11. करणीसर	11. करणीसर	—	
		12. राजपुराहुडान	12. राजपुराहुडान	—	
54. ,,	गुडा	1. गुडा	1. गुडा	1. पाबुसर	
		2. सुजरा		2. रणधीसर	

328

1	2	3	4	5	6
		3. देह	3. देह	3. सुरमडा में शीघ्र	
		4. मोटावाला	3. मोटावाला	पेयजल उपलब्ध	
		5. खेडी चारणान	4. खेड़ी चारणान	कराया जावेगा।	
		6. रानासर	5. गंगापुर	—	
		7. पावुसरसिंटुका	6. लखासर	—	
		8. रांधीसर	7. सिंधुका (पावूसर)	—	
		9. श्रांगव	8. रानासर	—	
		10. सालखावाली की बस्ती	9. सालखा वाली बस्ती	—	
		11. लखासर	—	—	
		12. गंगापुरा	—	—	
55.	क्षेत्रीय झज्झूहाडीन	1. चकविजयसिंहपुरा	1. चकविजयसिंहपुरा	—	
		2, सियाणाभालिया	2. सियाणाभालिया	—	
		3. नन्दिया	3. नन्दिया	—	
		4. खेड़ा लोहान	4. खेड़ा लोहान	—	
		5. खाखूसर	5. खाखूसर	—	
		6. हाडीन	6. हाडीन	—	
		7. खींदासर	7. खींदासर	—	
		8. दासूरी	8. दासूरी	—	
		9. खजूरा	9. खजूरा	—	
		10. भालू	10. भालू	—	

1		2	3	4	5	6
56.	क्षेत्रीय कंगासर	गेरावदेसर	1. गेरावदेसर	1. गेरावदेसर	1. कागासर	
			2. छोटासर	2. छोटासर	—	
			3. कागासर	—	—	
57.	जाटान	केसरदेसर	1. केसरदेसर जाटान	1. केसरदेसर जाटान	—	
			2. गंगापुराण	2. गंगापुराण	....	
			3. वोरान	3. वोरान	—	
			4. सेवा	4. सेवा	—	
			5. गजरूपदेसर	5. गजरूपदेसर	—	
58.	,,	जयसिंह देसरमगरा	1. जयसिंहदेसर मगरा	1. जयसिंहदेसर	—	
			2. वंघेला	2. वंघेला	—	
			3. धीगसारी	3. धीगसारी	—	
			4. किशनसर	4. किशनसर	—	
59.	,,	शोभाना भादला	1. शोभाना	1. शोभाना	—	भादला ग्राम को पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है।
60.	,,	अम्बासर गिगासर	1. अम्बासर	1. अम्बासर	—	
			2. किलचू	2. किलचू	—	
			3. सूजासर	3. सूजासर	—	
			4. सिरधाना पड़िहरान	4. सिरधाना पड़िहारान	—	

1	2	3	5	5	6
		5. गीधासर	5. गीधासर	—	
		6. सिरंधाना चौरान	6. सिरधाना चौरान	—	
61. क्षेत्रीय	रानेरी उदात	1. रानेरी	1. रानेरी	—	
		2. मण्डलचारण	2. मण्डलचारण	—	
		3. टोकला	3. टोकला		
		4. खारियां मालीनाथ	4. खारियां मालीनाथ		
		5. पटवारण	5. पटवारण		
		6. उदात	6. उदात		
		7. छानेरी	7. छानेरी		
		8. भानी का गांव	8. भानी का गांव		
		9. नयागांव	9. नयागांव		
62. ,,	जलवाली लाखूसर	1. वरड़ासर	1. वरड़ासर		स्त्रोत ग्राम रिवा-इज्ड योजनावाद में जोड़ा गया
		2. अलेवाली	2. अलवी		
		3. नूरासर	3. नूरासर	—	
		4. लाखूसर	4. लाखूसर	—	
		5. कालासर	5. कालासर	—	
		7. मैरुपावा	6. मैरुपावा	—	

330

1		2	3	4	5	6
63.	क्षेत्रीय	कोलायत टोकरी	1. इन्दूकावाला	1. कोटरी	—	
			2. कोटरी	2. मूध	—	
			3. मूध	3. इन्दूकावाला	—	
64.	क्षेत्रीय	सेनीवाला मेहरानसर	1. मेहरानसर	1. मेहरानसर	—	
			2, सेनीवाला	2. सेनीवाला	—	
			3. लालसर	3. लालसर	—	
65.	क्षेत्रीय	मिथारिया जेतपुर	1. अर्जुनपुर	1. अर्जुनपुर	—	
			2. मिथारियां	2. मिथारिया	—	
			3. रानीसर	—	कार्य प्रगति पर है।	शीघ्र ही ग्रामों को जल उपलब्ध करा दिया जावेगा
66.	विस्तार	गजनेर वच्छासर	1. वच्छासर	1. वच्छासर	—	
67.	विस्तार	गड़ियाला से वांगसर	1. वांगरसर	1. वांगरसर	—	
68.	आरसोधी योजना	वरियानवाली	1. वरियानवाली	1. वरियानवाली	—	
69.	आरसीपी योजना	लूणकरणसर	1. लूणकरणसर	1. लूणकरणसर	—	
70.	क्षेत्रीय	कस्तूखेड़ा	1. कस्तूखेड़ा	1. कस्तूखेड़ा	—	
71.	क्षेत्रीय	मिथारिया जेतपुरा पार्ट II	1. जेतपुरा	—	कार्य प्रगति पर है।	
72.	विस्तार		1. अखेसर	1. अखेसर	—	
	क्षेत्रीय	गजनेर	2. भोलासरभूदान	2. भोलासरभूदान	—	

1		2	3	4	5	6
			3. भोलासर चौहान	3. भोलासर चौहान	—	
			4. कोलासर इस्ट	4 कोलासर इस्ट	—	
73.	विस्तार	गिरजासर	1. नगरासर	1. नगरासर	—	
74.	,,	वज्जू तेजपुरा	1. मोडायत	1, मोडायत	—	
75.	विस्तार	रोडा	1. कमलीसर	1. कमलीसर	—	
76.	विस्तार	सूवालसर ग्रँकीसर	1. राईसर	1. रांईसर	—	
77.	क्षेत्रीय	महाजन मनोरिया	1. महाजन	—	महाजन	
			2. मनोरिया	—	मनोरिया	
78.	क्षेत्रीय	हंसेरा दुलमेरा	1. हंसेरा	—	हंसेरा	
			2. धीरेरा	—	धीरेरा	
			3. दुलमेरा	—	दुलमेरा	
79.	क्षेत्रीय	दादूसर मालासर	1. डाडूसर	....	1. डाडूसर	शीघ्र ही जल उपलब्ध करा दिया जायेगा
			2. मालासर	....	2. मालासर	
80.	विस्तार क्षेत्रीय	मीथारिया जैंतपुरा	1. सुई	....	1. सुई	
			2. दुलेहारा	....	2. दुलेहारा	
			3. तालीवाला	....	3. तालीवाला	
81.	क्षेत्रीय	बामनवाली	1. उत्तमदेसर	....	1. उत्तमदेसर	
			2 बंधा	....	2. बंधा	

1		2	3	4	5	6
			3. बामनवाली	....	3. बामनवाली	शीघ्र ही 3 ग्रामों को जल उपलब्ध करा दिया जायेगा
			4. महाराना	....	1. महाराना	
			5. जयसा	....	5. जयसा	
			6. खीयांरा	....	6. खीयांरा	
			7. धीरेरा	....	7. धीरेरा	
			8. सोडावाली	....	8. सोडावाली	
82.	क्षेत्रीय	लालेरा	1. लालेरा	....	1. लालेरा	
			2. जसवंतसर	....	2. जसवंतसर	
			3. मैंनसर	....	3. मैंनसर	
			4. कांकरालिया	....	4. कांकरालिया	
			5. नकरासर	....	5. नकरासर	
			6. लिखमीसर	....	6. लिखमीसर	
			7. भ्रसरासर	....	7. भ्रसरासर	
			8. रामसरा	....	8. रामसरा	
			9. कुम्भासर	....	9. कुम्भासर	
			10. खानीसर	....	10. खानीसर	

1	2	3	4	5	6
		11. रामपुरा	....	11. रामपुरा	शीघ्र ही कुछ ग्रामों में पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा
		12. डूंडासर	....	12. डूंडासर	
		13. भोजरासर	....	13. भोजासर	
		14. वालादेसर	....	14. वालादेसर	
		15. रातनीसर	....	15. रातनीसर	
		16. जगरसिंहपुर	....	16. जगरसिंहपुर	
		17. डूडारिया	....	17. डूडारिया	
83. क्षेत्रीय	जामसर	1. जामसर	....	1. जामसर	
		2. धोलेरा नं० 1	....	2. धोलेरा नं० 1	
		3. धोलेरा नं० 2	....	3. धोलेरा नं० 2	
		4. लालसर	....	4. लालसर	
		5. अकरालिया	—	5. अकरालिया	
		6. सवाईसर	—	6. सवाईसर	
		7. मकरासर		7. मकरासर	
84. पंप एवं टैंक	कतारियासर	1. कतारियासर	—	1. कतारियासर	

1	2	3	4	5	6
85. क्षेत्रीय	कल्याणसर	1. कल्याणसर वड़ा	—	1. कल्याणसर वड़ा	
		2. ,, आगूणा	—	2. ,, आगूणा	
		3. ,, उतरादा	—	3. ,, उतरादा	
86. विस्तार	रूनिया वडावास	1. रूनिया वडावास	—	1. रूनिया वडावास	
		2. धीरेरा	—	2. धीरेरा	
87. क्षेत्रीय	जयमलसर अमरपुरा	i जयमलसर	—	1. जयमलसर	
		2. अमरपुर	—	2. अमरपुर	
		3. भानीपुरा	—	3. भानीपुरा	
88. विस्तार	भांवतसर	1. हियादेसर	—	1. हियादेसर	
89. पंप एवं टैंक	शेरपुरा	1. शेरपुरा	—	1. शेरपुरा	

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न सं० 465 की सूची

महाराणा भूपाल स्टेडियम के पूर्व की ओर बनी दुकानों को आपातकाल में बेचान किया गया जिसकी सूची

क्र. सं.	नाम व्यक्ति जिसको दुकान बेची गई	कीमत	शर्त
1.	श्री मिठ्ठूलाल पिता श्री गणेशलाल	9,000/-	शर्तों के अनुबंध पत्र की
2.	श्री बैजनाथ पिता श्री कालू जी	9,000/-	प्रतिलिपि संलग्न हैं।
3.	श्री भंवरलाल पिता श्री भगवानलाल	9,000/-	,, ,,
4.	श्री राधाकिशन पिता श्री शंकरलाल	9,000/-	,, ,,
5.	श्री श्यामलाल पिता तोलाराम	9,000/-	,, ,,
6.	श्री मोहम्मदयुसुफ पिता श्री हुसन जी	9,000/-	,, ,,
7.	श्री गिरधारीलाल	9,000/-	,, ,,
8.	श्री हरिशंकर पिता कुशाल जी	9,000/-	,, ,,
9.	श्री मोहम्मद इस्माइल पिता अलाबक्ष	9,000/-	,, ,,
10.	श्री नीलकण्ठ पिता नन्दकिशोर जी	9,000/-	,, ,,

337

में श्री पिता उम्र निवासी

यह अनुबन्ध पत्र नगर पालिका परिषद, उदयपुर के हक में व पक्ष में लिख कर पावन्द होता हूं :--

1. कि मैं सहेलियों की वाड़ी मार्ग पर पूर्व में स्थित पहाड़ी वस स्टेण्ड कम्पाउण्ड में दुकान, ठेला, केबिन लगा कर धंधा करता था।

2. नगर परिषद द्वारा पहाड़ी वस स्टेण्ड उदियापोल वाहर स्थानान्तरित करने से मुझे भी यहां से हटाया गया। इससे मेरा व्यवसाय ठप्प हो गया है और मेरी आय 250 रु. मासिक से अधिक नहीं है। न मेरे नाम पर उदयपुर नगर परिषद सीमा में व्यवसायिक भूखण्ड ही हैं। नगर परिषद उदयपुर ने पहाड़ी वस स्टेण्ड पर दुकानें निर्मित की हैं। मैं उक्त दुकानों में से एक दुकान अपने व्यवसाय के लिये जिलाधीश, उदयपुर द्वारा किये गये नियमानुसार लीज होल्ड अधिकार से क्रय करना चाहता हूं। और मैं नगर परिषद उदयपुर द्वारा निर्धारित व निश्चित शर्तों की अनुपालना करूंगा।

3. कि इस दुकान का क्षेत्रफल 180–0 वर्गफीट है, जिसे लीज होल्ड पर 9,000/-नो हजार रु. में आवंटित की जा रही है, वह मुझे स्वीकार है।

4. कि उक्त दुकान की राशि 9,000/- नौ हजार रु. पेटे मैंने 1000/-रु. नगर परिषद कोष में चालान संख्या दिनांक से जमा करा रसीद प्राप्त कर ली है शेष राशि 5000/-स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा, चेटक सर्कल, उदयपुर से ऋण मिलते ही जमा करा दूंगा। बकाया राशि 3000/-रु. एक मुश्त जमा कराने में असमर्थ होने से मैं उक्त राशि 50/- मासिक से प्रतिमाह परिषद कोष में जमा करा रसीद प्राप्त कर लूंगा।

5. कि उक्त दुकान पर नगर परिषद, उदयपुर द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर चेटक सर्कल, उदयपुर से 5000/-रु. ऋण प्राप्त करूंगा और बैंक को यह आदेश दूंगा कि ऋण की राशि नगर परिषद, उदयपुर को मेरी बकाया राशि 8000/-पेटे 5000/-रु. दे दिये जाय।

6. कि मेरे नाम पर से प्राप्त ऋण की मासिक किश्त मय व्याज के नियमित रूप से हर मास की 10 तारीख तक नगर परिषद या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा चेटक सर्कल, उदयपुर में जमा करा दूंगा और बैंक में जमा कराने पर इसकी सूचना नगर परिषद को दे दूंगा।

7. कि ऋण लेने हेतु उक्त दुकान और उसके स्वत्व के पत्रों (टाइटल डीड) को बैंक में रहन रखना पड़ेगा तो मैं रहन रखूंगा, और इसके व्यय की जाने वाली राशि मैं स्वयं वहन करूंगा।

8. कि उक्त दुकान 99 वर्ष की लीज होल्ड आधार पर ली है, जिसके लिये लीज की राशि नियमानुसार मैं हर वर्ष 31 मार्च के पूर्व जमा कराता रहूंगा। राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के अनुसार विकास व्यय (डवलपमेंट चार्जेज) जमा कराता रहूंगा तथा अन्य शर्तों की अनुपालना करूंगा।

9. दुकान की सम्पूर्ण राशि जमा कराने के बाद ही उक्त दुकान का लीज होल्ड स्वामित्व के अधिकार प्राप्त कर लूंगा। इसके पूर्व मैं इस दुकान का अनुज्ञाधारी रहूंगा।

10. कि उक्त दुकान के संबंध में अनुज्ञा या लीज डीड के स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन कार्यवाही रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का समस्त भार व खर्च मैं स्वयं वहन करूंगा।

11. कि मेरे द्वारा शर्त संख्या 4, 5, 6 के अनुसार निर्धारित अवधि में किश्त की राशि जमा नहीं कराने पर नगर परिषद, उदयपुर को यह अधिकार होगा कि मुझे दुकान से हटा कर अपना कब्जा कर ले, जिसके लिये मैं किसी प्रकार की हील-हुज्जत नहीं करूंगा।

12. परिषद की बकाया राशि स्वयं अन्य शुल्क व करों का निश्चित अवधि में भुगतान नहीं करने पर परिषद को यह अधिकार होगा कि वह बकाया राशि पर प्रतिशत ब्याज वसूल कर ले।

13. मैं दुकान में स्वयं बैठ कर व्यापार करूंगा और इस दुकान को बैंक के अतिरिक्त और किसी को रहन नहीं रखूंगा और न किसी को देय व बक्षीस या हस्तान्तरण नहीं करूंगा।

14. दुकान जिस अवस्था में है उसके अतिरिक्त उसमें किसी प्रकार की तोड़-फोड़ व निर्माण कार्य नहीं करूंगा। दुकान की छत व उसके ऊपर की मन्जिल का स्वामित्व नगर परिषद, उदयपुर का होगा, यानि छत व छत के ऊपर की मन्जिल लीज होल्ड में शामिल नहीं है। नगर परिषद, उदयपुर स्टेडियम की सीढ़ियों की ओर से छत पर निमाण कार्य करा सकेगी और ऊपर की मंजिल में आने-जाने, चढ़ने-उतरने का मार्ग सीढ़ियों का परिषद की भूमि में से ही रहेगा। दुकान के पश्चिम की तरफ स्टेडियम की सीढ़ियों की दीवार नगर परिषद की आवगी है और इसमें से किसी प्रकार की तोड़-फोड़ नहीं करूंगा।

15. इस दुकान का पड़ोस निम्न प्रकार है :—
क्षेत्रफल :—

16. कि उक्त दुकान के संबंध में राज्य सरकार अथवा परिषद द्वारा कोई भी शर्त अथवा शर्तों को लगाई गई तो उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

17. उपरोक्त शर्तों में से मेरे द्वारा किसी भी शर्त अथवा शर्तों की अवहेलना करने पर नगर परिषद, उदयपुर मुझे उक्त दुकान से हटाकर अपना कब्जा कर सकेगा। मैं किसी प्रकार का हक दावा करने का अधिकारी नहीं रहूंगा तथा मेरे द्वारा जमा कराई गई राशि परिषद द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

18. कि मेरे द्वारा स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, चेटक सर्कल, उदयपुर से प्राप्त ऋण की राशि की किश्त तथा ब्याज की निश्चित तिथि पर भुगतान बैंक को न होने पर तथा बैंक द्वारा नगर परिषद, उदयपुर से इस विषय में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञा अथवा लीज स्वतः ही समाप्त हो जायेगी और नगर परिषद, उदयपुर मेरे को दुकान से बेदखल कर सकेगी तथा दुकान को नीलाम करके बैंक का ऋण मय ब्याज चुका सकेगा। जिसकी मैं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करूंगा और न किसी न्यायालय में विवाद, दावा दायर करूंगा। नगर पालिका का निर्णय अन्तिम होगा।

यह अनुबन्ध पत्र मैंने स्वस्थ्य चित्त में विना किसी दबाव के नगर परिषद, उदयपुर के हक में लिख दिया जो सही है और इस अनुबन्ध की शर्त संख्या 1 से 18 तक मुझे स्वीकार है, जिसकी प्रमाणिकता में मैंने अपने हस्ताक्षर कर राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा लिये एवं दो मोतबिरान की साक्षी दिला दी है।

साक्षी 1. हस्ताक्षर

साक्षी 2. हस्ताक्षर

प्रशासक,
नगर परिषद, उदयपुर

महाराणा भूपाल स्टेडियम के पूर्व की ओर बनी दुकानें निलामी द्वारा अनुज्ञा पर दी गई जिसकी सूची :—

पहाड़ी बस स्टेण्ड पर परिषद् की पक्की दुकानें

क्र. सं.	दुकान नम्बर	दुकान दिनांक से दी गई	मासिक अनुज्ञा शुल्क	निलामी बोली द्वारा दी गई।
1.	11	7–2–77	130/–	निलामी द्वारा
2.	10	1–2–78	250/–	,,
3.	12	1–2–77	145/–	,,
4.	13	5–2–77	135/–	,,
5.	14	5–2–77	140/–	,,
6.	15	17–8–77	160/–	,,
7.	16	21–1–77	140/–	,,
8.	17	21–1–77	140/–	,,
9.	18	1–3–79	70/–	,,
10.	19	5–4–77	150/–	,,
11.	20	22–2–78	150/–	,,
12.	21	7–11–77	205/–	,,
		नाथद्वारा बस स्टेण्ड की पक्की दुकानें		
13.	1	3–5–77	235/-	,,
14.	4	13–2–76	356/–	,,
15.	5	7–7–76	245/–	,,
16.	7	8–4–76	311/–	,,
17.	8	19–5–76	291/–	,,
18.	9	15–7–76	205/–	,,
19.	12	3–5–77	170/–	,,
20.	15	18–2–78	155/–	,,

341

महाराणा भूपाल स्टेडियम के पूर्व की ओर बनी दुकानें जिनको बिना निलामी द्वारा अनुज्ञा पर दी गई जिसकी सूची :—

चेटक सर्किल पुराना नाथद्वारा बस स्टेण्ड पर परिषद की पक्की दुकानें

क्र. सं.	अनुज्ञाधारी का नाम व पता	दुकान न.	दु. दिनांक से दी गई	मासिक अनुज्ञा शुल्क	प्रार्थना पत्र पर दी गई दुकानें
1.	श्री राजकुमार पिता आईवर टीका जी नि. फतहपुरा	2	22–2–77	230/–	प्रार्थना पत्र पर दी गई
2.	श्री नटवरलाल पिता हीरा लाल जी समदानी, समदानी सदन, श्री नाथ जी की हवेली।	3	13–2–76	230/–	,,
3.	श्री मो० इस्माईल (युसुफ) पिता श्री कादर जी, चेटक सर्किल, उदयपुर।	6	2–8–76	296/–	,,
4.	श्री गोपाल लाल पिता हजारीलाल सुधार भटयानी चोहटा।	10	22–1–77	210/–	,,
5.	श्री वैष्णदास पिता जगदीश प्रसाद जी व्यास जगदीश चौक, उदयपुर।	11	3–2–77	210/–	,,
6.	श्री डा. महेन्द्र पिता प्रताप जी माणावत, 352 कृष्णपुरा, उदयपुर।	13–14	23–6–78	380/–	,,

चेतक सर्किल पहाड़ी बस स्टेण्ड पर दुकानें

क्र. सं.	अनुज्ञाधारी का नाम व पता	दुकान न.	दु. दिनांक से दी गई	मासिक अनुज्ञा शुल्क	प्रार्थना पत्र पर दी गई दुकानें
7.	श्री रा. राज्य पथ परिवहन विभाग उदयपुर।	22	20–2–78	इसका अनुज्ञा शुल्क निर्धारित करना है।	

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 479 का इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक 8 जून सन् 1961 को सेठी गणपतराय ट्रस्ट जिसे एतत्पश्चात् ट्रस्ट कहा गया है। प्रथम पक्ष की ओर से सेठ श्री गणपतराय सरावगी तथा राज्यपाल राजस्थान, राज्य (जिन्हें एतत्पश्चात्, राज्य सरकार कहा गया है) द्वितीय पक्ष के बीच संपन्न किया जाता है।

(1) चूंकि ट्रस्ट के ट्रस्टीगण ने सर्वसम्मति से यह तय किया है संलग्न परिशिष्ट 1 में वर्णित भवन, जिन्हें एतत्पश्चात् उक्त-उक्त स्कूल भवन कहा गया है और जिसे ट्रस्ट ने हाल ही में खरीदा है। लाड़नूं में एक गर्ल्स हाई स्कूल के चलाने के काम में लिया जाय।

(2) और चूंकि ट्रस्टीगण ने सर्वसम्मति से यह भी निश्चय किया है कि उक्त स्कूल भवन को लाड़नूं में एक गर्ल्स हाई स्कूल सरकारी खर्चो से वर्तमान सत्र 1 जुलाई 1961 (1961–62) में उक्त (मौजूदा) भवन में चलाने के लिए, निम्नलिखित शर्तों पर राज्य सरकार को सौंप दिया जाय।

(3) और चूंकि राज्य सरकार ने एतत्पश्चात् वर्णित शर्तों पर उक्त स्कूल भवन को लाड़नूं में एक गर्ल्स हाई स्कूल चलाने के लिए लेना स्वीकार कर लिया है। अब दोनों पक्ष परस्पर निम्न लिखे अनुसार करार करते हैं :—

(1) इस स्कूल का नाम श्रीमती केसर देवी सेठी गर्ल्स हाई स्कूल, लाड़नूं होगा और यह हमेशा (परमानेन्टली) रहेगा। तथा जिसको बदलने का द्वितीय पक्ष (राज्य सरकार) को किसी भी समय कोई अधिकार नहीं होगा। चाहे भवन का विस्तार किया जाय अथवा स्कूल में क्लासें बदली या पढ़ाई जाय तथा उक्त स्कूल की ओर से सारा पत्र व्यवहार आदि पूर्वोक्त नाम से होगा।

(2) उक्त गर्ल्स हाई स्कूल में श्रीमती केसर देवी सेठी, धर्मपत्नी, सेठ गणपत राय सेठी की याद को चिरस्मरणीय बनाने के निमित केसर देवी का एक तलचित्र (लाइफ साइज) उक्त स्कूल में किसी प्रमुख स्थान पर स्थायी तौर पर लगाया जायगा। एवं श्रीमती केसर देवी सेठी का एक संगमरमर का एक बस्ट भी उक्त स्कूल के अहाते में स्थायी तौर पर स्थापित किया जायगा। ट्रीट तैल चित्र और बस्ट अपने खर्च पर तैयार करवाकर राज्य सरकार को उपरोक्त प्रकार लगाने हेतु सौंपने की व्यवस्था करेगा।

(3) ट्रस्ट अपने खर्चे से उक्त स्कूल में छः अतिरिक्त कमरे तथा एक बरामदा परिशिष्ट 3 में दिये गये प्लान के अनुसार द्वितीय पक्ष के पी. डब्ल्यू. डी. विभाग की

343

देखरेख में बनाये। जो ट्रस्ट को भवन निर्माण संबंधी आवश्यक नकल एस्टीमेट आदि समय-समय पर देना परन्तु देखरेख संबंधी कोई खर्चा प्रथम पक्ष से नहीं किया जायगा। भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा उसके निर्माण सम्बन्धी कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी, न भवन के प्लान अथवा निर्माण रद्दोबदल करवाने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा। शर्त यह भी है कि कन्ट्रोल से मिलने वाली वस्तुयें मसलन सीमेंट, लोहा आदि जिनकी उपर्युक्त निर्माण के लिए आवश्यकता हो कन्ट्रोल रेट पर द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सप्लाई की जावेगी।

(4) स्कूल की छठी कक्षा से मैट्रिक कक्षा तक के उपयोग के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा आपेक्षित कुल फर्निचर ट्रस्ट सप्लाई करेगा परन्तु फर्निचर की डिलीवरी की तारीख के पश्चात् उसकी देखरेख, टूट–फूट, मरम्मत आदि की सारी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी एवम् बाद में आवश्यकता अनुसार फर्निचर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा।

(5) यह कि स्कूल भवन सरकार को सौंप देने के पश्चात् भवन के संचारण तथा वार्षिक मरम्मत की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

(6) यह कि स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक व अनुभवी स्टाफ, बिजली, पानी तथा दैनिक खर्चा आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष अपने खर्चे पर करेगा।

(7) यह कि प्रथम पक्ष, कक्षा छः से हाई स्कूल तक दस छात्राओं को आवश्यक योग्यता होने पर अपनी इच्छानुसार प्रवेश करा सकेगा।

(8) यह कि राज्य सरकार उक्त स्कूल को हायर सैकण्डरी स्कूल या कालेज के रूप में परिवर्तित करने में स्वतंत्र होगी, परन्तु स्कूल का नाम हमेशा यथोचित परिवर्तनों के साथ श्रीमती केसर देवी सेठी के नाम पर ही रहेगा।

(9) यह कि यदि किसी समय राज्य सरकार स्कूल को बन्द कर देने का निश्चय करे तो स्कूल भवन ट्रस्ट को उसी हालत में सौंप दिया जायेगा जिस हालत में द्वितीय पक्ष को ट्रस्ट ने दिया है। और ऐसा न होने की सूरत में, स्कूल बन्द होने की तारीख से तीन महीने की अवधि पूर्व होने पर स्कूल भवन स्वतः ही ट्रस्ट के अधिकार में (स्वामित्व के अन्तर्गत) आ जायेगा।

(10) यह कि उक्त भवन में द्वितीय पक्ष द्वारा गर्ल्स हाई स्कूल बन्द कर देने की अवस्था में द्वितीय पक्ष अन्य कोई गर्ल्स हाई स्कूल, लाड़नूं में नहीं चलायेगा। परन्तु

इस स्कूल के अलावा लड़कियों के लिए अन्य हाई स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल या कालेज देखने का अधिकार द्वितीय पक्ष को हमेशा रहेगा।

(11) उक्त भवन का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके निमित्त भवन दिया गया है और उस दशा में जबकि राज्य सरकार इस भवन के उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में न लावें। यह भवन पुनः ट्रस्ट के स्वामित्व में आ जायेगा। इस इकरारनामें पर स्वीकृति के रूप में वर्णित पक्षों में प्रथम पक्ष की ओर से सेठ श्री गणपत राय सरावगी और द्वितीय पक्ष की ओर से निरीक्षक शिक्षा विभाग नागोर ने नीचे अपने हस्ताक्षर इन तारीखों को कर दिये हैं जो कि उनके हस्ताक्षरों के सम्मुख लिखी हुई हैं।

स० ह० एस० एम० सईस
राज्य सरकार की ओर से
निम्नांकित की उपस्थिति में
साक्षी (1) जेठमल शर्मा

स० ह० गणपत राय सरावगी
ट्रस्टगण की ओर से
साक्षी (1) वेद प्रकाश शर्मा
सुपुत्र लक्ष्मी चन्द शर्मा

(2) हनुमान सहाय शर्मा
सुपुत्र हरी नारायण शर्मा

345

साक्षी 2 : महेन्द्रसिंह ।

एम०/ओ० इन्चार्ज सेठ गणपत राय सरावगी

होस्पिटल लाड़नूं ।

सब रजिस्ट्रार लाड़नूं .

निष्पादक श्री गणपत राय पुत्र श्री स्वर्गीय डायमल जी, जाति सरावगी सेठी, निवासी लाड़नूं ने मजमून इकरारनामा के सही होने व इसके अपने निज के पक्ष में लिखवाकर इस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया व इकरारनामा को कबूल व मजनूर किया। निष्पादक को श्री जेठमल पुत्र बिरदीचन्द जी, जाति ब्राह्मण निवासी लाड़नूं, को पहचानते जिनको हम स्वयं जानते हैं। अतः आज दिनांक 1 जुलाई, सन् 1961 तदनुसार मिति जेष्ठ द्वितीय सुदी 6 समत् 2018 सोमवार समय 11 ए. एम. मुकाम लाडनूं मकान निष्पादक श्री गणपतराय वाके डीडवाना रोड लाड़नूं में पंजीयन किया गया। इति।

एस. डी. एस. एल. साँखला ।

सब रजिस्ट्रार लाड़नूं (राज.)

हस्ताक्षर निष्पादक

द. गणपतराय

हस्ताक्षर पहचानकार ।

दस्कत जेठमल

यह दस्तावेज आज तारीख 28–8–61 को सही नं. पब्लिक के सपत्र नं. 35 टू 37 के सिलसिले नकल निर्णय दर्ज किया गया। जिसकी फीस रजिस्ट्री उजरत नकल 2) बेडीको (वेडोन्समेंट 11) कोमा फीस 15 जुलाई 1961 वसूल हो चुके हैं

एस. डी. एम. एल. वोहरा

सब रजिस्ट्रार 1 लाड़नूं (राज.)

एटेस्टेड

सब रजिस्ट्रार लाड़नूं (राज०)

डुप्लीकेशन की डेजवीन चार्जडवाइड रिसिप्ट नं० 2/5/7/61

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न सं. 481 का विवरण

प्रपत्र—अ

भरतपुर सिंचाई विभाग (बाढ़ नियन्त्रण) में बाढ़ नियन्त्रण हेतु बढ़ने वाले खण्डों व उपखण्डों की सूची ।

क्रमांक	वृत्त/खण्ड		उपखण्ड	अवधि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	--	—	1	अक्टूबर, 1963 से फरवरी, 1967	गोवर्धन नाले के
2.	अ	—	1	दिसम्बर, 1967 से दिसम्बर 1970	निर्माण हेतु ।
	ब	—	1	दिसम्बर, 1967 से अगस्त, 1972	
3.	अ	1	2	वर्ष 1972 से फरवरी, 1974	
	ब	—	1	वर्ष 1972 से अप्रेल, 1974	
4.	—	—	3	मई, 1976 से अक्टूबर, 1976	
5.	1	3	12	फरवरी, 1978 से निरन्तर	

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 482 की सूची

कुल योग	स्वीकृत राशि 1974–75 (लाखों में)	व्यय बांध व नहरों पर 1974–75		कुल योग	स्वीकृत राशि 1975–76 (लाखों में)	व्यय बांध व नहरों पर 1975–76		कुल योग	स्वीकृत राशि 1976–77 (लाखों में)	व्यय बांध व नहरों पर 1976–77		कुल योग	स्वीकृत राशि 1977–78 (लाखों में)	व्यय बांध व नहरों पर 1977–78	
		पक्का	मरम्मत			पक्का	मरम्मत			पक्का	मरम्मत			पक्का	मरम्मत
164285/-		—	46592/-	46592/-		45496/-	128307/-	173803/-		246547/-	576401/-	822948/-		—	240423/-
1299/-		—	2460/-	2460/-		—	2123/-	2123/-		—	35230/-	35230/-		—	41842/-
2838/-		—	641/-	641/-		—	11288/-	11288/-	10.02	—	7371/-	7371/-	5.16	—	36557/-
3085/-	2.57	—	6117/-	6117/-	3.15	—	61941/-	61941/-		—	56603/-	56603/-		—	85970/-
57529/-		166883/-	34123/-	201006/-		56110/-	140584/-	196694/-		—	79139/-	79139/-		—	111801/-
308/-		—	—	—		—	28624/-	28624/-		—	1110/-	1110/-		—	—
229344/-				256816/-				314473/-				1002401/-			316593/-

348

प्रपत्र—ब

क्र. सं.	कार्य का नाम	नहरों को पक्का कराने पर व्यय
1.	जसवन्तसागर बांध	78,097/–
2.	रायपुर लुणी बांध	37,310/–
3.	गिरी नन्दा बांध	31,978/–

349

परिशिष्ट–23

अतारांकित प्रश्न सं० 486 (124) की सूची

झालावाड़ जिले में पिछले एक वर्ष में (मार्च 78 से फरवरी, 79) जिन ग्रामों को बिजली दी गई उनकी पंचायत समिति वार सूची

क्र० सं० 1	ग्राम का नाम 2	पंचायत समिति 3
1.	दया भाव	झालरापाटन
2.	मुगलाना	"
3.	अकिया	"
4.	बिंदलाई	"
5.	गादिया	"
6.	बोरिया खेडी कलां	"
7.	नयागांव भानपुरा	"
8.	कल्याणपुरा	"
9.	गणेशपुरा	"
10.	भीमली	"
11.	बहेरी खुर्द	बकानी
12.	पटरी खेडी	"
13.	बोंदा खेडा	"
14.	पाडलिया	"
15.	नूरपुरा	पिडावा
16.	अकोडिया	"
17.	वीरपुरा	"
18.	नौलाई	"
19.	उन्हेल	डग
20.	हरनोदा	"
21.	गोलियाखेडी	खानपुर
22.	देदिया	"
23.	देवपुरा	"
24.	पिपलाज	"
25.	बाघड	"

(350)

1	2	3
26.	बनीनिया	खानपुर
27.	गगरावता	,,
28.	खोजपुर	,,
29.	सेमलखेडी	,,
30.	जगदीशपुरा	,,
31.	महीरा	,,
32.	पकबराना	,,
33.	जाथरा	,,
34.	खटवारा	,,
35.	बेरसर	,,
36.	गडवाडा डून्डी	,,
37.	ठीकरिया	,,
38.	कलरेवा	,,
39.	खटवाडा	,,
40.	अरनिया	मनोहरथाना
41.	किशनपुरा	,,
42.	वरेरी खुर्द	,,
43.	उन्नी	,,
44.	कोली	,,

परिशिष्ट-24

अतारांकित प्रश्न सं० 488 की सूची

11 के० वी० लाइनों से 1 कि० मी० अथवा इससे कम दूरी वाले गांव, जिनकी स्वीकृति मण्डल द्वारा वर्ष 1978-80 के सामान्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित की गई है, की जिलेवार एवं तहसील/पं० सं० वार सूची।

क्र० सं०	पं० समिति/तहसील का नाम	स्वीकृत ग्रामों की संख्या	
		तहसील/पं० सं०	जिला
	जिला—अजमेर		4
1.	पीसागन	3	
2.	जवाजा	1	
	जिला—अलवर		15
1.	लक्ष्मणगढ़	1	
2.	बहरोड़	11	
3.	तिजारा	1	
4.	किशनगढ़	1	
5.	बानसूर	1	
	जिला—बासवाड़ा		4
1.	बागीडोरा	2	
2.	कुशलगढ़	2	
	जिला—बाड़मेर		7
1.	पचपदरा	3	
2.	सिवाना	4	
	जिला—बूंदी		8
1.	तालेडा	5	
2.	हिण्डोली	2	
3.	बून्दी	1	

क्र० सं०	पं० समिति/तहसील का नाम	स्वीकृत ग्रामों की संख्या	
		तहसील/पं० सं०	जिला
	जिला—भरतपुर		23
1.	कामां	6	
2.	बयाना	7	
3.	नगर	10	
	जिला—भीलवाड़ा		26
1.	कोटडी	4	
2.	माण्डलगढ़	6	
3.	रायपुर	5	
4.	शहाड़ा	10	
5.	भीलवाड़ा	1	
	जिला—बीकानेर		10
1.	नोखा	7	
2.	बीकानेर	1	
3.	कोलायत	2	
	जिला—चित्तौड़गढ		27
1.	चित्तौड़गढ़	3	
2.	राश्मि	2	
3.	निम्वेहड़ा	5	
4.	बेगूं	10	
5.	डूंगला	1	
6.	कपासन	1	
7.	गगरार	1	
8.	प्रतापगढ़	4	
	जिला—चूरू		11
1.	सूजानगढ़	3	
2.	सरदारशहर	2	
3.	रतनगढ़	4	
4.	डूंगरगढ़	2	

353

क्र० सं०	पं० समिति/तहसील का नाम	स्वीकृत ग्रामों की संख्या	
		तहसील/पं० सं०	जिला
	जिला—डूंगरपुर		7
1.	श्रासपुर	2	
2.	डूंगरपुर	3	
3.	सागवाड़ा	2	
	जिला—जयपुर		33
1.	चाकसू	1	
2.	जयपुर	2	
3.	लालसोट	1	
4.	फागी	3	
5.	सांगानेर	4	
6.	फुलेरा	3	
7.	दौसा	3	
8.	दूदू	1	
9.	जमवारामगढ़	3	
10.	सिकराय	3	
11.	बैराठ	4	
12.	बसवा	2	
13.	श्रामेर	2	
14.	जोबनेर	1	
	जिला—जालौर		5
1.	जालौर	3	
2.	ग्रहोर	2	
	जिला—झुंझुनूं		11
1.	खेतड़ी/बुहाना	11	
	जिला—झालावाड़		26
1.	झालरापाटन	7	
2.	खानपुर	2	
3.	मनोहरथाना	4	
4.	गंगधर	2	
5.	पिड़ावा	9	
6.	बकानी	2	

क्र० सं०	पं० समिति/तहसील का नाम	स्वीकृत ग्रामों की संख्या	
		तहसील/पं० सं०	जिला
	जिला—कोटा		49
1.	साँगोद	14	
2.	अटरू	4	
3.	लाड़पुरा	11	
4.	छीपाबड़ोद	15	
5.	पिपलदा	2	
6.	माँगरोल	2	
7.	अन्ता	1	
	जिला—नागौर		5
1.	लाड़नूं	3	
2.	डीडवाना	1	
3.	परबतसर	1	
	जिला—पाली		8
1.	रायपुर	3	
2.	जैतारण	5	
	जिला—सवाईमाधोपुर		20
1.	करोली	2	
2.	सपोटरा	8	
3.	महुवा	4	
4.	टोडाभीम	6	
	जिला—सीकर		11
1.	नीमकाथाना	1	
2.	दांतारामगढ़	10	
	जिला—सिरोही		
1.	सिरोही	1	
	जिला—श्रीगंगानगर		41
1.	रायसिंहनगर	16	
2.	भादरा	2	
3.	सूरतगढ़	9	
4.	करणपुर	4	
5.	नोहर	3	
6.	श्री गंगानगर	1	
7.	हनुमानगढ़	4	
8.	पदमपुर	2	

क्र० सं०	पं० समिति/तहसील का नाम	स्वीकृत ग्रामों की संख्या	
		तहसील/पं० सं०	जिला
	जिला—टोंक		23
1.	उनियारा	3	
2.	निवाई	17	
3.	मालपुरा	1	
4.	टोंक	2	
	जिला—उदयपुर		23
1.	सलूम्बर	4	
2.	नाथद्वारा	1	
3.	मावली	6	
4.	राजसमंद	5	
5.	रेलमगरा	1	
6.	भीन्डर	1	
7.	भीम	1	
8.	गिरवा	1	
9.	आमेट	3	
			398

परिशिष्ट-25

(अतारांकित प्रश्न संख्या 490 की सूची)

सूची "क"

केरियत ग्रामों की जिनकी की तालाबों से सिचाई होती है, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज

क्र० सं०	नाम तहसील	नाम तालाब	नाम ग्राम
1	2	3	4
1.	किशनगंज	उम्मेदसागर व गोपालपुरा	खेडली
2.	,,	,,	लालगंज
3.	,,	,,	ठारुकी
4.	,,	,,	वालाखेड़ा
5.	,,	,,	सुहातन
6.	,,	,,	खेथानपुरा
7.	,,	,,	नमोटी का नाका
8.	,,	,,	रेलावन
9.	,,	,,	छतरपुरा
10.	,,	,,	पदमपुरा
11.	,,	,,	सोमक्यर
12.	,,	,,	मेदपुरा
13.	,,	,,	पावटा
14.	,,	,,	फत्तहपुरा
15.	,,	,,	देवपुरा
16.	,,	,,	विकाईपुरा
17.	,,	,,	भवाईपुरा
18.	,,	,,	उदयपुरा
19.	,,	,,	रोवनी
20.	,,	,,	मदनपुरा
21.			स्वरुपपुरा

1	2	3	4
22.	किशनगंज	उम्मेदसागर व गोपालपुरा	वृजनगर
23.	"	"	मोज
24.	"	"	मरड़ा
25.	"	"	गोपालपुरा
26.	"	"	करणपुरा
27.	"	"	सकलपुरा
28.	"	"	पगारा
29.	"	"	गोमदा
30.	"	"	बालापुरा
31.	"	"	करवरी कला
32.	"	"	सदाफल

इकलेरा सागर

1	2	3	4
1.	किशनगंज	इकलेरा सागर	इकतारा
2.	"	"	मिलाई
3.	"	"	सोडाना
4.	"	"	छिनोद
5.	"	"	महरावत
6.	"	"	दीगोदघाट
7.	"	"	पीपल्दा
8.	"	"	रामपुरया
9.	"	"	बड़ोदिया

सीताबाड़ी सारन

1	2	3	4
1.	किशनगंज	सीतावाड़ी सारन	काकरा
2.	"	"	जैसवा
3.	"	"	लक्ष्मीपुरा

1	2	3	4
4.	किशनगंज	सीताबाड़ी सारव	चैनपुरा
5.	,,	,,	दीगोद
6.	,,	,,	खेड़ली
7.	,,	,,	खण्डेला
8.	शाहबाद	,,	छिहरोनी
9.	,,	,,	दांता
10.	,,	,,	रत्यावड़ा
1.	किशनगंज	विलाल	सीमल्या
2.	,,	,,	नयागांव
3.	,,	,,	विलासगढ़
4.	,,	भंवरगढ़	भंवरगढ़
5.	,,	कालीसोल	छट्टी
6.	,,	,,	पराण्यो
7.	,,	,,	गोरघनपुरा
1.	,,	सूरनावड़ा सारए	नयागांव
2.	,,	,,	जगदीशपुरा
3.	,,	,,	खीमलखेड़ा
4.	,,	,,	मोजाजपुरा
5.	,,	,,	खुगदा
6.	,,	,,	नवासी
7.	,,	,,	रणवाला
8.	,,	,,	चारभुजा
1.	,,	फलदी	फलदी
1.	,,	नाहरगढ़	नाहरगढ़
2.	,,	,,	बालपुरा

1	2	3	4
1.	किशनगंज	चांदीपुरा	चांदीपुरा
2.	,,	,,	वहालवड़ा
3.	,,	,,	दीगोद
1.	,,	हरीपुरा सारण	छत्रगंज
2.	,,	,,	हरीपुरा
3.	,,	,,	किशनपुरा
1.	,,	डूबराजनदी	मोहीराद
2.	,,	,,	ढोव
1.	,,	छतरपुरा	छत्रपुरा
2.	,,	,,	नाहरगढ़
3.	,,	,,	छत्रगंज
4.	,,	,,	वालापुरा
1.	,,	मोहदरी	मोहदरी
1.	शाहबाद	सेमली फाटक	इनकोनी
2.	,,	,,	खोराई
3.	,,	,,	सीमली फाटक
1.	,,	रातई	सूसकनया
2.	,,	,,	बासखेड़ा
3.	,,	,,	रातईकलां
4.	,,	,,	रातई खुर्द
5.	,,	,,	खुशियारा
6,	,,	,,	अतरोड़ा
7.	,,	,,	रीडीपुरा
8.	,,	,,	हरीपुरा

1	2	3	3
9.	शाहबाद	रातई	बीरोली
10,	,,	,,	मदरेठा
11.	,,	,,	नाटई
12,	,,	,,	परेलवा
1.	,,	केलवाड़ा	केलवाड़ा
1.	,,	बाल्दा बांध	बाल्दा
2.	,,	,,	चिण्डालवा
3.	,,	,,	हरला
4.	,,	,,	परला
5.	,,	,,	क्विा
1.	,,	महरीणा तरेटी	महरीणा तरेटी
2.	,,	,,	जिरमानी

361

परिशिष्ट–26

अतारांकित प्रश्न संख्या 493 की सूची

List of proposals against the sanctioned for a list of Umaid Hospital

1.	Providing Ward-robs in Nurses Hostal at New Teaching Hospital, Jodhpur.	Rs. 40,000/-
2.	Construction of new operation theatre at M. G. Hospital, Jodhpur.	Rs. 40,000/-
3.	Extension of garages for M. G. Hospital for staff, Doctor etc.	Rs. 15,000/-
4.	S/F of exhaust fans	Rs. 10,000/-
5.	Improvement of enterance area at M. G. Hospital.	Rs. 5,000/-
6.	Miscellenious work at M.G. Hospital.	Rs. 27,000/-
7.	Miscellenious work at Medical College.	Rs. 15,000/-
8.	Miscellenious work at Umaid Hospital.	Rs. 25,000/-
9.	Repair of existing lift at Umaid Hospital.	Rs. 25,000/-
	Total	Rs. 2,02,000/-

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

सूची "क"

1. दिनांक 27-11-77 से 2-12-77 तक	6 दिन तक
2. दिनांक 9-12-77 से 16-12-77 तक	8 दिन तक
3. दिनांक 22-2-78 से 27-2-78 तक	6 दिन तक
4. दिनांक 21-3-78 से 27-3-78 तक	7 दिन तक
5. दिनांक 7-4-78 से 14-4-78 तक	8 दिन तक
6. दिनांक 20-4-78 से 5-5-78 तक	16 दिन तक
7. दिनांक 7-5-78 से 16-5-78 तक	10 दिन तक
8. दिनांक 16-5-78 से 24-5-78 तक	9 दिन तक
9. दिनांक 2-7-78 से 7-7-78 तक	6 दिन तक
10. दिनांक 19-7-78 से 23-7-78 तक	5 दिन तक
11. दिनांक 30-7-78 से 5-8-78 तक	7 दिन तक
12. दिनांक 14-8-78 से 21-8-78 तक	8 दिन तक
(दिनांक 15-8-78 से 18-8-78 तक आकस्मिक अवकाश)	
13. दिनांक 6-10-78 से 15-10-78 तक	9 दिन तक
(दिनांक 8-10-78 से 12-10-78 तक राजपत्रित अवकाश)	

363

परिशिष्ट–28

अतारांकित प्रश्न संख्या 503 की सूची

वित्त (ग्रुप–4) विभाग

भूमि एवं भवन कर विभाग के लिए राजस्व लक्ष्य एवं वसूली की सर्किल–वाइज स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	सहायक निदेशक सर्किल का नाम	लक्ष्य	वसूली 31-1-79 तक	लक्ष्य का वसूली प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	20	6.11	31
2.	अलवर	12	3.42	28
3.	बीकानेर	13	4.20	32
4.	गंगानगर	12	5.33	54
5.	जयपुर(प्रथम)	60	6.45	11
6.	जयपुर(द्वितीय)	35	6.55	19
7.	जोधपुर	17	8.21	11
8.	कोटा	36	4.29	11
9.	पाली	14	4.58	33
10.	सीकर	11	0.88	8
11.	उदयपुर	20	5.45	27
	योग	250	55.47	22

वित्त (ग्रुप–4) विभाग

अतारांकित विधान सभा प्रश्न सं० 42 वि० मं०

नगर भूमि एवं भवन कर विभाग के लिए 1 अप्रैल, 78 से जनवरी, 79 तक किया गया व्यय.

(रुपया लाखों में)

क्र० सं०	सर्किल का नाम	व्यय के आंकड़े
1	2	3
1.	अजमेर	1.49
2.	अलवर	1.36
3.	बीकानेर	1.33
4.	गंगानगर	1.20
5.	जयपुर (प्रथम)	1.59
6.	जयपुर (द्वितीय)	1.53
7.	जोधपुर	1.44
8.	कोटा	1.43
9.	पाली	1.15
10.	सीकर	1.18
11.	उदयपुर	1.15
12.	उप निदेशक (मूल्यांकन), जयपुर	0.97
13.	मुख्यालय	3.24
	योग	19.06